



CENTER FOR CIVIL SERVICES

DEDICATED TO UPSC CSE



करेंट अफेयर्स मैगजीन


जनवरी
2024

CENTER FOR
CIVIL SERVICES

DEDICATED TO UPSC CSE

Address: Police Line Road, Daltonganj, Palamu, Jharkhand
Contact: 7909017633
email: contact@ccsupsc.com Website: ccsupsc.com

Target JPSC 2024 (PT+Mains)



• • • •
~~₹8,999~~

Try our course for only

₹99
NOW + Easy Monthly
Installments later

*CANCEL ANYTIME

Get 1 Month Access Now!

ccsupsc.com/get-app



जनवरी- 2024

कर्ट अफेयर मैगज़ीन

विषय सूची

विषय

पृष्ठ संख्या

कला एवं संस्कृति

1-8

- कालबेलिया समुदाय
- शांति निकेतन
- प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023
- एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0
- इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार
- योगमाया मंदिर
- बहमनी सुल्तान

राजनीति और शासन

9-21

- स्कूलों में EWS प्रवेश
- राज्यपाल पुनः अधिनियमित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते
- व्यभिचार
- डाकघर बिल
- भारत में अपराध पर NCRB 2022 रिपोर्ट
- जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी में महिला कोटा के लिए विधेयक
- संसद सदस्यों (सांसदों) का निलंबन
- अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पारित
- SC ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा
- धार्मिक आधार पर पार्टी का नाम प्रतिबंधित करना

पर्यावरण और पारिस्थितिकी

22-32

- प्लास्टिक प्रदूषण से मुकाबला
- COP28
- असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य
- अल्टर्रा फंड
- जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) 2024
- COP28 शिखर सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन से 'संक्रमण दूर' करने का आह्वान किया गया
- सैगा मृग
- आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2023
- शीतकालीन अयनांत
- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा (KMGBF)
- RBI, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने CCIL मुद्दे में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

अर्थव्यवस्था

33-46

सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC)
RBI क्लाउड स्टोरेज सेवाएँ प्रदान करेगा
RBI डिजिटल लोन एग्रीगेटर्स को नियमन के दायरे में लाएगा
मौद्रिक नीति समिति
गोल्डीलॉक्स प्रभाव
क्रिएटो-एसेट मध्यस्थ (CAI)
GST दर का युक्तिकरण
NCRPS
विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता (लीड्स) 2023
भारत में मुद्रास्फीति
RBI ने AIFS में निवेश करने वाले ऋणदाताओं के लिए नियम कड़े किए

विज्ञान और तकनीक

47-64

जीनोम अनुक्रमण
एक्स-रे पोलारिमीटर उपग्रह
गजराज सॉफ्टवेयर
डार्क पैटर्न
फज़ॉर्डफैटम
GNoME
गूगल जेमिनी
GPAI शिखर सम्मेलन 2023
भारत की विकसित होती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था
नोरोवायरस
केटामाइन (ketamine)
हाइड्रोजन साइनाइड
टेम्पो सैटेलाइट
mRNA

सामाजिक मुद्दे

65-73

भारत में तटीय कटाव
जाति आधारित हिंसा
विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023
भारत में अंग दान
इरेस सिंड्रोम
E-सिगरेट
सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

74-86

गोलान हाइट्स
मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ
संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)
भारत-केन्या
यूरोप ऐतिहासिक AI विनियमन समझौते पर सहमत है
रिवर सिटी एलायंस
निरखीकरण पर सम्मेलन
मालदीव ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पर भारत के साथ समझौता समाप्त किया
कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव (CSC)

सरकारी योजना

87-97

आयुष्मान आरोग्य मंदिर
पीएम जनमन
GIAN योजना
PM-डिवाइन योजना
पीएम-उषा(USHA) योजना
हरित ऋण योजना
नफ़िस (NAFIS)
ब्याज समकरण योजना
कृषि उदान योजना
पीएम विश्वकर्मा योजना
RAMP कार्यक्रम के तहत तीन उप-योजनाएँ लॉन्च की गई
जल जीवन मिशन (JJM)

विविध

98-108

सैम मानेकशॉ
प्रेसमंड
भारत में विकलांगता समावेशन को सशक्त बनाना
एस्मा (ESMA)
ग्रीन वॉयेज2050 परियोजना
अराजक-पूंजीवाद
पैन्टोइया टैगोरी
राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपॉजिटरी पोर्टल
ज्ञानवापी मस्जिद मामला
आखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS)
इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी

योजना जनवरी 2024

109-117

1. भारत का चंद्रमा मिशन
2. भारत का बढ़ता कदः एक उभरती हुई शक्ति
3. गतिशीलता को पुनर्परिभाषित करना: परिवहन क्षेत्र के परिदृश्य को बदलना
4. भारत का उद्योग क्षेत्र

कालबेलिया समुदाय

खबरों में क्यों?

कालबेलिया समुदाय, जिसे "झेक चार्मस" के नाम से भी जाना जाता है, भारत के राजस्थान में थार रेगिस्टान में रहने वाली एक खानाबदोश जनजाति है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- कालबेलिया समुदाय की सांस्कृतिक प्रथाएं, जिसमें उनके अद्वितीय नृत्य रूप, संगीत और परंपराएं शामिल हैं, उनकी पहचान का एक अभिन्न अंग हैं।

दंतकथा

- ऋषि कनीफनाथ को उनके आध्यात्मिक गुरु गोरखनाथ ने जहर (काल या मृत्यु) का कटोरा (बेलिया) अर्पित किया था।
- जब उन्होंने इसे आखिरी बूँद तक पी लिया, तो गोरखनाथ ने कनीफनाथ को जहर निगलने और जहरीले जीवों को संभालने की शक्ति का आशीर्वाद दिया और इसलिए, राजस्थान में थार रेगिस्टान के आसपास से कनीफनाथ के अनुयायियों को कालबेलिया के नाम से जाना जाने लगा।
- वे सांपों की पूजा करते थे और सप्तर के रूप में अपना जीवन चापन करते थे।
- दो प्राथमिक समूहों, डालीवाल और मेवाड़ा में विभाजित, कालबेलिया पारंपरिक रूप से धूमते थे और सांपों को संभालने और सांप के जहर का व्यापार करते थे।
- अक्सर घेरेतू बरितयों से सांपों को बचाने के लिए बुलाया जाता था, वे उन्हें जंगल में भी पकड़ते थे, और जहां भी वे खानाबदोश जनजाति के रूप में धूमते थे, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करके आजीविका कर्माते थे।
- समय के साथ, उन्होंने कृषि, पशुपालन और कला में संलग्न होकर अपनी आजीविका में विविधता लायी।
- "डेरा" के नाम से जाने जाने वाले अस्थायी शिविरों में खानाबदोश रूप से रहने वाले कालबेलिया को स्थानीय वनस्पतियों, जीवों और छवियों की गहरी समझ है।



सांस्कृतिक महत्व

नृत्य और संगीत:

- कालबेलिया नृत्य, जिसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है, एक मनोरम और लयबद्ध कला है।
- जीवंत पारंपरिक पोशाक में सजी मणिलाल यह नृत्य करती है जो सांप की गतिविधियों की नकल करता है।
- नृत्य में पुंगी, डफली, बीन जैसे संगीत वाद्ययंत्रों और खुरालियों और ढोलक की लयबद्ध ताल के साथ नागिन की गति की नकल करते हुए जटिल गतिविधियां शामिल होती हैं।
- पुंगी, ढोलक और खरताल जैसे वाद्ययंत्र नृत्य के साथ जीवंत माहौल बनाते हैं।
- यूनेस्को द्वारा 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गयी।

वैश्वभूषा और पोशाक:

- मणिलाल सांप के तराजू का प्रतीक विरतृत, रंगीन पारंपरिक पोशाक पहनती हैं।
- उनके कपड़े दर्पण, कढ़ाई और जीवंत पैटर्न से सजाए गए हैं।
- हार, झुमके, छूड़ियाँ और पायल सहित भारी आभूषण, उनके नृत्य प्रदर्शन को पूरा करते हैं।

संलग्न समस्याएं

- वन्यजीव अधिनियम 1972 जैसे कानून ने उनके पारंपरिक सांपों को संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे उन्हें आय के लिए प्रदर्शन कला की ओर रुख करना पड़ा।
- समुदाय के आय स्रोत, मुख्य रूप से प्रदर्शन और पर्यटन से, छिटपुट और मौसम-विशिष्ट हैं, जो उन्हें कृषि या पशुपालन में संलग्न होने के लिए प्रेरित करते हैं।

धार्मिक एवं सामाजिक परम्पराएँ

- कालबेतिया मुख्य रूप से सांस्कृतिक हिंदू हैं, जो साँप की पूजा करते हैं, विशेष रूप से नागा और मनसा का सम्मान करते हैं, और नागा पंचमी मनाते हैं।
- मुख्यधारा की हिंदू प्रथाओं से अद्वितीय, उनके पास अलग-अलग विवाह शीति-रिवाज हैं, वे दाह संस्कार के बजाय अपने मृतकों को दफनाते हैं, और विभिन्न धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं।

शांति निकेतन

खबरों में क्यों?

शांतिनिकेतन को यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल के रूप में पहचानने वाला एक कैट-अनुमोदित बोर्ड/पट्टिका विश्व-भारती द्वारा उस स्थान पर लगाई गई है।

महत्वपूर्ण बिंदु

शांतिनिकेतन के बारे में:

- ऐतिहासिक महत्व:** वर्ष 1862 में रबींद्रनाथ टैगोर के पिता देबेंद्रनाथ टैगोर ने इस प्राकृतिक परिवेश को देखा और शांतिनिकेतन नामक एक घर का निर्माण करके एक आश्रम स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसका अर्थ है "शांति का निवास"।
- नाम परिवर्तन:** यह क्षेत्र, जिसे मूल रूप से भुबड़ांगा कहा जाता था, ध्यान के लिये अनुकूल वातावरण के कारण देबेंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसका नाम बदलकर शांतिनिकेतन कर दिया गया।
- शैक्षिक विरासत:** वर्ष 1901 में रबींद्रनाथ टैगोर ने भूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दुनिया और ब्रह्मवर्य आश्रम मॉडल के आधार पर एक विद्यालय की स्थापना की। यहीं विद्यालय आगे चलकर विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ।
- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल:** यस्कृत मंत्रालय ने मानवीय मूल्यों, वास्तुकला, कला, नगर नियोजन और परिवेश डिज़ाइन में इसके महत्व पर बल देते हुए शांतिनिकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया।
- पुरातात्व संरक्षण:** भारतीय पुरातात्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI) शांतिनिकेतन की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए कई संरचनाओं के जीर्णोद्धार में शामिल रहा है।
- 20वीं सदी की शुरुआत और यूरोपीय आधुनिकतावाद:** इसके प्रवर्तन के व्यवस्थित अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- 20वीं सदी की शुरुआत और यूरोपीय आधुनिकतावाद के प्रवर्तन के व्यवस्थित अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया गया।**

देवेन्द्रनाथ टैगोर:

- महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर एक विद्वान और समाज सुधारक थे। वह 1842 में ब्रह्मसमाज में शामिल हुए, जिसकी स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने की थी।
- इससे पहले, उन्होंने तत्त्वबोधिनीसभा का नेतृत्व किया, जिसकी स्थापना 1839 में हुई थी। सभा ने बंगाली में तत्त्वबोधिनीपत्रिका नाम से एक मासिक धार्मिक पत्रिका शुरू की थी।
- तत्त्वबोधिनी सभा और तत्त्वबोधिनी पत्रिका, दोनों ने तर्कसंगत दृष्टिकोण के साथ भारत के अतीत के व्यवस्थित अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया।
- बाद के वर्षों में, तत्त्वबोधिनीसभा को बहमोसमाज में शामिल कर लिया गया।
- देवेन्द्रनाथ टैगोर के समाज को अदिब्रह्मसमाज के नाम से जाना जाने लगा।



रवीन्द्रनाथ टैगोर:

- 7 मई, 1861 को कोलकाता में जन्मे, विश्व स्तर पर प्रशंसित कवि, लेखक, दार्शनिक और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में उभेरे।
- नवीन गदा और पद्म लोपों की शुरुआत करके, इसे शास्त्रीय संस्कृत परंपराओं से मुक्त करके बंगाली साहित्य में क्रांति ला दी। वह भारतीय और पश्चिमी संस्कृतियों को जोड़ने में अत्यधिक प्रभावशाली था।
- लगभग 2230 गीतों की रचना की जिन्हें रवीन्द्रसंगीत के नाम से जाना जाता है और 3000 कलाकृतियों को वित्रित किया। विशेष रूप से, उन्होंने भारत का राष्ट्रगान, जन गणमन, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान, आमार सोनार बांग्ला लिखा, साथ ही श्रीलंका के राष्ट्रगान पर भी अमिट छाप छोड़ी।
- 1915 में उन्हें नाइट्स ऑफ इंडिया की उपाधि मिली, उन्होंने 1919 में अमृतसर (जलियांवाला बाजार) बरसंहार के विरोध में इसे त्याज दिया।
- विश्वभारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका आरंभिक नाम शांतिनिकेतन था।
- उनके प्रमुख साहित्यिक योगदानों में, गीतांजलि: सॉन्न ऑफरिन्स, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, प्रमुख है। अन्य उल्लेखनीय काव्य कृतियों में सोनार तारि और मानसी शामिल हैं।

- टैगोर ने चित्रा और द पोस्ट ऑफिस जैसी उत्कृष्ट कृतियों के साथ बंगाली और अंग्रेजी शब्दों भाषाओं में उपन्यासों, नाटकों और लघु कथाओं में गहराई से काम किया।
- बंगाली लघु कथा को आगे बढ़ाने का श्रेय, उनके असाधारण आख्यानों को द हंगी स्टोन्स एंड अदर स्टोरीज और द बिलम्पसेस ऑफ बंगाल लाइफ में एकत्र किया गया है।

प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन ट्रिवार्षिक 2023

एवं यों में क्यों?

भारतीय प्रधान मंत्री ने लाल किले में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन ट्रिवार्षिक (IAADB) 2023 का उद्घाटन किया, जिसमें सांस्कृतिक संवाद की शुरुआत की गई और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सहयोग को बढ़ावा दिया गया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित लाल किले में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन ट्रिवार्षिक (IAADB) 2023 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 'आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन' और छात्र ट्रिवार्षिक, समून्नति का शुभारंभ भी हुआ।

लाल किले में सांस्कृतिक स्थलों का अनावरण

- उद्घाटन समारोह के दौरान, PM मोदी ने 'आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन' का अनावरण किया और लाल किले के ऐतिहासिक महत्व पर जोर देते हुए प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पांच प्रमुख शहरों अर्थात् दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद और वाराणसी में सांस्कृतिक स्थलों की स्थापना को इन शहरों को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में रेखांकित किया गया।



प्रधान मंत्री का संबोधन

- श्रमा को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री ने विश्व धरोहर स्थल पर उपस्थित लोगों का स्वागत किया और राष्ट्रीयों को उनके अतीत से जोड़ने में प्रतीकों की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने IAADB में प्रदर्शित विविध कार्यों की प्रशंसा की और इसे रंगों, रचनात्मकता, संस्कृति और सामुदायिक जुड़ाव का मिश्रण बताया। प्रधानमंत्री ने IAADB के सफल आयोजन के लिए संस्कृति मन्त्रालय, भाग लेने वाले देशों और इसमें शामिल सभी लोगों को बधाई दी।

कला, संस्कृति और भारत की विरासत

- PM मोदी ने भारत के गौरवशाली अतीत को याद किया, इसकी आर्थिक समृद्धि और इसकी संस्कृति और विरासत की स्थायी अपील पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति के संरक्षण में नए आयाम बनाने के लिए केंद्रानाथ और काशी में सांस्कृतिक केंद्रों के विकास और महाकाल लोक के पुनर्विकास जैसे सरकारी प्रयासों पर प्रकाश डाला।

IAADB का वैश्विक प्रभाव

- प्रधान मंत्री ने IAADB को भारत में वैश्विक सांस्कृतिक पहल को संरक्षण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में स्थान दिया। उन्होंने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो और पुस्तकालय महोत्सव जैसे आगामी कार्यक्रमों का उल्लेख किया, जिनका उद्देश्य प्रशिद्ध वैश्विक पहलों के साथ भारत की उपस्थिति स्थापित करना है।

आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन

- PM मोदी ने नए उद्घाटन किए गए 'आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन' के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह कारीगरों और डिजाइनरों को भारत के अद्वितीय शिल्प को नया करने और बढ़ावा देने के लिए एक मंत्र प्रदान करेगा। उन्होंने आधुनिक ज्ञान और संसाधनों से दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने वाले भारतीय शिल्पकारों पर भरोसा जताया।

स्थानीय कला और विषयों को समृद्ध करना

- प्रधान मंत्री ने पांच शहरों में सांस्कृतिक स्थलों के निर्माण को एक ऐतिहासिक कदम के रूप में रेखांकित किया और सभी सेंट्रों को 'देशज भारत डिजाइन: रघुदेशी डिजाइन' और 'समत्व: शेपिंग द बिल्ट' जैसे विषयों को एक मिशन के रूप में आगे बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने रघुदेशी डिजाइन को युवा अध्ययन और अनुसंधान का हिस्सा बनाने के महत्व पर जोर दिया।

भारत की जड़ों से जुड़ना

- PM मोदी ने मानव मन को आंतरिक स्व से जोड़ने और उसकी क्षमता को पहचानने में कला, संस्कृति और वास्तुकला की महत्वपूर्ण भूमिका को दोषित किया। उन्होंने चतुर्ष्टय कला में समाहित विविध कलाओं के बारे में बात की और मानव सभ्यता में उनके महत्व पर जोर दिया।

भारत का सांस्कृतिक योगदान

- प्रधानमंत्री ने काशी की अविनाशी संस्कृति और साहित्य, संगीत और कला में इसके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने हाल ही में लॉन्च किए गए गंगा विलास कूज की सराहना की, जो काशी को असम से जोड़ता है और गंगा के किनारे सांस्कृतिक समृद्धि का प्रदर्शन करता है।

कला, प्रकृति और स्थिरता

- PM मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि कला प्रकृति के करीब पैदा होती है, और भारत की वास्तुकला लंबे समय तक बलने वाली और पर्यावरण की टिकाऊ रही है। उन्होंने भारत में नदी तट की संरकृति और घाटों, कुओं, तालाबों और बावड़ियों जैसी परंपराओं के बीच समानताएं खोजीं।

भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि

- प्रधान मंत्री ने दुनिया की प्रगति में योगदान देने वाले भारत के आर्थिक विकास पर जोर दिया और नए अवसर लाने वाले 'आत्मनिर्भर भारत' के टिकिंग पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कला और वास्तुकला में भारत का पुनरुद्धार देश के सांस्कृतिक उत्थान में योगदान देगा।


एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0

खबरों में क्यों?

"एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0" कार्यक्रम के वर्तमान चरण के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 तय की गई है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- "एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0" कार्यक्रम कॉर्पोरेट भागीदारी और राजनीतिक साझेदारी के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से सेरेखित है, जिसका लक्ष्य स्थायी विरासत प्रबंधन और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना है।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा शुरू किए गए "एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0" कार्यक्रम का उद्देश्य 'विरासत भी, विकास भी' की टिकि के अनुरूप भारत के सांस्कृतिक विरासत स्थलों के रखरखाव और संरक्षण को बढ़ावा देना है।
- यह कार्यक्रम 2017 में शुरू की गई पिछली योजना, "एडॉप्ट ए हेरिटेज रक्फीम" का एक नया संस्करण है।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) एक प्रीमियम सरकारी एजेंसी है जिसके संरक्षण में 3696 स्मारक हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं।
- ये स्मारक न केवल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं बल्कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- ASI ने 4 सितंबर 2023 को "एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0" कार्यक्रम लॉन्च किया था।
- कार्यक्रम अपने CSR फंडिंग के माध्यम से निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/ट्रस्ट/सोसाइटियों/एनजीओ आदि के साथ सहयोग चाहता है जो केंद्रीय संरक्षित स्मारकों और स्थलों पर 'सुविधाएं' प्रदान करने, विकसित करने और बनाए रखने का इरादा रखते हैं।
- कई यूनेस्को विरासत स्थलों के साथ, इटली ने सरकारी वित्तीय बाधाओं की अवधि के बाट विरासत रखरखाव के लिए सफलतापूर्वक नियमों को शामिल किया, जो संरक्षण प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोग का प्रतीक है।



विरासत 2.0 कार्यक्रम

- सहयोगात्मक प्रयास: इसमें पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, ASI और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारें शामिल हैं, जो जिम्मेदार पर्यटन के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती हैं।
- सुविधाएं और स्मारकों को अपनाना: हितधारक एक समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से किसी स्मारक या स्मारक पर विशिष्ट सुविधाओं को अपनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम (AMASR), 1958 के तहत विभिन्न स्मारकों के लिए मांगी गई सुविधाओं को परिभाषित करता है।
- कॉर्पोरेट योगदान: कार्यक्रम का उद्देश्य कॉर्पोरेट हितधारकों को विरासत स्थलों के संरक्षण में योगदान देने, अगली पीढ़ियों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- नियुक्ति अवधि: नियुक्त हितधारकों का कार्यकाल शुरू में पांच साल का होगा, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है।

विरासत योजना (2017)

- लॉन्च और उद्देश्य: 2017 में विश्व पर्यटन दिवस पर लॉन्च की गई इस योजना का उद्देश्य विरासत स्थलों पर पर्यटक बुनियादी ढांचे के रखरखाव और विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को शामिल करके जिम्मेदार पर्यटन के लिए भागीदारों के बीच तालमेल विकसित करना है।
- स्मारक मित्र: एजेंसियां या कंपनियां, जिन्हें 'स्मारक मित्र' कहा जाता है, अपनी CSR गतिविधियों को विरासत स्थल के सर्वोत्तम टिकिंग पर के साथ जोड़ते हुए, विज़न बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से भाग लेती हैं।

तर्क और पिछले प्रयास

- रखरखाव में चुनौतियाँ: विरासत स्थलों को परिचालन और रखरखाव चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए बुनियादी सुविधाओं और दीर्घकालिक टिकाऊ बुनियादी ढांचे के तत्काल प्रावधान की आवश्यकता होती है।
- पिछले कॉर्पोरेट भागीदारी प्रयास: राष्ट्रीय संस्कृति कोष, 'अभियान रवच्छ भारत' जैसे प्रयासों और भारत पर्यटन विकास निगम (ITDC) और ओएनजीसी जैसी संस्थाओं की पहल में विरासत प्रबंधन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी शामिल है।

इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार

खबरों में क्यों?

2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार डैनियल बेरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को संयुक्त रूप से इज़राइल और अरब दुनिया के बीच शांति और समझ को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- डैनियल बेरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार का संयुक्त पुरस्कार महत्व पूर्व में शांति और समझ को बढ़ावा देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान की मान्यता है, तिशेष रूप से इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष के संदर्भ में।

डैनियल बेरेनबोइम

- बेरेनबोइम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित शास्त्रीय पियानोवादक और कंडक्टर हैं जो दुनिया भर के प्रमुख ऑर्केस्ट्रा के साथ अपने प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं।
- फ़िलिस्तीनी साहित्यिक विद्वान एडवर्ड सईद के साथ उनकी साझेदारी ने सम्मान, प्रवर्चन और संवाद के माध्यम से इज़राइल-फ़िलिस्तीनी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के उनके दृष्टिकोण को प्रभावित किया।
- उन्होंने संगीत के माध्यम से एकता और समझ को बढ़ावा देने, इज़राइल, फ़िलिस्तीन और अन्य अरब और उत्तरी अफ़्रीकी देशों के युवाओं को एक साथ लाने के लिए पश्चिम-पूर्वी दीवान ऑर्केस्ट्रा और बेरेनबोइम-सईद अकादमी की स्थापना की।
- उन्हें विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें जर्मनी के संघीय गणराज्य के ब्रेट क्रॉस ऑफ मेरिट, प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया अवार्ड्स और कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर शामिल हैं।



अली अबू अब्बाद

- अब्बाद एक प्रतिष्ठित फ़िलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं जो इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान के लिए समर्पित हैं।
- 1972 में एक राजनीतिक रूप से सक्रिय शरणार्थी परिवार में जन्मे अब्बाद की अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता 17 दिनों की भूख छड़ताल के दौरान मजबूत हुई जो उन्होंने और उनकी मां ने जेल में रहने के दौरान की थी।
- 2014 में, अब्बाद ने रूट्स की सह-स्थापना की, जो एक स्थानीय फ़िलिस्तीनी-इज़राइली पहल है जो समझ, अहिंसा और परिवर्तन को बढ़ावा देती है।
- अब्बाद के शांति-निर्माण प्रयासों के कारण 2016 में 3,000 से अधिक फ़िलिस्तीनियों द्वारा शुरू किया गया एक फ़िलिस्तीनी अहिंसा आंदोलन, टैगहीर का निर्माण हुआ। यह सामाजिक विकास की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करता है और कब्जे को समाप्त करने के लिए एक अहिंसक मार्ग की वकालत करता है।
- वह मानवता का अभ्यास करने और मतभेदों को स्वीकार करके और एक-दूसरे के अधिकारों का सम्मान करके शांति प्राप्त करने के साधन के रूप में अहिंसा में विश्वास करते हैं।

इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार

- इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, जिसे शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है।
- यह इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा हर साल उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान दिया है; यह सुनिश्चित करना कि वैज्ञानिक खोजों का उपयोग मानवता की व्यापक भलाई के लिए किया जाए, और खतरों को बढ़ाया जाए।
- यह पुरस्कार 1986 में भारत की पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की याद में स्थापित किया गया था, जिनकी 1984 में हत्या कर दी गई थी।
- पुरस्कार में 2.5 मिलियन भारतीय रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।
- इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा गठित पैनल में पिछले प्राप्तकर्ताओं सहित प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हसितयां शामिल हैं। प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नामांकित व्यक्तियों के समूह में से चुना जाता है।

योगमाया मंदिर

खबरों में क्यों?

योगमाया मंदिर एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्मारक है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह एक प्राचीन मंदिर के स्थान पर खड़ा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण महाभारत काल के दौरान हुआ था।

महत्वपूर्ण बिंदु

योगमाया मंदिर के बारे में:

- इसे योगमाया मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो प्रसिद्ध कुतुब मीनार से कुछ सौ मीटर की दूरी पर महरौली (दिल्ली) के केंद्र में स्थित है।
- इसे 1806 और 1837 के बीच मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के दखार में लाला सिधू मल नाम के एक ईस ने बनवाया था।
- प्राचीन जैन ग्रंथों में इस क्षेत्र को योगिनीपुरा के नाम से जाना जाता था और कहा जाता है कि खण्ड पृथ्वीराज चौहान ने अपने शहर के विनाश से कुछ समय पहले यहां एक योगिनी मंदिर का संरक्षण किया था।
- यह अकबर द्वितीय के शासन का केंद्र बिंदु था।
- मंदिर में देवी योगमाया की प्रतिकृति है, जिन्हें "शुद्ध देवी" भी कहा जाता है।
- केवल इसी मंदिर में मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्योहार 'फूलवालों की सैर' है।



महत्व

- योगमाया मंदिर दिल्ली के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव फूल वालों की सैर का एक अभिन्न अंग है।
- मंदिर कुतुब परिसर में लौह रत्नम के करीब है, और लाल कोट की दीवारों के भीतर, दिल्ली का पहला किला है, जिसका निर्माण तोमर/तंवर राजपूत राजा अनंगपाल प्रथम ने 731 ई. के आसपास करवाया था।

बहमनी सुल्तान

खबरों में क्यों?

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कलबुर्जी जिले के अधिकारियों को शहर में बहमनी सुल्तानों के ऐतिहासिक किले से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- बहमनी सल्तनत, जिसे बहमनिद साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत के दक्षकन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन मुस्लिम राज्य था।
- इसकी स्थापना 1347 में अला-उद-दीन हसन बहमन शाह द्वारा की गई थी और यह 1527 तक चली, जब यह पांच छोटे राज्यों में विभाजित हो गया।

नीति और विस्तार

- हसन बहमन शाह द्वारा स्थापना: बहमनी सल्तनत की स्थापना दिल्ली सल्तनत द्वारा नियुक्त गवर्नर हसन बहमन शाह द्वारा की गई थी। उन्होंने खतंत्रता की घोषणा की और गुलबर्गा में अपनी राजधानी स्थापित की।
- क्षेत्रीय विस्तार: बाद के शासकों के तहत, विशेष रूप से मुहम्मद शाह प्रथम और फिरोज़ शाह के शासनकाल के दौरान, बहमनी सल्तनत ने दक्षकन क्षेत्र में अपने क्षेत्रों का विस्तार किया, जिसमें गुलबर्गा, बीदर, बीजापुर और गोलकुंडा (आधुनिक हैदराबाद) जैसे क्षेत्र शामिल थे।

प्रशासन एवं शासन

- सामंती व्यवस्था: सल्तनत को प्रशासनिक रूप से चार प्रांतों (दौलताबाद, बीदर, बरार और गुलबर्गा) में विभाजित किया गया था और प्रत्येक पर तरफदार या सूबेदार शासन करते थे। सल्तनत का शासन विकेन्ट्रीकृत सामंती व्यवस्था के माध्यम से होता था। प्रांतों पर राज्यपालों का शासन होता था, जिनके पास अपने संबंधित क्षेत्रों में काफी शक्ति होती थी।
- केंद्रीय प्रशासन: सल्तनत में एक केंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना थी जिसमें राजस्व, न्याय और सैन्य मामलों को संभालने वाले प्रमुख विभाग थे।



सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक विकास

- कला और संस्कृति का संरक्षण: बहमनी शासक कला, साहित्य और वास्तुकला के संरक्षक थे। उन्होंने दक्षकनी संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित किया, जो फारसी और भारतीय प्रभावों का मिश्रण थी। उल्लेखनीय संरचनाओं में गुलबर्गा की जामा मस्जिद, बीदर का रंगीन महल और बीजापुर का गोल गुम्बज शामिल हैं। इस काल में उर्दू फारसी और अरबी साहित्य का विकास हुआ।
- क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा: बहमनी अदालत ने दखनी (उर्दू का प्रारंभिक रूप) और कन्नड़ जैसी स्थानीय भाषाओं के उपयोग का समर्थन किया, जिससे उनके साहित्यिक विकास में योगदान मिला।

- आर्थिक समृद्धि: अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण बहुमनी सल्तनत में व्यापार और वाणिज्य फला-फूला। यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विशेषकर घोड़ों, वस्त्रों और मसालों का केंद्र था।

धार्मिक नीतियाँ

- धार्मिक सहिष्णुता: सुल्तानों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, जिससे हिंदू, मुस्लिम, जैन और ईसाई जैसे विविध धार्मिक समुदायों को शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व की अनुमति मिली।
- समन्वयवादी संरक्षित को बढ़ावा: सल्तनत के सांरक्षितिक परिवेश को विभिन्न धार्मिक पंथपराओं और प्रथाओं के समन्वयात्मक सम्मिश्रण द्वारा चिह्नित किया गया था।

गिरावट और विवरण

- आंतरिक कलह और वंशवादी संघर्ष: जैसे-जैसे बहुमनी सल्तनत का विस्तार हुआ, कुलीनों के बीच आंतरिक संघर्ष और सत्ता संघर्ष ने इसकी एकता को कमज़ोर कर दिया।
- पांच उत्तराधिकारी राज्यों का उदय: 1527 में, सल्तनत पांच छोटे राज्यों में विभागित हो गई, जिन्हें दक्षकन सल्तनत के नाम से जाना जाता है: अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर, प्रत्येक पर स्वतंत्र शासकों का शासन था।

शासकों

संस्थापक शासक:

अलाउद्दीन हसन बहमन शाह (1347-1358):

- दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बहुमनी सल्तनत के संस्थापक।
- गुलबर्गा को राजधानी के रूप में स्थापित किया और दक्षकन क्षेत्र में सल्तनत का विस्तार शुरू किया।

प्रारंभिक शासक:

मुहम्मद शाह प्रथम (1358-1375):

- शक्ति को समोकित किया और बहुमनी क्षेत्रों का विस्तार किया।
- राजधानी को बीदर स्थानांतरित किया गया।
- कला, साहित्य और संरक्षित को बढ़ावा दिया।

फ़िरोज़ शाह (1397-1422):

- बहुमनी शासन को दक्षकन में आगे बढ़ाया और प्रशासनिक सुधार पेश किए।
- व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया, आर्थिक समृद्धि में योगदान दिया।

सर्वं युग के शासक:

अहमद शाह प्रथम (1422-1436):

- कला और संरक्षित के संरक्षण, एक संपन्न सांरकृतिक परिवेश को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय।
- दक्षव्यनी भाषा (उर्दू का प्रारंभिक रूप) के विकास को सुगम बनाया।

अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय (1436-1458):

- अपने पूर्ववर्तीयों द्वारा शुरू की गई सांरकृतिक और साहित्यिक प्रगति को जारी रखा।
- अपने शासनकाल के दौरान आंतरिक विद्रोहों और बाहरी खतरों का सामना किया।

महमूद गवन (1466 से 1481):

- सल्तनत ने अपनी पराकारा देखी।
- गवन के सैन्य अभियानों ने सल्तनत के क्षेत्र का विस्तार किया, जिसमें विजयनगर से गोवा को पुनः प्राप्त करना भी शामिल था।

बाद के शासक:

महमूद शाह प्रथम (1482-1518):

- आंतरिक उथल-पुथल और बाहरी आक्रमणों के काल में शासन किया।
- कुलीनों के बीच एकता बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, जिससे सल्तनत कमज़ोर हो गई।

कलीम अल्लाह (1518-1527):

- एकीकृत बहुमनी सल्तनत का अंतिम शासक।
- उनके शासनकाल में बढ़ते संघर्ष और एक खंडित प्रशासन देखा गया।

विवरण और उत्तराधिकारी राज्य:

- विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव शाय के सैन्य अभियानों ने बहुमनी सल्तनत को पांच छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया, जिन्हें दक्षकन सल्तनत के नाम से जाना जाता है।

- अहमदनगर सल्तनत: अहमद निझाम शाह प्रथम द्वारा स्थापित।
- बीजापुर सल्तनत: यूसुफ आदिल शाह द्वारा स्थापित।
- गोतकुंडा सल्तनत: कुली कुतुब शाह द्वारा स्थापित।
- बरार सल्तनत: फतुल्लाह इमाद-उल-मुल्क द्वारा शासित।
- बीदर सल्तनत: अमीर बारिद द्वारा स्थापित।
- इनमें से प्रत्येक उत्तराधिकारी राज्य ने खतंत्र रूप से संचालन किया और दरकन क्षेत्र के सांस्कृतिक, कलात्मक और राजनीतिक परिवर्त्य में योगदान दिया।
- तालीकोटा की लड़ाई (1565): दरकन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच संघर्ष तालीकोटा की विनाशकारी लड़ाई में समाप्त हुआ, जिसके परिणामस्वरूप विजयनगर का पतन हुआ।
- मुग्लत विलय: इसके बाद, मुग्लत साम्राज्य, विशेष रूप से अकबर और बाद में औरंगज़ेब के अधीन, ने दरकन सल्तनत को अपने प्रभुत्व में मिला लिया, जो बहमनी विशासत के अंत का प्रतीक था।
- बहमनी सल्तनत ने, अपने विखंडन के बावजूद, दक्षिण भारत में एक स्थायी विशासत छोड़ी, जिसने क्षेत्र की संस्कृति, वास्तुकला और भाषा को प्रभावित किया और दरकन में इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया।



स्कूलों में EWS प्रवेश

खबरों में क्यों?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली सरकार को निजी स्कूलों में EWS आरक्षण का लाभ उठाने के लिए सीमा आय को मौजूदा ₹1 लाख प्रति वर्ष से बढ़ाकर ₹5 लाख करने का आदेश दिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

कोर्ट के तर्क

- इसमें तर्क दिया गया कि जब शहर में एक अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन ₹17,494 प्रति माह है, तो यह मान लेना बहुत दूर की बात है कि किसी बच्चे की कुल माता-पिता की आय सालाना ₹1 लाख से कम होगी।
- इसमें कहा गया है, ₹1 लाख की सीमा आय समकालीन समय में परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली आर्थिक कठिनाइयों को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं करती है।
- इसमें कहा गया है कि एक तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलेगा कि दिल्ली के एनसीटी में प्रति वर्ष ₹8 लाख की राशि की तुलना में सबसे कम अपेक्षित आय मानदंड है, जिसका पालन अधिकांश राज्यों द्वारा किया जाता है।

EWS आरक्षण के बारे में

- संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम 2019 राज्य (यानी, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों) को समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
- राज्यों में EWS को आरक्षण या नियुक्ति दी जाए या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकार को करना है।



103वाँ संशोधन अधिनियम

- संसद ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के एक वर्ग के लिए भारत में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए भारत के संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 में संशोधन किया।
- अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) का परिचय:**
 - A. संशोधन ने अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके आर्थिक आरक्षण की शुरुआत की। इसने अनारक्षित श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की अनुमति देने के लिए संविधान में अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 (6) को शामिल किया।
 - B. अनुच्छेद 15(6):**
 - 1. शैक्षणिक संरक्षणों में प्रवेश के लिए EWS के लिए 10% तक सीटें आरक्षित की जा सकती हैं ऐसे आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संरक्षणों पर लागू नहीं होंगे।
 - C. अनुच्छेद 16(6):**
 - 1. यह सरकार को सभी सरकारी पदों में से 10% तक EWS के लिए आरक्षित करने की अनुमति देता है।

हालिया EWS निर्णय (जनहित अभियान बनाम भारत संघ मामला, 2023):

- 3-2 के बहुमत से सुपीम कोर्ट ने EWS आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संवैधानिक संशोधन को बरकरार रखा।
- EWS कोटा से आरक्षित श्रेणियों का बहिष्कार: EWS फैसले ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों में से "गरीबों में से सबसे गरीब" को 10% कोटा के दायरे से बाहर कर दिया था।
- 50% की अधिकतम सीमा का कोई उल्लंघन नहीं: बहुमत 3:2 के फैसले ने माना था कि EWS कोटा आरक्षण पर इंदिरा साहनी फैसले द्वारा रखी गई 50% की अधिकतम सीमा का उल्लंघन नहीं करता है।
- इसमें कहा गया है कि राज्य एक सर्व-समावेशी समतावादी समाज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए समय-समय पर विशेष प्रावधान कर सकता है।
- अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि 50% की सीमा, हालांकि संवैधानिक आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है, न तो "आने वाले समय के लिए अनंत्य और न ही अनुलंगनीय" थी।
- आरक्षण के लिए राज्य का प्रावधान: राज्य द्वारा सकारात्मक कार्रवाई द्वारा आगे आरक्षण को संविधान की मूल संरचना को नुकसान पहुंचाने के रूप में नहीं देखा जा सकता है।
- न्यायाधीश इस बात पर सहमत हुए कि मानवीय मामलों में 50% की गणितीय सटीकता का पालन करना कठिन है।

राज्यपाल पुनः अधिनियमित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते

खबरों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने राज्य विधानसभा द्वारा पुनः अधिनियमित किए गए दस प्रमुख विधेयकों को विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजकर "संवैधानिक छठ" प्रदर्शित करने के लिए राज्यपाल आर.एन. रवि की आलोचना की है।

महत्वपूर्ण बिंदु

मुद्दा क्या है?

- राज्यपाल के छात के उदाहरण, जो एक अनिवार्य राज्य प्रमुख हैं या जिन्हें राज्यों में केंद्र का एजेंट कहा जाता है, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कुछ बिल रोक रहे हैं।
- इस कार्रवाई का संबंधित राज्य विधायिका ने विरोध किया और असहमति जताई। मुख्य विवाद कार्रवाई की संवैधानिकता से संबंधित है।
- यह कार्रवाई विधिवत निर्वाचित राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक/कानून पर अनिवार्यता का लकड़ा लगाने की आवाजा को भी पराजित करती है।
- राज्यपाल की कार्रवाई लोकप्रिय जनादेश और लोकतंत्र के मूल्यों का उल्लंघन है।

सर्वोच्च न्यायालय के हालिया विचार:

- भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राज्यपाल ने पहली बार में विधेयकों पर अपनी सहमति रोक दी थी और अब वे तमिलनाडु विधानमंडल द्वारा दोबारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते हैं।
- जैसा कि SC ने उल्लेख किया है, संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को तीन विकल्प देता है -
- विधेयकों को अनुमति देना या अनुमति रोकना या उन्हें राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना।
- इस मामले में, राज्यपाल ने सहमति रोक दी।
- एक बार जब उन्होंने सहमति रोक दी, तो उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजने का कोई सवाल नहीं है।
- CJI ने कहा है कि राज्यपाल सहमति रोकते हैं, वह विधेयकों को रोक नहीं सकते।



क्या है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी?

- इसने कानून बनाया कि यदि कोई राज्यपाल सहमति रोकता है, तो उसे प्रस्तावित कानून पर पुनर्विचार करने के संदेश के साथ राज्य विधानमंडल द्वारा उसे भेजे गए विधेयक को "जितनी जल्दी हो सके" वापस भेजना चाहिए।
- अभिव्यक्ति "जितनी जल्दी हो सके" ने "अभियान की संवैधानिक अनिवार्यता" व्यक्त की।
- यदि राज्य विधानसभा "संशोधन के साथ या बिना" विधेयक को दोहराती है, तो राज्यपाल के पास कोई विकल्प या विवेक नहीं है, और उन्हें इस पर अपनी सहमति देनी होगी।
- राज्यपाल का संदेश विधायिका को बाध्य नहीं करता है, यह अभिव्यक्ति के उपरोग से स्पष्ट है यदि विधेयक संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित किया जाता है।
- एक राज्यपाल जो बिना कुछ किए किसी विधेयक को रोकना चाहता है, वह संविधान का उल्लंघन करेगा। क्योंकि इस तरह की कार्रवाई संसदीय पैटर्न पर आधारित संवैधानिक लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत होगी।
- यह फैसला तमिलनाडु के मामले को भी एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देता है। तमिलनाडु विधानसभा ने 10 महत्वपूर्ण विधेयक बिना किसी संशोधन के राज्यपाल आर एन रवि को लौटा दिए थे। राज्यपाल ने पहली बार में विधेयकों पर सहमति रोक दी थी।

विधायिका में राज्यपाल की भूमिका

- संविधान के अनुच्छेद 200 में कहा गया है कि जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उनके पास चार विकल्प होते हैं:
- वह विधेयक पर सहमति दे सकता है; विधेयक पर सहमति रोक सकता है, अर्थात् विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, ऐसी स्थिति में विधेयक कानून बनाने में विफल रहता है; यद्यपि विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए विधेयक (यदि यह धन विधेयक नहीं है) लौटा सकता है; या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार देतु आरक्षित कर सकता है।
- जैसा कि शमशेर सिंह मामले (1974) सिद्धि विभिन्न मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, राज्यपाल किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल में सहमति रोकते या लौटाते समय अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं।
- उन्हें मंत्रिपरिषद की सताह के अनुसार कार्य करना आवश्यक है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी निजी सदस्य विधेयक (मंत्री के अलावा राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य) के मामले में 'सहमति रोकने' की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसे मंत्रिपरिषद कानून का रूप नहीं देना चाहती है। ऐसे मामले में, वे राज्यपाल को 'अनुमति रोकने' की सताह देंगे।

- हालाँकि, यह एक असंभावित परिवर्ष है जिसके विधान सभा में बहुमत प्राप्त मंत्रिपरिषद ऐसे विधेयक को पारित नहीं होने देगी।
- दूसरे, यदि मौजूदा सरकार जिसका विधेयक विधायिका द्वारा पारित किया गया है, राज्यपाल द्वारा सहमति दिए जाने से पहले गिर जाती है या इस्तीफा दे देती है, तो नई परिषद राज्यपाल को 'अनुमति रोकने' की सलाह दे सकती है।
- राज्यपाल को कुछ विधेयक, जैसे कि उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाले, को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना चाहिए वे मंत्रिस्तरीय सलाह के आधार पर उन विधेयकों को समर्त्त सूची में भी आरक्षित कर सकते हैं जो केंद्रीय कानून के प्रतिकूल हैं।
- केवल दुर्तम परिस्थितियों में ही राज्यपाल अपने वितेक का प्रयोग कर सकते हैं, जहां उन्हें लगता है कि विधेयक के प्रावधान संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करेंगे और इसलिए, इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।
- हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संविधान कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है जिसके भीतर राज्यपाल को निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

व्यभिचार

खबरों में क्यों?

गृह मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि व्यभिचार को फिर से आपराधिक अपराध बनाने के लिए प्रस्तावित भारतीय न्यायसंहिता विधेयक, 2023 में संशोधन किया जाए, लेकिन लिंग तटस्थ शर्तों पर।

महत्वपूर्ण बिंदु

व्यभिचार:

- व्यभिचार को "विपरीत लिंग के दो लोगों के बीच इच्छित यौन संपर्क" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिन्होंने कानून के तहत एक-दूसरे से शारीरिक नहीं की है। दूसरे शब्दों में, व्यभिचार एक विवाहित पुरुष और एक महिला के बीच, जो उसकी पत्नी नहीं है, या एक विवाहित महिला और एक ऐसे पुरुष के बीच, जो उसकी पत्नी नहीं है, शारीरिक संबंध है।
- व्यभिचार को बेतफाई, विश्वासघात, विवाहेतर संबंध या विवाह में शारीरिक विश्वासघात के रूप में भी जाना जाता है। व्यभिचार इस अर्थ में बलात्कार से भिन्न है कि व्यभिचार खैचित है जबकि बलात्कार नहीं है। व्यभिचार के अस्तित्व के लिए शारीरिक संबंध के लिए दोनों व्यक्तियों की सहमति आवश्यक है।

व्यभिचार का कानून क्या है?

- भारत में व्यभिचार कानून को भारतीय दंड संहिता की धारा 497 द्वारा परिभाषित किया गया है।
- IPC की धारा 497 में कहा गया है, "जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता है जो जानता है या जिसके पास उस पुरुष की सहमति या मिलीभगत के बिना किसी अन्य पुरुष की पत्नी होने का विश्वास करने का कारण है, तो ऐसा यौन संबंध बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।" व्यभिचार के अपराध का दोषी है।
- व्यभिचार का दोषी पाए गए व्यक्ति को "किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।"
- व्यभिचार के मामलों में पत्नी को दुष्प्रेरक के रूप में दंडित नहीं किया जाएगा। इसी तरह, किसी अविवाहित महिला पर व्यभिचार के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। धारा 497 के अनुसार, व्यभिचार का अपराध एक पुरुष द्वारा एक विवाहित पुरुष के विरुद्ध किया गया अपराध है।
- यदि कोई पुरुष किसी विवाहित महिला या अविवाहित महिला के साथ यौन संबंध बनाकर व्यभिचार करता है, तो यह कानून उस पुरुष की पत्नी को व्यभिचारी पति या उस महिला पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं देता है, जिसके साथ पति ने यौन संबंध बनाए हैं।
- महिलाओं को पुरुषों के खासित वाली संपत्ति मानने के लिए व्यभिचार कानून की आलोचना की गई है। IPC की धारा 497 की मौजूदा धारा के तहत केवल एक पुरुष ही पीड़ित या आरोपी/अपराधी हो सकता है।
- विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम व्यभिचार के कृत्य को तलाक के लिए वैध आधार बनाता है। पति-पत्नी में से कोई भी व्यभिचार के आधार पर तलाक मांग सकता है। इसमें कहा गया है कि विवाह के किसी भी पक्ष द्वारा अपने पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ खैचित यौन कृत्य का एक भी कार्य दूसरे पति या पत्नी के लिए तलाक का आधार बनता है।

विधायी इतिहास

- भारतीय दंड संहिता की शुरुआत में, हिंदुओं के बीच विवाह को पवित्र माना जाता था, जिससे व्यभिचार के लिए दंड का प्रावधान नहीं था।
- प्रमुख प्रारूपकार लॉर्ड मैकाले ने व्यभिचार को अपराध घोषित करने का विरोध किया और वैवाहिक मुद्दों के लिए आर्थिक मुआवजे की वकालत की।
- उन्होंने खीकार किया कि भारत में विवाह की पवित्र प्रकृति को देखते हुए, वैवाहिक बेवफाई से निपटने में कानून समाधान नहीं था।
- नैतिक गतती और अपराध के बीच अंतर करते हुए उन्होंने कहा कि "हम यह खीकार नहीं कर सकते कि दंड संहिता को किसी भी तरह से नैतिकता का निकाय माना जाना चाहिए, विधायिका को कृत्यों को केवल इसलिए दंडित करना चाहिए क्योंकि वे कृत्य अनौतिक हैं, या क्योंकि किसी कार्य के लिए बिलकुल भी दंडित नहीं किया जाता है, इसका मतलब यह है कि विधायिका उस कार्य को निर्देश मानती है।

- विधि आयोग ने 1971 में महिलाओं की स्थिति पर बदलते विचारों को उजागर करने वाली असहमति की आवाजों को अपराधीकरण पर विचार किया।
- लिंग-तटस्थ प्रावधानों, प्रक्रियात्मक सुधारों और सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करने की सिफारिशों के बावजूद, परिवर्तन धीमे थे।
- 2003 की मतिज्ञान समिति ने वैवाहिक पवित्रता के संरक्षण पर जोर देते हुए व्यभिचार को अपराध बनाए रखने का सुझाव दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार को अपराध नहीं घोषित किया

- सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपने फैसले जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018) में कहा कि व्यभिचार कोई अपराध नहीं है और इसे IPC से हटा दिया।
- हालाँकि, यह रपट किया गया कि व्यभिचार एक नागरिक गलती और तलाक के लिए एक वैध आधार बना रहेगा।

कार्यवाही का प्रारम्भ

- 2017 की बात है जब केरल के रहने वाले एक अनिवासी भारतीय जोसेफ शाइन ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें CrPC की धारा 198(2) के साथ पढ़ी जाने वाली IPC की धारा 497 के तहत व्यभिचार के अपराध की संवैधानिक वैधता को बुनौती दी गई थी।
- इस अपराध में किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने वाले व्यक्ति को दोषी ठहराया गया और अधिकतम पांच साल की कैद की सजा हो सकती थी। हालाँकि, जिस पत्नी ने ऐसे पुरुष के साथ संभोग के लिए सहमति दी थी, जो उसका पति नहीं था, उसे अभियोजन से छूट दी गई थी।
- यह प्रावधान किसी विवाहित पुरुष पर भी लागू नहीं था यदि वह किसी अविवाहित महिला या विधवा के साथ यौन संबंध बनाता हो।
- विशेष रूप से, CRPC की धारा 198(2) के विवाहित पति (व्यभिचारी पत्नी के) को व्यभिचार के अपराध के लिए शिकायत दर्ज करने का अधिकार देती है।
- जुलाई 2018 में, केंद्र ने मामले में एक छलफनामा दायर किया जिसमें तर्क दिया गया कि किसी भी रूप में व्यभिचार को कमज़ोर करने से विवाह की संरक्षा कमज़ोर हो जाएगी और 'विवाह की स्थिरता तिरस्कार' के लिए एक आदर्श नहीं है। 27 सितंबर, 2018 को, बैच ने वार सहमति वाले निर्णयों के रूप में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया।

निर्णयों के अनुसार

- व्यभिचार कोई अपराध नहीं है यदि व्यभिचारी पति अपनी पत्नी के विवाहित संबंध के लिए सहमति देता है या सहमति देता है, जिससे एक विवाहित महिला को अपने पति की 'संपत्ति' माना जाता है।
- इस बात पर जोर देते हुए कि व्यभिचार "बिल्कुल अपने चरम पर गोपनीयता का मामला है,"
- यदि इसे अपराध माना जाता है, तो वैवाहिक क्षेत्र की अत्यधिक गोपनीयता में अत्यधिक घुसपैठ होगी। इसे तलाक का आधार बना देना छी बेहतर है।
- धारा 497 ने पति को अपनी पत्नी की यौन पसंद का 'लाइसेंसकर्ता' बना दिया और यह पुरातन कानून आज की संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप नहीं है। यह अपराध लौंगिक रूढ़िवादिता को कायम रखता है कि 'तीसरे पक्ष' के पुरुष ने महिला को बहकाया है, और वह उसकी शिकार है।
- व्यभिचार के अपराधीकरण ने महिला को ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां कानून ने उसकी कामुकता की उपेक्षा की। उन्होंने तर्क दिया, "विवाह का मतलब एक की स्वायतता दूसरे को सौंपना नहीं है।"
- यौन विकल्प चुनने की क्षमता मानव स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। यहां तक कि निजी क्षेत्रों में भी, किसी व्यक्ति को उसकी पसंद की अनुमति दी जानी चाहिए।
- निजी क्षेत्र में अपनी कामुकता के संबंध में अपनी पसंद चुनने की किसी व्यक्ति की स्वायतता को आपराधिक मंजूरी से संरक्षित किया जाना चाहिए।
- व्यभिचार हालांकि पति-पत्नी और परिवार के लिए एक नैतिक गलती है, तथापि, इसे आपराधिक कानून के दायरे में लाने के लिए बड़े पैमाने पर समाज के रिलाफ कोई गलत परिणाम नहीं होता है।
- इसके बजाय इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि यदि कोई विवाह के रूढ़िवादी ढांचे में विश्वास करता है तो व्यभिचार को तलाक के लिए एक आधार के रूप में रहना चाहिए। "एक महिला के लिए ऐसे पुरुष के साथ रहना मुश्किल है जो उसे धोखा दे रहा है। लेकिन यह दो निजी पार्टियों के बीच है।"

संसदीय पैनल की सिफारिशें

- अपनी रिपोर्ट में, समिति ने सुझाव दिया कि व्यभिचार को एक आपराधिक अपराध के रूप में बहाल किया जाए, लेकिन इसे लिंग-तटस्थ बनाया जाए, जिससे पुरुषों और महिलाओं दोनों को कानून के तहत समान रूप से दोषी बनाया जा सके। विवाह संरक्षा की रक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए रिपोर्ट में कहा गया है।
- समिति का मानना है कि भारतीय समाज में विवाह संरक्षा को पवित्र माना जाता है और इसकी पवित्रता की रक्षा करने की आवश्यकता है। विवाह संरक्षा की रक्षा के लिए इस धारा को लिंग तटस्थ बनाकर संहिता (भारतीयन्यायसंहिता) में रखा जाना चाहिए।
- बताया गया कि IPC की नियरत धारा 497 ने "केवल विवाहित पुरुष को दंडित किया, और विवाहित महिला को उसके पति की संपत्ति बना दिया।" प्रस्तावित परिवर्तन इस कमी को भी दूर करने का प्रयास करता है।
- समिति ने तर्क दिया कि व्यभिचार को लिंग-तटस्थ तरीके से इस आधार पर अपराध घोषित किया जाना चाहिए कि विवाह संरक्षा की पवित्रता की रक्षा करना महत्वपूर्ण है।

असहमति नोट

हालाँकि, विपक्षी सांसदों ने इस दावे का खंडन किया है कि यह "विवाह को एक संस्कार के स्तर तक बढ़ाने के लिए पुराना है" और राज्य के पास जोड़ों के निजी जीवन में प्रवेश करने और कथित गलत काम करने वाले को दंडित करने का कोई व्यवसाय नहीं है।

- व्यभिचार अपराध नहीं होना चाहिए यह विवाह के विरुद्ध अपराध है जो दो व्यक्तियों के बीच एक समझौता है; यदि समझौता टूट गया है, तो पीड़ित पति या पत्नी तलाक या नागरिक क्षति के लिए मुकदमा कर सकते हैं। विवाह को एक संस्कार के स्तर तक ऊपर उठाना पुरानी बात हो गई है। किसी भी स्थिति में, विवाह का संबंध केवल दो व्यक्तियों से होता है, न कि बड़े पैमाने पर समाज शे।
- क्या संसद व्यभिचार को फिर से अपराध बना सकती है? न्यायिक घोषणाओं को विधायी रूप से खारिज करना।
- सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला एक मिसाल कायम करता है और निचली अदालतों को उसके आदेश का पालन करने के लिए बाध्य करता है। हालाँकि, न्यायिक फैसलों को खारिज करना संसद के अपने दायरे में है, लेकिन ऐसी विधायी कार्रवाई तभी वैध मानी जाएगी जब फैसले का कानूनी आधार बदल दिया जाए।
- मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2021) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "मान्य कानून की वैधता निर्धारित करने के लिए परीक्षण यह है कि दोष को इंगित करने वाला निर्णय पारित नहीं किया गया होता यदि परिवर्तित स्थिति को लाने की मांग की गई होती निर्णय देने के समय न्यायालय के समक्ष वैध कानून मौजूद था।
- दूसरे शब्दों में, बताए गए दोष को इस तरह ठीक किया जाना चाहिए था कि दोष को इंगित करने वाले निर्णय का आधार हटा दिया जाए।
- इस साल सितंबर में, NHPC लिमिटेड बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य संविधान मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने दोहराया कि विधायिका को पहले के कानून में एक दोष को दूर करने की अनुमति है, जैसा कि एक संवैधानिक अदालत द्वारा बताया गया है, और वह कानून इस आशय को संभावित और पूर्वव्यापी ढोनों तरह से पारित किया जा सकता है। हालाँकि, जहां एक विधायिका केवल पिछले कानून के तहत किए गए कृत्यों को मान्य करना चाहती है, जिसे किसी न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है या निष्क्रिय कर दिया गया है, ऐसे कानून में दोषों को ठीक किए बिना बाद के कानून द्वारा, बाद का कानून भी अल्ट्रा-वार्यास होगा।

डाकघर बिल

खबरों में क्यों?

राज्यसभा ने 125 साल पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 में संशोधन करने के लिए डाकघर विधेयक पारित किया, जिसका भारत में डाक विभाग के कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- विशिष्ट विशेषाधिकार:** यह विधेयक डाक द्वारा प्राप्त भेजने और डाक टिकट जारी करने के केंद्र सरकार के विशेष अधिकारों को हटा देता है, जिससे संभावित रूप से डाक क्षेत्र में अधिक विविध सेवाओं और प्रतिश्वर्धा की अनुमति मिलती है।
- निर्धारित सेवाएँ:** डाकघर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को स्पष्ट रूप से परिभ्रामित करने के बजाय, बिल केंद्र सरकार को इन सेवाओं को आवश्यकतानुसार निर्दिष्ट करने और बदलने का अधिकार देता है। यह लचीलापन डाकघर को बदलती मांगों और तकनीकी प्रगति को अधिक कुशलता से अपनाने में सक्षम बना सकता है।
- शिपमेंट का अवरोधन**
 - राज्य की सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण विदेशी संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, आपात स्थिति, सार्वजनिक सुरक्षा और कानून के उल्लंघन जैसे व्यापक पहलुओं को शामिल करने के लिए शिपमेंट को शोकने के आधार का विस्तार किया गया है।
 - यह डाक सेवाओं में हस्तक्षेप और नियंत्रण के व्यापक दायरे का सुझाव देता है, जिसकी देखरेख विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा की जाती है।
- महानिदेशक की शक्तियाँ**
 - डाक सेवाओं के महानिदेशक को डाक सेवाओं के विभिन्न पहलुओं को प्रिनियमित करने के लिए व्यापक शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिसमें शुल्क निर्धारित करना, डाक टिकटों और डाक रेटेशनरी की बिक्री का प्रबंधन करना और डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण नियिकायों की देखरेख करना शामिल है।
- शिपमेंट की जांच**
 - यह विधेयक डाकघर अधिकारियों की उन शिपमेंटों की जांच करने की शक्ति को समाप्त कर देता है जिनमें प्रतिबंधित सामान छोड़ने का संदेह हो या जो शुल्क के लिए उत्तरदायी हों।

The Supreme Court declares as unconstitutional the Penal Provision on Adultery

Section 497 of the
158-year-old IPC says

Whoever has sexual
intercourse with a person who
is and whom he knows or has
reason to believe to be the
wife of another man, without
the consent or connivance of
that man, such sexual
intercourse not amounting to
the offence of rape, is guilty
of the offence of adultery

A five-judge Constitution bench was
unanimous in holding Section 497 of the
Indian Penal Code as unconstitutional and
struck down the penal provision

The offence entailed a
maximum punishment
of 5 years, or with fine, or both

It was manifestly arbitrary and
denied the individuality of women
Sec 497 is clear violation of fundamental
rights granted in the Constitution and
there is no justification for continuation
of the provision

Any provision treating women with
inequality is not constitutional and
it's time to say that husband is not the
master of woman

PTI GRAPHICS

- इसके बजाय, इन जिम्मेदारियों को सीमा शुल्क अधिकारियों जैसे नामित अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया जाता है, संभवतः प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाता है और इसे स्थापित प्रोटोकॉल के साथ अधिक निकटता से सेरेखित किया जाता है।
- अपराध और दंड
 - मौजूदा भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 में उल्लिखित अधिकांश अपराध और दंड हटा दिए गए हैं, भुगतान न करने के मामलों को छोड़कर, जिन्हें भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।
 - यह बदलाव डाक संबंधी दुर्व्यवहारों या गैर-अनुपालन से निपटने के वैकल्पिक तरीकों की ओर एक कदम का संकेत दे सकता है।
 - दायित्व से छूट: विधेयक सरकार और अधिकारियों को डाक वस्तुओं के नुकसान या क्षति के लिए दायित्व से छूट प्रदान करता है, बश्तों कि केंद्र सरकार द्वारा कोई स्पष्ट दायित्व नहीं लिया गया हो।
 - हालाँकि, यह केंद्र सरकार के बजाय डाकघर को अपनी सेवाओं से संबंधित दायित्व निर्धारित करने की अनुमति देता है, संभवतः डाकघर को दायित्व मामलों को संभालने में अधिक स्वायत्ता देता है।



भारत में अपराध पर NCRB 2022 रिपोर्ट

खबरों में क्यों?

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने हाल ही में "2022 के लिए भारत में अपराध" शीर्षक से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जो देश भर में अपराध के रुझानों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

2022 NCRB रिपोर्ट का अवलोकन

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने वर्ष 2022 के लिए भारत में अपराध के आंकड़ों का विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की रिपोर्ट में महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के खिलाफ, साइबर अपराध और अधिक सहित अपराधों के व्यापक स्पेक्ट्रम को शामिल किया गया है।

अपराध के रुझान और संरच्चार्य

- 2022 में, कुल 58,24,946 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए, जिनमें 35,61,379 भारतीय दंड संहिता (IPC) अपराध और 22,63,567 विशेष और स्थानीय कानून (SLL) अपराध शामिल थे। यह पिछले वर्ष की तुलना में 4.5% की गिरावट दर्शाता है। अपराध दर, जिसे प्रति लाख जनसंख्या पर दर्ज अपराधों के रूप में मापा जाता है, 2021 में 445.9 से घटकर 2022 में 422.2 हो गई।

महिलाओं के खिलाफ अपराध

- 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4% की वृद्धि हुई, 4,45,256 मामले दर्ज किए गए। इनमें से अधिकांश मामले 'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' (31.4%), 'महिलाओं का अपहरण और अपहरण' (19.2%), और 'महिलाओं पर उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला' (18.7%) जैसी श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।

बच्चों के खिलाफ अपराध:

- बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में 2021 की तुलना में 8.7% की वृद्धि देखी गई।
- इनमें से अधिकांश मामले अपहरण और अपहरण से संबंधित (45.7%) और 39.7% यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज किए गए थे।

वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध:


- वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध के मामले 2021 में 26,110 मामलों की तुलना में 9.3% बढ़कर 28,545 मामले हो गए।
- इनमें से अधिकांश मामले (27.3%) चोट के बाद चोरी (13.8%) और जालसाजी, धोखाधड़ी और धोखाधड़ी (11.2%) से संबंधित हैं।

SC और ST के खिलाफ अपराध:

- भारत में अपराध रिपोर्ट में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों और अत्याचारों में समग्र वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है।
- राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों ने 2022 में ऐसे मामलों में वृद्धि का अनुभव किया।

Plain Speak

Registered cases of crime against women have risen. Here's a snapshot:



- SC और ST समुदायों के खिलाफ अपराध और अत्याचार की सबसे अधिक घटनाओं वाले शीर्ष पांच राज्यों में लगातार मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रमुख योगदानकर्ता बने हुए हैं।
- ऐसे अपराधों के ऊंचे स्तर वाले अन्य राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पंजाब शामिल हैं।

साइबर अपराध बढ़ रहे हैं


- साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग में 2021 की तुलना में 65,893 मामलों के साथ 24.4% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। इनमें से अधिकांश मामलों में धोखाधड़ी (64.8%), इसके बाद जबरन वसूली (5.5%) और यौन शोषण (5.2%) शामिल हैं।

आर्थिक अपराधों में वृद्धि:

- आर्थिक अपराधों को आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी (FCF), और जालसाजी में वर्गीकृत किया गया है।
- FCF में अधिकांश मामले (1,70,901 मामले) थे, इसके बाद आपराधिक विश्वासघात (21,814 मामले) और जालसाजी (670 मामले) थे।
- क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सरकारी अधिकारियों ने 2022 में कुल 342 करोड़ रुपये से अधिक के नकली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) जब्त किए।

RISE IN OTHER CRIMES, TOO

While cyber crime witnessed a sharp steep in 2022, there was also a rise in other crimes, according to NCRB's 'Crime in India' report released Sunday



आत्महत्याएं और योगदान देने वाले कारक

- रिपोर्ट में पिछले वर्ष की तुलना में 2022 में रिपोर्ट की गई आत्महत्याओं में 4.2% की वृद्धि (1,70,924 आत्महत्याएं) दर्ज की गई है। प्रमुख योगदान देने वाले कारकों में 'पारिवारिक समस्याएं (विवाह-संबंधी समस्याओं के अलावा)' (31.7%), 'विवाह-संबंधी समस्याएं' (4.8%), और 'बीमारी' (18.4%) शामिल हैं। आत्महत्या पीड़ितों का पुरुष-से-महिला अनुपात 71.8:28.2 था।

डेटा संकलन प्रक्रिया

- एनसीआरबी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों से डेटा संकलित करता है। जानकारी रक्षानीय पुलिस स्टेशन स्तर पर दर्ज की जाती है, जिला और राज्य स्तर पर मान्य की जाती है और अंत में एनसीआरबी द्वारा सत्यापित की जाती है।

राज्यगत लङ्घान

- आईपीसी अपराधों के तहत उच्चतम आरोपपत्र दर वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केरल (96.0%), पुडुचेरी (91.3%), और पश्चिम बंगाल (90.6%) शामिल हैं। यह द्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह उन मामलों के प्रतिशत को इंगित करता है जहाँ अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे, न कि वास्तविक अपराध की घटना।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो:

- एनसीआरबी की स्थापना 1986 में टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) गृह मंत्रालय (MHA) टास्कफोर्स (1985) और केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर अपराधियों से अपराध को जोड़ने में जांचकर्ताओं की सहायता के लिए अपराध और अपराधियों पर जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी।
- यह गृह मंत्रालय का हिस्सा है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- यह भारतीय और विदेशी अपराधियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के लिए "राष्ट्रीय गोदाम" के रूप में भी कार्य करता है, और फिंगरप्रिंट खोज के माध्यम से अंतरराज्यीय अपराधियों का पता लगाने में सहायता करता है।
- NCRB के चार प्रभाग हैं: अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS), अपराध सांख्यिकी, फिंगर प्रिंट और प्रशिक्षण।

NCRB प्रकाशन:

- भारत में अपराध, दुर्घटनावश मौतें और आत्महत्याएं, जेल सांख्यिकी, और भारत में लापता महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट।
- ये प्रकाशन न केवल पुलिस अधिकारियों के लिए बल्कि न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपराध विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, मीडिया और नीति निर्माताओं के लिए अपराध आंकड़ों पर प्रमुख संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करते हैं।

डेटा और रिपोर्टिंग की सीमाएँ

- NCRB रिपोर्ट स्वीकार करती है कि डेटा रिकॉर्ड अपराध दर्ज करता है, अपराध की वास्तविक घटना नहीं। 'प्रमुख अपराध नियम' और विभिन्न कारणों से संभावित कम रिपोर्टिंग सहित रक्षानीय स्तर पर शीमा, रिपोर्ट की सटीकता को प्रभावित करती हैं।

जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी में महिला कोटा के लिए विधेयक

खबरों में क्या?

लोकसभा ने संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों का विरोध करने के लिए दो विधेयक पारित किए, जो संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर तक प्रदान करता है।

महिला आरक्षण विधान संसद में बहुमत के बारे में

- पहली बार 1996 में पेश किए गए इस विधेयक में कई उतार-चढ़ाव आए, जिसमें मार्च 2010 में राज्यसभा में इसका पारित होना भी शामिल है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाले UPA ने सर्वसम्मति की कमी और अपर्याप्त संख्या के कारण विधेयक को लोकसभा में नहीं लाया।
- महिला आरक्षण विधेयक जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, सितंबर 2023 में पारित किया गया था।
- संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 महिला आरक्षण कानून का आधिकारिक नाम है।

प्रमुख विशेषताएं

- महिलाओं के लिए आरक्षण: यह संविधान के अनुच्छेद 239AA में संशोधन और दो नए अनुच्छेद अनुच्छेद 330 A और अनुच्छेद 332 A को शामिल करके लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधान सभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना चाहता है।
- यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटें पर भी लागू होगी।
- आरक्षण की शुरूआत: आरक्षण जनगणना के बाद प्रभावी होगा।
- जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन किया जाएगा। आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा।
- हालाँकि, यह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक जारी रहेगा।
- सीटों का शेटेशन: महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को प्रत्येक परिसीमन के बाद घुमाया जाएगा, जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित किया गया है।

आवश्यकता और उद्देश्य

- विधेयक के समर्थकों का तर्क है कि महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक कार्यवाई अनिवार्य है क्योंकि राजनीतिक दल स्वाभाविक रूप से पिरूसतात्मक हैं।
- राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं की आशाओं के बावजूद, संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है।
- आंकड़ों से पता चलता है कि महिला सांसदों की लोकसभा की कुल संख्या में लगभग 15% हिस्सेदारी है, जबकि कई राज्य विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 10% से कम है।
- अंतर-संसदीय संघ के अनुसार, भारत में नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों की तुलना में निचले सदन में महिलाओं का प्रतिशत कम है - एक निराशाजनक रिकॉर्ड।
- आरक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाएं उन मुद्दों के लिए लड़ने के लिए संसद में एक मजबूत लॉबी बनाएं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
- पंचायतों पर हाल के कुछ अध्ययनों ने महिलाओं के सशक्तिकरण और संसाधनों के आवंटन पर आरक्षण का सकारात्मक प्रभाव दिखाया है।
- स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण ने उन्हें सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाया है।
- इसका उद्देश्य कानून बनाने की प्रक्रियाओं में जन प्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी को सक्रम बनाना है।

JOURNEY OF THE BILL

Bills on women's quota were introduced in 1996, 1998 and 1999

A bill was again introduced in 2008 and was passed by Rajya Sabha in 2010

The bill lapsed in Lok Sabha amid opposition from SP, UPA member RJD and then NDA ally JD(U)

In Lok Sabha, there are 78 women out of the total strength of 543

In Rajya Sabha, there are 31 women out of 238 members

In assemblies (%age of women)

14.4% Chhattisgarh
13.7% West Bengal
12.4% Jharkhand

10-12% Bihar, Haryana, Punjab, Rajasthan, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi

Less than 10% Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Odisha, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Puducherry

आलोचना

- महिलाओं के लिए आरक्षण के विरोधियों का तर्क है कि यह विचार संविधान में निहित समानता के खिलाफ के विपरीत है।
- उनका कहना है कि आरक्षण होने पर महिलाएं योज्यता के आधार पर प्रतिशपथ्य नहीं कर पाएंगी, जिससे समाज में उनकी स्थिति कम हो सकती है।
- संसद में सीटों का आरक्षण मतदाताओं की पसंद को महिला उम्मीदवारों तक सीमित कर देता है।
- इसलिए, कुछ विशेषज्ञों ने राजनीतिक दलों और दोषे सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण जैसे तैकल्पिक तरीकों का सुझाव दिया है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- महिला आरक्षण विधेयक सभी दिशा में एक कदम हो सकता है लेकिन इसके कार्यान्वयन में देशी को देखते हुए, भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं की लिंग संरचना में जल्द ही बदलाव की संभावना नहीं है।
- इसके अलावा, इस राजनीतिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी केवल महिलाओं पर नहीं आनी चाहिए, बल्कि इसे पुरुषों और महिलाओं दोनों से प्रभावित प्रणालियों द्वारा साझा किया जाना चाहिए।
- इसमें अधिक समावेशी परिपेक्ष्य लागू करना शामिल है जो नीतिगत निर्णयों की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है।

- भारतीय राजनीतिक परिवृत्ति की जटिल और बहुआयामी चुनौतियों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है - जो महिलाओं और समाज के अन्य हासिल वाले वर्गों के लिए समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के साथ-साथ समानता और समावेशन के मौलिक सिद्धांतों को शामिल करता है।

संसद सदस्यों (सांसदों) का निलंबन

खबरों में क्यों?

एक ही दिन में 78 विपक्षी सांसदों का निलंबन भारतीय संसद में एक महत्वपूर्ण घटना है, और यह विधायी सत्रों के दौरान व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखने में चल रही चुनौतियों को उजागर करता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

सांसदों को क्यों किया गया निलंबित?

- संसद में सुरक्षा उल्लंघन से संबंधित विरोध प्रदर्शन के दौरान संसदीय कार्यवाही को बाधित करने के लिए सांसदों को निलंबित कर दिया गया था।
- लोकसभा में विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की, तरिक्यां लहराई और कुछ लोग अध्यक्ष के आसन पर भी चढ़ गए।
- राज्यसभा में विपक्ष ने सुरक्षा उल्लंघन पर जारी लगाए, जिससे व्यवधान उत्पन्न हुआ।

संसद में व्यवधान के कई कारण हो सकते हैं:

- समय की कमी: सांसदों को लग सकता है कि उनके पास महत्वपूर्ण मामलों को संबोधित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है।
- अनुत्तरदायी सरकार: जब सरकार को अनुत्तरदायी माना जाता है, तो सांसद विघटनकारी रणनीति का सहारा ले सकते हैं।
- राजनीतिक या प्रचार उद्देश्य: कुछ व्यवधान राजनीतिक या प्रचार लाभ चाहने वाली पार्टियों द्वारा जानबूझकर और प्रेरित होते हैं।
- त्वरित कार्रवाई का अभाव: यदि ऐसी धारणा है कि विघटनकारी सांसदों को कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा, तो यह इस तरह के व्यवहार को प्रोत्साहित कर सकता है।

सांसदों को कौन निलंबित कर सकता है, और कितने समय के लिए?

- संसद सदस्यों (सांसदों) का निलंबन संसद के नियमों और मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले सदस्यों के खिलाफ की गई एक अनुशासनात्मक कार्रवाई है।
- कौन: लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार है।
- सांसदों के निलंबन से संबंधित नियम और प्रक्रियाएं लोकसभा और राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में उल्लिखित हैं।
- आधार: निलंबन के आधार में अनियंत्रित व्यवहार, सदन के नियमों की अवहेलना, या संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन माना जाने वाला कोई अन्य कार्य शामिल हो सकता है।



लोकसभा में नियम

- नियम 374: यदि अध्यक्ष आवश्यक समझे तो ऐसे सदस्य का नाम ले सकता है, जो सभापति के अधिकार की अवहेलना करता है या लगातार और जानबूझकर सदन के कामकाज में बाधा डालकर सदन के नियमों का दुरुपयोग करता है।
- नियम 374A: 2001 में, नियम 374ए को नियम पुस्तिका में शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य निलंबन के लिए प्रस्ताव लाने और अपनाने की आवश्यकता से बचना था।
- कोई सदस्य लगातार सदन के नियमों का दुरुपयोग करता है और जानबूझकर नारे लगाकर या अन्यथा सदन की कार्यवाही में बाधा डाता है, तो अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने पर ऐसा सदस्य खचालित रूप से लगातार पांच बैठकों या शेष सत्र के लिए सदन की सेवा से निलंबित हो जाता है। जो भी कम हो।

राज्यसभा में नियम

- नियम 255: लोकसभा अध्यक्ष की तरह, राज्यसभा के सभापति को किसी भी सदस्य को, जिसका आचरण उनकी राय में घोर अव्यावस्थित हो, तुरंत सदन से बाहर चले जाने का निर्देश देने का अधिकार है।
- नियम 256 के तहत: सभापति सदन के नियमों का दुरुपयोग करने वाले सदस्य का नाम ले सकते हैं।
- सदन सदस्य को शेष सत्र से अधिक की अवधि के लिए सदन की सेवा से निलंबित करने का प्रस्ताव अपना सकता है।

क्या सांसदों को निलंबित करना आम बात है?

- हालाँकि यह असामान्य नहीं है, हाल के वर्षों में निलंबन की संख्या में वृद्धि हुई है। 2019 के बाद से, कम से कम 149 निलंबन हुए हैं, जबकि 2014-19 में 81 और 2009-14 में 36 निलंबन हुए थे।
- संसद में व्यवधान एक लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा रहा है, और मूल कारणों को दूर करने के प्रयास किए गए हैं।

क्या सांसदों के निलंबन के मामले में अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं?

- संविधान के अनुच्छेद 122 में कहा गया है कि संसदीय कार्यवाही पर अदालत के समक्ष सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
- हालाँकि, कुछ मामलों में, अदालतों ने विधायिकाओं के प्रक्रियात्मक कामकाज में हस्तक्षेप किया है।

निलंबन के बाद सांसदों पर प्रतिबंध

- निलंबित सांसदों को निलंबन की अवधि के दौरान सदन के परिसर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध है। इसका मतलब है कि वे बहस, चर्चा या मातदान में भाग नहीं ले सकते।
- निलंबित सांसद निलंबन के दौरान कुछ संसदीय विशेषाधिकार खो सकते हैं, जैसे समिति की बैठकों में भाग लेने या अन्य संसदीय नियमितियों में भाग लेने का अधिकार।
- वह चर्चा या प्रस्तुतीकरण के लिए नोटिस देने के पात्र नहीं होंगे।
- वह अपने प्रैर्फेक्शनों का उत्तर पाने का अधिकार खो देता है।

व्यवस्था बनाए रखने में चुनौतियाँ

- आदेश लागू करने और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करने के बीच संतुलन बनाए रखना पीठाशीन अधिकारियों के लिए एक चुनौती है।
- छाता-शा या नियोजित संसदीय अपराधों से उत्पन्न होने वाले व्यवधानों के लिए अलग-अलग विकास की आवश्यकता होती है, और संसद के सुवार्ण कामकाज के लिए दीर्घकालिक समाधान खोजना महत्वपूर्ण है।

अधिकार संशोधन विधेयक 2023 पारित

खबरों में क्यों?

अधिकार संशोधन विधेयक, 2023 को हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा द्वारा मंजूरी दी गई थी।

महत्वपूर्ण बिंदु

विधेयक का उद्देश्य:

- इस विधायी कदम का उद्देश्य कानूनी प्रणाली में 'दलालों' की उपस्थिति को खत्म करना है।
- इस विधेयक में औपनिवेशिक युग के कानूनी व्यवसायी अधिनियम, 1879 को निरस्त करना और अधिकारा अधिनियम, 1961 में संशोधन शामिल है।

पुराने विधान को निरस्त करना:

- यह विधेयक लीगल प्रैविटेशनर्स एक्ट, 1879 के अंत का प्रतीक है, जो एक औपनिवेशिक युग का कानून था जिसे अप्रचलित माना जाता था।
- निरसन पुराने कानूनों को खत्म करने और कानूनी ढांचे को सुव्यवस्थित करने की सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

अनावश्यक अधिनियमों में कमी:

- अधिकारा संशोधन विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य कानून की किताब में अनावश्यक कानूनों की संख्या को कम करना है।
- अधिकारा अधिनियम, 1961 में संशोधन करके, सरकार का तक्ष्य एक अधिक समसामयिक और कुशल कानूनी ढांचा तैयार करना है।

सामाजिक विषमता पर प्रतिक्रिया:

- सांसदों ने सामाजिक असंतुलन को दूर करने में विधेयक के महत्व को स्वीकार किया।
- कानूनी प्रणाली की जटिलता अक्सर व्यक्तियों को उचित मार्गदर्शन के बिना छोड़ देती है, जिससे 'दलालों' द्वारा लोगों का शोषण होता है।
- विधेयक इस तरह के शोषण को समाप्त करके इस मुद्दे को सुधारने का प्रयास करता है।

निरस्त 1879 अधिनियम:

- 'टाउट' की परिभाषा: अब निरस्त किए गए लीगल प्रैविटेशनर्स एक्ट, 1879 में 'टाउट' को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पारिश्रमिक के बदले में, किसी भी कानूनी व्यवसाय में एक कानूनी व्यवसायी का रोजगार प्राप्त करता है। इस परिभाषा में ऐसे उद्देश्यों के लिए कानूनी संस्थानों में बार-बार आने वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया है।

अधिकारा अधिनियम 1961:

- कानूनी पेशे को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए स्वतंत्रता के बाद अधिकारा अधिनियम 1961 लागू किया गया था। 1879 अधिनियम के अधिकांश भाग को निरस्त करने समय, 'दलालों' की सूची तैयार करने की सीमा, परिभाषाओं और श्रितियों से संबंधित कुछ प्रावधानों को बरकरार रखा गया था।

अधिकारा संशोधन विधेयक, 2023

धारा 45A का परिचय

- विधेयक अधिकारा अधिनियम, 1961 में एक नया प्रावधान, धारा 45A पेश करता है।



- यह अनुभाग उत्तर न्यायालयों और जिता न्यायाधीशों को 'दलालों' को शामिल करने का विरोध करने का अवसर प्रदान करने के बाद उनकी सूची तैयार करने और प्रकाशित करने का अधिकार देता है।

कानूनी सुरक्षा उण्ड

- नया प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति का नाम अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना 'दलालों' की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
- अधिकारी संदिग्ध 'दलालों' को जांच के लिए अधीनस्थ अदालतों में भेज सकते हैं, और केवल सिद्ध मामलों को ही प्रकाशित सूची में शामिल किया जाएगा।

दलाल के रूप में कार्य करने के लिए दंड

- धारा 45A 'दलाल' के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए कारावास और जुर्माने सहित दंड लगाती है, जबकि उनके नाम प्रकाशित सूची में हैं।
- यह प्रावधान अब निरस्त हो चुके 1879 अधिनियम की धारा 36 को प्रतिबिंधित करता है।

SC ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा

खबरों में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने को बरकरार रखा।

महत्वपूर्ण बिंदु

पृष्ठभूमि

- वर्षों से विशेष ढर्जे को लेकर बहस होती रही; कुछ लोगों का तर्क है कि इससे राज्य का शेष भारत के साथ एकीकरण बाधित हो गया।
- फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमला, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई, ने क्षेत्र में सुरक्षा वित्ताओं को बढ़ा दिया।
- सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत प्रतिक्रिया की मांग की गई।
- इसके पश्च में की गई कार्रवाई के रूप में, 5 अगस्त, 2019 को, भारत सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से, जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को प्रभावी ढंग से रठ करते हुए, अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया।
- राज्य को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों - "जम्मू और कश्मीर और लद्दाख" में भी पुनर्जित किया गया था।

अनुच्छेद 370 किस बारे में था?


- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर क्षेत्र को विशेष स्वायत्ता प्रदान की।
- अनुच्छेद ने राज्य को अपना संविधान बनाने की अनुमति दी, और इसके निवासियों को भूमि और संपत्ति पर विशेष अधिकार सहित कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे।
- अनुच्छेद 35A: अनुच्छेद 35A, 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से डाला गया, जम्मू और कश्मीर के निवासियों को विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है।
- इसने राज्य की विधायिका को स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की अनुमति दी और उन्हें नौकरियों और संपत्ति पर विशेष अधिकार प्रदान किया।

ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- सरकार ने तर्क दिया कि इस कदम का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को पूरी तरह से भारतीय संघ में एकीकृत करना और क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना है।

हालिया फैसले के बारे में:

- संघवाद और संप्रभुता पर: शीर्ष अदालत के विचार में, परिग्रहण के दस्तावेज़ और 25 नवंबर, 1949 की उद्घोषणा के जारी होने के बाद, जिसके द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था, जम्मू और कश्मीर राज्य ने इसके किसी भी तत्व को बरकरार नहीं रखा है।
- अनुच्छेद 370 असमित संघवाद की विशेषता थी न कि संप्रभुता की।
- सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 को बरकरार रखने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और उल्लेख किया है कि, यदि "विशेष परिस्थितियों में विशेष समाधान की आवश्यकता होती है" तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की शक्ति है।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी घोषणा की कि भारतीय संविधान को जम्मू और कश्मीर राज्य में लान् करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है।
- अनुच्छेद का उपयोग करते हुए, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के राष्ट्रपति के निर्णय पर: यह उल्लेख करना अवित है कि जब अगस्त 2019 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया गया था, तो



तत्कालीन राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन था, और तब से यह एक राज्य है। यह बहुस का स्रोत है कि क्या निर्वाचित विधान सभा की अनुपस्थिति में अपरिवर्तनीय निर्णय लिए जा सकते हैं।

- अनुच्छेद 370(3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एकतरफा अधिसूचना जारी कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है।
- तो, निष्कर्ष विवारण में इस बात पर ग्रकाश डाला गया है कि, "राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिए गए हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है।"

'अनुच्छेद 370 को निरस्त करने' के लिए दिए गए तर्फ/उत्तर:

राष्ट्रपति का एकमात्र अधिकार:

- संविधान के सभी ग्रावधानों को जम्मू और कश्मीर में लागू करते समय राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370(1)(D) के द्वारा ग्रावधान के तहत राज्य सरकार की ओर से कार्य करने वाली राज्य सरकार या केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। कश्मीर क्योंकि शक्ति के ऐसे प्रयोग का प्रभाव अनुच्छेद 370(3) के तहत शक्ति के प्रयोग के समान होता है जिसके लिए राज्य सरकार की सहमति या सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है।

'अस्थायी प्रावधान' के रूप में घोषित:

- अदालत ने माना कि अनुच्छेद 370 आंतरिक संघर्ष और युद्ध के समय तत्कालीन रियासत के रूप में प्रवेश को आसान बनाने के लिए केवल एक "अस्थायी प्रावधान" था।
- अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की संसद या राष्ट्रपति की शक्ति 1957 में जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के विघटन के साथ समाप्त नहीं हुई।

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की शक्ति जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पास नहीं है:

- अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सिफारिश करने की केवल जम्मू-कश्मीर संविधान सभा की शक्ति इसके विघटन के साथ समाप्त हो गई।
- इसके अलावा, अनुच्छेद 370 (3) के तहत अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति कायम रही। चूंकि, जब संविधान सभा मंग हो गई, तो अनुच्छेद 370(3) के प्रावधानों में मान्यता प्राप्त केवल संक्रमणकालीन शक्ति, जो संविधान सभा को अपनी सिफारिशें करने का अधिकार देती थी, अस्तित्व में नहीं रह गई। इससे अनुच्छेद 370 (3) के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

अनुच्छेद 370 के पक्ष में तर्क:

- भौगोलिक अंतर: जम्मू, कश्मीर और लहाख जैसे क्षेत्रों के बीच इस्यु भिन्न हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अलग-अलग जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं।
- जातीय और धार्मिक विविधता: हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध सहित विभिन्न जातीय और धार्मिक समुदायों की राय उनके ऐतिहासिक अनुभवों और धारणाओं के आधार पर भिन्न हो सकती है।
- राजनीतिक संबंधों: लोगों की राजनीतिक संबंधों का असर उनके राजनीतिक दलों या अलगाववादी समूहों के साथ जुड़े हों, जिससे उनके रुख को बदला से प्रभावित करती हैं।

धार्मिक आधार पर पार्टी का नाम प्रतिबंधित करना

खबरों में क्यों?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है कि जाति, धार्मिक, जातीय या भाषाई अर्थ वाले नामों और तिरंगे से मिलते-जुलते डांडों वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की मांग करने वाली याचिका में उठाए गए मुद्दों पर संसद को निर्णय लेना चाहा क्योंकि यह न्यायपालिका के क्षेत्र में नहीं है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इसने हिंदू सेना, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे राजनीतिक दलों को धार्मिक अर्थ वाले नामों के उदाहरण के रूप में संदर्भित किया है और कहा है कि यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) और मॉडल कोड ऑफ कंडवर्ट की "भावना के खिलाफ" है।
- इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दल हैं, जो राष्ट्रीय धर्म के समान धर्म का उपयोग करते हैं, जो आरपीए की भावना के भी खिलाफ है।

'NO PROVISION TO BAR PARTIES'

- Plea filed in SC seeking that political parties like Indian Union Muslim League and the All India Majlis-Ettihadul Muslimeen be restrained from using religious names and symbol
- EC tells SC that there is no provision which bars associations with religious connotations to register themselves as political parties

"The registered names of those existing political parties which are having religious connotation have become legacy names, as they have been in existence for decades. Whether the names of these political parties may or may not be disturbed is, accordingly, left to the wisdom of this court
– Election Commission

- 2019 में ठायर अपने जवाब में, चुनाव आयोग ने कहा था कि 2005 में उसने धार्मिक अर्थ वाले नाम वाले किसी भी राजनीतिक दल को पंजीकृत नहीं करने का नीतिगत निर्णय लिया था और उसके बाद, ऐसी किसी भी पार्टी को पंजीकृत नहीं किया गया है।
- हालाँकि, 2005 से पहले पंजीकृत ऐसी कोई भी पार्टी धार्मिक अर्थ वाले नाम के कारण अपना पंजीकरण नहीं खोएगी।

चुनाव चिन्ह क्या है?

- चुनावी या चुनाव चिन्ह एक राजनीतिक दल को आवंटित एक मानकीकृत प्रतीक है।
- इनका उपयोग पार्टीयों द्वारा अपने प्रचार के दौरान किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) पर दिखाया जाता है, जहां मतदाता प्रतीक चुनता है और संबंधित पार्टी को वोट देता है।
- इन्हें अनपढ़ लोगों द्वारा मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए पेश किया गया था, जो वोट डालते समय पार्टी का नाम नहीं पढ़ सकते हैं।

चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत प्रावधान:

- 1968 में, चुनाव आयोग (EC) ने इस आदेश को प्रख्यापित किया, जिसमें संसदीय और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव में प्रतीकों के विनिर्देश, आरक्षण, विकल्प और आवंटन का प्रावधान किया गया था।
- इसमें राजनीतिक दलों के राज्य और राष्ट्रीय दलों के रूप में पंजीकरण और मान्यता के संबंध में भी प्रावधान थे।
- चुनाव चिन्ह आदेश में मान्यता प्राप्त दलों में विभाजन या दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के विलय से जुड़े मामलों में विवादों के समाधान का भी प्रावधान किया गया है।
- प्रतीक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित हैं और आदेश का पैराग्राफ 5 आरक्षित और स्वतंत्र प्रतीक के बीच अंतर करता है।
- आरक्षित प्रतीक वह है जो एक राजनीतिक दल को आवंटित किया जाता है जबकि एक स्वतंत्र प्रतीक गैर-मान्यता प्राप्त दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को आवंटित करने के लिए उपलब्ध है।
- इसके अलावा, राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय या राज्य और राष्ट्रीय दलों, या पंजीकृत और अपंजीकृत दलों में विभाजित किया गया है।
- इस आदेश का पैराग्राफ 6 उन शर्तों को बताता है जिन्हें एक पार्टी को राष्ट्रीय या राज्य पार्टी बनाने के लिए पूरा करना होता है।



प्लास्टिक प्रदूषण से मुकाबला

खबरों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत अंतर सरकारी वार्ता समिति (INC) ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए तीसरे दौर की वार्ता की। **महत्वपूर्ण बिंदु**

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा संकल्प 5/14 के तहत, INC 2025 तक वैश्विक प्लास्टिक संधि प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
- INC देश INC के सचिवालय द्वारा विकसित 'शून्य मसौदा' पाठ पर बातचीत करने के लिए एक साथ आए, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि के लिए मजबूत विकल्प शामिल थे।

प्लास्टिक क्या है?

- प्लास्टिक सिंथेटिक या अर्ध-सिंथेटिक सामग्रियों की एक विरतृत शृंखला को संदर्भित करता है जो मुख्य घटक के रूप में पॉलिमर का उपयोग करते हैं, उनकी परिभाषित गुणवत्ता उनकी प्लास्टिसिटी है, जो लागू बलों के जवाब में स्थायी विरूपण से गुजरने के लिए एक ठोस सामग्री की क्षमता है।
- अधिकांश आधुनिक प्लास्टिक प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन-आधारित रसायनों से प्राप्त होते हैं।

प्लास्टिक में प्रयुक्त पॉलिमर

- प्लास्टिक उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले पॉलिमर हैं: पॉलीइथाइलीन टैरेप्थेलेट या PET, उच्च-घनत्व पॉलीथीन या HDPE, पॉलीविनाइल क्लोराइड या PVC, कम-घनत्व पॉलीथीन या LDPE, पॉलीप्रोपाइलीन या पीपी, और पॉलीस्टाइनिन या PSI।
- इनमें से प्रत्येक के अलग-अलग गुण हैं और उन्हें प्लास्टिक उत्पादों पर पाए जाने वाले प्रतीकों द्वारा दर्शाए गए उनके रात पहचान कोड (RIC) द्वारा पहचाना जा सकता है।

प्लास्टिक से संबंधित डेटा

- संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया भर में हर साल 400 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से आधा केवल एक बार उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- उसमें से 10 प्रतिशत से भी कम का पुनर्वर्तन किया जाता है। नवीजातन, अनुमानत: 19-23 मिलियन टन प्रतिवर्ष झीलों, नदियों और समुद्रों में समा जाता है।

प्लास्टिक प्रदूषण की चिंताएं

- धीमी अपघटन दर: प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में इसकी धीमी अपघटन दर के कारण प्लास्टिक को खत्म करना कठिन है।
- माइक्रोप्लास्टिक्स: प्लास्टिक अपनी होटी इकाइयों में टूट जाता है जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक्स कहा जाता है। ये माइक्रोप्लास्टिक प्रशांत महासागर की गहराई से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों तक पूरे ग्रह में अपना रास्ता खोज लेते हैं।
- मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव: बीपीए या बिरफेनॉल ए, रसायन जो प्लास्टिक को सख्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, भोजन और पेय को दूषित करता है, जिससे यकृत समारोह, इंसुलिन प्रतिरोध, नर्भवती महिलाओं में श्रूण के विकास, प्रजनन प्रणाली और मरिटाएक समारोह में परिवर्तन होता है।
- समुद्री प्रदूषण: समुद्र में प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक का सबसे बड़ा संब्रह ब्रेट पैसिफिक ग्राबेज पैक में है - उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री मलबे का एक संब्रह। यह समुद्र की सतह पर तैरता है और समुद्री जानवरों को अवरुद्ध कर देता है।
- जलवायु परिवर्तन: प्लास्टिक, जो एक पेट्रोलियम उत्पाद है, ज्लोबल वार्मिंग में भी योगदान देता है। यदि प्लास्टिक कचरे को जला दिया जाता है, तो यह वायुमंडल में जहरीला धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है।
- पर्यटन और अर्थव्यवस्था: प्लास्टिक कचरा पर्यटन स्थलों के सौंदर्य मूल्य को नुकसान पहुंचाता है, जिससे पर्यटन से संबंधित आय में कमी आती है और स्थलों की सफाई और रखरखाव से संबंधित बड़ी आर्थिक लागत आती है।

प्लास्टिक कचरे से निपटने में वैश्विक प्रयास

- लंदन कन्वेंशन: कचरे और अन्य पदार्थों को डंप करके समुद्री प्रदूषण की शोकथाम पर 1972 कन्वेंशन।
- स्वच्छ समुद्र अभियान: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 2017 में अभियान शुरू किया। यह प्लास्टिक प्रदूषण और समुद्री कूड़े पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा वैश्विक अभियान बन गया।
- बेसल कन्वेंशन: 2019 में, प्लास्टिक कचरे को एक विनियमित सामग्री के रूप में शामिल करने के लिए बेसल कन्वेंशन में संशोधन किया गया था।



- कन्वेंशन में कन्वेंशन के अनुबंध II, VIII और IX में प्लास्टिक कचरे पर तीन मुख्य प्रतिष्ठियाँ शामिल हैं। सम्मेलन के प्लास्टिक अपशिष्ट संशोधन अब 186 राज्यों पर बाध्यकारी हैं।

प्लास्टिक कचरे से निपटने में भारत के प्रयास

- विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR): भारत सरकार ने EPR लागू किया है, जिससे प्लास्टिक निर्माताओं को अपने उत्पादों से उत्पन्न कचरे के प्रबंधन और निपटान के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022: यह 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैशी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
- स्वच्छ भारत अभियान: यह एक राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान है, जिसमें प्लास्टिक कचरे का संबंध और निपटान शामिल है।
- प्लास्टिक पार्क: भारत ने प्लास्टिक पार्क रसायनिक संस्थापित किए हैं, जो प्लास्टिक कचरे के पुनर्वर्कण और प्रसंस्करण के लिए विशेष औद्योगिक क्षेत्र हैं।
- समुद्र तट सफाई अभियान: भारत सरकार और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों ने समुद्र तटों से प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने और निपटाने के लिए समुद्र तट सफाई अभियान का आयोजन किया है।

COP28

एवरी में क्यों?

COP28 के अध्यक्ष सुलतान अल-जबर ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान बात की।

महत्वपूर्ण बिंदु

- 2023 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या UNFCCC की पार्टियों का सम्मेलन, जिसे आमतौर पर COP28 के रूप में जाना जाता है, 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, जो 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक एक्सपो सिटी, दुबई में आयोजित किया जा रहा है।
- 1992 में पहले संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौते के बाद से यह सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता रहा है।
- COP सम्मेलनों का उद्देश्य सरकारों को वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने और जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रभावों के अनुकूल नीतियों पर सहमत होना है।

COP28 कब और कहाँ है?

- 28वां वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा।
- सम्मेलन में जलवायु कार्रवाई के भविष्य के बारे में बातचीत और इंटरैक्टिव सत्र शामिल होंगे। इसमें राजनीतिक, पर्यावरण और वैज्ञानिक नेताओं की बातचीत भी शामिल होगी।



COP 28 का क्या मतलब है?

- COP 28 का मतलब UNFCCC में पार्टियों के सम्मेलन (COP) की 28वीं बैठक है। "पार्टियाँ" वे देश हैं जिन्होंने 1992 में मूल संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

COP 28 का विषय और एंजेंडा क्या है?

- इसाल COP का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) की शर्तों, पेरिस समझौते और क्योटो प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन की समीक्षा और मूल्यांकन करना है। उत्तरार्द्ध ब्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए औद्योगिक देशों के लिए 1997 में सहमत एक बाध्यकारी संधि है।
- COP28 में, सदस्य देश अपने पहले ज्लोबल स्टॉकटेक (GST) का सामना करते हुए भी बातचीत करते हैं। यह एक स्कोरकार्ड को संदर्भित करता है जो 2025 में होने वाली जलवायु कार्य योजनाओं के लिए कार्रवाई योज्य उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ, पेरिस समझौते की दिशा में देशों की प्रगति का विश्लेषण करता है।

इसके अतिरिक्त, COP28 यह विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- ऊर्जा परिवर्तन को तेजी से ट्रैक करना: नवीकरणीय ऊर्जा के साथ-साथ खाद्य और कृषि प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करना।
- जलवायु वित समाधान: अनुकूलन वित में वैश्विक दक्षिण को प्राथमिकता देना और जलवायु आपदाओं के बाद कमज़ोर समुदायों के पुनर्निर्माण में मदद करना।
- प्रकृति, लोग, जीवन और आजीविका: खाद्य प्रणालियों, प्रकृति-आधारित समाधानों और चरम मौसम की घटनाओं और जैव विविधता के नुकसान से बचाने के लिए तैयार।
- जलवायु प्रबंधन में समावेशिता: युवाओं की भागीदारी और विभिन्न क्षेत्रों और एजेंसियों के बीच बेहतर संवार पर ध्यान केंद्रित।

क्या COP28 से कोई फर्क पड़ेगा?

- पिछले COP के आलोचक, जिनमें प्रचारक ब्रेटा थुनबर्न भी शामिल हैं, शिखर सम्मेलनों पर "ब्रीनवॉशिंग" का आरोप लगाते हैं - जहां देश और व्यवसाय आवश्यक बदलाव किए बिना अपनी जलवायु साथ को बढ़ावा देते हैं।

- लैंकिन जैसे-जैसे विश्व नेता एकत्रित होते हैं, शिखर सम्मेलन वैश्विक समझौतों की संभावना प्रदान करते हैं जो राष्ट्रीय उपायों से परे होते हैं।
- उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, COP21 में पेरिस में सहमत 1.5°C वार्मिंग सीमा ने "लगभग-सार्वभौमिक जलवायु कार्बन" को प्रेरित किया है।
- इससे दुनिया में अपेक्षित तापमान घटाने के लिए कम करने में मदद मिली है - भले ही दुनिया अभी भी पेरिस लक्षणों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गति के आसपास भी काम नहीं कर रही है।

असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य

खबरों में क्यों?

दिल्ली उच्च न्यायालय असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य में वन विभाग के 'वॉकथॉन' कार्यक्रम पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है।

महत्वपूर्ण बिंदु

असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य

- स्थान:** दिल्ली के दक्षिणी भाग में स्थित है और हरियाणा के फुरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों तक फैला हुआ है।
- फैलाव:** दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर अरावली पठाड़ी शृंखला के दक्षिणी दिल्ली रिज पर 32.71 वर्ग किमी पर कब्जा करता है।
- कर्नेविटिवी:** राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व से दिल्ली रिज तक का एक हिस्सा है।
- वनरप्ति:** उत्तरी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के अंतर्गत वर्णीकृत।
- पौधों का अनुकूलन:** इसमें कांटों, मोम-लेपित और रसीले पत्तों जैसी जेरोफाइटिक विशेषताओं वाले पौधे शामिल हैं।
- वनरप्ति:** विदेशी प्रोसोपिस जूलीफलोरा और देशी डायोस्पायरोस मॉटाना की उपरिथिति की विशेषता।
- वन्यजीव विविधता:** गोल्डन जैकल्स, स्ट्राइप-हाइना, इंडियन क्रेस्टेड-साही, सिवेट, जंगली बिलियाँ, विभिन्न साँप, मॉनिटर छिपकली और नेवले जैसी प्रजातियों का दृश्य।



वन्यजीव अभ्यारण्य:

- वन्यजीव अभ्यारण्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां जानवरों के आवास और उनके आसपास के क्षेत्र को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचाया जाता है। इन क्षेत्रों में जानवरों को पकड़ना, मारना और अवैध शिकार करना सख्त वर्जित है। उनका उद्देश्य जानवरों को आरामदायक जीवन प्रदान करना है।

महत्व

- वन्यजीव अभ्यारण्यों की स्थापना लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए की जाती है।
- जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास से हमेशा स्थानांतरित करना काफी कठिन होता है, इसलिए उन्हें उनके प्राकृतिक वातावरण में संरक्षित करना फायदेमंद होता है।
- वन्यजीव अभ्यारण्यों में लुप्तप्राय प्रजातियों की विशेष निवासनी की जाती है। यदि वे संरक्षण के दौरान प्रजनन करते हैं और संख्या में बढ़ते हैं, तो उनके अस्थिति के लिए संरक्षण पार्कों में प्रजनन के लिए कुछ नमूने रखे जा सकते हैं।
- वन्यजीव अभ्यारण्यों में जीवविज्ञानी गतिविधियों और शोधों की अनुमति है ताकि वे वहां रहने वाले जानवरों के बारे में जान सकें।
- कुछ अभ्यारण्य धायल और परित्यक्त जानवरों को लेते हैं और उन्हें जंगल में छोड़ने से पहले स्वास्थ्य के लिए पुनर्वास करते हैं।
- वन्यजीव अभ्यारण्य लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित करते हैं और उन्हें मनुष्यों और शिकारियों से बचाते हैं।

अल्टेरा फंड

खबरों में क्यों?

UAE ने नए लॉन्च किए गए उत्प्रेरक जलवायु वाहन, ALTÉRRA के लिए 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता की घोषणा की।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इस 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता के साथ, ALTÉRRA जलवायु परिवर्तन कार्बन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवेश माध्यम बन गया है और 2030 तक वैश्विक रूपरेखा पर 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखेगा।
- इसका उद्देश्य निजी बाजारों को जलवायु निवेश की ओर ले जाना और उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा पर ध्यान केंद्रित करना है, जहां उन भौगोलिक क्षेत्रों में उच्च कथित जोखिमों के कारण पारंपरिक निवेश की कमी रही है।
- ALTÉRRA की स्थापना एक खतंत्र वैश्विक निवेश प्रबंधक लूनेट द्वारा की गई है, और यह अब धार्मिक निवेशों में स्थित है।

अल्टर्रा की आवश्यकता:

- 2030 तक, उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हर साल 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी।
- यही कारण है कि COP28 ने जलवायु वित्त को ठीक करने को अपने एक्शन एजेंडा का एक प्रमुख स्तंभ बनाया है और बड़े पैमाने पर निजी बाजारों को संगठित करने सहित महत्वाकांक्षी समाधान देने के लिए काम किया है।



अल्टर्रा के लाभ:

- ALTERRA निजी पूँजी को आकर्षित करने के लिए एक परिवर्तनकारी समाधान प्रदान करता है।
- इसका पैमाना और संरचना जलवायु केंद्रित निवेश में बहुगुणक प्रभाव पैदा करेगी, जिससे यह किसी अन्य से बेहतर वाहन बन जाएगा।
- इसका लॉन्च COP प्रेसीडेंसी के एक्शन एजेंडा और जलवायु वित्त को उपलब्ध, सुलभ और किफायती बनाने के UAE के प्रयासों को दर्शाता है।
- ALTERRA कम कार्बन अर्थव्यवस्था में वैधिक परिवर्तन में तेजी लाने और जलवायु लचीलापन बनाने के लिए COP28 के दौरान शुरू की गई वित्त-आधारित पहलों में से एक है।

अल्टर्रा की संरचना:

- ALTERRA को बढ़ावा देने के लिए एक नवोन्मेषी दो-भागीय संरचना होगी
- नए विचार, नीति और नियामक ढाँचे को प्रोत्साहन
- नई जलवायु अर्थव्यवस्था की संपूर्ण मूल्य शृंखला में तेजी से पूँजी लगाने के समाधान की पहचान करें।
- इसका चार प्रमुख प्राथमिकताओं का समर्थन करने पर एक समर्पित निवेश फोकस है जो COP28 के एक्शन एजेंडा को रेखांकित करता है, अर्थात्:
 - ऊर्जा संक्रमण
 - औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन
 - सतत जीवन
 - जलवायु प्रौद्योगिकी।

अल्टर्रा और जलवायु परिवर्तन:

- COP28 के पूर्ण समावेशिता के संदेश के अनुरूप, ALTERRA परिवर्तन सबसे कम विकसित देशों (LDCs) और छोटे द्वीप विकासशील शर्जों (SIDS) में जलवायु निवेश को आकर्षित करने के लिए रियायती वित्त का लाभ उठाने के अवसर भी पैदा करेगा।
- ALTERRA वाहन उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के बीच वैधिक चौराहे पर एक विश्वसनीय सुविधाकर्ता के रूप में संयुक्त अरब अमीरात के अग्रणी परिवर्तन में योगदान देगा।
- ALTERRA ने उद्घाटन लॉन्च साझेदार के रूप में ब्लैकरॉक, ब्रुकफिल्ड और TPG के सहयोग से ज्लोबल साउथ सहित वैधिक निवेश के लिए जलवायु-समर्पित फंड के लिए 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जारी है।

अल्टर्रा और भारत:

- वाहन की प्रारंभिक प्रतिबद्धता से, भारत में 6.0 गीगावॉट से अधिक नई रुचि ऊर्जा क्षमता के विकास के लिए तत्काल पूँजी निवेश निर्धारित किया गया है।
- इसमें 1,200 मेगावाट की पवन और सौर परियोजनाओं का निर्माण शामिल है जो 2025 तक रुचि ऊर्जा का उत्पादन शुरू कर देंगे।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) 2024

खबरों में क्यों?

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) 2024 की रिपोर्ट में 2022 के दौरान जलवायु प्रदर्शन में भारत को सातवें स्थान पर रखा गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

जाँच - परिणाम:

- भारत प्रभावी रूप से चौथे स्थान पर है क्योंकि किसी ने भी 'बहुत उच्च' प्रदर्शन श्रेणी में पहले तीन ऐक पर कब्जा नहीं किया है।
- यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और अन्य सहित अधिकांश विकसित देशों ने पिछले वर्ष की तुलना में खराब प्रदर्शन किया है, जिससे पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए आपातकालीन कार्रवाई अभी तक उनके साथ उचित रूप से पंजीकृत नहीं हुई है।
- सउदी अरब प्रदर्शन सूची में सबसे नीचे - 67वें - पर था, जबकि मेजबान देश संयुक्त अरब अमीरात 65वें स्थान पर था।

- CCPI देशों को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए 2025 तक उत्सर्जन शिखर पर पहुंचना होगा। इसके अलावा, उत्सर्जन को 2030 (बनाम 2020) के स्तर तक आधा किया जाना चाहिए।
- भारत की उच्च जनसंख्या, जो स्वचालित रूप से प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग को कम करती है, इसे जलवायु प्रदर्शन में उच्च स्थान दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाती है।
- विचार किए गए चार सूचकांकों में से, मूल्यांकन किए गए देशों में भारत GHG उत्सर्जन में 9वें और ऊर्जा उपयोग में 10वें स्थान पर था; तोनों को निम्न प्रति व्यक्ति बैंचमार्क द्वारा प्रेरित किया जा रहा है। जलवायु नीति में भी भारत सूची में शामिल देशों में 10वें स्थान पर था। नवीकरणीय ऊर्जा में, भारत 37वें स्थान पर है, जो बमूशिकल 'उच्च' प्रदर्शन श्रेणी में शेष है। पिछले वर्ष के मूल्यांकन में भारत इस श्रेणी में 24वें स्थान पर था।
- भारत को GHG उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रैंकिंग प्राप्त है, तोकिन पिछले वर्ष की तरह जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा में एक माध्यम प्राप्त हुआ है। हालाँकि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, तोकिन इसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है। हमारा डेटा दिखाता है कि प्रति व्यक्ति जीएचजी श्रेणी में, देश 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे के बैंचमार्क को पूरा करने की शह पर है। हालाँकि यह नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में थोड़ा सकारात्मक रुझान दिखाता है, यह प्रवृत्ति बहुत धीमी नीति से आगे बढ़ रही है, "रिपोर्ट पढ़ें।
- भारत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें स्पष्ट दीर्घकालिक नीतियां हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं (तोकिन)। भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को अभी भी तेल और गैस के साथ-साथ कोयले पर भारी निर्भरता से पूरा किया जा रहा है।
- इसमें कहा गया है: "यह निर्भरता जीएचजी उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत है और विशेष रूप से शहरों में गंभीर वायु प्रदूषण का कारण बनती है।" भारत दुनिया के सबसे अधिक वायु प्रदूषित देशों में से एक है।
- भारत के अलावा अमेरीका अर्थव्यवस्थाओं के बेसिक समूह के अन्य सदस्यों ने भी मूल्यांकन में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है।
- चीन ने साल भर पहले की तुलना में 51वां स्थान बरकरार रखा है। ब्राज़ील ने 15 स्थान का सुधार किया और दक्षिण अफ्रीका समान बैंचमार्क पर एक स्थान फिसल गया।
- विकसित देशों में इटली रैंकिंग में 15 स्थान, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस नौ स्थान, जापान आठ स्थान और संयुक्त राज्य अमेरिका पांच स्थान पीछे रिसक गया है। जर्मनी और यूरोपीय संघ में मामूली सुधार हुआ।

CCPI

- जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) अंतरराष्ट्रीय जलवायु शजनीति में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जर्मन पर्यावरण और विकास संगठन जर्मनवॉच द्वारा डिजाइन की गई एक स्कोरिंग प्रणाली है।
- मानकीकृत मानदंडों के आधार पर, सूचकांक 63 देशों और यूरोपीय संघ (EU) के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन और तुलना करता है।
- CCPI पहली बार 2005 में प्रकाशित हुआ था और इसका अद्यातन संस्करण हर साल संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है।
- जर्मनवॉच न्यूटलाइमेट इंस्टीट्यूट और वलाइमेट एवेशन नेटवर्क इंटरनेशनल के सहयोग से और बार्थेल फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से सूचकांक प्रकाशित करता है।

**क्रियाविधि**

- 2017 में, CCPI की अंतर्निहित कार्यप्रणाली को संशोधित किया गया और 2015 से पेरिस समझौते की नई जलवायु नीति रूपरेखा के लिए अनुकूलित किया गया।
- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) और देश के 2030 लक्ष्यों की दिशा में देश की प्रगति के माप को शामिल करने के लिए CCPI का विस्तार किया गया था।

राष्ट्रीय प्रदर्शन का मूल्यांकन निम्नलिखित चार श्रेणियों में 14 संकेतकों के आधार पर किया जाता है:

- GHG उत्सर्जन (भार 40%)
- नवीकरणीय ऊर्जा (भार 20%)
- ऊर्जा उपयोग (भार 20%)
- जलवायु नीति (भार 20%)
- तीन श्रेणियां "GHG उत्सर्जन", "नवीकरणीय ऊर्जा" और "ऊर्जा उपयोग" प्रत्येक को चार समान रूप से भारित संकेतकों द्वारा परिभाषित किया गया है: (1) वर्तमान स्तर, (2) हालिया विकास (5-वर्षीय प्रवृत्ति), (3) 2° वर्तमान प्रदर्शन की सी अनुकूलता, और (4) 2030 तक की 2 डिग्री सेल्सियस अनुकूलता।
- इन 12 संकेतकों को दो संकेतकों द्वारा पूरक किया जाता है, जो अपने राष्ट्रीय जलवायु नीति ढांचे और कार्यान्वयन के साथ-साथ "जलवायु नीति" श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कूटनीति के संबंध में देश के प्रदर्शन को मापते हैं।

- "जलवायु नीति" श्रेणी के डेटा का मूल्यांकन एक व्यापक शोध अध्ययन में प्रतिवर्ष किया जाता है। इसका आधार गैर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों और देशों के थिंक टैंकों के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञों द्वारा प्रदर्शन रेटिंग है जिसका मूल्यांकन किया जाता है।
- एक प्राचीनतम् में, उत्तरदाता अपनी सरकारों के सबसे महत्वपूर्ण उपायों पर रेटिंग देते हैं।
- परिणामों को बहुत उच्च, उच्च, मध्यम, निम्न या बहुत निम्न के रूप में मूल्यांकित किया जाता है।

COP28 शिखर सम्मेलन में 'जीवाश्म ईंधन से 'संक्रमण दूर' करने का आवान किया गया

खबरों में क्यों?

वार्ताकारों ने दुबई सर्वसम्मति नामक प्रस्ताव को अपनाया; यह पाठ उत्सर्जन पर विकसित और विकासशील देशों के बीच एक समझौते को दर्शाता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- जीवाश्म ईंधन से दूर संक्रमण:** एक ऐतिहासिक कदम में, दुबई में एकत्रित देशों ने छाल ही में दुबई सर्वसम्मति को अपनाया, एक संकल्प जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन से दूर जाने और 2050 तक शुद्ध-शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त करने की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करना है।
- शमन:** यह संकल्प, पार्टीयों के 28वें सम्मेलन (COP28) का एक उत्पाद है, जो कुछ समझौतों और चुनौतियों के बावजूद, जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

दुबई सर्वसम्मति: संक्रमण बनाम चरण-आउट

- 21 पेज के पाठ का असाधारण खंड "पार्टीयों से ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूर, अवित, व्यवस्थित और न्यायसंगत तरीके से बदलाव करने का आह्वान करता है।"
- छालांकित, यह भाषा एक समझौते का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि पहले के मसौदे में जीवाश्म ईंधन को पूरी तरह से "चरणबद्ध तरीके से समाप्त" करने का आह्वान किया गया था।
- चरणबद्ध तरीके से परिवर्तनकारी टेक्नोलॉजी में बदलाव विकसित और विकासशील देशों के बीच जाजुक संतुलन को दर्शाता है।

2050 तक नेट जीयो की तात्कालिकता

- जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC): वैज्ञानिक आकलन, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) द्वारा, इस बात पर जोर दिया गया है कि 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य: दुबई सर्वसम्मति इस अनिवार्यता को स्वीकार करती है, जिसमें 2030 तक उत्सर्जन में 2019 के खंड का 43% और 2035 तक 60% की कटौती का लक्ष्य रखा गया है।

समझौते और आलोचनाएँ

- भाषा सीमा का विस्तार: CoP 28 में बातचीत को ओवरटाइम तक बढ़ाया गया, जिसमें कमजोर देशों और मजबूत जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता वाले देशों द्वारा असंतोष व्यक्त किया।
- छोटा समझौता: जबकि कुछ कमजोर देशों ने तर्क दिया कि यह समझौता जीवाश्म ईंधन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, सउदी अरब और मिस्र सहित अन्य ने विकसित देशों से वादा किए गए धन के वास्तविक कार्यान्वयन और वितरण पर सवाल उठाया।

फिंडिंग प्रतिबद्धताएँ और हानि एवं क्षति

- हानि और क्षति निधि: समझौतों के बीच, COP 28 में उल्लेखनीय सफलताएँ देखी गईं, जिसमें जलवायु आपदाओं से निपटने वाले देशों की सहायता के लिए डिज़ाइन की गई हानि और क्षति निधि के लिए \$750 मिलियन की प्रतिबद्धता भी शामिल है।
- इसके अतिरिक्त, वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों में तेजी लाने के लिए मुख्य सीओपी पाठ के बाहर 85 मिलियन डॉलर की प्रतिज्ञा की गई थी।

भाषा का कमजोर होना और अनुकूलन की चुनौतियाँ

- भाषा में समझौता: दुबई सर्वसम्मति का अंतिम पाठ भाषा में समझौते को दर्शाता है, 'फ्रेज़-आउट' और कोयले में कमी के संदर्भों को कम करता है।
- ऊर्जा का स्थानांतरण: विशेष रूप से, भारत जैसे देशों के लिए जो ऊर्जा के लिए कोयले पर बहुत आधिक निर्भर हैं, "तेजी से चरणबद्ध कमी" से "निरंतर कोयला ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से कम करने की दिशा में प्रयासों में तेजी लाने" की ओर बदलाव एक सूक्ष्म समझौते का प्रतिनिधित्व करता है।

टूटे हुए गाड़े और कार्बन स्पेस

- टूटे हुए गाड़े: प्रमुख चुनौतियों में से एक विकासशील देशों को जीवाश्म ईंधन से दूर जाने में सहायता करने के लिए विकसित देशों से वित्तीय सहायता के टूटे हुए गाड़े में निहित हैं।
- \$100 बिलियन की प्रतिबद्धता: 2025 तक सालाना 100 बिलियन डॉलर जुटाने की 2009 की प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफलता को दुबई सर्वसम्मति में "गहरे अफसोस" के साथ नोट किया गया है।

- कार्बन स्पेस:** इसके अलावा, कार्बन स्पेस की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है, विकासशील देश इस बात पर जोर दे रहे हैं कि शेष क्षमता को उनके विकास के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए।
- नेट-शून्य पहले का लक्ष्य:** विकासित देशों से पहले (2035-2040) नेट-शून्य तक पहुँचने के आहान का उद्देश्य विकासशील देशों को आवश्यक कार्बन स्थान प्राप्त करना है।
- दुबई सर्वसम्मति नियमों** एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए वैष्णविक प्रतिबद्धता का संकेत देती है।
- हालांकि,** पाठ में किए गए समझौते और कार्यान्वयन और वित्तपोषण में चुनौतियाँ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आम सहमति तक पहुँचने की जटिलता को रेखांकित करती हैं।
- जैसा कि** दुनिया एक स्थायी भविष्य के लिए प्रयास कर रही है, जीवाश्म ईंधन से दूर प्रभावी परिवर्तन और 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए चल रहे विचार-विमर्श और कार्य आवश्यक होंगे।

सैगा मृग

खबरों में क्यों?

इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) की रेड लिस्ट में साइगा मृग (सैगा टाटारिका) की स्थिति को गंभीर रूप से तुम्प्राय से बदलकर लगभग खतरे में डाल दिया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- सैगा मृग** (सैगा टाटारिका और S. बौरेलिस मॉगोलिका) मध्य एशिया का एक बड़ा प्रवासी शाकाहारी जानवर है जो कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूसी संघ, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। साइगा आम तौर पर खुले शुष्क मैदानी घास के मैदानों और अर्ध-शुष्क रेगिस्तानों में निवास करता है।
- बड़े आकार और लचीली नाक** वाले इस मृग की उपस्थिति बेहद असामान्य है, जिसकी आंतरिक संरचना एक फिल्टर की तरह काम करती है। गर्भियों के दौरान यह झुंड द्वारा उड़ाई गई धूत को छानता है और सर्टियों के दौरान फेफड़ों में जाने से पहले ठंडी हवा को गर्म करता है।
- वसंत ऋतु में मादा सैगा** के बड़े झुंड इकट्ठा होते हैं और प्रजनन क्षेत्रों की ओर पतायन करते हैं। गर्भियों में झुंड छोटे-छोटे समूहों में बंट जाते हैं और पतझड़ में वे सर्टियों के मैदानों में जाने के लिए फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। यात्रा की तंबाई मौसम और वारा स्थितियों के आधार पर भिन्न होती है।
- हालांकि,** यह प्रति वर्ष 1,000 किमी तक पहुँच सकता है। उनका प्रवास मार्ग आम तौर पर उत्तर-दक्षिण दिशा का अनुसरण करता है। हालांकि, इसका एक खानाबदोश पैटर्न भी है।
- 1990 के दशक में साइगा आबादी में भारी गिरावट (~95%) आई और इसकी सीमा में संख्या 1.5 मिलियन से घटकर 50,000 हो गई। अवैध शिकार के कारण इतनी भारी गिरावट आई।
- दूसरी पारंपरिक चीजों में सैगा सींगों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कठिन आर्थिक परिस्थितियों और स्थानीय मानव आबादी की दरिद्रता और कमज़ोर नियंत्रण के कारण अवैध व्यापार अधिक व्यापक हो गया।
- वर्तमान में साइगा की पाँच उप-आबादियाँ हैं: सबसे बड़ी आबादी मध्य कजाकिस्तान (बोतपाक डाला) में निवास करती है, दूसरा सबसे बड़ा समूह कजाकिस्तान और रूसी संघ में उत्तर में पाया जाता है, अन्य रूसी संघ में कलमीकिया और दक्षिणी कजाकिस्तान और उत्तर-पश्चिमी उज्बेकिस्तान में उस्त्युर्ट पठार क्षेत्र से संबंधित हैं।
- मंगोलियाई सैगा की आबादी देश के पश्चिम में होती है। सभी उप-आबादी को मिलाकर वर्तमान जनसंख्या संख्या लगभग 200,000 साइगा है। अवैध शिकार एक प्रमुख खतरा बना हुआ है, तथोंकि सैगा सींगों की मांग अधिक बढ़ी हुई है और इन्हें अवैध रूप से काले बाज़ार में बेचा जाता है।
- संभवतः** बीमारियों के कारण बड़े पैमाने पर मृत्यु दर में वृद्धि (2010 से प्रतिवर्ष होने वाली) एक और खतरा पैदा करती है। अंत में, निष्कर्षण उद्योगों का विकास और संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास साइगा आवासों के विरुद्ध और गिरावट का कारण बनता है। सैगा की एक प्रमुख विशेषता नीचे की ओर निर्देशित, निकट दूरी पर फूले हुए नासिका छिद्रों की जोड़ी है।
- चेहरे की अन्य विशेषताओं में गालों और नाक पर काले निशान और लंबे कान शामिल हैं।
- गर्भियों के प्रवास के दौरान, साइगा की नाक झुंड द्वारा उड़ाई गई धूत को छानने में मदद करती है और जानवर के खून को ठंडा करती है। सर्टियों में, यह ठंडी हवा को फेफड़ों तक ले जाने से पहले गर्म कर देता है।
- केवल पुरुषों के पास ही सींग होते हैं।
- सैगा बहुत बड़े झुंड बनाते हैं जो अर्द्धेरिगिस्तानों, मैदानों, घास के मैदानों और संभवतः खुले जंगलों में चरते हैं, पौधों की कई प्रजातियों को खाते हैं, जिनमें कुछ अन्य जानवरों के लिए जहरीले होते हैं।



- वे लंबी दूरी तय कर सकते हैं और निर्दियों को तैर कर पार कर सकते हैं, लेकिन वे खड़ी या ऊबड़-खाबड़ इलाकों से बचते हैं।
- ऑटोग्रिक पैमाने पर अवैध शिकार ने साइंगा की नाटकीय गिरावट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन यह किसी भी तरह से एकमात्र कारक नहीं है।
- निवास स्थान की हानि और विस्थान, भयावह बीमारी का प्रकोप और ऐतिहासिक प्रवास मार्गों तक बढ़ती प्रतिबंधित पहुंच ने भी भारी नुकसान उठाया है।

आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2023

खबरों में क्यों?

एक हालिया अध्ययन के अनुसार, अलास्का की खटकेशी संरक्षितियों में मछली पकड़ने और संबंधित गतिविधियों का महत्वपूर्ण प्रभाव है।

महत्वपूर्ण बिंदु


- सबसे गर्म गर्मी: वर्ष 2023 ने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है क्योंकि आर्कटिक ने रिकॉर्ड पर अपनी सबसे गर्म गर्मी का अनुभव किया है, जिसने पूरे क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र और समुदायों पर गहरा प्रभाव डाला है।
- बर्फ का पिघलाना: कनाडा में भीषण जंगल की आग से लेकर ब्रीनलैंड में अभूतपूर्व पिघलने तक, जलवायु परिवर्तन के संकेत निर्विवाद हैं।

कनाडा में बढ़ता तापमान और जंगल की आग

- बढ़ता तापमान: कनाडा को गर्मियों में उथल-पुथल का सामना करना पड़ा क्योंकि बढ़ते हवा के तापमान और शुष्क परिस्थितियों के संयोजन के कारण जंगल की आग ने लोगों को खाली करने के लिए मजबूर किया।
- जलदी बर्फ पिघलाना: उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में बर्फ जलदी पिघलने की घटना देखी गई, जिससे विशाल क्षेत्र तीव्र गर्मी की चपेट में आ गए, जिससे उत्तर अमेरिकी बर्फबारी रिकॉर्ड रुक पर कम हो गई।
- व्यापक प्रभाव: नवंबर 2023 तक, 70,000 वर्ग मील का चौंका देने वाला क्षेत्र जंगल की आग की भैंस चढ़ चुका था, जो जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों को दर्शाता है।

गर्म पानी: मैकेंज़ी नदी और समुद्री बर्फ की गिरावट की भूमिका

- मैकेंज़ी नदी और गर्म पानी: शक्तिशाली मैकेंज़ी नदी ने वार्मिंग की प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ब्यूफोर्ट सागर में गर्म पानी पहुंचाया, समुद्री बर्फ पिघलने में तेजी लाई और अलास्का के समुद्र तट को प्रभावित किया।
- साइबेरिया में समुद्री बर्फ की गिरावट: इसी तरह के पैटर्न पश्चिमी साइबेरिया में देखे गए, जिससे झस के उत्तर में कारा और लापतेव समुद्र में समुद्री बर्फ की गिरावट बढ़ गई।
- बढ़ते गिरते तापमान: आर्कटिक की घटती समुद्री बर्फ बढ़ते तापमान में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरती है, जो गर्मी अवशोषण और रिलीज के चक्र को कायम रखती है।



सबसी पर्माफ्रॉस्ट: एक जलवायु गइल्ड कार्ड

- 2023 आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड: 2023 आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड समुद्र के नीचे के पर्माफ्रॉस्ट के अज्ञात क्षेत्र पर प्रकाश डालता है, जो समुद्र के गर्म तापमान के कारण एक छिपा हुआ खतरा बढ़ रहा है।
- समुद्र के अंदर पर्माफ्रॉस्ट का पिघलाना: समुद्र के नीचे के पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने के विशाल विस्तार के साथ, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ब्लोबल वार्मिंग और महासागर के अम्लीकरण के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है।
- अनुसंधान की आवश्यकता: रिपोर्ट संभावित परिणामों की सीमा और तीव्रता का आकलन करने के लिए अनुसंधान की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

खटकेशी समुदायों पर प्रभाव: बाधित जीवन और आजीविका

- खटकेशी समुदाय: आर्कटिक निवासी, विशेष रूप से खटकेशी समुदाय, जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रभावों से जूझ रहे हैं।
- समुद्री बर्फ के पैटर्न में बदलाव: समुद्री बर्फ के पैटर्न में बदलाव, यात्रा के लिए अविश्वसनीय नदी बर्फ, और पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने के कारण बुनियादी ढांचे का झूबना जीवन के पारंपरिक तरीकों को बाधित कर रहा है।
- पश्चिमी अलास्का: यह लेख पश्चिमी अलास्का में खटकेशी समुदायों के संघर्षों पर प्रकाश डालता है, जहां चिनूक सैल्मन की गिरावट सांख्यिक प्रथाओं और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालती है, जो जलवायु परिवर्तन के मानवीय आयाम को रेखांकित करती है।

अनुकूलन और उपचार: परिवर्तन की स्थिति में पहल

- समुदायों का अनुकूलन: चुनौतियों के बीच, समुदाय अपने परिवर्त्यों को ठीक करने के लिए अनुकूलन और प्रयास शुरू कर रहे हैं।
- सामी ऐनडियर चरवाहों और संरक्षणवादियों: फिनलैंड में, सामी ऐनडियर चरवाहों और संरक्षणवादियों के बीच सहयोग का उद्देश्य अपमानित ऐनडियर निवास स्थान को बहाल करना है, साथ ही सांख्यिक प्रथाओं को संरक्षित करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना है।

अभूतपूर्व परिवर्तन की स्थिति में कार्बोर्वाई का आवान

- बूँदी का आर्कटिक में तापमान वैश्विक औसत से तीन गुना तेज गति से बढ़ रहा है, 2023 आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों की एक रपट अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है।
- आँकड़ों से पेरे, यह पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण पहले से ही बाधित जीवन और संस्कृतियों पर प्रकाश डालता है।
- जलवायु परिवर्तन से निपटने और आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए सामूहिक कार्बोर्वाई की तात्कालिकता कभी इतनी रपट नहीं रही।

शीतकालीन अयनांत

खबरों में क्यों?

21 दिसंबर या शीतकालीन संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन है।


महत्वपूर्ण बिंदु

संक्रांति के बारे में

- इस शब्द का लौटिन अर्थ है "रका हुआ सूरज"। यह साल में दो बार होने वाली प्राकृतिक घटना है जो ग्रह के प्रत्येक गोलार्ध में गर्मी और सर्दी दोनों में होती है।

शीतकालीन संक्रांति क्या है?

- उत्तरी गोलार्ध में, इसे अक्सर "सर्दियों का पहला दिन" और "हिमल संक्रांति या हाइबरनल संक्रांति" के रूप में जाना जाता है।
- यह साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी शत होती है।
- इस समय, मकर रेखा (23.5° दक्षिण) वह जगह है जहां सूर्य सिर के ऊपर चमकता है, उत्तरी गोलार्ध के देश सूर्य से सबसे दूर हैं।
- कर्क और मकर रेखाएं, जो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में हैं, 23.5° अक्षांश पर स्थित हैं।
- आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त, उत्तर और दक्षिण में, 66.5° पर हैं।
- किसी स्थान का अक्षांश बताता है कि वह भूमध्य रेखा से कितनी दूर है।
- 21 जून, ग्रीष्म संक्रांति को, वर्तमान परिवृत्त को उलटते हुए, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा।
- वैदिक परंपरा के अनुसार, सूर्य सिद्धांत, जो उत्तरायण (मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति के बीच का समय) का वर्णन करता है, अप्रत्यक्ष रूप से आकाशीय क्षेत्र पर पृथ्वी के उत्तरी प्रवास को स्वीकार करता है।
- इसलिए, उत्तरायण का पहला दिन शीतकालीन संक्रांति है।



संक्रांति के पीछे का भूगोल

- दिन की लंबाई अलग-अलग होने का कारण पृथ्वी का झुकाव है।
- पृथ्वी के घूर्णन अक्ष का उसके कक्षीय तल के संबंध में झुकाव 23.5° है।
- इस झुकाव के साथ-साथ पृथ्वी के घूमने और कक्षा जैसे अन्य कारकों के कारण सूर्य के प्रकाश की अवधि में परिवर्तन के कारण ग्रह पर हर जगह दिन की लंबाई अलग-अलग होती है।
- वर्ष के आधे समय में सूर्य की ओर झुकाव के कारण, उत्तरी गोलार्ध में सीधी धूप के साथ लंबे गर्मी के दिनों का आनंद मिलता है।
- वर्ष के दूसरे भाग में यह सूर्य से दूर झुक जाता है, जिसके परिणामस्वरूप दिन छोटे हो जाते हैं।
- झुकाव पृथ्वी के अलग-अलग मौसमों का भी कारण है।
- इस घटना के कारण वर्ष में मौसमी बदलाव आते हैं, जिसके कारण सूर्य उत्तरी से दक्षिणी गोलार्ध की ओर स्थानांतरित हो जाता है और इसके विपरीत।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फंड (KMGBF)

खबरों में क्यों?

महत्वाकांक्षी कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (KMGBF) को जैविक विविधता सम्मेलन (CBD) के 15वें पार्टियों के सम्मेलन (COP15) में अपनाए हुए एक साल बीत चुका है।

महत्वपूर्ण बिंदु

पृष्ठभूमि

- ग्रह पर मानवीय गतिविधियाँ दुनिया भर में जैव विविधता के नुकसान का संकट पैदा कर रही हैं। इस घटना को छोलोसीन विलुप्ति

- के रूप में जाना जाता है, जो पृथ्वी के इतिहास में छठी सामूहिक विलुप्ति की घटना है। प्रकृति में गिरावट से दस लाख प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा है और अरबों लोगों पर असर पड़ता है।
- जैव विविधता संकट के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण, दुनिया भर के नागरिकों और निवेशकों पर जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता छानि के परस्पर जुड़े संकटों से निपटने के लिए कार्रवाई करने का दबाव था।
 - जलवायु परिवर्तन के लिए पहले से ही एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तत्वावधान में पेरिस समझौता, लेकिन सीबीडी के विकास तक, जैव विविधता की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित कार्यों के लिए कोई समान रूपरेखा नहीं थी।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा (GBF)

- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (GBF) 2022 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का परिणाम है।
- GBF को 19 दिसंबर 2022 को जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) में पार्टीयों के 15वें सम्मेलन (COP15) द्वारा अपनाया गया था।
- इसे "प्रकृति के लिए पेरिस समझौते" के रूप में प्रचारित किया गया है।



लक्ष्य

- GBF में 4 वैश्विक लक्ष्य ("2050 के लिए कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक लक्ष्य") और 23 लक्ष्य ("कुनमिंग-मॉन्ट्रियल 2030 वैश्विक लक्ष्य") शामिल हैं।

चार लक्ष्य हैं:

- पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता, लचीलापन और कनेक्टिविटी को बनाए रखा जाता है, बढ़ाया जाता है या बढ़ावा दिया जाता है, जिससे 2050 तक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्र में काफी वृद्धि होती है, और खतरे वाली प्रजातियों के मानव-प्रेरित विलुप्त होने को रोक दिया जाता है, और 2050 तक विलुप्त होने की दर और जोखिम बढ़ जाता है सभी प्रजातियों दस गुना कम हो गई हैं, और देशी जंगली प्रजातियों की बहुतायत स्वरूप और लचीले स्तर पर बढ़ गई है; और यह कि जंगली और पालतू प्रजातियों की आबादी के भीतर आनुवंशिक विविधता को बनाए रखा जाता है, जिससे उनकी अनुकूली क्षमता सुरक्षित रहती है।
- जैव विविधता का निरंतर उपयोग और प्रबंधन किया जाता है और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों और सेवाओं सहित लोगों के लिए प्रकृति के योगदान को महत्व दिया जाता है, बनाए रखा जाता है और बढ़ाया जाता है, साथ ही जो वर्तमान में गिरावट में हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाता है, जिससे 2050 तक वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए सतत विकास की उपलब्धि का समर्थन किया जाता है।
- आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से मौद्रिक और गैर-मौद्रिक लाभ, और आनुवंशिक संसाधनों पर डिजिटल अनुक्रम जानकारी, और आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान, जैसा लागू हो, उचित और न्यायसंगत रूप से साझा किया जाता है, जिसमें खदेशी लोगों और स्थानीय लोगों के साथ उचित रूप से शामिल किया जाता है समुदायों, और 2050 तक काफी हृद तक वृद्धि हुई है, जबकि आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान को उचित रूप से संरक्षित किया गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत पहुंच और लाभ-साझाकरण उपकरणों के अनुसार जैव विविधता के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग में योगदान मिलता है।
- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे को पूरी तरह से लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों, क्षमता-निर्माण, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग और प्रौद्योगिकी तक पहुंच और दृष्टांतरण सहित कार्यान्वयन के पर्याप्त साधन सभी पक्षों, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए सुरक्षित और समान रूप से सुलभ हैं। विशेष रूप से सबसे कम विकसित देश और छोटे द्वीप विकासशील राज्य, साथ ही संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था वाले देश, प्रति वर्ष 700 बिलियन डॉलर के जैव विविधता वित अंतर को उत्तरोत्तर कम कर रहे हैं, और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे और जैव विविधता के लिए 2050 विजन के साथ वित्तीय प्रवाह को संरेखित कर रहे हैं।

23 लक्ष्यों को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है:

- जैव विविधता के खतरों को कम करना
- सतत उपयोग और लाभ-साझाकरण के माध्यम से लोगों की जरूरतों को पूरा करना।
- कार्यान्वयन और मुख्यधारा में लाने के लिए उपकरण और समाधान।
- "लक्ष्य 3" को विशेष रूप से "30 गुणा 30" लक्ष्य के रूप में जाना जाता है।
- यह जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना 2011-2020 (आइची जैव विविधता लक्ष्य सहित) को सफल बनाता है।
- यह निर्दिष्ट करता है कि देशों को खनन और औद्योगिक मछली पकड़ने जैसी जंगल को नष्ट करने वाली गतिविधियों पर संबिली देना बंद कर देना चाहिए।

निहितार्थ

जीबीएफ के कार्यान्वयन से संबंधित: निम्नलिखित प्रभाव होंगे:

- डेटा का अनिवार्य प्रकृति-संबंधी खुलासा कंपनियों को जैव विविधता और प्राकृतिक दुनिया पर अपने प्रभावों का खुलासा करना होगा।

- प्रकृति-संरक्षण का वित्तीय प्रवाह में वृद्धि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रकृति को पुनर्स्थापित करने वाली परियोजनाओं में निवेश करना होगा।
- जैव विविधता तक्ष्य कॉर्पोरेट प्रशासन का एक अनिवार्य हिस्सा बनेगा।
- केंद्रीय बैंकों और उनके शासी संस्थानों को अपने अधिकार के मुख्य भाग के रूप में प्रकृति के नुकसान से उत्पन्न जोखिमों को संबोधित करने की आवश्यकता होगी।
- GBF प्रकृति की रक्षा के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीति संरेखण को सक्षम करेगा।
- GBF कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है, लेकिन दुनिया भर के देशों में इसका बड़ा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है क्योंकि वे नई योजनाओं और नियमों के विकास के माध्यम से अपने लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
- उदाहरण के लिए, संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार किया जाएगा और मछली पकड़ने जैसी पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी गतिविधियों के लिए सब्सिडी को पुनर्निर्देशित करना होगा।



RBI, बैंक ऑफ इंडिया ने CCIL मुद्रे में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

खबरों में क्यों?

विलयिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) से संबंधित सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और बैंक ऑफ इंडिया (BOE) ने हाल ही में विलयिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) से संबंधित सहयोग और सूचना विनिमय पर केंद्रित एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

CCIL की भूमिका:

- CCIL एक केंद्रीय प्रतिपक्ष (CCP) है, जो भारत में सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और मुद्रा बाजारों से संबंधित लेनदेन में समाशोधन और निपटान के लिए महत्वपूर्ण है।
- CCIL के लिए नियामक नियीक्षण आरबीआई के द्वायरे में आता है।

सहयोग के लिए लप्पेखा

- हस्ताक्षित MoU एक लप्पेखा स्थापित करता है जिसमें BOE यूके की पितीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए RBI की नियामक और पर्याप्ति गतिविधियों पर निर्भर करता है।
- यह समझौता अंतरराष्ट्रीय समाशोधन गतिविधियों के लिए सीमा पार सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है।



CCIL की मान्यता प्रक्रिया:

- जनवरी में, CCIL ने तीसरे देश के केंद्रीय प्रतिपक्ष (TC-CCP) के रूप में मान्यता के लिए बैंक ऑफ इंडिया में आवेदन किया था।
- समझौता ज्ञापन CCIL के आवेदन के BOE के मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है, जो CCIL के माध्यम से लेनदेन में शामिल होने के लिए UK स्थित बैंकों के लिए एक शर्त है।

UK-आधारित ऋणदाताओं के लिए निहितार्थ:

- यह समझौता बार्कलेज और रेटेंडर्ड चार्टर्ड सहित यूके स्थित ऋणदाताओं को राहत देता है, जिससे उन्हें भारत में ग्राहकों को समाशोधन और निपटान सेवाएं प्रदान करना जारी रखने की अनुमति मिलती है।

सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC)

खबरों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) सीमा पार लेनदेन के लिए समय और लागत को कम करने का एक उपकरण बन सकती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

CBDC क्या है?

- CBDC किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा का एक रूप है।
- वे क्रिप्टोकरेसी के समान हैं, सिवाय इसके कि उनका मूल्य केंद्रीय बैंक द्वारा तय किया जाता है और देश की फिएट मुद्रा के बराबर होता है।
- भारत में CBDC की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी।

फिएट मनी

- फिएट मनी एक सरकार द्वारा जारी मुद्रा है जिसे शोने या चांदी जैसी भौतिक वस्तु का कोई समर्थन नहीं है।
- इसे कानूनी निविदा का एक रूप माना जाता है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए किया जा सकता है।



CBDC की आवश्यकता

- वित्तीय समावेशन: पारंपरिक बैंकिंग तक पहुंच नहीं रखने वाले लोग लेनदेन, भुगतान और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए CBDC का उपयोग कर सकते हैं।
- भुगतान में दक्षता: CBDC लेनदेन लागत और निपटान समय को कम करके भुगतान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और तेज कर सकते हैं।
- संकट प्रतिक्रिया: CBDC का उपयोग केंद्रीय बैंक को अर्थव्यवस्था में अधिक तेज़ी से तरलता लाने के लिए एक साधन प्रदान करके वित्तीय संकट या आपात स्थिति का जवाब देने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है।
- सीमा पार से भुगतान बढ़ाना: CBDC तेज़ी से और अधिक कुशल सीमा पार से भुगतान की सुविधा प्रदान कर सकता है, जिससे संवाददाता बैंकों और मध्यस्थीयों पर निर्भरता कम हो सकती है।
- नकली मुद्रा से मुकाबला: केंद्रीय बैंक CBDC लेनदेन की वास्तविक समय की निगरानी लागू कर सकते हैं जो किसी भी असामान्य या संदिग्ध गतिविधियों का तुरंत पता लगाने की अनुमति देता है, जिससे जातसाजी को रोकने में मदद मिलती है।

CBDC की चिंताएं

- डिजिटल निरक्षरता: भारत की आबादी वर्तमान में मुद्रा के डिजिटल रूपों से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं हैं।
- डेटा सुरक्षा: CBDC के उपयोग में व्यापक वित्तीय डेटा का संग्रह और प्रसंरकरण शामिल है, जिससे डेटा सुरक्षा और साइबर हमलों की संभावना के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं।
- सरकारी निगरानी: CBDC सरकारों को वित्तीय लेनदेन की निगरानी और नियंत्रण के लिए अधिक व्यापक उपकरण प्रदान कर सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत गोपनीयता और नागरिक स्वतंत्रता के बारे में चिंताएं बढ़ सकती हैं।
- अपराध से बचाव: यदि ठीक से विनियमित और निगरानी न की जाए, तो इसका उपयोग अवैध व्यापार, आपराधिक गतिविधियों और संगठित अपराधों के लिए किया जा सकता है।
- परिचालन जोखिम: CBDC के लिए नई तकनीक को अपनाने से सिस्टम विफलता, साइबर खतरे और तकनीकी गड़बड़ियां जैसे परिचालन जोखिम उत्पन्न होते हैं।
- समावेशन के मुद्दे: यदि CBDC मुद्रा का प्रमुख रूप बन जाता है तो डिजिटल तकनीक तक पहुंच नहीं रखने वालों को वित्तीय प्रणाली से बाहर रखा जा सकता है।
- कानूनी अनिश्चितताएं: CBDC के लिए कानूनी रिस्ट्रिक्शन और ढांचा अभी भी विकसित हो रहा है, जिससे दायित्व, उपभोक्ता संरक्षण और अनुबंध प्रवर्तन जैसे मुद्दों के संबंध में अनिश्चितताएं पैदा हो रही हैं।

CBDC की स्थिति

- वैश्विक परिवर्ष: बहामास, जमैका और नाइजीरिया ने CBDC की शुरुआत की है। चीन, अमेरिका, यूरोप, घाना, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे अन्य देशों ने इसे पायलट आधार पर लॉन्च किया है।
- भारतीय परिवर्ष: 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल रूपया-रिटेल सेगमेंट (e-R) का पहला पायलट लॉन्च किया।

RBI व्लाउड स्टोरेज सेवाएं प्रदान करेगा

खबरों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत में वित्तीय क्षेत्र के लिए व्लाउड सुविधा स्थापित करने पर काम कर रहा है क्योंकि इसका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र के डेटा की सुरक्षा, अखंडता और गोपनीयता को बढ़ाना है।

महत्वपूर्ण बिंदु

सेंट्रल बैंक का नया उद्दम

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) व्लाउड सेवाओं के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार है, जो खुद को अमेरिका, ग्रूल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे वैश्विक दिग्नजों के साथ सीधे प्रतिरप्द्य में खड़ा करेगा।
- इस महत्वाकांक्षी कठम का उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा रखे गए डेटा की बढ़ती मात्रा का लाभ उठाना है।
- व्लाउड सेवाएं इंटरनेट पर कंप्यूटिंग संसाधनों, जैसे स्टोरेज, प्रोसेसिंग पावर और एप्लिकेशन की डिलीवरी को संदर्भित करती हैं। भौतिक बुनियादी ढांचे और ऑन-साइट प्रबंधन की आवश्यकता को समाप्त करते हुए, उपयोगकर्ता दूरस्थ रूप से इन सेवाओं तक पहुंच और उपयोग कर सकते हैं।



रणनीतिक तर्क

- RBI की पहले डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) स्थापित करने की सरकार की रणनीति के अनुरूप है।

- इस टेक्नोलॉजी का पालन करते हुए, केंद्रीय बैंक की सहायक कंपनी अंतर्निहित प्रौद्योगिकी विकासित करेगी, बाट में इसके अनुप्रयोग विकास को निजी क्षेत्र को आउटसोर्स करेगी।
- यह आधार और यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जैसे सफल कार्यान्वयन को दर्शाता है।

वित्तीय डेटा सुरक्षा बढ़ाना

- वित्तीय क्षेत्र के लिए प्रस्तावित वलाउड सुविधा का उद्देश्य बैंकों द्वारा रखे जाने वाले डेटा की बढ़ती मात्रा को संबोधित करना है।
- RBI इस बात पर जोर देता है कि यह पहल न केवल डेटा सुरक्षा को बढ़ाएगी बल्कि वित्तीय क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अखंडता और गोपनीयता मानकों को भी बनाए रखेगी।

वित्तीय जगत में ग्लाउड सेवाओं का अनुप्रयोग:

कई फायदों के कारण ग्लाउड सेवाओं को वित्तीय क्षेत्र में व्यापक प्रयोज्यता मिलती है:

- लागत दक्षता:** वलाउड सेवाएं वित्तीय संस्थानों को IT बुनियादी ढांचे में भारी अंग्रिम निवेश से बचने की अनुमति देती हैं, जिससे पूँजीगत व्यय कम हो जाता है। वे लागत को अनुकूलित करते हुए मांग के आधार पर संसाधनों को ऊपर चा नीचे कर सकते हैं।
- लावीलापन और मापनीयता:** वित्तीय संगठन अवसर कार्यभार में उतार-चढ़ाव का अनुभव करते हैं। वलाउड सेवाएं संसाधनों को गतिशील रूप से रखें करने की लावीलापन प्रदान करती हैं, वरम समय के दौरान इष्टतम प्रदर्शन और शांति के दौरान दक्षता सुनिश्चित करती हैं।
- डेटा सुरक्षा:** प्रतिष्ठित वलाउड सेवा प्रदाता मजबूत सुरक्षा उपायों को लाना करते हैं, जो अक्सर व्यक्तिगत फर्मों की उपलब्धि से भी आगे निकल जाते हैं। यह डेटा सुरक्षा को बढ़ाता है, जो संवेदनशील वित्तीय जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है।
- सहयोग और रिमोट एक्सेस:** वलाउड सेवाएं दूरस्थ कार्य क्षमताओं को सक्षम करते हुए टीमों के बीच निर्बाध सहयोग की सुविधा प्रदान करती हैं। यह वित्तीय क्षेत्र में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां पहुंच और सहयोग सर्वोपरि है।
- इनोवेशन और टाइम-टू-मार्केट:** वलाउड सेवाएं इनोवेशन के लिए टूल और प्लेटफॉर्म प्रदान करती हैं, जिससे वित्तीय संस्थानों को नई सेवाओं, उत्पादों और अनुप्रयोगों को जल्दी से तैयार करने की अनुमति मिलती है, जिससे मार्केट-टू-मार्केट समय कम हो जाता है।
- आपदा पुनर्प्राप्ति और व्यवसाय निरंतरता:** वलाउड प्रदाताओं के पास आमतौर पर अनावश्यक डेटा केंद्र और मजबूत आपदा पुनर्प्राप्ति तंत्र होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय संगठन तेजी से डेटा पुनर्प्राप्त कर सकते हैं और अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति में भी संचालन बनाए रख सकते हैं।
- नियामक अनुपालन:** कई वलाउड सेवा प्रदाता कड़े सुरक्षा और अनुपालन मानकों का पालन करते हैं। ऐसी सेवाओं का लाभ उठाने से वित्तीय संस्थानों को नियामक आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सहायता मिल सकती है।
- एनालिटिक्स और बिंग डेटा:** वलाउड सेवाएं शक्तिशाली एनालिटिक्स टूल और रस्टोरेज क्षमताएं प्रदान करती हैं, जो वित्तीय संगठनों को बड़ी मात्रा में डेटा को कुशलतापूर्वक संसाधित और विश्लेषण करने में सक्षम बनाती हैं। वित्तीय डेटा से मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है।
- ग्राहक अनुभव:** वलाउड-आधारित एप्लिकेशन डिजिटल युग में ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाते हुए, पहुंच और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करके एक सहज ग्राहक अनुभव में योगदान करते हैं।

RBI डिजिटल लोन एग्रीगेटर्स को नियमन के दायरे में लाएगा

खबरों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने संचालन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल ऋण एग्रीगेटर्स को एक व्यापक नियामक ढांचे के तहत लाने का निर्णय लिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

वेब एग्रीगेटर्स:

- वेब एग्रीगेटर्स एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर कई ऋणदाताओं से ऋण प्रस्ताव एक साथ लाते हैं; इसके बाट उधारकर्ता सर्वोत्तम उपलब्ध ऋण विकल्प चुन सकते हैं।

विनियमन की आवश्यकता:

- डिजिटल ऋणदाताओं पर उच्च ब्याज दरें वसूलने और अवैध वसूली उपायों का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है।
- ऐसे सैकड़ों अनधिकृत डिजिटल ऋणदाता हैं जो RBI के दायरे से बाहर हैं।

व्यापक नियामक ढांचा:

- डिजिटल ऋण जगत को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है: RBI द्वारा विनियमित और ऋण व्यवसाय करने की अनुमति प्राप्त संस्थाएं; अन्य वैधानिक/नियामक प्रावधानों के अनुसार ऋण देने के लिए अधिकृत संस्थाएं, तोकिन RBI द्वारा विनियमित नहीं; और किसी वैधानिक/नियामक प्रावधान के दायरे से बाहर ऋण देने वाली संस्थाएं।



- केंद्रीय बैंक का नियामक ढांचा RBI की विनियमित संस्थाओं के डिजिटल ऋण पारिश्रितिकी तंत्र और उनके द्वारा विभिन्न अनुमेय क्रेडिट सुविधा सेवाओं का विचार करने के लिए तगे ऋण सेवा प्रदाताओं पर केंद्रित है।
- दूसरी श्रेणी में आने वाली संस्थाएं, संबंधित नियामक या नियंत्रण प्राधिकरण WGDL (डिजिटल ऋण पर कार्य समूह) की सिफारिशों के आधार पर डिजिटल ऋण पर उचित नियम और विनियम बनाने या अधिनियमित करने पर विचार कर सकते हैं।
- तीसरी श्रेणी की संस्थाओं के लिए, WGDL ने ऐसी संस्थाओं द्वारा की जा रही नाजायज ऋण गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विचार के लिए विशिष्ट विधायी और संस्थागत छरतक्षेप का सुझाव दिया है।

केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल ऋणदाताओं को विनियमित करने की संभावनाएँ

- उपभोक्ता संरक्षण:** विनियमन यह सुनिश्चित करता है कि डिजिटल ऋणदाता उन दिशानिर्देशों का पालन करें जो उपभोक्ताओं को हिंसक ऋण प्रथाओं से बचाते हैं, उचित उपचार और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं।
- वित्तीय स्थिरता:** केंद्रीय बैंक की निगरानी अत्यधिक जोखिम लेने को रोकने और जिम्मेदार ऋण देने की प्रथाओं को बढ़ावा देकर वित्तीय प्रणाली की समग्र स्थिरता में योगदान करती है।
- जोखिम न्यूनीकरण:** विनियम डिजिटल ऋण देने से जुड़े जोखिमों को कम करने, वित्तीय संकट की संभावना को कम करने और उधारकर्ताओं और उधारदाताओं दोनों की सुरक्षा करने में मदद करते हैं।
- डेटा गोपनीयता और सुरक्षा:** नियामक ढांचे में उधारकर्ता डेटा की सुरक्षा, डिजिटल ऋण प्रक्रिया में गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय शामिल हो सकते हैं।
- बाजार की अखंडता:** विनियम डिजिटल ऋण बाजार की अखंडता को बनाए रखने, धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने और उधारदाताओं के बीच निष्पक्ष प्रतिरप्द्य सुनिश्चित करने में योगदान करते हैं।

केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल ऋणदाताओं को विनियमित करने की विधि

- नवाचार प्रभाव:** अतिनियमन डिजिटल ऋण क्षेत्र में नवाचार को बाधित कर सकता है, जिससे नई और कुशल वित्तीय प्रौद्योगिकियों के विकास में बाधा आ सकती है।
- अनुपालन लागत:** कड़े नियम डिजिटल ऋणदाताओं, विशेष रूप से छोटे खिलाड़ियों पर उच्च अनुपालन लागत लगा सकते हैं, जिससे संभावित रूप से संचालन या प्रतिरप्द्य करने की उनकी क्षमता सीमित हो सकती है।
- बाजार में प्रवेश बाधाएँ:** अत्यधिक नियम नए डिजिटल ऋणदाताओं के लिए प्रवेश में बाधाएँ पैदा कर सकते हैं, प्रतिरप्द्य कम कर सकते हैं और उपभोक्ताओं के लिए विकल्प सीमित कर सकते हैं।
- अनुकूलनशीलता चुनौतियाँ:** पारंपरिक नियामक ढांचे तेजी से विकसित हो रही डिजिटल ऋण प्रौद्योगिकियों के साथ तात्प्रति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, जिससे प्रभावी नियमण में चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।
- एक आकार-सभी के लिए फिट इष्टिकोण:** नियामक ढांचे डिजिटल ऋण पारिश्रितिकी तंत्र के भीतर विविध व्यवसाय मॉडल और जोखिम प्रोफाइल को पूरा नहीं कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक आकार-सभी के लिए फिट इष्टिकोण इष्टिम नहीं हो सकता है।

मौद्रिक नीति समिति

खबरों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखने का हालिया निर्णय, लगातार पांचवां बार है जब मौद्रिक नीति समिति ने इसे अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- 2020 से 2023 तक की अवधि काफी अस्थिरता से भरी रही है। इस अस्थिरता में आर्थिक, सामाजिक या भू-याजनीतिक कारक शामिल हो सकते हैं जिन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्त्य को प्रभावित किया है। अस्थिरता के बावजूद, चालू वर्ष के लिए भारत के सकल घेरलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। यह वृद्धि चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था के लची-लैपन को दर्शाती है।
- RBI ने मुद्रारण्यिति पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मुख्य मुद्रारण्यिति, जिसमें अस्थिर खाद्य और ऊर्जा की कीमतों शामिल नहीं हैं, लगातार गिरावट आ रही है। इससे पता चलता है कि आखीरी दूरा लाने मौद्रिक नीति उपाय प्रभावी हैं। डालौंकि, खाद्य पदार्थों की कीमतों को लेकर अनिश्चितता के कारण सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।



MPC सतर्कता

- मौद्रिक नीति समिति (MPC) सतर्क बनी हुई है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए आत्मक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं कि मुद्रारण्यिति 4% की लक्ष्य दर पर बनी रहे। इसमें उभरती आर्थिक स्थिति के अनुसार मौद्रिक नीति उपकरणों में समायोजन शामिल हो सकता है।

- RBI मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के अनुरूप वित्तीय प्रणाली में तरलता स्तर का सक्रिय रूप से प्रबंधन करता है। आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए पर्याप्त तरलता महत्वपूर्ण है।
- RBI विभिन्न क्षेत्रों और वित्तीय संस्थानों में तनाव के संकेतों की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है और उन्हें संबोधित कर रहा है।
- चालू खाता घाटा (CAD) प्रबंधनीय और आसानी से वित्तपोषित होने की उम्मीद हैं। यह शेष विश्व के साथ देश के व्यापार और वित्तीय लेनदेन में उचित संतुलन का संकेत देता है।
- भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। ये भंडार वैश्विक आर्थिक झटकों के खिलाफ एक बफर के रूप में कार्य करते हैं और देश की बाहरी स्थिति को स्थिरता प्रदान करते हैं।
- आरबीआई ने भारत की अर्थव्यवस्था के लचीलेपन के बारे में आशावाद व्यक्त करते हुए सक्रिय रूप से अवरणितिकारी नीति की आवश्यकता पर बल देते हुए सतर्क रख बनाए रखा है। आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति और विकास का प्रक्षेप पथ भविष्य के मौद्रिक नीति निर्णयों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मौद्रिक नीति समिति:

- मौद्रिक नीति समिति (MPC) केंद्र सरकार द्वारा गठित और आरबीआई के गवर्नर के नेतृत्व वाली एक समिति है।
- मौद्रिक नीति समिति का गठन विशेष लक्ष्य स्तर के भीतर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बैंचमार्क नीति व्याज दर (रेपो रेट) तय करने के मिशन के साथ किया गया था।
- आरबीआई गवर्नर आंतरिक टीम और तकनीकी सलाहकार समिति के समर्थन और सलाह से मौद्रिक नीति निर्णयों को नियंत्रित करते हैं।

मौद्रिक नीति का उपयोग

- मौद्रिक नीति देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को विनियमित करने की प्रक्रिया है।
- मौद्रिक नीति, आम तौर पर, मूल्य स्थिरता बनाए रखने और विदेशी मुद्राओं के साथ पूर्वानुमानित विनियम दरों को बनाए रखने के लिए मुद्रास्फीति दरों या व्याज दरों को समायोजित करती है।
- भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकरण है, जो केंद्र सरकार के विकासात्मक एजेंडे के साथ मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बनाने के लिए अधिकृत है।
- मौद्रिक नीति या तो संकुचनकारी या विस्तारवादी है और इसे अक्सर राजकोषीय नीति से अलग देखा जाता है जो कराधान, सरकार द्वारा खर्च और उधार लेने से संबंधित है।
- जब कुल धन आपूर्ति सामान्य से अधिक तेजी से बढ़ती है, तो इसे विस्तारवादी नीति कहा जाता है, जबकि धीमी वृद्धि या इसमें कमी भी संकुचनकारी नीति को संदर्भित करती है।

मौद्रिक नीति के उद्देश्य

मौद्रिक नीति के प्रमुख चार उद्देश्य नीचे उल्लिखित हैं:

- व्यापार चक्र को स्थिर करना।
- उचित मूल्य स्थिरता प्रदान करना।
- तीव्र आर्थिक विकास प्रदान करना।
- विनियम दर रिस्तरा।

मौद्रिक नीति समिति की संरचना

- केंद्र सरकार द्वारा RBI अधिनियम 1934 के तहत धारा 45ZB के अनुसार मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन किया गया था। एमपीसी की पहली बैठक 3 अक्टूबर 2016 को मुंबई में आयोजित की गई थी।
- समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत व्याज दर निर्धारित करती है।
- MPC को एक वर्ष में कम से कम चार बार मिलना आवश्यक है।
- MPC की बैठक के लिए कोरम चार सदस्यों का है।
- MPC के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है, और वोटों की समानता की स्थिति में, राज्यपाल के पास दूसरा या निर्णायक वोट होता है।
- दृष्ट छह महीने में एक बार, रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति के स्रोतों और 6-18 महीनों के लिए मुद्रास्फीति के पूर्वानुमानों को समझाने के लिए मौद्रिक नीति रिपोर्ट नामक एक दस्तावेज़ प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है।

गोल्डीलॉक्स प्रभाव

खबरों में क्यों?

घोरतू मूंग में सुधार, वैश्विक आर्थिक सुधार और टीकाकरण की प्रगति का हवाला देते हुए आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के विकास अनुमान को संशोधित कर 7% कर दिया है। हालाँकि, आपूर्ति-पक्ष कारकों से प्रेरित मुद्रास्फीति संबंधी जोखिम, गोल्डीलॉक्स प्रभाव के लिए खतरा पैदा करते हैं, RBI ने घेतावनी दी है कि मुद्रास्फीति 2-6% की लक्ष्य सीमा से ऊपर बनी रह सकती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी की है, जो चालू वित्त वर्ष में देश के लिए एक मजबूत आर्थिक सुधार का अनुमान लगाती है। केंद्रीय बैंक को उमीद है कि 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 7 प्रतिशत बढ़ेगी, जो पिछले वर्ष के 7.3 प्रतिशत के संकुचन से अधिक है।
- RBI मुद्रारसीफिति से उत्पन्न जोखियों के बारे में भी चेतावनी देता है, जो कई मर्फीनों से लगातार 2-6 प्रतिशत की लक्ष्य सीमा से ऊपर बनी हुई है। रिपोर्ट में मुद्रारसीफिति के दबाव के पीछे मुख्य कारकों के रूप में आपूर्ति पक्ष में व्यवधान, कमोडिटी की बढ़ती कीमतें, उच्च ईंधन कर और मांग दबाव का हवाला दिया गया है। RBI को उमीद है कि साल की दूसरी छमाही में धैर्य-धैर्य कम होने से पहले, निकट अवधि में मुद्रारसीफिति ऊर्ची बनी रहेगी।
- RBI का इटिकोन विकास को समर्थन देने और मुद्रारसीफिति को नियंत्रित करने के बीच नाजुक संतुलन को दर्शाता है, जिसे अक्सर गोल्डीलॉक्स प्रभाव के रूप में जाना जाता है। गोल्डीलॉक्स प्रभाव



एक ऐसी स्थिति है जहां अर्थव्यवस्था न तो बहुत गर्म है और न ही बहुत ठंडी है, लेकिन इष्टतम विकास और कम मुद्रारसीफिति के लिए बिल्कुल सही है।

गोल्डीलॉक्स प्रभाव

- गोल्डीलॉक्स प्रभाव उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें संतुलन या मध्य मार्न को आदर्श या इष्टतम माना जाता है।
- गोल्डीलॉक्स प्रभाव का उपयोग अक्सर उन स्थितियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां कोई चीज़ न तो बहुत अधिक है और न ही बहुत कम है, बल्कि किसी विशेष उद्देश्य या वांछित परिणाम के लिए बिल्कुल सही है। यह अवधारणा विज्ञान, अर्थशास्त्र, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण अध्ययन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लागू की जाती है।

विभिन्न संदर्भों में गोल्डीलॉक्स प्रभाव के उदाहरण:

- खगोल विज्ञान: इनके योन्य एक्सोप्लैनेट की खोज में, वैज्ञानिक किसी तरे के चारों ओर "इनके योन्य क्षेत्र" में स्थित ग्रहों की तलाश करते हैं, न तो बहुत करीब और न ही बहुत दूरा यह क्षेत्र तरत पानी, जैसा कि हम जानते हैं, जीवन के लिए एक प्रमुख घटक है, को सहाय देने के लिए सही परिस्थितियों की अनुमति देता है।
- अर्थशास्त्र: मौद्रिक नीति में, केंद्रीय बैंक अक्सर ऐसी मुद्रारसीफिति दर का लक्ष्य रखते हैं जो न तो बहुत अधिक हो और न ही बहुत कम हो। मुद्रारसीफिति का यह मध्यम स्तर आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए इष्टतम माना जाता है।
- प्रौद्योगिकी: गोल्डीलॉक्स सिद्धांत उपयोगकर्ता इंटरफेस और अनुभवों को डिजाइन करने में लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए, बटन या टेक्स्ट के आकार को समायोजित करते समय, डिज़ाइनर ऐसे आकार का लक्ष्य रखते हैं जो बहुत बड़ा या बहुत छोटा न हो बल्कि उपयोग में आसानी के लिए बिल्कुल सही हो।
- जीव विज्ञान: एंजाइम और अन्य जैविक प्रक्रियाएं अक्सर तापमान और पीएच जैसी विशिष्ट परिस्थितियों में बेहतर ढंग से कार्य करती हैं। इस इष्टतम सीमा से बहुत अधिक विचलन से दक्षता कम हो सकती है या पूर्ण शिथितता हो सकती है।
- यह अवधारणा इस विचार को रेखांकित करती है कि वरम सीमाओं के बीच अक्सर एक आदर्श मध्य मैदान होता है, और यह पता लगाना कि संतुलन विभिन्न क्षेत्रों और विषयों में इष्टतम परिणामों को जन्म दे सकता है। यह विभिन्न स्थितियों में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने में संयम और संतुलन के महत्व पर प्रकाश डालता है।

क्रिप्टो-एसेट मध्यस्थ (CAI)

खबरों में क्यों?

वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में क्रिप्टो-एसेट मध्यस्थों (CAI), विशेष रूप से मल्टी-फंक्शन क्रिप्टो-एसेट मध्यस्थों (MCI) के बारे में विंता व्यक्त की है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- क्रिप्टो-परिसंपत्ति मध्यस्थ (CAI) ऐसे व्यवसाय हैं जो क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के आदान-प्रदान, व्यापार और भंडारण की सुविधा प्रदान करते हैं। वे क्रिप्टो-परिसंपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खुदरा और संस्थागत निवेशकों द्वारा को सेवाएं प्रदान करते हैं।

वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) द्वारा जारी रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

सीमा पार सहयोग और सूचना साझा करना

- FSB वैश्विक स्तर पर मल्टी-फंक्शन क्रिप्टो-एसेट मध्यस्थों (MCI) के संचालन में अंतराल को नियन्त्रित करने और संबोधित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के बीच सीमा पार सहयोग और सूचना साझा करने की आवश्यकता पर जोर देता है।



- रिपोर्ट MCI से जुड़े संभावित जोखिमों पर प्रकाश डालती है, विशेष रूप से वे जोखिम जो मंच के भीतर विभिन्न गतिविधियों को जोड़ते हैं। यह विशेष रूप से ऐसे जोखिमों के उदाहरण के रूप में नवंबर 2022 में एफटीएक्स के पतन का संदर्भ देता है।

पारंपरिक वित्तीय परिदृश्य बनाम MCI

- MCI को व्यक्तिगत फर्मों या संबद्ध फर्मों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जो क्रिप्टो-आधारित सेवाओं, उत्पादों और कारों की एक शृंखला की पेशकश करते हैं, जो मुख्य रूप से ऑपरेटिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कैंट्रिट हैं उदाहरणों में बिनेंस, बिटफिनेक्स और कॉइनबेस शामिल हैं।
- पारंपरिक वित्तीय परिदृश्य के विपरीत जहां विभिन्न संस्थाएं विभिन्न कार्य प्रदान करती हैं, MCI एक ही इकाई के भीतर कई कारों को जोड़ती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे हितों का टकराव हो सकता है और बाजार की अखंडता, निवेशक सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता पर असर पड़ सकता है।
- MCI मुख्य रूप से व्यापार-संबंधित गतिविधियों से लेनदेन शुल्क के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करते हैं, विशेष रूप से ख-जारी क्रिप्टो परिसंपत्तियों को शामिल करते हुए। इन प्लेटफॉर्मों का लक्ष्य विभिन्न क्रिप्टो-आधारित सेवाओं, जैसे प्रीपेट डेबिट कार्ड और उदाहर के तिए "वन-स्टॉप शॉप" बनाना है।

जोखिम प्रबंधन और पारदर्शिता

- रिपोर्ट में पाया गया है कि अधिकांश एमसीआई अपने कॉर्पोरेट ढांचे के बारे में पारदर्शी नहीं हैं, जो अक्सर निजी तौर पर आयोजित किए जाते हैं। सार्वजनिक रूप से प्रकट की गई सीमित जानकारी उपलब्ध है, जिसमें प्रेस कवरेज, अदालती फाइलिंग और नियामक कार्रवाइयां प्राथमिक स्रोत हैं।
- सुझाव दिया गया है कि पारदर्शिता की कमी जानबूझकर की गई है, संभवतः कमजोखियों, आर्थिक मॉडल और गतिविधियों की समझ को सीमित करने के लिए, जिससे नियामक नियंत्रण से बचा जा सके।
- रिपोर्ट MCI के बीच खराब जोखिम प्रबंधन प्रथाओं पर प्रकाश डालती है, जिससे अंदरूनी सूत्रों के लिए कदाचार में शामिल होना आसान हो सकता है। नकारात्मक झटके आने तक अपर्याप्त पारदर्शिता शासन और ताभप्रदता से संबंधित जोखिमों को छिपा सकती है।

ज्ञान प्रभाव

- रिपोर्ट में कहा गया है कि, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, एमसीआई की विफलता से वैश्विक वित्तीय स्थिरता और वास्तविक अर्थव्यवस्था को खतरा वर्तमान में "सीमित" माना जाता है।
- "क्रिप्टो-एसेट-फ्रेंडली" बैंकों की विफलता या बंद होने के हातिया अनुभवों से क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर निर्भर फर्मों के लिए कैंट्रिट जमा जोखिम का पता चलता है। उद्धृत उदाहरण सिल्वरेट बैंक का है, जिसे एफटीएक्स के पतन और उसके बाद क्रिप्टो परिसंपत्तियों में विश्वास की छानि के बाद परिचालन बंद करना पड़ा।

GST दर का युक्तिकरण

खबरों में क्यों?

मई में कर्नाटक में भाजपा के चुनावी झटके के बाद से निष्क्रिय पड़े GST दर युक्तिसंगत मंत्री समूह को बहाल कर दिया गया है। यह कदम जीएसटी संरचना को सरल बनाने और इसकी कई दरों को संशोधित करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

पृष्ठभूमि


- भारत में जीएसटी अपनाने का विचार सबसे पहले 2000 में अटलबिहारी वाजपेयी सरकार ने सुझाया था।
- राज्य के वित्त मंत्रियों ने राज्य वैट को डिजाइन करने में अपने अनुभव के आधार पर, GST के लिए एक संरचना बनाने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति (EC) का गठन किया।
- 2002 में, वाजपेयी सरकार ने कर सुधारों की सिफारिश करने के लिए विजय केतकार्टों के तहत एक टारक फोर्स का गठन किया।
- 2005 में, केलकर समिति ने 12वें वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार GST लागू करने की सिफारिश की।

GST क्या है?

- GST को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से पेश किया गया था।
- यह टेंश के सबसे बड़े अपत्यक्ष कर सुधारों में से एक है।
- इसे 'वन नेशन वन टैक्स' के नाम से साथ पेश किया गया था।

उद्देश्य:

- दोषेरे कराधान, करों के व्यापक प्रभाव, करों की बहुलता, वर्गीकरण मुद्दों आदि को कम किया और एक समान गण्डीय बाजार को जन्म दिया।
- एक व्यापारी वस्तुओं या सेवाओं (यानी इनपुट पर) की खरीद के लिए जो जीएसटी का भुगतान करता है, उसे बाद में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू कर के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।
- सेट ऑफ टैक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है।
- जीएसटी व्यापक प्रभाव या कर पर कर से बचाता है जिससे अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ बढ़ जाता है।



GST लगाया गया

- GST में उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर (वैट), सेवा कर, विलासिता कर आदि जैसे अप्रत्यक्ष करणे को समाहित कर दिया गया है।
- यह मूलतः एक उपभोग कर है और अंतिम उपभोग बिंदु पर लगाया जाता है।

GST के तहत कर संरचना:

- उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को कवर करने के लिए केंद्रीय GSTI
- वैट, विलासिता कर आदि को कवर करने के लिए राज्य GSTI
- अंतरराज्यीय व्यापार को कवर करने के लिए एकीकृत GST (IGST)।
- IGST खरयां एक कर नहीं हैं बल्कि राज्य और संघ करणे के बीच समन्वय स्थापित करने की एक प्रणाली है।
- इसमें रस्तौब के तहत सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए 4-स्तरीय कर संरचना है - 5%, 12%, 18% और 28%।

GST का महत्व क्या है?

- एक एकीकृत साझा बाजार बनाएँ: भारत के लिए एक एकीकृत आम राष्ट्रीय बाजार बनाने में महंद करें। इससे विदेशी निवेश और "मेक इन इंडिया" अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा।
- कराधान को सुव्यवस्थित करना: यह केंद्र और राज्यों और राज्यों के बीच कर के कानूनों, प्रक्रियाओं और दरों में सामंजस्य स्थापित करेगा।
- कर अनुपालन बढ़ाएँ: अनुपालन के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करें तर्थोंकि सभी रिटर्न ऑनलाइन दर्शित किए जाने हैं, इनपुट क्रेडिट को ऑनलाइन सत्यापित किया जाना है, आपूर्ति शृंखला के प्रत्येक स्तर पर लेनदेन के अधिक पेपर ट्रैल को प्रोत्साहित करना है।

गुरुगठित मंत्रिस्तरीय समूह

- कर्नाटक के पूर्व CM बसवराज बोमर्हे ने मूल समूह का नेतृत्व किया, जिसने चुनाव के बाद हार को योक दिया था।
- नए संयोजक के रूप में यूपी के वित मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के साथ कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा शामिल हैं।

जटिल GST संरचना

- चार मुख्य रस्तौब (5%, 12%, 18%, 28%) के बावजूद, कई दरें मौजूद हैं, जो अनुपालन को जटिल बनाती हैं।
- कर विशेषज्ञों और उद्योग जगत के नेताओं द्वारा व्यक्त की गई सरलीकरण की तत्काल आवश्यकता।

राजस्व स्थिरता और नीति बदलाव

- जीएसटी राजस्व 1.6 लाख करोड़ रुपये के मजबूत स्तर पर।
- दर युक्तिकरण की बहाली नीतिगत बदलाव का संकेत देती है।
- एकाधिक दरें अनुपालन संबंधी समस्याओं को जन्म देती हैं, जिससे नीति निर्माताओं से उद्योग, राजस्व विभाग और निवेशक की निश्चितता को सरल बनाने का आग्रह किया जाता है।

संदर्भ की शर्तें और भविष्य पर विचार:

- JOM टैक्स रस्तौब दरों की समीक्षा करेगा, आवश्यक संसाधनों के लिए बदलाव की सिफारिश करेगा।
- मार्च 2026 के बाद GST मुआवजा उपकर के भविष्य पर विचार।

उद्योग जगत का सुधार का आव्यान:

- उद्योग जगत के नेता व्यवसाय को आसान बनाने के लिए तीन-रस्तौब जीएसटी संरचना की वकालत करते हैं।
- GST मुआवजा उपकर की समीक्षा की जा रही है, जैसा कि CII अध्यक्ष आर दिनेश ने सुझाव दिया है।

GST परिषद की भूमिका

- GST परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है।
- इसकी स्थापना राष्ट्रपति द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A (1) के अनुसार की गई थी।

सदस्य:

- परिषद के सदस्यों में केंद्र से केंद्रीय वित मंत्री (अध्यक्ष), केंद्रीय राज्य मंत्री (वित) शामिल हैं।
- प्रत्येक राज्य वित या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित कर सकता है।

कार्य:

- परिषद, का उद्देश्य "GST से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर संघ और राज्यों को सिफारिशें करना है, जैसे कि सामान और सेवाएं जो GST मॉडल GST कानूनों के अधीन या छूट दी जा सकती हैं।"
- यह GST के विभिन्न दर रस्तौब पर भी निर्णय लेता है।
- कर चोरी को होत्याहा घोषित करना: सामान एसजीएसटी और आईजीएसटी दरें पड़ोसी राज्यों के बीच और अंतर-राज्य बिक्री के बीच दर मध्यस्थिता को समाप्त करके कर चोरी के लिए प्रोत्साहन को कम कर देंगी।
- भ्रष्टाचार कम करें: आईटी के अधिक उपयोग से करदाता और कर प्रशासन के बीच मानवीय इंटरफ़ेस कम हो जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार को कम करने में काफी महंद मिलेगी।

- माध्यमिक भेत्र को बढ़ावा: यह निर्यात और विनिर्माण गतिविधि को बढ़ावा देगा, अधिक योजनार पैदा करेगा और इस प्रकार लाभकारी योजनाएँ साथ सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) में वृद्धि करेगा जिससे ठोस आर्थिक विकास होगा।

GST से जुड़े मुद्दे क्या हैं?

- एकाधिक कर दरें: इस कर व्यवस्था को लाने करने वाली कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, भारत में कई कर दरें हैं इससे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर दर की प्रगति बाधित हो रही है।
- नए उपकरणों के लिए जबकि GST ने करों और उपकरणों की बहुताता को खत्म कर दिया, विलासिता और पाप वस्तुओं के लिए मुआवजा उपकरण के रूप में एक नया लेवी पेश किया गया। बाद में ऑटोमोबाइल को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया।
- विश्वास की कमी: राज्यों के साथ साझा किए बिना इसके लिए उपकरण राजस्व लगाने और उचित करने के केंद्र सरकार के अधिकार ने राज्यों के लिए गारंटीकृत मुआवजे की बुद्धिमता को विश्वसनीयता प्रदान की है।
- यह दूरदर्शी साबित हुआ क्योंकि जीएसटी अपने आर्थिक वार्ताओं को पूरा करने में तिफ्ल रहा और राज्यों के राजस्व को इस गारंटी के माध्यम से संरक्षित किया गया।
- अर्थव्यवस्था जीएसटी के दायरे से बाहर: लगभग आधी अर्थव्यवस्था जीएसटी से बाहर हैं जैसे पेट्रोलियम, रियल एस्टेट, बिजली शुल्क जीएसटी के दायरे से बाहर हैं।
- टैक्स फाइलिंग की जटिलता: जीएसटी कानून में जीएसटी ऑडिट के साथ-साथ करदाताओं की निर्दिष्ट श्रेणियों द्वारा जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है। लेकिन, करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करना एक जटिल और अभियान करने वाला काम है। इसके अलावा, वार्षिक फाइलिंग में कई विवरण भी शामिल होते हैं जिन्हें मासिक और त्रैमासिक फाइलिंग में माफ कर दिया जाता है।
- उच्च कर दरें: छालांकिं दरों को तर्कसंबंधी बनाया गया है, फिर भी 50% वस्तुएं 18% ब्रैकेट के अंतर्गत हैं।
- इसके अलावा, महामारी से निपटने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुएं भी हैं जिन पर अधिक कर लगाया गया था।
- उदाहरण के लिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% टैक्स, टीकों पर 5% और विदेशों से राहत आपूर्ति पर।

NCRPS

खबरों में क्यों?

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) और गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयरों (NCRPS) के अंकित मूल्य को 1 लाख रुपये से घटाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में गैर संस्थागत निवेशकों की आगीदारी बढ़ाने और प्रबंधन के लिए गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) और गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयर (NCRPS) जारी करने में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव दिया है।

सेबी के प्रस्ताव के मुख्य बिंदु

अंकित मूल्य में कमी

- सेबी ने कंपनियों को 1 लाख रुपये अंकित मूल्य की मौजूदा प्रणाली के विपरीत, 10,000 रुपये अंकित मूल्य के साथ NCD और NCRPS जारी करने की अनुमति देने का सुझाव दिया है।
- इसके पीछे तर्क उच्च अंकित मूल्य द्वारा लगाए गए प्रवेश अवरोध को कम करके गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए प्रतिभूतियों को अधिक सुलभ बनाना है।

जोखिम न्यूनीकरण उपाय

- गैर-संस्थागत निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, सेबी का प्रस्ताव है कि ये NCD और NCRPS एक सरल संरचना के साथ "साडे वैनिला" उपकरण हों जो उनमें क्रेडिट वृद्धि या संरचित नायित्व जैसी जटिल विशेषताएं नहीं होनी चाहिए।
- जारीकर्ता को जारी करने के लिए उचित परिश्रम करने के लिए एक मर्केट बैंकर नियुक्त करना होगा और निजी प्लेसमेंट ज्ञापन में प्रकटीकरण किया जाना चाहिए।



ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म (OBP)

- प्रस्ताव ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म के लिए एक नियामक लंचे की शुरुआत के अनुरूप है। सेबी का कठना है कि इन प्लेटफॉर्म पर निवेशकों का एक बड़ा हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों का है।
- अंकित मूल्य में कमी को विशेष रूप से गैर-संस्थागत निवेशकों के बीच आगीदारी को और बढ़ाने के उपाय के रूप में देखा जाता है।

पिछला अंकित मूल्य में कमी

- सेबी ने अक्टूबर 2022 में पहले ही ऋण प्रतिशुतियों और एनरीआरपीएस का अंकित मूल्य 10 लाख रुपये से घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया था। इस कदम का उद्देश्य गैर-संस्थागत निवेशकों को कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना था।

निवेशक भागीदारी

- पेपर इस बात पर प्रकाश डालता है कि जुलाई से सितंबर 2023 की अवधि के दौरान, गैर-संस्थागत निवेशकों ने जुटाई गई कुल राशि का 4% सब्सक्राइब किया, जबकि सामान्य औसत 1% से कम था।
- सेबी भागीदारी में इस वृद्धि का श्रेय अंकित मूल्य में पहले आई कमी और ऑनलाइन बांड प्लेटफॉर्मों को मुख्यधारा में लाने को देता है।

सूचीबद्ध NCD के लिए क्यूआर कोड

- सूचीबद्ध बकाया एनरीडी वाले जारीकर्ताओं को प्रस्ताव दस्तावेज़ में एक क्यूआर कोड शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है।
- क्यूआर कोड को स्कैन करने से स्टॉक एवं सेवेंज की वेबसाइट पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों के ऑडिटेड वित्तीय और स्टब अवधि के वित्तीय विवरणों के लिए एक वेब लिंक खुल जाएगा।

गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयर (NCRPS)

- NCRPS एक प्रकार का वित्तीय साधन है जो इतिवर्टी और ऋण दोनों की विशेषताओं को जोड़ता है।
- परिवर्तनीय वरीयता शेयरों के विपरीत, NCRPS को जारीकर्ता कंपनी में इतिवर्टी शेयरों (सामान्य स्टॉक) के लिए विनिमय नहीं किया जा सकता है।
- उनकी एक निश्चित मोर्चन तिथि होती है, जिसका अर्थ है कि जारीकर्ता को उन्हें पूर्व निर्धारित मूल्य पर वापस खरीदना होगा। यह बांड के समान निवेश पर गारंटीशुटा रिटर्न प्रदान करता है।
- लाभांश भुगतान के मामले में धारकों को आम शेयरधारकों पर प्राथमिकता मिलती है। इसका मतलब यह है कि आम शेयरधारकों को लाभांश मिलने से पहले ही उन्हें लाभांश मिल जाता है। हालांकि, याद रखें कि लाभांश की गारंटी नहीं है और यह कंपनी की लाभांश के पर निर्भर करता है।
- NCRPS निश्चित आय और कुछ नकारात्मक सुरक्षा चाहने वाले निवेशकों के लिए फायदेमंद हो सकता है, जबकि कंपनियों को खामित को कम किए बिना पूँजी जुटाने का एक तरीका प्रदान करता है।

विभिन्न राज्यों में दसद सुगमता (लीड्स) 2023

खबरों में क्यों?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने "लॉजिस्टिक्स ईंज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) 2023" रिपोर्ट का 5वां संस्करण जारी किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

विभिन्न राज्यों में दसद सुगमता (लीड्स) सूचकांक

- लॉजिस्टिक्स मूल और गंतव्य बिंदुओं के बीच निविधियों और सेवाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से कार्गो, दस्तावेज़, सूचना और धन जैसे संसाधनों के प्रवाह का प्रबंधन है।
- LEADS की कल्पना 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक की तर्ज पर की गई थी।
- सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लॉजिस्टिक्स का आकलन करने के लिए एक समग्र संकेतक है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए डेलॉइट द्वारा आयोजित हितधारकों के सर्वेक्षण पर आधारित है।

LEADS 2023 से प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया

तीसरी समूह

- उपलब्धियां: आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु
- फारस्ट मूर्त्तर्स: केरल, महाराष्ट्र
- आकांक्षी: गोवा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल

स्थललक्ष्य समूह

- उपलब्धियां: छत्तीसगढ़, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश
- फारस्ट मूर्त्तर्स: मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखण्ड
- आकांक्षी: बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड

जटर-पूर्व समूह

- उपलब्धियां: असम, सिक्किम, त्रिपुरा
- फारस्ट मूर्त्तर्स: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड
- आकांक्षी: मणिपुर, मेघालय, मिजोरम

Logistics Jump					
India jumped six places on the World Bank Logistics Index					
Soft and hard infra helps improve performance		Technology also a factor		Better dwell times than some advanced countries	
Rank	Rank	2018	2023	Rank	Rank
Singapore	1	LPI Rank	44	▲ 38	
Finland	2	Customs	40	▼ 47	
Germany	3	Infrastructure	52	▲ 47	
Canada	7	International shipments	44	▲ 22	
France	13	Logistics quality and competence	42	▲ 38	
United States	17	Tracking and tracing	38	▼ 41	
China	19	Timeliness	52	▲ 35	
United Kingdom	19	2023 rank is grouped rank out of 139 countries, 2018 rank considered			
Malaysia	26	130 countries			
Thailand	34	160 countries			
India	38				
Saudi Arabia	38				

केंद्र शासित प्रदेश

- उपलब्धियां: चंडीगढ़, दिल्ली
- फारस मूर्वर्स: अंडमान और निकोबार, लक्ष्मीपुर, पुडुचेरी
- आकांक्षी: दमन और दीव/दादरा और नगर हवेली, जम्मू और कश्मीर, लाहौर

भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से जुड़े गुदे

- प्रौद्योगिकी अपनाने का आधार: इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), RFID (ऐडियो-फ्रीकरेंसी आइडेंटिफिकेशन), और स्वचालन जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाने की धीमी गति। तकनीकी एकीकरण की कमी के परिणामस्वरूप मैन्युअल प्रक्रियाएँ, त्रुटियाँ और बढ़ी हुई लागत हो सकती हैं।
- बुनियादी ढांचे की बाधाएँ: अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से सड़कों, बंदरगाहों और अंतिम-मील कनेक्टिविटी के साथ-साथ खराब सड़क की स्थिति और भीड़भाड़ के कारण देशी और लागत में वृद्धि हो सकती है।
- उच्च लॉजिस्टिक्स लागत: लॉजिस्टिक्स लागत पर भारत का व्यय उसके सकल घेरेतू उत्पाद (GDP) का लगभग 13-14% है, जो लगभग 8% के वैश्विक औसत से काफी अधिक है।
- अकुशल भंडारण: भंडारण में अक्षमताएँ, जैसे पुराना बुनियादी ढांचा, स्वचालन की कमी और अपर्याप्त भंडारण क्षमता, उच्च रसद लागत में योगदान करती हैं।
- सीमित मॉडल विकल्प: सड़क परिवहन पर अत्यधिक निर्भरता और ऐल और तटीय शिपिंग जैसे वैकल्पिक साधनों का सीमित उपयोग उच्च रसद लागत में योगदान करता है।

भारत सरकार द्वारा उगाए गए कदम

- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बुनियादी ढांचे का दर्जा देना: सरकार ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है, जिससे उद्योग को सस्ते वित तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
- पीएम गति शक्ति की पहल: यह लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और 2024-25 तक अर्थव्यवरथा को बढ़ावा देने के लिए मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है।
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP): 2022 में, त्वरित अंतिम-मील वितरण सुनिश्चित करने, परिवहन से संबंधित चुनौतियों को समाप्त करने, विनिर्माण क्षेत्र के लिए समय और पैसा बचाने और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में वांछित गति सुनिश्चित करने के लिए एनएलपी लॉन्च किया गया था जीति का लक्ष्य वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप लॉजिस्टिक लागत को सकल घेरेतू उत्पाद के मौजूदा 14-18% से घटाकर 2030 तक 8% करना है।
- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC): सरकार पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण पर काम कर रही है।
- भारतमाला परियोजना: यह एक प्रमुख सड़क और राजमार्ग विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पूरे देश में कनेक्टिविटी में सुधार करना है। इस परियोजना में आर्थिक गतियाएँ, अंतर-गतियाएँ और फीडर मार्गों का विकास शामिल है।
- सागरमाला परियोजना: यह पहल घेरेतू और निर्यात-आयात व्यापार के लिए रसद लागत को कम करने के लिए बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसमें बंदरगाहों, तटीय शिपिंग और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास शामिल है।
- डिजिटलीकरण: यह दस्तावेजों और लोनदेन के डिजिटलीकरण को सक्षम बनाता है, कागजी काम को कम करता है और लॉजिस्टिक्स संचालन की समग्र दक्षता में सुधार करता है।
- डेटा एनालिटिक्स: यह आपूर्ति श्रृंखला प्रदर्शन में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, जिससे बेहतर निर्णय लेने और मार्गों, इन्वेंट्री प्रबंधन और संसाधन आवंटन के अनुकूलन की अनुमति मिलती है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन: बारकोड रफैनिंग, RFID और वास्तविक समय ट्रैकिंग जैसी प्रौद्योगिकियां ट्रैकिंग और ट्रैसिंग क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती हैं, परिवालन दक्षता में सुधार कर सकती हैं और लागत को कम कर सकती हैं।
- गोदाम दक्षता: बेहतर इन्वेंट्री स्टीकता, कम गोदाम स्टॉक, और अनुकूलित ऑन-शेल्फ स्टॉक उपलब्धता, समग्र गोदाम दक्षता को बढ़ा सकती है।
- ऐसे समय में जब भारत तेजी से खुद को चीन के संभावित विकल्प के रूप में पेश कर रहा है, लॉजिस्टिक्स में अधिक प्रतिरप्दितमक्ता देश को वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे प्रतिरप्दितमक्तों से चुनौती को दूर करने और समग्र विनिर्माण क्षमता में सुधार करने में मदद कर सकती है।

भारत में मुद्रास्फीति

खबरों में क्यों?

हाल ही में, RBI ने एक लेख में आपूर्ति और मांग पक्ष के कारकों पर चर्चा की, जिन्होंने मुख्य रूप से भारत में मुद्रास्फीति को प्रभावित किया।


महत्वपूर्ण बिंदु

- मुद्रास्फीति एक बहुआयामी आर्थिक घटना है जो उपभोक्ता की क्रय शक्ति, निवेश निर्णय, ब्याज दरों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गतिशीलता को प्रभावित करती है।

- जबकि मध्यम मुद्रारस्फीति को एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता माना जाता है, अत्यधिक या अप्रत्याशित मुद्रारस्फीति महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा कर सकती हैं।

मुद्रा स्फीति:

- मुद्रारस्फीति कीमतों में वृद्धि है, जिसे समय के साथ क्रय शक्ति में गिरावट के रूप में अनुवादित किया जा सकता है।
- क्रय शक्ति में गिरावट की दर कुछ समय के दौरान चयनित वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी की ओसत कीमत वृद्धि में परिलक्षित हो सकती है।
- कीमतों में वृद्धि, जिसे अवसर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, का मतलब है कि मुद्रा की एक इकाई प्रभावी रूप से पिछली अवधि की तुलना में कम खरीदती है।
- मुद्रारस्फीति लागत-प्रेरित मुद्रारस्फीति या मांग-प्रेरित मुद्रारस्फीति हो सकती है।



मूल्य - बढ़ोत्तरी मुद्रास्फीति

- लागत-प्रेरित मुद्रारस्फीति का मतलब है कि उत्पादन के चार कारकों - श्रम, पूँजी, भूमि, या उद्यमशीलता - में से किसी एक की लागत में वृद्धि से कीमतें "बढ़ गई" हैं, जब कंपनियां पहले से ही पूर्ण उत्पादन क्षमता पर चल रही हैं।
- समग्र आपूर्ति किसी अर्थव्यवस्था द्वारा किसी दिए गए मूल्य स्तर पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा है। जब उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कुल आपूर्ति कम हो जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप लागत-प्रेरित मुद्रारस्फीति होती है।
- उदाहरण: सब्जियां, तेल और वसा, दूध, अंडे, दालें और चीनी जैसी शेषियां अवसर आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं का अनुभव करती हैं।

मुद्रास्फीति की मांग

- मांग-पुल मुद्रारस्फीति तब होती है जब समग्र मांग में वृद्धि होती है, जिसे व्यापक अर्थव्यवस्था के चार वर्गों द्वारा वर्गीकृत किया जाता है: घर, व्यवसाय, सरकारें और विदेशी खरीदार।
- सरकारी खर्च में वृद्धि और स्थानीय विनियम दरों के मूल्यांकन से कुल मांग में वृद्धि हो सकती है, इस प्रकार कीमतें बढ़ जाती हैं।
- स्थानीय विनियम दर का अवमूल्यन, आयात की कीमत बढ़ाता है और निर्यात की कीमत कम करता है। परिणामस्वरूप, आयात की खरीदारी कम हो जाती है जबकि विदेशियों द्वारा निर्यात की खरीदारी बढ़ जाती है। इससे कुल मांग का समग्र स्तर बढ़ जाता है।
- गैर-अल्कोहल पेय पदार्थ, व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद और स्वारक्षण्य संबंधी सामान जैसी वस्तुएं मुख्य रूप से मांग-पक्ष कारकों से प्रभावित होती हैं।

मुद्रास्फीति दर में वृद्धि का प्रभाव

- आर्थिक विकास: मुद्रारस्फीति से आर्थिक विकास हो सकता है क्योंकि यह बढ़ती मांग का संकेत हो सकता है।
- बैरोजगारी में वृद्धि: मुद्रारस्फीति को पूरा करने के लिए श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने की मांग के कारण मुद्रारस्फीति लागत में और वृद्धि कर सकती है। इससे बैरोजगारी बढ़ सकती है क्योंकि कंपनियों को लागत बनाए रखने के लिए कर्मचारियों की छंटनी करनी होगी।
- क्रय शक्ति में कमी: उपभोक्ता समान धनराशि से कम सामान और सेवाएं खरीद सकते हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में कमी आती है।
- बचत पर प्रभाव: मुद्रारस्फीति समय के साथ पैसे के वास्तविक मूल्य को खत्म कर देती है। नकद या कम व्याज वाले बचत खाते रखने वाले लोगों की बचत की क्रय शक्ति में कमी देखी जा सकती है।
- कमजोर मुद्रा: मुद्रारस्फीति देश की मुद्रा को कमजोर करती है। मुद्रा का गिरता मूल्य आयात को महंगा बनाता है और देश की विदेशी मुद्रा पर बोझ डालता है।

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय:

- मौद्रिक नीति उपकरण: मुद्रारस्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को समायोजित करना और खुले बाजार संचालन का उपयोग किया जाता है।
- ब्याज दरें: केंद्रीय बैंक मुद्रारस्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों का उपयोग एक उपकरण के रूप में करते हैं। ब्याज दरें बढ़ाकर, उनका लक्ष्य उधार लेने और खर्च को कम करना है, जिससे अर्थव्यवस्था को शांत करने और अत्यधिक मुद्रारस्फीति को रोकने में मदद मिल सकती है।
- खुले बाजार संचालन: केंद्रीय बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद या बेचकर भी मुद्रारस्फीति को प्रभावित कर सकते हैं। प्रतिभूतियों को बेचने से धन की आपूर्ति कम हो सकती है, जबकि उन्हें खरीदने से इसमें वृद्धि हो सकती है।
- राजकोषीय नीति: इसमें सरकारी खर्च में कमी और कर नीतियों को समायोजित करना शामिल है।
- उच्च कर खर्च योज्य आय और व्यय को कम कर सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को ठंडा करने में मदद मिलेगी।
- आपूर्ति-पक्ष नीतियां: इसमें मुद्रारस्फीति को नियंत्रित करने के लिए उत्पादकता में सुधार और श्रम बाजार में सुधार शामिल हैं।
- विनियम दर नीतियां: एक स्थिर विनियम दर आयातित वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करके मुद्रारस्फीति को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। एक मजबूत मुद्रा आयात को संतुलित करना है, जिससे मुद्रारस्फीति पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है।

- मुद्रासंक्षिप्ति लक्ष्यीकरण:** केंद्रीय बैंक एक विशिष्ट मुद्रासंक्षिप्ति लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति को समायोजित करते हैं। यह पारदर्शिता प्रदान करता है और मुद्रासंक्षिप्ति की उम्मीदों को नियंत्रित करने में मदद करता है।
- व्यापक विवेकपूर्ण नीतियां:** ये नीतियां वित्तीय प्रणाली में जोखिमों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं जो मुद्रासंक्षिप्ति के दबाव में योगदान कर सकती हैं। उपायों में वित्तीय संस्थानों द्वारा अत्यधिक जोखिम लेने को शोकने के लिए ऋण वृद्धि पर शीमा निर्धारित करना या नियमों को लागू करना शामिल हो सकता है।

RBI ने AIFS में निवेश करने वाले क्रणदाताओं के लिए नियम कड़े किए

खबरों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) में अपने निवेश के संबंध में बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को नए नियंत्रण जारी किए हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

RBI का उद्देश्य:

- नियंत्रण का उद्देश्य निगरानी को कड़ा करना और कुछ निवेश संरचनाओं से जुड़े जोखिमों को कम करना है, संभावित रूप से सदाबहार या अन्य वित्तीय कमज़ोरियों को शोकना है। वित्तीय संस्थानों को ढी गई समयसीमा के भीतर मौजूदा निवेश की समीक्षा और पुनर्गठन करके अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

डाउनस्ट्रीम निवेश के साथ एआईएफ में निवेश पर प्रतिबंध

- बैंकों और एनबीएफसी को एआईएफ में निवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है, जिनका बैंक की देनदार कंपनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डाउनस्ट्रीम निवेश है। शब्द "देनदार कंपनी" किसी भी कंपनी को संदर्भित करता है, जिसमें विनियमित संस्थाओं (बैंक और NBFC) के पास तर्तमान में या पिछले 12 महीनों के भीतर ऋण या निवेश जोखिम था।



सदाबहार चिंताओं को संबोधित करना

- RBI का लक्ष्य इस मार्ग के माध्यम से "सदाबहार" से संबोधित चिंताओं को दूर करना है। एवरब्रीनिंग में आम तौर पर मौजूदा ऋणों पर व्याज भुगतान को कवर करने के लिए उधारकर्ताओं को नया ऋण प्रदान करना शामिल है।

कुछ लेन-देन पर विनियामक चिंताएं

- आरबीआई ने कुछ लेन-देन पर ध्यान दिया है जहां विनियमित संस्थाएं एआईएफ की इकाइयों में निवेश के माध्यम से उधारकर्ताओं को प्रत्यक्ष ऋण जोखिम के स्थान पर अप्रत्यक्ष जोखिम देती हैं। नोटिस से पता चलता है कि इस तरह के लेनदेन से नियामक संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं।

निवेश का परिसमाप्त

- यदि कोई बैंक या NBFC पहले से ही एआईएफ में निवेशित है जो देनदार कंपनी में डाउनस्ट्रीम निवेश करता है, तो बैंक को ऐसे डाउनस्ट्रीम निवेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर या AIF में अपने निवेश को समाप्त करना होगा।

प्रावधान और पूँजी कटौती

- यदि बैंक या एनबीएफसी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने निवेश को समाप्त करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें ऐसे निवेश पर 100% प्रावधान करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, 'प्राथमिकता वितरण मॉडल' के साथ किसी भी एआईएफ की अधीनस्थ इकाइयों में बैंकों द्वारा निवेश बैंक या एनबीएफसी की पूँजी निधि से पूर्ण कटौती के अधीन होगा।

वैकल्पिक निवेश कोष (AIF)

- भारत में वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) भारतीय प्रतिभूति और विनियमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित एकत्रित निवेश कोष की एक श्रेणी है।
- AIF पारंपरिक म्यूचुअल फंड से अलग हैं और उच्च रिटर्न चाहने वाले और उच्च जोखिम लेने के इच्छुक परिष्कृत निवेशकों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

AIF के प्रकार

- श्रेणी I AIF: इनमें वे फंड शामिल हैं जो सेबी द्वारा निर्दिष्ट स्टार्टअप, प्रारंभिक चरण के उद्यमों, सामाजिक उद्यमों, एसएमई, बुनियादी ढांचे या अन्य क्षेत्रों में निवेश करते हैं। इन फंडों को कुछ निश्चित कर लाभ मिलते हैं।
- श्रेणी II AIF: इस श्रेणी में वे फंड शामिल हैं जो श्रेणी I या III के अंतर्गत नहीं आते हैं और लीवरेज नहीं हैं या जटिल ट्रेडिंग रणनीतियों को नियोजित नहीं करते हैं। निजी इविवटी, डेट फंड, रियल एस्टेट फंड आदि इस श्रेणी में आते हैं।
- श्रेणी III AIF: हेज फंड और अल्पकालिक रिटर्न के लिए जटिल ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग करने वाले फंड इस श्रेणी में आते हैं। वे उतोलन और डेविलपमेंट का बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकते हैं।

विशेषताएँ

- निवेशकों की सुरक्षा और बाजार स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सेबी एआईएफ को नियंत्रित करता है।
- AIF उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों, संस्थान निवेशकों और कुछ योग्य व्यक्तियों या संस्थाओं जैसे परिष्कृत निवेशकों को सेवा प्रदान करते हैं।
- AIF में आम तौर पर म्यूचुअल फंड जैसे पारंपरिक निवेश माध्यमों की तुलना में अधिक जोखिम शामिल होते हैं।
- उन्हें ट्रस्ट, कंपनियों या सीमित देयता भागीदारी (LLP) के रूप में संरचित किया जा सकता है।
- AIF के लिए न्यूनतम निवेश राशि आम तौर पर म्यूचुअल फंड से अधिक होती है, जो उन्हें मुख्य रूप से समृद्ध निवेशकों के लिए सुलभ बनाती है।
- AIF में लॉक-इन अवधि हो सकती है, जो एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निकारी या मोवन को प्रतिबंधित करती है।

फायदे

- AIF विविध परिसंपत्ति वर्गों और निवेश रणनीतियों के लिए एक सोलेजर प्रदान करते हैं।
- वैकल्पिक परिसंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण, AIF पारंपरिक निवेश विकल्पों की तुलना में अधिक रिटर्न का लक्ष्य रखते हैं।
- इनका प्रबंधन अनुभवी फंड प्रबंधकों और वैकल्पिक निवेश में विशेषज्ञता वाले पेशेवरों द्वारा किया जाता है।

हुनोतियां

- वैकल्पिक और कम तरल संपत्तियों में निवेश के कारण AIF में उच्च जोखिम शामिल है।
- कई AIF में लॉक-इन अवधि होती है, जिससे निवेशकों की धन निकालने की क्षमता सीमित हो जाती है।
- बार-बार विनियामक परिवर्तन AIF की कार्यप्रणाली और संरचना को प्रभावित कर सकते हैं।



जीनोम अनुक्रमण

खबरों में क्यों?

UK ने पांच लाख पूर्ण-जीनोम अनुक्रमों को पूरा करने की घोषणा की है, जो उसकी आबादी का लगभग 0.7% है।

महत्वपूर्ण बिंदु


जनसंख्या जीनोमिक्स

- यह व्यक्तियों की आबादी का अध्ययन करने के लिए जीनोमिक प्रौद्योगिकियों का बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग है।
- उदाहरण के लिए, जनसंख्या जीनोमिक्स अनुसंधान का उपयोग मानव वंश, प्रवासन और स्वास्थ्य का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकियों के आगमन के साथ जीनोमिक्स में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है जिसने शूपुट में काफी सुधार किया है और पूर्ण-जीनोम अनुक्रमण की लागत को कम कर दिया है, जिससे जनसंख्या-पैमाने पर जीनोम-अनुक्रमण कार्यक्रमों को बढ़ावा मिला है।

उद्देश्य एवं लाभ

- जनसंख्या-पैमाने पर जीनोम प्रयासों के काफी विविध उद्देश्य हैं।
- कई कार्यक्रम ऐन की व्यापकता और ऐनों के लिए बायोमार्कर को समझने के लिए एक अद्वितीय जनसंख्या संरचना का लाभ उठाते हैं, और इसका उपयोग नए चिकित्सीय लक्ष्यों की खोज को सुविधा करने के लिए करते हैं।
- अन्य प्रयास स्केलेबल सार्वजनिक-स्वास्थ्य पहल का निर्माण करना चाहते हैं जहां जीनोमिक डेटा का उपयोग निर्णय लेने और चिकित्सा देखभाल में किया जाता है।
- जनसंख्या-स्तरीय जीनोमिक्स का दीर्घकालिक प्रभाव व्यक्तिगत स्वास्थ्य, मानव विकास की समझ को आकार देने, प्रवासन पैटर्न और विविध वातावरणों में अनुकूलन से परे फैला हुआ है।

WHOLE GENOME SEQUENCING



प्रगति और विभिन्न विकास

- DeCODE पहल: बड़े पैमाने पर जनसंख्या आनुवंशिक अध्ययन का उपयोग करने का प्रारंभिक प्रयास आइसलैंड में DeCODE जीनोमिक्स द्वारा 1996 में शुरू किया गया था, जिसमें लगभग एक दशक के समय में अधिकांश आइसलैंडिक आबादी आनुवंशिक अध्ययन के लिए नामांकन कर रही थी।
- DeCODE प्रयास से ऐनों की आनुवंशिकी की समझ और जोखिम मूल्यांकन में ऐसे डेटा की उपयोगिता में काफी सुधार हुआ।
- इसने मेडिकल रिकॉर्ड और लोगों की वंशावली को एकीकृत करने के लिए भी आधार तैयार किया, जिसके परिणामस्वरूप नई ठवाएं और उपचार विज्ञान सामने आए।
- 100K जीनोम परियोजना: UK की '100K जीनोम' परियोजना का उद्देश्य जीनोमिक्स को नियमित स्वास्थ्य देखभाल में लाना है।
- वित्तिधता मानव जीनोम पहल: फार्मास्युटिकल कंपनियों की एक हालिया पहल ने वित्तिधता मानव जीनोम पहल के माध्यम से अफ्रीकी मूल के पांच लाख से अधिक व्यक्तियों को अनुक्रमित करने की भी योजना बनाई है।
- संपूर्ण अमेरिकी कार्यक्रम: यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण से विता पोषण के साथ दस लाख लोगों की आनुवंशिक जानकारी एकत्र करेगा।
- यूरोपीय संघ ने हाल ही में '1+ मिलियन जीनोम' पहल शुरू की है।
- वर्तमान में 'भी मिलियन अफ्रीकन जीनोम' पर भी काम चल रहा है, जैसा कि अमीराती जीनोम कार्यक्रम की एक मिलियन से अधिक नमूनों को अनुक्रमित करने की योजना है (400,000 से अधिक पहले ही पूरे हो चुके हैं)।

एशिया में परिदृश्य

- पूरे महाद्वीप में कई साझेदारों के नेतृत्व में जीनोमएशिया परियोजना, विविध आबादी से एक लाख पूरे जीनोम को अनुक्रमित करने की योजना बना रही है।
- इंडिजेन: भारत में जनसंख्या जीनोम के लिए इंडिजेन नामक एक पारालैट कार्यक्रम ने भारत के महानगरीय क्षेत्रों के व्यक्तियों के एक हजार से अधिक जीनोम का प्रारंभिक दृश्य प्रदान किया।
- इससे कई उपचार योग्य आनुवंशिक बीमारियों और नैदानिक महत्व के प्रकारों के परिणाम के कुछ सुराज भी मिले, जिनमें ठवाओं की प्रभावकारिता और विषाक्तता और दुर्लभ विकारों की व्यापकता शामिल हैं।

- जीनोमइंडिया पहल: जीनोमइंडिया पहल के तहत विविध जनसंख्या समूहों से 10,000 संपूर्ण जीनोम को अनुक्रमित करने का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है।

मुद्दे और चुनौतियाँ

- जिस तरह जनसंख्या-स्तरीय कार्यक्रम नए दरवाजे खोलते हैं, तो नई चुनौतियों का भी सामना करते हैं, विशेष रूप से इन जीनोम की नैतिकता और उन तक पहुंच और उन पर आधारित खोजों के संबंध में।
- न्यायसंगत प्रतिनिधित्व और खोजों के फल तक पहुंच के संबंध में भी महत्वपूर्ण विंताएं हैं (उदाहरण के लिए जनसंख्या-पैमाने के डेटा सेट में कुछ जातीय समूहों का अति-प्रतिनिधित्व)।

क्या किया जाए?

- अमेरिका जैसे देशों ने आनुवंशिक डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए साक्रिय रूप से नियामक ढांचे बनाए हैं, जैसे कि आनुवंशिक सूचना गैर-भेटभाव अधिनियम की शर्तों का उपयोग करके बीमा और रोजगार भेटभाव को रोकना।
- डेटा की उपयोगिता के बारे में सबूतों के बढ़ते समूह के साथ, यह पूरी तरह से संभव है कि आने वाले दशक में दुनिया भर में मनुष्यों की एक बड़ी संख्या में उनके पूरे जीनोम को उनके जीवनकाल में अनुक्रमित किया जाएगा और साथ ही इसी तरह की एक बड़ी संख्या में भी लोग नियमित निदान कार्यों के लिए और नवजात शिशुओं की बीमारियों के लिए अनुक्रमण डेटा से प्राप्त जानकारी तक पहुंचने में सक्षम हो रहे हैं।

एक्स-रे पोलारिमीटर उपग्रह

खबरों में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा भारत के पहले एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट (XPoSAT) का प्रक्षेपण देश के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयोगों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में।

महत्वपूर्ण बिंदु

अवलोकन

- एक्स-रे ध्रुवीकरण की जांच: XPoSAT का लक्ष्य 8-30 KV के ऊर्जा बैंड में तीव्र एक्स-रे स्रोतों के ध्रुवीकरण का पता लगाना और मापना है।
- व्यापक अध्ययन: यह उज्ज्वल एक्स-रे स्रोतों की अस्थायी, वर्णक्रमीय और ध्रुवीकरण विशेषताओं का एक साथ अवलोकन करेगा।
- अवलोकन अवधि: अंतरिक्ष यान पृथ्वी की छाया (ब्रह्मण अवधि) के माध्यम से अपने पारगमन के दौरान एक्स-रे स्रोतों का निरीक्षण करेगा।

पेलोड

- पोलिक्स (एक्स-रे में पोलारिमीटर उपकरण):
- कार्य: खगोलीय स्रोतों से 8-30 KV की मध्यम एक्स-रे ऊर्जाएंज में पोलारिमेट्री पैशमीटर (ध्रुवीकरण की डिग्री और कोण) को मापना।
- विकास: विभिन्न इसरो केंद्रों के समर्थन से, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRI), बैंगलुरु द्वारा डिजाइन किया गया।
- XSPECT (एक्स-रे रेपेक्ट्रोस्कोपी और समय):
- कार्य: 0.8-15 केर्वी की ऊर्जा सीमा के भीतर रेपेक्ट्रोस्कोपिक जानकारी प्रदान करना।
- विकास: U.R. याव सैटेलाइट सेंटर (URAC), इसरो द्वारा विकसित।

कक्षा और अवधि

- कक्षा: XPoSAT अंतरिक्ष यान को निम्न पृथ्वी कक्षा (लगभग 650 किमी की ऊंचाई की गैर-सूर्य तुल्यकालिक कक्षा) और लगभग 70 डिग्री के कम झुकाव से संवालित करने के लिए नामित किया गया है।
- मिशन जीवन: लगभग पाँच वर्ष होने की उम्मीद है।



XPOSat मिशन का महत्व

- एक्स-रे खगोल विज्ञान को आगे बढ़ाना: एक्स-रे ध्रुवीकरण पर XPoSAT का फोकस भारत में एक्स-रे खगोल विज्ञान अध्ययन में एक नया आयाम जोड़ता है, जो मौजूदा इमेजिंग, टाइम-डोमेन अध्ययन और रेपेक्ट्रोस्कोपी का पूरक है।
- वैज्ञानिक प्रत्याशा: मिशन ब्रह्मांडीय एक्स-रे स्रोतों की प्रकृति और व्यवहार में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने की अपनी क्षमता के कारण वैज्ञानिक समुदाय के भीतर उत्साह पैदा करता है।

एक्स-रे पोलारिमेट्री के बारे में

- यह खगोल विज्ञान की एक शाखा है जो आकाशीय पिंडों द्वारा उत्सर्जित एक्स-रे फोटोन के ध्रुवीकरण को मापने और विश्लेषण करने पर केंद्रित है।
- इसका उद्देश्य एक्स-रे उत्सर्जन की ध्रुवीकरण विशेषताओं का अध्ययन करके ब्लैक होल, न्यूट्रोन तारे, पल्सर और साक्रिय गैलेक्टिक नाभिक (AGN) जैसे उच्च-ऊर्जा खगोलभौतिकीय स्रोतों के भौतिक गुणों को समझाना है।

पोलारिमेट्री की मूल बातें:

- ध्रुवीकरण: ध्रुवीकरण विद्युत चुम्बकीय तरंगों के दोलन के अभिविन्यास को संदर्भित करता है। एकस-ए के संदर्भ में, ध्रुवीकरण उस दिशा का वर्णन करता है जिसमें एकस-ए तरंग से जुड़ा विद्युत क्षेत्र दोलन करता है।
- पोलारिमेट्री उपकरण: एकस-ए पोलारिमीटर विशेष उपकरण हैं जिन्हें आकाशीय स्रोतों से एकस-ए फोटॉन की ध्रुवीकरण स्थिति का पता लगाने और मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वे आम तौर पर एकस-ए के ध्रुवीकरण को समझने में सक्षम झांझरी, विश्लेषक या अन्य प्रौद्योगिकियों जैसे उपकरणों का उपयोग करते हैं।

महत्व:

- खगोलभौतिकीय घटना का खुलासा: एकस-ए पोलारिमेट्री के वेल पारंपरिक इमेजिंग या रेपेट्रोस्कोपी के माध्यम से प्राप्त नहीं होने वाली अनूठी जानकारी प्रदान करके विभिन्न खगोलभौतिकीय वस्तुओं और घटनाओं के रहस्यों को सुलझाने में मदद करती है।
- चुंबकीय क्षेत्र की जांच: ध्रुवीकृत एकस-ए आकाशीय पिंडों में मौजूद चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी लेते हैं। एकस-ए उत्सर्जन के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने से इन चुंबकीय क्षेत्रों की ज्यामिति और ताकत को समझने में मदद मिलती है।
- उत्सर्जन तंत्र की जांच: एकस-ए के ध्रुवीकरण का विश्लेषण उच्च-ऊर्जा खगोल भौतिकी स्रोतों में काम पर उत्सर्जन तंत्र की पहचान करने, कण त्वरण और विकिरण प्रक्रियाओं की प्रकृति पर प्रकाश डालने में सहायता करता है।

तकनीकें और चुनौतियाँ:

- इंस्ट्रुमेंटेशन विकास: एकस-ए संकेतों की फीकी और जटिल प्रकृति के कारण संवेदनशील और सटीक एकस-ए पोलिमीटर बनाना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। एकस-ए ध्रुवीकरण का सटीक रूप से पता लगाने और मापने में सक्षम उपकरणों को विकसित करने के लिए उन्नत तकनीकी नवाचारों की आवश्यकता है।
- डेटा विश्लेषण: ध्रुवीकृत एकस-ए डेटा का विश्लेषण करने के लिए माप की व्याख्या करने और आकाशीय पिंडों के बारे में सार्थक जानकारी प्राप्त करने के लिए परिष्कृत एल्गोरिदम और कम्प्यूटेशनल तकनीकों की आवश्यकता होती है।
- अवलोकन संबंधी चुनौतियाँ: अंतरिक्ष वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाले पोलारिमेट्रिक डेटा प्राप्त करने में पृष्ठभूमि शोर, वाद्य प्रभाव और अंशांकन मुद्दों से निपटना शामिल है।

अनुप्रयोग और प्रभाव:

- ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार अध्ययन: पोलारिमेट्री ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों के पास चरम स्थितियों को समझने में सहायता करती है, उनकी अभिवृद्धि प्रक्रियाओं, चुंबकीय क्षेत्रों और सापेक्ष प्रभावों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
- सक्रिय गैलेविटक नाभिक (AGN): AGN से एकस-ए उत्सर्जन के ध्रुवीकरण की जांच करने से उनके तीव्र विकिरण और जेट संरचनाओं के पीछे के तंत्र को जानने में मदद मिलती है।
- ब्रह्माण्ड संबंधी अंतर्दृष्टि: ब्रह्मांडीय एकस-ए पृष्ठभूमि विकिरण की पोलारिमेट्री ब्रह्मांड के प्रारंभिक चरणों और विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है, जो मूल्यवान ब्रह्माण्ड संबंधी जानकारी प्रदान करती है।

गजराज सॉफ्टवेयर

खबरों में क्यों?

ट्रेन-हाथी की टक्कर को रोकने के लिए, रेल मंत्रालय ने 'गजराज' के विकास की घोषणा की।

महत्वपूर्ण बिंदु

- 'गजराज', रेल पटरियों पर या उसके निकट किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में लोकोमोटिव पायलट को सवेत करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) का उपयोग करने वाला एक स्वदेशी सॉफ्टवेयर है।

कार्यक्षमता

- "AI और OFC का उपयोग करते हुए, सॉफ्टवेयर पटरियों के 200 मीटर के भीतर किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने पर अलार्ट दिग्गज करता है।"
- रेल के किनारे हाथियों की आवाजाही के कारण होने वाले कंपन और एक्सी द्वारा तो जाए जाने वाले ऑप्टिकल संकेतों में भिन्नता पैदा करते हैं, जो संभावित खतरे का संकेत देते हैं।
- सॉफ्टवेयर इन सिनेल व्यवधानों को गति के संकेतों के रूप में पहचानता है, विशेष रूप से हाथियों, अन्य जानवरों और मनुष्यों की उपस्थिति का पता लगाता है और उनके बीच अंतर करता है।
- सॉफ्टवेयर में किसी दिए गए रेल पर मौजूद जानवरों की गतिविधि के प्रकार और संख्या को पहचानने की क्षमता है।
- किसी भी गतिविधि का पता चलने पर सिर्टम द्वारा उत्पन्न अलार्ट लोकोमोटिव पायलट, नियंत्रण कक्ष कर्मियों और सेक्शन रेटेशन मास्टर तक पहुंच जाता है।



पहल की ताक़ालिकता

- ऐत मन्त्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि पिछले तीन वर्षों में ट्रेन दुर्घटनाओं के कारण 45 हाथियों की मौत हुई है।
- पिछले दशक में, ट्रेनों से टकराने के कारण लगभग 200 हाथियों की जान चली गई, जिससे बन्यजीवन और रेलवे परिचालन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा हो गया।
- हाल ही में, पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्दार जिले में एक मालगाड़ी से हुई दुखद टक्कर में एक माँ और उसके दो बच्चों सहित तीन हाथियों की जान चली गई।

कार्यान्वयन

- AI-आधारित 'गजराज' सॉफ्टवेयर, जिसका असम में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, को 181 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अगले आठ महीनों के भीतर कई राज्यों में 700 किलोमीटर के छाथी गतियारों में तैनात करने की तैयारी है।

महत्व

- गजराज सुरक्षा, जो एक प्रकार की धुसपैठ जांच प्रणाली या IDS है, AI एलगोरिदम पर आधारित है और 99.5 प्रतिशत संभावित टकरावों का पता लगाने का दावा करती है, जो इस लंबे समय से चले आ रहे हुए का एक बहुत जरूरी समाधान प्रदान करती है।
- इस तकनीक का एक प्रमुख लाभ इसकी लागत-प्रभावशीलता है। 700 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक वाले विशाल नेटवर्क पर, कार्यान्वयन लागत 181 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो इसे भारतीय रेलवे के लिए एक व्यवहार्य और स्फैक्टेबल समाधान बनाती है।
- भारतीय रेलवे अगले 8 महीनों में देश के सभी छाथी गतियारों में इस समाधान को तैनात करने की योजना बना रहा है।
- इस स्वदेशी तकनीक की शुरुआत बन्यजीवों की रक्षा और रेलवे परिचालन की सुरक्षा बढ़ाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- चूंकि भारत आधुनिक बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण के बीच नाजुक संतुलन से जूँग रहा है, गजराज सुरक्षा जैसे नवाचार, देश की समृद्धि जैव विविधता पर प्रभाव को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं।

डार्क पैटर्न

खबरों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने CCPA के दिशानिर्देशों के तहत ई-कॉर्मर्स प्लेटफार्मों पर 13 "डार्क पैटर्न" साइटों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

दिशानिर्देश:


- ये पैटर्न धोखा देते हैं या हेरफेर करते हैं।
- इनमें झूठी ताक़ालिकता, टोकरी को छिपाना और जबरन कार्रवाई शामिल है।
- दिशानिर्देश खरीदारों, विक्रेताओं, बाज़ार और नियामकों के लिए रूपान्वयन सुनिश्चित करते हैं, जो अनुचित व्यापारिक प्रथाओं के रूप में अवैकार्य हैं, उन्हें परिभाषित करते हैं।
- दिशानिर्देश भारत में सामान और सेवाएं प्रदान करने वाले सभी प्लेटफार्मों और यहां तक कि विज्ञापनदाताओं और विक्रेताओं पर भी लागू होते हैं।
- डार्क पैटर्न का सहाया लेना भ्रामक विज्ञापन या अनुचित व्यापार व्यवहार या उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा।

दिशानिर्देश क्या कहते हैं?

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
- मन्त्रालय ने 13 भ्रामक प्रथाओं को परिभाषित किया है जिन्हें 'डार्क पैटर्न' के रूप में माना जाएगा और इनमें शामिल हैं:
- कमी की कृतिम भावना पैदा करके झूठी ताक़ालिकता पैदा करना,
- बारकेट स्नीकिंग, जहां अतिरिक्त वस्तुओं का समावेश होता है जैसे कि उपयोगकर्ता द्वारा देय कुल शाशि उत्पाद के साथ-साथ सदस्यता जात के लिए देय शाशि से अधिक है।
- जबरन कार्रवाई: उपयोगकर्ताओं को इसादे से अधिक व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित करना।

डार्क पैटर्न क्या हैं और इसके प्रकार?

- डार्क पैटर्न, जिसे भ्रामक पैटर्न के रूप में भी जाना जाता है, वेबसाइटों और ऐप्स द्वारा उपयोगकर्ताओं को ऐसे कार्य करने के लिए नियोजित रणनीतियों को संदर्भित करता है जो उनका इरादा नहीं था या उन व्यवहारों को छोड़ते हुए जो कंपनियों के लिए फायदेमंद नहीं हैं।
- यह शब्द 2010 में उपयोगकर्ता अनुभव (UX) डिजाइनर हैरी ब्रिग्नुल द्वारा गढ़ा गया था।
- ये पैटर्न अक्सर संज्ञानात्मक पूर्वावधारों का फायदा उठाते हैं और झूठी ताक़ालिकता, जबरन कार्रवाई, छिपी हुई लागत आदि जैसी रणनीति अपनाते हैं।
- वे रूप से ध्यान देने योग्य युक्तियों से लेकर अधिक सूक्ष्म तरीकों तक हो सकते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता तुरंत पहचान नहीं सकते हैं।



डार्क पैटर्न के प्रकार:

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा उपयोग किए जा रहे नौ प्रकार के डार्क पैटर्न की पहचान की हैं:

- ज़ूठी तात्कालिकता: उपभोक्ताओं पर खरीदारी करने या कोई कार्रवाई करने के लिए दबाव डालने की तात्कालिकता या कमी की आवाना पैदा करता है;
- बार्स्केट रनीकिंग: उपयोगकर्ता की सहमति के बिना शॉपिंग कार्ट में अतिरिक्त उत्पाद या सेवाएं जोड़ने के लिए डार्क पैटर्न का उपयोग किया जाता है;
- शेमिंग की पुष्टि करें: उपभोक्ताओं को पालन करने के लिए अपराध बोध का उपयोग करता है; किसी विशेष विश्वास या ट्रिकोण के अनुरूप नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं की आलोचना करता है या उन पर हमला करता है;
- जबरन कार्रवाई: उपभोक्ताओं को ऐसी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है जो वे नहीं करना चाहते, जैसे सामग्री तक पहुंचने के लिए किसी सेवा के लिए साइन अप करना;
- प्रेशान करना: लगातार आलोचना, शिकायतें और कार्रवाई के लिए अनुरोध;
- सदरस्यता जाल: किसी सेवा के लिए साइन अप करना आसान है लेकिन होड़ना या रद्द करना मुश्किल है; विकल्प छिपा हुआ है या कई वरणों की आवश्यकता है;
- चारा और रिवच: एक निश्चित उत्पाद/सेवा का विज्ञापन करना, लेकिन दूसरा, अक्सर कम गुणवत्ता वाला, वितरित करना;
- छिपी हुई लागत: अतिरिक्त लागतों को तब तक छिपाना जब तक उपभोक्ता पहले से ही खरीदारी करने के लिए प्रतिबद्ध न हो जाएं;
- प्रचलन विज्ञापन: सामग्री की तरह दिखने के लिए डिज़ाइन किए गए, जैसे समाचार लेख या उपयोगकर्ता-जनित सामग्री।

फॉर्डफैंटम

खबरों में क्यों?

फॉर्डफैंटम का उद्घाटन एंड्रॉइड मैलवेयर के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण खतरे का प्रतिनिधित्व करता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

Fjordphantom Android मैलवेयर का अवलोकन

- वितरण चैनल: फॉर्डफैंटम एक वैध बैंकिंग ऐप के रूप में प्रस्तुत करते हुए, परिष्कृत सोशल इंजीनियरिंग रणनीति का उपयोग करता है। यह ईमेल, SMS और मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से फैलता है, जो ढक्किंग पूर्व एशिया, विशेष रूप से इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम के उपयोगकर्ताओं को लक्षित करता है।
- अनुरूपी तकनीक - वर्चुअलाइजेशन: फॉर्डफैंटम वर्चुअलाइजेशन का उपयोग करता है, जो मैलवेयर के बीच एक अभिनव और पहले से अननेक्य विधि है। यह उपकरणों के भीतर एक आभासी वातावरण बनाता है, जो मैलवेयर को गुप्त रूप से संचालित करने और पहचान से बचने में सक्षम बनाता है।
- बैंकिंग ऐप्स में घुसपैठ: यह मैलवेयर विशेष रूप से बैंकिंग अनुप्रयोगों में घुसपैठ करने, सुरक्षा उपायों को बायापास करने के लिए दुर्भावनापूर्ण कोड इंजेक्ट करने और ऐप के भीतर सूचना चोरी और उपयोगकर्ता इंटरैक्शन में हेल्पर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

फॉर्डफैंटम द्वारा अपनाई गई रणनीतियाँ


- एकसे सर्विस बायापास: बिना पता लगाए ऐप की स्क्रीन से जानकारी चुराता है।
- रूट डिटेक्शन इवेसन: सुरक्षा जांच से बचने के लिए Google Play सेवाओं की उपस्थिति को छुपाता है।
- डायलॉग बॉक्स फ्रेम: चेतावनियाँ छुपाता है जो उपयोगकर्ताओं को दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के प्रति सचेत कर सकता है।
- व्यापक डेटा टॉगिंग: शोषण के लिए उपयोगकर्ता गतिविधि और ऐप व्यवहार पर नज़र रखता है।

फॉर्डफैंटम से बचाव के उपाय

- विश्वसनीय स्रोतों से डाउनलोड करें: अविश्वसनीय वेबसाइटों और बाज़ारों से बचते हुए, केवल प्रतिष्ठित स्रोतों से ही ऐप डाउनलोड करें।
- सुरक्षा सॉफ्टवेयर को अद्यतन रखें: सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल सुरक्षा सॉफ्टवेयर नवीनतम संस्करण के साथ अद्यतन है।
- सावधानी बरतें: संदिग्ध संदेशों और लिंक से सावधान रहें, अज्ञात अनुलब्धियों पर विलक्षण करने से बचें।
- शीघ्र रिपोर्टिंग: यदि संक्रमण का संदेह है, तो त्वरित कार्रवाई के लिए तुरंत प्रोमोन और अपने वित्तीय संरक्षण को इसकी सूचना दें।

मैलवेयर के बारे में

- मैलवेयर, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त रूप, किसी भी सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है जो विशेष रूप से कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को बाधित करने, क्षति पहुंचाने या अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह एक व्यापक शब्द है जिसमें विभिन्न प्रकार के हानिकारक सॉफ्टवेयर शामिल हैं जिनका उपयोग साइबर अपराधी उपकरणों से छेड़छाड़ करने, डेटा चोरी करने या उपयोगकर्ताओं या संगठनों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं।



मैलवेयर के प्रकार:

- वायरस: दुर्भावनापूर्ण कोड जो वैध कार्यक्रमों से जुड़ जाता है और इन कार्यक्रमों के निष्पादित होने पर फैल जाता है।
- वर्म्स: स्व-प्रतिकृति मैलवेयर जो नेटवर्क और उपकरणों में फैलता है, अक्सर सुरक्षा कमज़ोरियों का फायदा उठाता है।
- ट्रोजन: वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रचलित, ट्रोजन उपयोगकर्ताओं को उन्हें निष्पादित करने में धोखा देते हैं, जिससे हमलावरों को अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने या संवेदनशील जानकारी चुराने की अनुमति मिलती है।
- ऐनसमवेयर: फ़ाइलों को एन्क्रिप्ट करता है या उपयोगकर्ताओं को उनके सिस्टम से लॉक कर देता है, पहुंच बढ़ाव करने के लिए भुगतान (आमतौर पर क्रिप्टोकरेसी में) की मांग करता है।
- स्पाइवेयर: गुप्त रूप से उपयोगकर्ता की जानकारी एकत्र करता है या सहमति के बिना गतिविधियों की निगरानी करता है, अक्सर विज्ञापन या डेटा चोरी के लिए।
- एडवेयर: अवांछित विज्ञापन प्रदर्शित करता है और अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के साथ आता है।
- बोटनेट: संक्रमित कंप्यूटरों के नेटवर्क को समन्वित कार्यों को करने के लिए दूर से नियंत्रित किया जाता है, जैसे DDoS हमले शुरू करना या स्पैम भेजना।
- रूटकिट्स: सिस्टम के भीतर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को छुपाता है, जिससे हमलावरों को तिशेषाधिकार प्राप्त पहुंच और नियंत्रण प्राप्त होता है।

मैलवेयर वितरण विधियाँ:

- फ़िशिंग: उपयोगकर्ताओं को मैलवेयर डाउनलोड करने या संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए धोखा देने के लिए आमक ईमेल या संदेश भेजना।
- ड्राइव-बाय डाउनलोड: किसी छेड़छाड़ की नई या दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट पर जाकर डिवाइस को संक्रमित करना।
- मैलवेयर: वैध वेबसाइटों पर ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से मैलवेयर वितरित करना।
- सॉफ्टवेयर भेदाताएँ: मैलवेयर इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम में सुरक्षा कमज़ोरियों का फायदा उठाना।

मैलवेयर का प्रभाव:

- डेटा चोरी: मैलवेयर का लक्ष्य अक्सर व्यक्तिगत, वित्तीय या गोपनीय जानकारी चुराना होता है।
- वित्तीय हानि: ऐसमवेयर हमलों से व्यक्तियों और संगठनों को महत्वपूर्ण वित्तीय हानि हो सकती है।
- सेवाओं में व्यवधान: मैलवेयर सिस्टम को निष्क्रिय कर सकता है, जिससे व्यवसायों या व्यक्तियों के लिए डाउनटाइम हो सकता है।
- गोपनीयता का उल्लंघन: स्पाइवेयर और अन्य प्रकार के मैलवेयर सहमति के बिना संवेदनशील जानकारी एकत्र करके उपयोगकर्ता की गोपनीयता पर हमला करते हैं।
- पहचान की चोरी: चुराए गए व्यक्तिगत डेटा का उपयोग पहचान की चोरी के लिए किया जा सकता है, जिससे विभिन्न धोखाधड़ी वाली गतिविधियाँ हो सकती हैं।

सुरक्षा एवं रोकथाम:

- एंटीवायरस/एंटी-मैलवेयर सॉफ्टवेयर: नियमित रूप से अपडेट किया गया सुरक्षा सॉफ्टवेयर मैलवेयर का पता लगाने और उसे हटाने में मदद करता है।
- फ़ायरवॉल: एक विश्वसनीय आंतरिक नेटवर्क और अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करते हुए, अनधिकृत पहुंच को रोकते हैं।
- नियमित अपडेट और पैट्रिंग: कमज़ोरियों को ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लिकेशन को अपडेट रखें।
- उपयोगकर्ता जागरूकता: उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित ब्राउज़रिंग आदतों, संटिलिंग लिंक या डाउनलोड से बचने और फ़िशिंग प्रयासों को पहचानने के बारे में शिक्षित करना।
- बैकअप सिस्टम: मैलवेयर हमलों की रिस्ति में डेटा हानि को रोकने के लिए नियमित रूप से डेटा का बैकअप लें।

GNOME

खबरों में क्यों?

Google DeepMind शोधकर्ताओं ने 2 मिलियन से अधिक नई सामग्रियों की संरचनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमता का लाभ उठाकर सामग्री विज्ञान में एक अभूतपूर्व मील का पत्थर ढासित किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह विकास नवीकरणीय ऊर्जा, बैटरी अनुसंधान, सेमीकंडक्टर डिजाइन और कंप्यूटिंग दक्षता जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए व्यापक निहितार्थ के साथ सामग्री खोज में तेजी लाने में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाता है।

महत्व एवं प्रभाव

- इस सफलता से ज्ञात स्थिर सामग्रियों की सूची में उल्लेखनीय रूप से दस गुना वृद्धि हुई है।
- स्थिर सामग्री, विशेष रूप से अकार्बनिक क्रिस्टल, अपनी विश्वसनीयता और स्थायित्व के कारण कंप्यूटर चिप्स और बैटरी जैसे आधुनिक तकनीकी अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण हैं।
- पहचानी गई 2.2 मिलियन सामग्रियों में से, Google DeepMind ने 381,000 पूर्वानुमानित स्थिर क्रिस्टल संरचनाओं की एक सूची प्रकाशित की है।
- ये भविष्यवाणियों सामग्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आगे की खोज और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु के रूप में काम करती हैं।

तकनीकी विकास में महत्व

स्थिर सामग्रियों की खोज विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में अत्यधिक महत्व रखती है। उदाहरण के लिए:

- ठोस इलेक्ट्रोलाइट्स, जो संभावित रूप से ली-आयन बैटरीयों में तरल इलेक्ट्रोलाइट्स की जगह तो सकते हैं, के लिए स्थिरता, विशिष्ट संचालन गुणों और गैर-विषाक्तता की आवश्यकता होती है।
- ब्राफिन जैसे नए यौगिकों को विकसित करने में चल रहे शोध से इलेक्ट्रॉनिक्स और सुपरकंडक्टर्स में क्रांति आ सकती है, जिससे स्थिर सामग्री की मांग हो सकती है।
- Google DeepMind की AI के नेतृत्व वाली सफलता विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाली सामग्रियों की पहचान करने के लिए फ़िल्टर को नियोजित करके सामग्री खोज प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है, संभावित रूप से परमाणु-स्तर की भविष्यवाणियों में गहराई से उतरती है।



GNOME का कार्य तंत्र (सामग्री अन्वेषण के लिए ग्राफ़ नेटवर्क)

- GNOME, Google DeepMind द्वारा विकसित AI टूल, एक अत्याधुनिक ग्राफ न्यूरल नेटवर्क मॉडल के रूप में कार्य करता है। इसकी परिचालन पद्धति में शामिल हैं:
 - "साक्रिय शिक्षण" का उपयोग करके प्रारंभिक, जो मॉडल को नए डेटा को शामिल करके समय के साथ अधिक सटीकता के साथ सामग्री की भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाता है।
 - दो पाइपलाइनों का उपयोग: एक संरचनात्मक पाइपलाइन, ज्ञात क्रिस्टल संरचनाओं का अनुकरण, और एक संरचनात्मक पाइपलाइन, जो रासायनिक सूत्रों के आधार पर यादृच्छिक इटिकोन अपनाती है।
 - सामग्री की स्थिरता का आकलन करने के लिए धनत वार्ता कार्यात्मक सिट्रांट (DFT) जैसी स्थापित कम्प्यूटेशनल विधियों का उपयोग करके आउटपुट का मूल्यांकन।

सामग्री खोज में AI के लाभ

- पारंपरिक सामग्री खोज विधियों में व्यापक परीक्षण और त्रुटि शामिल होती है, जिससे प्रक्रिया संसाधन-गहन और समय लेने वाली हो जाती है।
- AI-संचालित भविष्यवाणी स्थिर सामग्रियों की खोज में काफी तेजी लाती है, जिससे विभिन्न तकनीकी अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त सामग्रियों की पहचान करने का अधिक कुशल और कम थम-गहन साधन उपलब्ध होता है।

गूगल जेमिनी

खबरों में क्यों?

Google जेमिनी Google द्वारा पेश किया गया एक नया मल्टीमॉडल सामान्य AI मॉडल है, जिसे एक बहुमुखी और शक्तिशाली टूल के रूप में पेश किया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इस AI मॉडल को स्क्रैच से विकसित किया गया है, जो इसे Google के भीतर विविध टीमों द्वारा एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में विहित करता है।
- उद्देश्य एक ऐसा AI बनाना है जो पारंपरिक सॉफ्टवेयर की तरह कम और एक उपयोगी और सहज सहायक की तरह अधिक लगेगा।

मिथुन राणी की प्रमुख विशेषताएँ एवं क्षमताएँ

- मल्टीमॉडल प्रकृति:** जेमिनी अपनी मल्टीमॉडल क्षमता से खुद को अलग करता है, जो इसे टेक्स्ट, कोड, ऑडियो, छवियों और वीडियो सहित विभिन्न डेटा प्राप्ति को संसाधित करने और समझने में सक्षम बनाता है।
- बढ़ी हुई शक्ति:** Google का दावा है कि जेमिनी अल्ट्रा, सबसे बड़ा मॉडल, 32 अकादमिक बैचमार्क में से 30 पर भाषा मॉडल अनुसंधान में मौजूदा बैचमार्क को पार करता है। यह 57 विषयों में व्यापक मल्टीटारक भाषा समझ (MMLU) में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, जो बेहतर समस्याओं का प्रदर्शन करता है।
- कोड जनरेशन:** जेमिनी को पार्यथन, जावा, C++ और गो जैसी लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले कोड को समझने, समझाने और उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।



मिथुन आकार और कार्यक्षमता

- अल्ट्रा, Pro और नैनो मॉडल:** Google ने जेमिनी को विभिन्न जटिताओं और अनुप्रयोगों के लिए तीन अलग-अलग आकारों में पेश किया है।
- अल्ट्रा:** अत्यधिक जटित कार्यों के लिए लक्षित, वर्तमान में प्रारंभिक परीक्षण और प्रतिक्रिया के लिए चुनिंदा ग्राहकों, डेवलपर्स और सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए उपलब्ध है।
- PRO:** कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को बढ़ाने के लिए, नियमित उपयोगकर्ताओं के लिए बार्ड पर उपलब्ध है और जेमिनी एपीआई के माध्यम से डेवलपर्स और एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए सुलभ है।
- नैनो:** ऑन-डिवाइस संचालन पर केंद्रित, पहले से ही पिक्सेल 8 प्रो उपकरणों में एकीकृत है और जल्द ही एंड्रॉइड 14 पर एआईकोर के माध्यम से एंड्रॉइड डेवलपर्स के लिए उपलब्ध है।

उपलब्धता और दोलाउट रणनीति

- जबकि जेमिनी अल्ट्रा विश्वास और सुरक्षा जांच से गुजर रहा है और चुनिंदा उपयोगकर्ताओं तक सीमित है, इसे अगले साल की शुरुआत में डेवलपर्स और एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए पेश किए जाने की उम्मीद है।
- जेमिनी प्रो रोजमर्श के उपयोगकर्ताओं के लिए बार्ड पर और डेवलपर्स और एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए Google AI स्टूडियो या Google वलाउड वर्टेक्स AI के माध्यम से उपलब्ध हैं।
- जेमिनी नैनो पहले से ही Pixel 8 Pro डिवाइस पर चालू है और जल्द ही Android डेवलपर्स के लिए उपलब्ध होगी।

Google सेवाओं पर एकीकरण और प्रभाव

- Google ने उन्नत उपयोगकर्ता अनुभव के लक्ष्य के साथ सर्च, विज्ञापन, क्रोम और डुएट एआई सहित विभिन्न सेवाओं में जेमिनी को एकीकृत करने की योजना बनाई है।
- Google सर्वे में जेमिनी के साथ शुरुआती प्रयोग कम विलंबता और बढ़ी हुई गुणवत्ता के साथ तेज और बेहतर सर्व जेनरेटर एसपीरियंस (SGE) का संकेत देते हैं।

चिंताओं को संबोधित करना

- AI मॉडल में तथ्यात्मकता और मतिझ्वर से संबंधित संभावित मुद्दों की स्पीकृति।
- पूर्वाग्रह, विषाक्तता, साइबर-अपराध, अनुनय और स्वायत्ता जैसी चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिक्रियाओं में सटीकता में सुधार और अतिरिक्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने के लिए Google के प्रयास।

ChatGPT 4 के साथ तुलना

- प्रारंभिक अवलोकनों से पता चलता है कि लचीलेपन, वीडियो प्रोसेसिंग क्षमताओं और ऑफलाइन डिवाइस कार्यक्षमता के मामले में जेमिनी ChatGPT 4 पर बढ़त रखता है।
- मुफ्त के लिए जेमिनी की वर्तमान पहुंच ChatGPT 4 से भिन्न है, जो सशुल्क उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।

AI मॉडल का परिचय

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल मानव-जैसी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अनुकरण करने के लिए डिज़ाइन किए गए एल्गोरिदम या सिस्टम हैं, जो मशीनों को ऐसे कार्य करने में सक्षम बनाते हैं जिनके लिए आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है।
- ये मॉडल सीखने, तर्क करने और निर्णय लेने के लिए बड़े डेटासेट, परिष्कृत एल्गोरिदम और कम्प्यूटेशनल शक्ति का उपयोग करते हैं।

AI मॉडल का महत्व:

AI मॉडल ने अभूतपूर्व पैमाने पर स्वचालन, भविष्यवाणी और डेटा विश्लेषण को सक्षम करके कई उद्योगों में क्रांति ला दी है। उनका महत्व इसमें निहित है:

- डेटा विश्लेषण, पैटर्न पहचान, आषा प्रसंस्करण और निर्णय लेने जैसे कार्यों में दक्षता और सटीकता बढ़ाना।
- स्वास्थ्य देखभाल, वित्त, विनिर्माण, रवायत वाहनों और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में नवाचारों को सशक्त बनाना।
- वैयक्तिक उपयोगकर्ता अनुभव, अनुशंसा प्रणाली और प्राकृतिक भाषा समझ को सक्षम करना।

AI मॉडल के प्रकार:

मरीन लर्निंग (एमएल):

- AI का उपक्षेत्र जो सिस्टम को स्पष्ट प्रोग्रामिंग के बिना अनुभव से सीखने और सुधार करने में सक्षम बनाता है।
- प्रकारों में पर्यावरणीय शिक्षण, अनपर्यावरणीय शिक्षण, सुन्दरीकरण शिक्षण और अर्ध-पर्यावरणीय शिक्षण शामिल हैं।

ध्यान लगा के पढ़ना या सीखना:

- एमएल का सबसेट जो डेटा से जटिल पैटर्न निकालने के लिए कई परतों वाले तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करता है।
- छवि और वाक् पहचान, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और स्वायत्त प्रणालियों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP):

- AI मॉडल मानव भाषा को समझने और संसाधित करने पर केंद्रित है।
- अनुप्रयोगों में भाषा अनुवाद, भावना विश्लेषण, चैटबॉट और पाठ सारांश शामिल हैं।

कंप्यूटर दृष्टि:

- AI मॉडल कंप्यूटर को वृद्धि जानकारी की व्याख्या करने और समझने में सक्षम बनाता है।
- छवि पहचान, वस्तु पहचान, वेहरे की पहचान और विकित्सा छवि विश्लेषण में उपयोग किया जाता है।

AI मॉडल के अनुप्रयोग:

- स्वास्थ्य देखभाल: निदान सहायता, दवा खोज, वैयक्तिक विकित्सा, और पूर्वानुमानित विश्लेषण।
- वित्त: धोखाधड़ी का पता लगाना, एल्गोरिदम ट्रेडिंग, जोखिम मूल्यांकन और ग्राहक सेवा।
- विनिर्माण: प्रक्रिया अनुकूलन, पूर्वानुमानित रखरखाव, गुणवत्ता नियंत्रण और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन।
- स्वायत्त प्रणालियाँ: रव-ड्राइविंग कार, ड्रोन, रोबोटिक्स और स्मार्ट घरेलू उपकरण।

चुनौतियाँ और नेतृत्व विचार:

पूर्वाग्रह और निष्पक्षता:

- AI मॉडल प्रशिक्षण डेटा से पूर्वाग्रह प्राप्त कर सकते हैं, जिससे अनुचित परिणाम हो सकते हैं।
- निष्पक्षता सुनिश्चित करना और पूर्वाग्रहों को कम करना एक चुनौती बनी हुई है।

गोपनीयता और सुरक्षा:

- डेटा गोपनीयता, अनधिकृत पहुंच और एआई-संचालित प्रणालियों के संभावित दुरुपयोग पर ध्यान।

पारदर्शिता और जवाबदेही:

- AI मॉडल की निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझना और उन्हें उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाना।

भविष्य की संभावनाएँ और विकास

- व्याख्या योज्य एआई (XAI): विश्वास और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एआई मॉडल को अधिक व्याख्यात्मक और पारदर्शी बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- फ्रेडरेट लर्निंग: एक गोपनीयता-संरक्षण विकास जहां एआई मॉडल को डेटा को केंद्रीकृत किए बिना विकेंद्रीकृत उपकरणों में प्रशिक्षित किया जाता है।
- वर्वांटम कंप्यूटिंग और एआई: जटिल समस्याओं को हल करने के लिए वर्वांटम कंप्यूटिंग और एआई के बीच संभावित तालमेता।

GPAI शिरकत सम्मेलन 2023

एवबरों में क्यों?

जलोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI) - 29 सदस्य देशों के गठबंधन ने सर्वसम्मति से नई टिल्टी योषणा को अपनाया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- योषणा में AI सिस्टम के विकास और तैनाती से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने और AI नवाचार के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों तक न्यायसंगत पहुंच को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ऐक्यांकित किया गया।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी (GPAI) क्या है?

- यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के जिम्मेदार विकास और उपयोग को इस तरह से निर्देशित करने के लिए स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो मानव अधिकारों और इसके सदस्यों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करता है।
- साझेदारी पहली बार कनाडा और फ्रांस द्वारा 2018 44वें G7 शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित की गई थी, और आधिकारिक तौर पर (जून) 2020 में लॉन्च की गई थी।
- 15 सदस्य देशों के साथ शुरू हुआ GPAI आज 29 सदस्य देशों का गठबंधन बन गया है।
- इसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, जापान, कनाडा आदि देश शामिल हैं।
- चीन, एक प्रमुख तकनीकी मठाशक्ति, बहुपक्षीय समूह का हिस्सा नहीं है।
- जीपीएआई की मेजबानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा की जाती है।



GPAI के उद्देश्य:

- यह एक बहु-हितधारक पहल है जिसका उद्देश्य AI से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक नियमितियों का समर्थन करके AI पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाठना है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिक्षा जगत से जुड़े दिमागों और विशेषज्ञता को एक साथ लाता है।

नई दिल्ली घोषणा क्या है?

- यह नवाचार और स्वास्थ्य सेवा, कृषि आदि में अनुप्रयोग बनाने के लिए भागीदार देशों के बीच सहयोगी एआई बनाने के मामले में एआई के भविष्य को आकार देने में जीपीएआई को सबसे आगे और केंद्र में रखने का वादा करता है।
- सभी GPAI सदस्य इस बात पर भी सहमत हुए थे कि समूह AI प्रशासन के भविष्य को आकार देने के साथ-साथ इसे सुरक्षित और विश्वसनीय बनाए रखने पर वैश्विक बातचीत का नेतृत्व करेगा।
- जीपीएआई एक समावेशी आंदोलन होगा जो तेजी से वैश्विक दर्शिण के देशों को शामिल करने और सभी लोगों को एआई, इसके प्लॉटफार्मों और समाधानों के लाभ उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- समान विवाचधारा वाले देशों को यह सुनिश्चित करने के लिए तेजी से आगे बढ़ना होगा कि जब अगले साल कोरिया में सभी GPAI देशों की बैठक होगी, तब तक एआई के आसपास सभी देशों के पास निश्चित रूप से विस्तृत नियम होंगे।
- GPAI को अब और अधिक विस्तृत होना होगा और नियमों की रूपरेखा को परिभाषित करना होगा जो परिभाषित करेगा कि उपयोगकर्ता AI के साथ कैसे बातचीत करते हैं।
- घोषणा में नए अवसरों का दोहन करने और AI के विकास और तैनाती से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया।
- यह भी शामिल है -**
 - बलत सूचना और दुष्प्रचार को लेकर चिंताएं,
 - बेरोजगारी,
 - पारदर्शिता और निष्पक्षता का अभाव,
 - बौद्धिक संपदा और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा, और
 - मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा।
- घोषणा में संसाधनों तक न्यायसंगत पहुंच की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए, हिसाब लगाया जाना चाहिए या संबोधित किया जाना चाहिए ताकि समाज प्रतिस्पर्धी एआई समाधानों से लाभान्वित हो सके और निर्माण कर सके।

नई दिल्ली घोषणा का महत्व:

- वैटजीपीटी और गूगल बार्ड जैसे जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म के सामने आने के बाद समूह के सदस्य पहली बार मिल रहे थे, जिससे एआई के आसपास की बातचीत मुख्यधारा में आ गई।
- GPAI सदस्य नई "विषयवाचक प्राथमिकता" के रूप में कृषि क्षेत्र में AI नवाचार का समर्थन करने पर भी सहमत हुए।
- भारत एआई नवाचार में कृषि को प्राथमिकता वाली लंबीकी कृषि पद्धतियों को लाने करने के लिए यह आवश्यक है।
- उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने वाली लंबीकी कृषि पद्धतियों को लाने करने के लिए यह आवश्यक है।
- स्थायी खाद्य उत्पादन प्रणालियों को सुनिश्चित करने और जलवायु परिवर्तन के शर्मन और अनुकूलन के लिए क्षमता को मजबूत करने के लिए जोखिम-आनुपातिक भ्रात्योसमंद एआई अनुप्रयोगों का विकास और उन तक पहुंच आवश्यक है।

भारत के लिए नई दिल्ली धोषणा का महत्व:

- यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है, जिसने एआई सिस्टम के निर्माण के लिए एक सहयोगात्मक ट्रिटिकोन की वकालत की है व्हायोकि वह दुनिया भर में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी डांचे (DPI) के अपने मॉडल को आगे बढ़ाना चाहता है।
- सदस्य राष्ट्रों से कंप्यूटिंग क्षमताओं तक पहुंच से नई दिल्ली की एक संप्रभु एआई प्रणाली बनाने की योजना को भी बढ़ावा भित्रों, जो इस क्षेत्र में मुद्दी भर तिदेशी कंपनियों के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत की विकसित होती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

खबरों में क्यों?

अंतरिक्ष भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक बनता जा रहा है और अंतरिक्ष स्टार्टअप्स 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का निजी निवेश आकर्षित कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र

- भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र लागत प्रभावी उपग्रह निर्माण के लिए विश्व रस्तर पर मान्यता प्राप्त है, और यह बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और नागरिक उपयोग की वकालत करता है।
- इससे की सफलता दर असाधारण है और यह वैश्विक रस्तर पर छठी सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है।
- भारत में 400 से अधिक निजी अंतरिक्ष कंपनियों हैं और अंतरिक्ष कंपनियों की संख्या के मामले में भारत विश्व रस्तर पर पांचवें स्थान पर है।

हाल के घटनाक्रमों में शामिल हैं:

- रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (DSA) की स्थापना।
- उपग्रह निर्माण क्षमताओं का विस्तार, जिसके 2025 तक 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- इससे ने युवा दिमागों के बीच अंतरिक्ष अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए एक छात्र आउटरीच कार्यक्रम SAMVAD लॉन्च किया।

चुनौतियाँ:


हालांकि, अंतरिक्ष क्षेत्र को प्रमुख चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है:

- व्यावसायीकरण पर नियमों की कमी जिससे एकाधिकार हो सकता है।
- बढ़ते अभियानों से बढ़ता अंतरिक्ष मलबा।
- अंतरिक्ष उद्योग में चीन की तीव्र वृद्धि और संभावित हथियारीकरण।
- बढ़ती वैश्विक विश्वास की कमी से संदेह और संभावित संघर्ष का माहौल पैदा हो रहा है।

अंतरिक्ष क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के बारे में:

- निजी निवेश में वृद्धि: मजबूत निजी रुचि रूपात्मक है व्हायोकि अंतरिक्ष स्टार्टअप वित वर्ष में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक आकर्षित करते हैं।
- ग्रामीण वृद्धि का अनुमान: भारत की वर्तमान अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 8 अरब डॉलर की है जो वैश्विक अनुमानों के अनुरूप 2040 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है।
- रणनीतिक सुधार और स्टार्टअप: पीएम मोदी के सुधारों के कारण चार वर्षों में अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या 1 से बढ़कर 190 हो गई, जिससे भारत का अंतरिक्ष परिवहन बढ़त गया।
- लागत-प्रभावी अंतरिक्ष मिशन: चंद्रयान-3 के लिए भारत का 600 करोड़ रुपये बनाम रूस का 16,000 करोड़ रुपये का लागत-प्रभावी ट्रिटिकोन बौद्धिक संसाधनों के लाभ को रेखांकित करता है।
- वैश्विक मान्यता और उपलब्धियाँ: भारत के अंतरिक्ष मिशनों को वैश्विक प्रशंसा मिलती है, प्रगति प्रदर्शित होती है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में क्षमता की पुष्टि होती है।
- समावेशी ट्रिटिकोन: पीएम मोदी की समावेशी अंतरिक्ष नीतियां भारत के युवाओं की क्षमता को उजागर करती हैं, जो डॉ. विक्रम साराहाई के ट्रिटिकोन को मान्य करती हैं।
- वित्तीय क्षेत्रों में अनुप्रयोग: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी व्यापक प्रभाव प्रदर्शित करते हुए कृषि, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में एकीकृत होती है।

Evolution of Space Transportation Capability



- महिलाएं अंतरिक्ष परियोजनाओं का नेतृत्व कर रही हैं: महिलाएं महत्वपूर्ण अंतरिक्ष परियोजनाओं का नेतृत्व करने में सबसे आगे हैं, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है।
- आगामी परियोजनाएँ: 'व्योमित्र' के साथ गननयान का मानव रहित परीक्षण मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का अनुमान लगाता है, जो मानव अंतरिक्ष अभियानों की दिशा में भारत के प्रक्षेप पथ को उजागर करता है। डीप सी मिशन एक अनोखा आयाम जोड़ता है।
- अंतरिक्ष नेतृत्व में रणनीतिक बदलाव: भारत के विकसित होते अंतरिक्ष नेतृत्व और आर्थिक योगदान की मान्यता इसे वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में रणनीतिक रूप से स्थापित करती है।

भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023:

- भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 दिशानिर्देशों का एक व्यापक रेट है जो भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है।
- अनुसंधान एवं विकास: नीति का लक्ष्य भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास में अग्रणी बनाए रखना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो को व्यावहारिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने का काम सौंपा गया है।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच क्रुशल सहयोग: नीति नई पीढ़ी की संस्थाओं (NGE) और सरकारी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकियों, उत्पादों, प्रक्रियाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर जोर देती है।
- निजीकरण: नीति जैर-सरकारी संस्थाओं को अंतरिक्ष वस्तुओं, जमीन आधारित संपत्तियों और संचार, रिमोट ऐंसिंग और नेटवर्किंग जैसी संबंधित सेवाओं की स्थापना और संचालन के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में शुरू से अंत तक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति देती है।
- सभी के लिए डेटा का लोकतंत्रीकरण: 5 मीटर और उससे अधिक की ग्राउंड सैपल दूरी (GSD) वाला डेटा समय पर आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा।
- यह पहल विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए मूल्यवान जानकारी के साथ शोधकर्ताओं, उद्योगों और आम जनता को सशक्त बनाने का वादा करती है। इसके विपरीत, 5 मीटर से कम जीएसडी वाला डेटा सरकारी संस्थाओं के लिए मुफ्त और NGE के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध होगा।
- मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें: इसरो अंतरिक्ष में निरंतर मानव उपरिधिति के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने पर काम करेगा। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य भारत को अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों की श्रेणी में आगे बढ़ाने का वादा करता है। इसके अतिरिक्त, नीति मानव अंतरिक्ष गतिविधियों से संबंधित बहु-विषयक डोमेन में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक सहयोगी ढांचे के विकास पर जोर देती है।
- आकाशीय पूर्वोक्त और इन-सीटू संसाधन उपयोग: इसरो इन-सीटू संसाधन उपयोग, आकाशीय पूर्वोक्त और अतिरिक्त-स्थलीय निवास के अन्य पहलुओं पर केंद्रित अध्ययन और मिशन शुरू करने के लिए तैयार है। यह दूरदर्शी वैष्टिकोण भारत को भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण और पृथ्वी से परे संसाधनों के उपयोग का मार्ग प्रशस्त करने में मदद करेगा।
- प्रयोज्यता: यह नीति भारतीय क्षेत्र से या भारत के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी अंतरिक्ष गतिविधि पर लागू होती है, जिसमें इसके विशेष आर्थिक क्षेत्र की सीमा तक का क्षेत्र भी शामिल है।

नोरोवायरस

खबरों में क्यों?

ब्रिटेन में छात के सप्ताहों में नोरोवायरस के मामले बढ़ रहे हैं, जिनकी संख्या पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 60% अधिक है।

महत्वपूर्ण बिंदु

नोरोवायरस के बारे में

- नोरोवायरस एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस पैदा करने के लिए कुख्यात है, जिसके परिणामस्वरूप उल्टी, दर्द, पेट में ऐंठन, मतली, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, बुखार और कभी-कभी ठंड लगना जैसे लक्षण होते हैं।
- इसे आमतौर पर "पेट पतू" या "शीतकालीन उल्टी बग" के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नोरोवायरस इन्प्लूएंजा से अलग है और विशेष रूप से गैस्ट्रोइंटेराइनल समस्याओं का कारण बनता है।

नोरोवायरस की प्रकृति


- नोरोवायरस कई उपभेदों में मौजूद है, और इन उपभेदों की विविधता के कारण व्यक्ति अपने जीवनकाल में कई संक्रमणों का अनुभव कर सकते हैं।
- यह अत्यधिक संक्रामक है और आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, मुख्यतः इसके माध्यम से:
- दूषित सतहें: वायरस दरवाजे के हैंडल, काउंटरटॉप्स या किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छुई गई वस्तुओं जैसी सतहों पर बना रह सकता है। इन सतहों के संपर्क में आने और उसके बाद हाथ से मुँह करने की गतिविधियों से संक्रमण हो सकता है।
- दूषित भोजन और पानी: नोरोवायरस किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा भोजन तैयार करने या संभालने के दौरान भोजन और पानी को दूषित कर सकता है, जिससे अन्य लोगों द्वारा सेवन करने पर व्यापक प्रकोप हो सकता है।

नोरोवायरस संक्रमण के लक्षण

- लक्षणों की सामान्य शुरुआत वायरस के संपर्क में आने के एक से दो दिनों के भीतर होती है।
- गैरस्ट्रोइंटेस्टाइनल संकट: उल्टी और दस्त इसके प्रमुख लक्षण हैं ये गंभीर हो सकते हैं, जिससे तरल पदार्थ की हानि के कारण निर्जलीकरण हो सकता है।
- मतली, पेट दर्द और बुखार: मरीजों को अक्सर मतली, पेट में ऐंठन दर्द के साथ बुखार, सिरदर्द और शरीर में दर्द का अनुभव होता है।

ट्रांसमिशन मार्ग

- व्यक्ति-से-व्यक्ति संपर्क:** संक्रमित व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क, विशेष रूप से उनकी उल्टी या मल के संपर्क के माध्यम से, एक प्राथमिक संचरण मार्ग है।
- दूषित सतहें और वस्तुएँ:** वायरस सतहों और वस्तुओं पर लंबे समय तक बना रह सकता है, जिससे दूषित सतहों को छूने और फिर घोड़े को छूने या उचित हाथ की स्वच्छता के बिना दूषित भोजन खाने से संचरण संभव हो जाता है।
- दूषित भोजन और पानी:** किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा तैयारी या रख-खाव के दौरान दूषित भोजन या पानी के शेवन से संक्रमण हो सकता है।
- एरोसोलाइज़ उल्टी या मल:** यहां तक कि उल्टी या मल से दूषित क्षेत्र के आसपास की हवा भी संभावित रूप से वायरस फैला सकती है।



इलाज

- नोरोवायरस के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है।
- नोरोवायरस के लिए वर्तमान में कोई टीका उपलब्ध नहीं है।
- आयम करना, लक्षणों का प्रबंधन करना और निर्जलीकरण को रोकने के लिए पर्याप्त जलयोजन सुनिश्चित करना प्राथमिक फोकस है।
- व्यक्तियों को ठीक होने तक कुछ खाद्य पदार्थों और गतिविधियों से बचने की सलाह दी जाती है गंभीर मामलों में निर्जलीकरण को रोकने के लिए अंतःशिरा तरल पदार्थ के लिए अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता हो सकती है।

दोकथाम

- संक्रमण को रोकने के लिए साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोना सर्वोपरि है।
- सतहों की पूरी तरह से सफाई और कीटाणुरहित करना, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां संक्रमित व्यक्ति मौजूद रहे हों।
- भोजन, विशेष रूप से शेलफिश, को ठीक से पकाने और उपभोग से पहले फलों और सब्जियों को सावधानीपूर्वक धोना सुनिश्चित करना।
- बीमार व्यक्तियों के साथ संपर्क शीमित करने से संचरण को कम करने में मदद मिलती है।

जटिलताओं

- नोरोवायरस संक्रमण आमतौर पर अल्पकालिक होता है और कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। हालांकि, कमज़ोर आबादी जैसे कि छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमज़ोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्तियों के लिए, निर्जलीकरण और जटिलताओं का खतरा अधिक होता है, जिससे बीमारी संभावित रूप से अधिक गंभीर हो जाती है।

केटामाइन (ketamine)

खबरों में क्यों?

हाल के वर्षों में, अवसाद और गंभीर मानसिक रुचारु या समस्याओं के इलाज में इसके बढ़ते उपयोग के कारण केटामाइन व्यापक बहस का विषय बन गया है। जबकि कुछ विशेषज्ञों और शोगियों ने इसे जीवनरक्षक के रूप में सराहा, वहीं अन्य ने इसे तत लगाने वाला कहकर इसकी आलोचना की।

महत्वपूर्ण बिंदु

- 54 वर्षीय "फ्रैंड्स" अभिनेता के शव परीक्षण के जारी परिणामों के अनुसार, मैथू पेरी की मृत्यु एनोरेटिक केटामाइन के तीव्र प्रभाव से हुई।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोनरी धमनी रोग और ब्यूप्रोनोर्फिन, जिसका उपयोग ओपियोइड उपयोग विकार के इलाज के लिए किया जाता है, ने भी योगदान दिया। केटामाइन की मात्रा का पता लगाया गया "उसे चेतना खोने और उसकी मुद्रा खोने और खुट को पानी के ऊपर रखने की उसकी क्षमता को खोने के लिए पर्याप्त होगी।"

केटामाइन के बारे में

- केटामाइन एक डिसोसिएटिव एनोस्थेटिक है जिसका उपयोग 1960 के दशक से जानवरों के लिए एनोस्थेटिक के रूप में किया जाता रहा है और बाद में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा मानव उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया था।
- यह दर्द और पर्यावरण से अलगाव की भावना पैदा करने के लिए जाना जाता है। ग्रात के वर्षों में, केटामाइन ने अवसाद और अन्य गंभीर मानसिक खास्त्य समस्याओं के इलाज में अपने संभावित चिकित्सीय प्रभावों के लिए ध्यान आकर्षित किया है, खासकर उन मामलों में जहां पारंपरिक उपचार प्रभावी नहीं रहे हैं।



उपभोग के तरीके

- मानसिक बीमारी के मरीज आमतौर पर छह से आठ सप्ताह तक सप्ताह में एक या दो बार IV, नोजल स्प्रे या टैंबलेट के माध्यम से केटामाइन लेते हैं (कुछ को लंबे समय तक इसकी आवश्यकता हो सकती है)।
- जब मनोरंजक उद्देश्यों की बात आती है, तो इसका सेवन सफेद क्रिस्टलीय पाउडर को सूंघकर किया जाता है।
- केटामाइन का इंजेक्शन या धूम्रपान भी किया जा सकता है।

केटामाइन के प्रभाव

- केटामाइन उपचार से गुजर रहे कुछ मरीज़ सकारात्मक अनुभव बताते हैं, इसे "मस्तिष्क के लिए शीसेट बटन" के रूप में वर्णित करते हैं उपचार सत्रों के दौरान, व्यक्तियों को सुखद दृश्य और वैराज्य की भावना हो सकती है, जिससे दैनिक समस्याओं के कथित भार में कमी आ सकती है।
- केटामाइन मस्तिष्क के रिसेप्टर्स को प्रभावित करता है जिन्हें पारंपरिक एंटीडिप्रेशेंट लक्षित नहीं करते हैं, जिससे साइकेडेलिक जैसा अनुभव होता है। कई लोग इस पहलू को ठवा के चिकित्सीय प्रभाव का अभिन्न अंग मानते हैं।

सुरक्षा के मनन

- जब औषधीय प्रयोजनों और सही खुराक के लिए उपयोग किया जाता है, तो कुछ डॉक्टरों का तर्क है कि केटामाइन मानसिक बीमारियों के इलाज में सुरक्षित और प्रभावी हो सकता है।
- संभावित लत और खास्त्य जोखिमों के बारे में चिंताएं हैं, खासकर जब उच्च खुराक में लंबे समय तक लिया जाता है। लगातार उपयोग से मृत्युशय को गंभीर क्षति हो सकती है, और ऐसे संकेत हैं कि दुरुपयोग के परिणामस्वरूप संज्ञानात्मक छानि हो सकती है।
- लंबे समय तक केटामाइन उपचार और इसकी सुरक्षा पर सीमित शोध है। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा उपयोगकर्ताओं के बीच व्यसन और दुर्ब्यवहार पर साहित्य की कमी है।
- केटामाइन की सुरक्षा और प्रभावकारिता, विशेष रूप से गैर-चिकित्सा सेटिंग्स में, चल रहे शोध और बहस का विषय बनी हुई है। जब चिकित्सकीय देखरेख में उपयोग किया जाता है, तो केटामाइन एनोस्थीसिया और संभावित रूप से कुछ मानसिक खास्त्य स्थितियों के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है, लेकिन इसका मनोरंजक उपयोग महत्वपूर्ण खास्त्य जोखिम पैदा करता है।

हाइड्रोजन साइनाइड

खबरों में क्यों?

नेशनल एरोनॉटिक्स एंड रेप्यू एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) कैसिनी अंतरिक्ष यान के आंकड़ों के आधार पर एक नए अध्ययन के अनुसार, वैज्ञानिकों ने शनि के बर्फीले चंद्रमा एन्सेलोडस के महासागरों में हाइड्रोजन साइनाइड पाया है - जो जीवन के निर्माण में एक प्रमुख अणु है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- अध्ययन विवरण: अनुसंधान में कैसिनी अंतरिक्ष यान से प्राप्त डेटा का उपयोग किया गया, जिसमें एन्सेलोडस की सतह से निकली गैस, पानी और बर्फ की जांच की गई।
- हाइड्रोजन साइनाइड का पता लगाना: वैज्ञानिकों ने जल गाष्प के द्वारा मेथनॉल, इथेन और ऑक्सीजन जैसे अन्य यौगिकों के साथ हाइड्रोजन साइनाइड की पहचान की, जो एन्सेलोडस की बर्फीली सतह के नीचे एक विविध और गतिशील महासागर रसायन विज्ञान का संकेत देता है।
- हाइड्रोजन साइनाइड (HCN) एक अत्यधिक विषेशी, रंगहीन और अत्यधिक जलनशील गैस है जिसके शुद्ध रूप में हल्की, कड़वी बादाम जैसी गंध होती है।
- यह एक घातक रासायनिक यौगिक है जो मनुष्यों और जानवरों के खास्त्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।

जीवन निर्माण के लिए महत्व

- रासायनिक ऊर्जा: इस खोज से पता चलता है कि एन्सेलाडस की जमी हुई परत के नीचे के महासागरों में पहले की तुलना में अधिक रासायनिक ऊर्जा है, जो संभावित रूप से जीवन के लिए आवश्यक जटिल कार्बनिक यौगिकों के निर्माण और अस्थित्व का समर्थन करती है।
- रहने योग्य रहने में सहायक: एन्सेलाडस लंबे समय से जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्बनिक अणुओं और यौगिकों को आश्रय देने के लिए जाना जाता है। यह खोज चंद्रमा की संभावित आवास क्षमता की धारणा को मजबूत करती है।

एकल जीव विज्ञान के लिए निहितार्थ

- जीवन के निर्माण खंड: हाइड्रोजन साइनाइड को जैविक निर्माण खंडों के निर्माण में एक मौतिक अणु के रूप में मान्यता प्राप्त है, और एन्सेलाडस पर इसकी उपस्थिति जीवन के लिए अनुकूल प्रक्रियाओं की संभावना को इंगित करती है।
- जटिल जैव-अणु निर्माण: यह खोज जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण जटिल जैव-अणुओं के निर्माण के संभावित मार्गों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

एन्सेलाडस के बारे में



मौतिक विशेषताएं:

- आकार और संरचना: एन्सेलाडस एक अपेक्षाकृत छोटा चंद्रमा है जिसका व्यास लगभग 310 मील (500 किलोमीटर) है। यह मुख्य रूप से पानी की बर्फ से बना है, जो इसे सौर मंडल की सबसे चमकदार वस्तुओं में से एक बनाता है।
- सतह की विशेषताएं: इसकी सतह पर गहरी दरारें, दरारें और कुछ क्षेत्रों में प्रभाव क्रेटरों की कमी है, जो भूवैज्ञानिक गतिविधि और चल रहे परिवर्तनों का संकेत देती हैं।

उपस्थित महासागर:

- खोज: एन्सेलाडस ने अपने उपस्थित महासागरों के लिए ध्यान आकर्षित किया, इसकी पुष्टि इसके दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र से निकलने वाले जल वाष्प और बर्फीले गुबार को दिखाने वाले अवलोकनों से हुई।
- हाइड्रोथर्मल गतिविधि: ये प्लम बर्फीली सतह के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट के अस्थित्व का सुझाव देते हैं, जो संभावित रूप से जीवन को पनपने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं।

जीवन की संभावना:

- कार्बनिक यौगिक: नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान के डेटा से एन्सेलाडस के प्लम में हाइड्रोजन साइनाइड सहित जटिल कार्बनिक यौगिकों और अणुओं की उपस्थिति का पता चला, जो चंद्रमा की संभावित रहने की क्षमता को बढ़ाता है।
- रहने योग्य क्षेत्र: एन्सेलाडस के उपस्थित महासागर के भीतर तरल पानी और संभावित ऊर्जा स्रोतों का अस्थित्व इसे रहने योग्य क्षेत्र में रखता है, जिससे सूक्ष्मजीव जीवन का समर्थन करने की संभावना बढ़ जाती है।

अन्वेषण मिशन:

- कैसिनी-हूजेंस मिशन: कैसिनी अंतरिक्ष यान, नासा, ईएसए और एसआई के बीच एक सहयोग, जो एन्सेलेडस पर व्यापक डेटा प्रदान किया, जिसमें फ्लाईबीज और इसके पंखों के अवलोकन शामिल थे। हूजेंस टैंडर ने शनि के चंद्रमा टाइटन का पता लगाया तोकिन एन्सेलेडस पर नहीं गया।

हाइड्रोजन साइनाइड के गुण

- रासायनिक सूत्र: HCN (एक कार्बन परमाणु, एक नाइट्रोजन परमाणु और एक हाइड्रोजन परमाणु)
- मौतिक स्थिति: छलकी, कड़वी बादाम जैसी गंध के साथ रंगठीन गैस (व्यक्तियों में गंध की सीमा अलग-अलग होती है)
- घुलनशीलता: पानी में अत्यधिक घुलनशील, हाइड्रोसायनिक एसिड बनाता है (पानी में घुले HCN को प्रूसिक एसिड भी कहा जाता है)
- जलनशीलता: हवा में अत्यधिक जलनशील और दहनशील

स्रोत और उत्पादन

- प्राकृतिक घटना: हाइड्रोजन साइनाइड कुछ पौधों में प्राकृतिक रूप से पाया जा सकता है, जैसे खुबानी, आँढ़ू और बादाम जैसे कुछ फलों के बीज में।
- औद्योगिक उत्पादन: एंड्रोस्रोत प्रक्रिया (अमोनिया, प्राकृतिक गैस और ऑक्सीजन) सहित विभिन्न तरीकों के माध्यम से, साथ ही साइनाइड लवण के हाइड्रोलिसिस के माध्यम से संश्लेषित किया गया।

हाइड्रोजन साइनाइड का उपयोग

- रासायनिक विनिर्माण: यह प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स, रंगों और कीटनाशकों में उपयोग किए जाने वाले कई रासायनिक यौगिकों के लिए अब्राहूत के रूप में कार्य करता है।
- धूग्नीकरण: कीट नियंत्रण में उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से कुंतकों और कीड़ों को नष्ट करने के लिए।

स्पाइथ्र प्रभाव और विषाक्ता

- विषाक्तता: हाइड्रोजन साइनाइट अत्यधिक विपैला होता है और कम मात्रा में भी घातक हो सकता है। यह शरीर की ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता को बाधित करके सेलुलर श्वसन में बाधा डालता है, जिससे दम घुटने लगता है।
- एक्सपोज़र के लक्षण: साँस लेने या निगलने से चक्कर आना, सिरदर्द, मतली, तेजी से सांस लेना, ऐंठन, चेतना की हानि और अंततः मृत्यु हो सकती है।
- सेलुलर श्वसन का निषेध: हाइड्रोजन साइनाइट माइटोकॉन्फ़िया में साइटोक्रोम शी ऑक्सीडेज को रोकता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन शृंखला और सेलुलर श्वसन को बाधित करता है, जिससे चयापचय श्वासावरोध होता है।
- बायोडिग्रेडेशन: हाइड्रोजन साइनाइट पर्यावरण में माइक्रोबियल डिग्रेडेशन और फोटोफैसिकल प्रतिक्रियाओं के माध्यम से टूट सकता है।
- जलीय जीवन के लिए विषाक्तता: यह जलीय जीवों के लिए खतरा पैदा करता है, खासकर उच्च सांद्रता में।


जांच और सुरक्षा उपाय

- पता लगाने के तरीके: हाइड्रोजन साइनाइट गैस का पता लगाने के लिए गैस डिटेक्टर या रासायनिक परीक्षण किट जैसे विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है।
- सुरक्षा उपाय: जिन उद्योगों में HCN का उपयोग किया जाता है, वहाँ श्रमिकों को सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, जिसमें सुरक्षात्मक गियर पहनना और अच्छी तरह छवादार क्षेत्रों में काम करना शामिल है।
- प्राथमिक चिकित्सा: हाइड्रोजन साइनाइट के संपर्क में आगे पर तत्काल चिकित्सा ध्यान देना महत्वपूर्ण है। कृत्रिम श्वसन और हाइड्रोक्सोकोबालामिन जैसे विशिष्ट एंटीडोट्स का प्रशासन आवश्यक हो सकता है।

टेम्पो सैटेलाइट

खबरों में क्या?

वायु प्रदूषण को ढर घंटे मापने वाले नासा के नए उपग्रह ने महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई है और अब अंतरिक्ष एजेंसी के अधिकारी पहले से ही इसके जीवन को बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोच रहे हैं।



महत्वपूर्ण बिंदु

- टेम्पो भूर्थैटिक कक्ष में नासा का पहला पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह है और यह 10 से 12 दैनिक रूप से प्रदान करने के लिए दैनिक अवलोकन प्रदान करने वाले पिछले ध्रुवीय-परिक्रमा उपग्रहों से आगे विकसित हुआ है।

मिशन और उद्देश्य

- उद्देश्य: TEMPO एक अंतरिक्ष-आधारित पराबैंगनी-वृश्यमान स्पेक्ट्रोमीटर है जिसे फौरे उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- माप: यह ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइट और फॉर्मेलिडाइट जैसे वायुमंडलीय प्रदूषकों पर उच्च-रिज़ॉल्यूशन, प्रति घंटा डेटा प्रदान करता है।

इंस्ट्रुमेंटेशन और संचालन

- स्पेक्ट्रोमीटर डिज़ाइन: TEMPO का पराबैंगनी-वृश्यमान स्पेक्ट्रोमीटर पृथ्वी के वायुमंडल से परावर्तित सूर्य के प्रकाश को मापता है और इसे 2,000 घटक तरंग दैर्घ्यों में विच्छेदित करता है।
- जियोरेशनरी होर्स्ट: एक वाणिज्यिक जियोरेशनरी संचार उपग्रह पर पेलोड के रूप में होर्स्ट किया गया, TEMPO उत्तरी अमेरिका का निरंतर वृश्य बनाए रखता है।
- कवरेज क्षेत्र: प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक और अल्बर्टा तेल रेत से मैरिसिको सिटी तक के क्षेत्र को स्कैन करता है।

नक्षत्र एवं सहयोग

- भूर्थैटिक तारामंडल: TEMPO प्रदूषण-निगरानी परिसंपत्तियों के एक समूह में योगदान देता है, जिसमें ESA के नियोजित सेंटिनल -4 और दक्षिण कोरिया के भूर्थैटिक पर्यावरण निगरानी स्पेक्ट्रोमीटर (GEMS) शामिल हैं।
- साइोदारी: नासा और रिमथर्योनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी के बीच सहयोग के रूप में विकसित किया गया।

एकीकरण और लॉन्ज

- होर्स्ट सैटेलाइट: TEMPO Intelsat 40e सैटेलाइट पर स्थित है, जो मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा निर्मित है, जो पेलोड एकीकरण के लिए जिम्मेदार है।
- लॉन्च तिथि: इसे अप्रैल में ऊपर भेजा गया था और बॉल एयरोस्पेस द्वारा बनाया गया था।

कार्यक्रम

- अर्थ वैचर-इंस्ट्रूमेंट प्रोग्राम: टेम्पो नासा का उद्घाटन अर्थ वैचर-इंस्ट्रूमेंट (EVI) मिशन है।
- EVI की भूमिका: नासा के अर्थ सिस्टम साइंस पाथफाइंडर (ESSP) कार्यक्रम कार्यालय का हिस्सा, वैज्ञानिक अनुसंधान और अनुप्रयोगों द्वारा संचालित अभिनव, कम लागत वाले मिशनों का समर्थन करना।
- प्रतिस्पर्धी चयन: प्रतिस्पर्धी आग्रहों के माध्यम से चयनित, EVI मिशन पृथ्वी विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को संबोधित करते हैं।

अन्य पृथ्वी उद्यम मिशन

- मिशनों की प्रकृति: EVI मिशनों को छोटे आकार के, प्रतिस्पर्धी रूप से चयनित कक्षीय मिशन या अवसर के साधन मिशन के रूप में जाना जाता है।
- उदाहरण: NASA-ISRO सिंथेटिक एप्लर रडार (NISAR), सतही जल और महासागर स्थिताकृति (SWOT), ICESat-2, और ग्रेविटी रिकवरी एंड वलाइमेंट एक्सप्रेसिमेंट फॉलो ऑन (GRACE-FO), साइक्लोन ब्लोबल नेविगेशन सैटलाइट सिस्टम (CYGNSS), और इकोसिस्टम स्पेसबोर्न थर्मल रेडियोमीटर एक्सप्रेसिमेंट ऑन स्पेस रेशन (ईकोरेट्रेस) जैसे अन्य मिशन शामिल करें।

भविष्य की संभावनाओं

- विस्तारित जीवनकाल लक्ष्य: जबकि शुरुआत में 20 महीने के ऑपरेशन की योजना बनाई गई थी, नासा और इंटेलसैट ने TEMPO के लिए 10-15 साल की विस्तारित कार्यक्रमता का लक्ष्य रखा है।
- भविष्य के मिशनों के लिए अबदूत: TEMPO की सफलता NOAA के उन्नत वायुमंडलीय संरचना उपकरण के लिए मंच तैयार करती है, जिसे 2030 के दशक के मध्य में लॉन्च किया जाना है।

mRNA


खबरों में क्यों?

mRNA (मैसेंजर RNA) तकनीक वैयक्तिकृत विकित्सा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व मंच के रूप में उभरी है, जो न्यूनतम दुष्प्रभावों के साथ प्रभावी और अनुकूलित उपचारों के लिए आसानी से अनुकूलित होने की क्षमता प्रदर्शित करती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

mRNA की मूल बातें समझना:

- इसके मूल में, mRNA एक रक्केलेबल और बहुगुणी अणु है जो सेलुलर कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- पारंपरिक दवाओं के विपरीत, mRNA स्वाभाविक रूप से मानव शरीर के भीतर मौजूद होता है, कोशिकाएं स्वाभाविक रूप से प्रोटीन संश्लेषण के निर्देश के रूप में mRNA बनाती हैं।
- जब कोशिकाओं को विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक विशिष्ट प्रोटीन का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है, तो वे प्रोटीन निर्माण के लिए आनुवंशिक कोड या नुस्खा ले जाने वाले दूत के रूप में mRNA पर भरोसा करते हैं।



mRNA उत्कृष्ट औषधि क्यों बनाता है:

- mRNA के अद्वितीय गुण इसे विकित्सीय अनुप्रयोगों के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाते हैं।
- वैज्ञानिक विभिन्न सेलुलर समस्याओं का समाधान करने वाली शक्तिशाली दवाएं बनाने के लिए mRNA में हेरफेर कर सकते हैं।
- चूंकि mRNA की भाषा में चार न्यूकिलियोटाइड होते हैं, वैज्ञानिक आसानी से कोड को समझ सकते हैं और प्रोटीन संश्लेषण के निर्देशों को समझ सकते हैं।
- DNA में उत्परिवर्तन इन निर्देशों को बाधित कर सकता है, जिससे बीमारियाँ हो सकती हैं, और mRNA दवाएं इन दोषपूर्ण निर्देशों को सही करने या बदलने का एक तरीका प्रदान करती हैं।
- mRNA उपचार का उत्पादन न केवल रक्केलेबल है बल्कि सुसंगत भी है।
- पारंपरिक दवाओं के विपरीत, जिन्हें प्रत्येक यौगिक के लिए अलग-अलग विनिर्माण विधियों की आवश्यकता होती है, mRNA बनाने की प्रक्रिया सभी प्रकारों के लिए समान रहती है।
- यह एक ऊपरता उत्पादन प्रक्रिया को संभाल बनाती है, जिससे यह एक मूल नुस्खा में महारत हासिल करने और अंतर्भीन विविधताओं की अनुमति देने के समान हो जाती है।
- इसके अलावा, कोशिकाओं के भीतर mRNA की क्षणिक प्रकृति रोगी की बदलती जरूरतों के आधार पर आसान खुराक समायोजन की अनुमति देती है।
- चूंकि कोशिकाएं स्वाभाविक रूप से mRNA को नष्ट कर देती हैं जब इसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है, खुराक बदलने में तचीलापन यह सुनिश्चित करता है कि गतिशील रवास्थ्य रिथ्यायोजित करने के लिए उपचार को ठीक किया जा सकता है।

mRNA टीके और उससे आगे:

- मॉडर्ना और फाइजर-बायोएनटेक द्वारा कोविड-19 टीकों के विकास के साथ mRNA तकनीक को महत्वपूर्ण पहचान मिली, जो पहली एफडीए-अनुमोदित mRNA -आधारित दवाओं को विहित करती है।
- इन टीकों ने mRNA -आधारित उपचारों की अनुकूलनशीलता का प्रदर्शन किया, जिससे नए वायरल वेरिएंट को लक्षित करने के लिए त्वरित समायोजन सक्षम हो सके।
- कोविड-19 से पेरे, चल रहे विलनिकल परीक्षण मौसमी पत्तू हर्पीस, रेस्प्रेटरी सिंकाइटियल वायरस और अन्य बीमारियों के लिए mRNA -आधारित टीकों का पता लगा रहे हैं।

दोग उपचार में mRNA :

- टीकों से पेरे विस्तार करते हुए, mRNA कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में वादा करता है।
- कुछ mRNA कैंसर उपचार टीके के रूप में काम करते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं।
- कैंसर कोशिकाओं के उत्परिवर्तन परिदृश्य का लाभ उठाकर, mRNA कैंसर टीकों को व्यक्तिगत रोगियों के विशिष्ट कैंसर उत्परिवर्तन से मेल खाने के लिए वैयक्तिकृत किया जा सकता है।
- अन्याशय कैंसर जैसे कैंसर के लिए वैयक्तिकृत mRNA टटिकोण को नियोजित करने वाले नैदानिक परीक्षण वर्तमान में चल रहे हैं।
- mRNA -आधारित दवा के संभावित अनुप्रयोग विभिन्न बीमारियों तक फैले हुए हैं जहां प्रोटीन संलेषण को सही करना प्रभावी उपचार की कुंजी है।
- चल रहे शोध हृदय रोग, न्यूरोडीजेनोरेटिव विकारों, हड्डियों के नुकसान और अन्य स्थितियों में mRNA के उपयोग का पता लगाते हैं, जो भविष्य में प्रोटीन प्रतिस्थापन उपचारों के लिए आशा प्रदान करते हैं।

mRNA -आधारित चिकित्सा का भविष्य परिवर्त्य:

- भविष्य में गलत प्रोटीन संलेषण से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के इलाज का वादा किया जाया है।
- प्रारंभिक अध्ययन मध्यमें ह के रोगियों के लिए धाव भरने और प्रोपियोजिक एसिडेमिया जैसे दुर्लभ आनुवंशिक विकारों को संबोधित करने जैसे क्षेत्रों में उत्साहजनक संकेत दिखाते हैं।
- mRNA को आसानी से अनुकूलित और उत्पादित करने की क्षमता इसे व्यक्तिगत विकित्सा में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में स्थापित करती है।
- नियंत्रित प्रगति और mRNA की क्षमताओं की गहरी समझ के साथ, यह तकनीक विकित्सा उपचार में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है, जो कम दुष्प्रभावों के साथ प्रभावी और अनुरूप उपचार प्रदान करती है।

mRNA (मैसेंजर RNA) तकनीक के बारे में मुख्य बातें:

- जैविक अणु: mRNA , या संदेशवाहक RNA, कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रकार का जैविक अणु है।
- सूचना वाहक: यह आनुवंशिक जानकारी को DNA से प्रोटीन संलेषण के लिए जिम्मेदार सेलुलर मशीनरी तक ले जाता है।
- प्रोटीन संलेषण: mRNA कोशिका को विशिष्ट प्रोटीन बनाने के निर्देश प्रदान करता है, जो विभिन्न सेलुलर कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है।
- स्केलोबिलिटी: प्रयोगशाला में mRNA को आसानी से अनुकूलित और उत्पादन करने की क्षमता इसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए स्केलोबल बनाती है।
- औपर्यायी क्षमता: वैज्ञानिक नई दवाओं और उपचारों को विकसित करने के आधार के रूप में कृत्रिम mRNA बना सकते हैं।
- वैयक्तिकृत विकित्सा: mRNA की अनुकूलन योग्य प्रकृति दुष्प्रभावों को कम करते हुए वैयक्तिकृत और लक्षित उपचारों के विकास की अनुमति देती है।
- ऐसिपी में लवीलापन: mRNA की भाषा में न्यूप्रिलयोटाइड होते हैं, और वैज्ञानिक विभिन्न प्रोटीन बनाने या विशिष्ट सेलुलर मुद्रों को संबोधित करने के लिए mRNA "ऐसिपी" में हेरफेर कर सकते हैं।
- अस्थायी प्रकृति: mRNA कोशिकाओं के भीतर रसायी नहीं हैं; उद्देश्य पूरा होने पर यह रसायाविक रूप से नष्ट हो जाता है। यह विशेषता दवा की खुराक में आसान समायोजन की अनुमति देती है।
- टीका विकास: टीके के विकास में mRNA तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया जाया है, जैसे मॉडर्ना और फाइजर-बायोएनटेक के कोविड-19 टीकों।
- भविष्य के अनुप्रयोग: टीकों से पेरे, चल रहे शोध कैंसर, हृदय रोग, न्यूरोडीजेनोरेटिव विकारों और अन्य सहित विभिन्न बीमारियों के इलाज में mRNA की क्षमता का पता लगाते हैं।

भारत में तटीय कटाव

खबरों में क्यों?

नेशनल सेंटर फॉर कोर्टल रिसर्च (NCCR) के एक अध्ययन के अनुसार, भारत की एक तिहाई से अधिक तटरेखा कटाव की चपेट में है।

महत्वपूर्ण बिंदु

तटीय कटाव

- तटीय कटाव प्राकृतिक या तटीय प्रक्रियाओं या मानव-प्रेरित प्रभावों के परिणामस्वरूप तटीय भूमि का धिसना और समुद्र तट, तटरेखा, या टिब्बा सामग्री का नुकसान है।
- विस्तार: वैष्णव रूप पर, यह अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में 70% रेतीले तटरेखाएं नष्ट हो रही थीं। यूरोप (27%), US इंस्ट कोस्ट बैरियर बीच (86%) दक्षिण पूर्व एशिया द्वीप समूह (33%) के लिए क्षेत्रीय पैमाने के अनुमान मौजूद हैं।
- प्रक्रियाएँ: तटीय कटाव की चार मुख्य प्रक्रियाएँ हैं ये संक्षारण, धर्षण, हाइड्रोलिक क्रिया और क्षरण हैं।
- भू-आकृतियाँ: तटीय कटाव से कई प्रकार की भू-आकृतियों का निर्माण होता है जो काफी ढंग तक चट्टान बनाने वाली सामग्री पर निर्भर करती हैं।
- चाक जैसी अधिक प्रतिरोधी सामग्री से मेहराब, गुफाएं, डेर और स्टंप जैसे वलासिक तटीय भू-आकृतियों का निर्माण होता है।
- जहां कठोर और नरम सामग्री का संयोजन होता है, वहां खाड़ी और हेडलैंड का निर्माण होता है।



तटीय कटाव के कारण

- समुद्र के रूप में वृद्धि: जैसे ही समुद्र का रूप बढ़ता है, तटरेखा अंतर्देशीय हो जाती है, जिससे उसके रास्ते में भूमि नष्ट हो जाती है।
- तूफानी लहरें: तूफानी लहरें बड़ी लहरें होती हैं जो तूफान, टाइफून और अन्य तूफानों से उत्पन्न हो सकती हैं ये लहरें कटाव सहित तटीय क्षेत्रों को व्यापक क्षति पहुंचा सकती हैं।
- तरंग क्रिया: लहरें लगातार तटरेखा से टकराती रहती हैं, जिससे समय के साथ भूमि का क्षरण होता है। लहरों की ताकत हवा की गति, दूरी और पानी की गहराई से निर्धारित होती है।
- लॉन्जशोर धाराएँ: लॉन्जशोर धाराएँ वे धाराएँ हैं जो तटरेखा के समानांतर बहती हैं ये धाराएँ रेत और अन्य तलाश्ट को बहाकर तटरेखा को नष्ट कर सकती हैं।
- मानवीय गतिविधियाँ: बांध निर्माण, रेत खनन और तटीय विकास जैसी मानवीय गतिविधियाँ प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बाधित कर सकती हैं जो तटरेखाओं को कटाव से बचाने में मदद करती हैं।

तटीय कटाव शमन उपाय

- समुद्र तट पोषण: समुद्र तट पोषण अपने प्राकृतिक आकार और आकार को बहाल करने के लिए समुद्र तट पर रेत जोड़ने की प्रक्रिया है।
- समुद्री दीवारें और रेवेटमेंट: समुद्री दीवारें और रेवेटमेंट ऐसी संरचनाएँ हैं जो तटरेखा के किनारे इसे कटाव से बचाने के लिए बनाई जाती हैं।
- ब्रेकवाटर: ब्रेकवाटर ऐसी संरचनाएँ हैं जो लहरों को तटरेखा तक पहुंचने से पहले ही तोड़ने के लिए तट से दूर बनाई जाती हैं। यह तरंगों की ऊर्जा को कम करके कटाव को कम करने में मदद कर सकता है।
- वनरपति बर्फर्स: वनरपति बर्फर्स वनरपति के क्षेत्र हैं जो इसे कटाव से बचाने में मदद करने के लिए तटरेखा के किनारे लगाए जाते हैं। वनरपति मिट्टी को बांधने और लहरों के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकती है।
- कृत्रिम चट्टानें: लहरों को तोड़कर तरंग ऊर्जा को नष्ट करने और तटों की क्षति करने के लिए मूँगा चट्टानों की कॉलोनियों का पुनर्निर्माण मछली, शैवाल, बार्नाकल, मूँगा, सीप जैसे समुद्री जीवन की मात्रा में भी वृद्धि करता है और तटरेखा में वृद्धि का कारण बनता है।

तटीय क्षेत्रों के संरक्षण के लिए सरकारी पहल

- तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना, 2019: तटीय छिस्सों और समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण और सुरक्षा करना, और मछुआरों और अन्य स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- अधिसूचना में भारत की तटरेखा को अतिक्रमण और कटाव से बचाने के लिए तटीय क्षेत्रों की विभिन्न शैणियों के साथ नो डेवलपमेंट जोन (NDZ) का भी प्रावधान है।

- तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (CZMP): इसमें कटाव संभावित क्षेत्रों का मानविक्रण और पहचाने गए कटाव वाले हिस्सों के लिए तटरेखा प्रबंधन योजना तैयार करना शामिल है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के पूरे तट के लिए खतरे की रेखा का रेखांकन किया है।
- भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने भारतीय समुद्र तट के लिए तटीय भेदता सूचकांक (CVI) का अनुमान लगाया है।
- 15वें वित्त आयोग के तहत, कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) की 1000 करोड़ रुपये की वसूली और पुनर्निर्माण खिड़की निर्धारित की गई है।

राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR)

- अधिकारी: केंद्रीय डोमेन के तहत सभी बहु-विषयक अनुसंधान करना: समुद्री प्रदूषण, तटीय प्रक्रियाएं और खतरे, तटीय आवास और पारिस्थितिकी तंत्र और क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण।
- मिशन: समाज के सामाजिक-आर्थिक ताल के लिए संसाधनों के एकीकृत और टिकाऊ उपयोग के लिए तटीय समुदायों और हितधारकों को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- अनुसंधान क्षेत्र: पृथ्वी, वायुमंडल और पर्यावरण विज्ञान।
- मूल मंत्रालय: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MOES)
- मुख्यालय: चैन्सरी, तमिलनाडु

जाति आधारित हिंसा

खबरों में क्यों?

आंध्र प्रदेश में जाति आधारित हिंसा से प्रेरित होकर एक युवक का अपहरण कर लिया गया और उस पर हमला किया गया।


महत्वपूर्ण बिंदु

अत्याचार बहुत हैं

- दलितों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा आम बात है वर्तोंकि जातिगत पदानुक्रम उन्हें सामाजिक सीढ़ी के नीचे धकेल देता है।
- अनुसूचित जाति (SC) की सुरक्षा के लिए कानूनों के बावजूद, देश भर से दुर्व्यवहार की अवसर खबरें आती हैं।
- अकेले आंध्र प्रदेश में, 2021 में अनुसूचित जाति के खिलाफ 2,014 अपराध दर्ज किए गए, जिनमें से 33 हत्याएं और 49 नाबालिंग तड़कियों से बलात्कार के मामले थे।
- यज्या ने सात दिनों के भीतर शहर वितरण के मामलों में 5.3% और 13.8% की सजा दर दर्ज की।
- समाज में बहुत से लोग, जो उन्हें 'अछूत' कहते हैं, से तिरस्कृत, दलितों को, विशेष रूप से गांवों में, भूमि तक पहुंच से वंचित किया जाता है और उन्हें मैला ढोने जैसी अपमानजनक परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उनके साथ नियमित रूप से दुर्व्यवहार किया जाता है, यहाँ तक कि कभी-कभी पुलिस के हाथों और कभी-कभी ऊंची जाति के लोगों के द्वारा उनकी हत्या भी कर दी जाती है।
- सामाजिक अलगाव का यह गहरा रूप, जिसे अवसर छिपे हुए रंगभेद के रूप में वर्णित किया जाता है, ने कई गांवों को जाति के आधार पर पूरी तरह से अलग-थलग कर दिया है।
- भारतीय समाज में जाति-आधारित हिंसा का प्रवलन ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों में निहित एक जटिल मुद्दा है।

ऐतिहासिक विवरण:

- भारतीय इतिहास में गहराई से व्याप जाति व्यवस्था ने जन्म के आधार पर सामाजिक भूमिकाएँ निर्धारित की हैं। इस पदानुक्रमित संरचना के कारण कुछ जातियों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न हुआ है।
- अस्पृश्यता: अस्पृश्यता की प्रथा, जहाँ कुछ जातियों को अशुद्ध माना जाता था और सामाजिक रूप से बहिष्कृत माना जाता था, ने पदानुक्रम और भेदभाव की भावना में योगदान दिया है।



सामाजिक असमानता:

- आर्थिक असमानताएँ: जाति-आधारित आर्थिक असमानताओं ने संसाधनों, शिक्षा और अवसरों तक पहुंच में असंतुलन पैदा कर दिया है। कुछ जातियाँ ऐतिहासिक रूप से छाशिए पर और आर्थिक रूप से वंचित रही हैं।
- शिक्षा में अंतर: छाशिए पर मौजूद जातियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच ने सामाजिक असमानता को कायम रखा है, ऊर्ध्वगामी नतिशीलता में बाधा उत्पन्न की है और झंडिवाटिता को मजबूत किया है।

राजनीतिक शोषण:

- वोट बैंक की राजनीति: कुछ राजनीति वोट बैंक को मजबूत करने के लिए जातिगत पहचान का फायदा उठाते हैं। यह न केवल विभाजन को कायम रखता है बल्कि एक राजनीतिक माफौत भी बनाता है जहाँ जाति-आधारित मुद्दों का इस्तेमाल चुनावी ताल के लिए किया जाता है।

- आरक्षण नीतियां: जबकि आरक्षण नीतियां ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने के लिए पेश की गई थीं, उन्होंने कभी-कभी विभिन्न जातियों के बीच तनाव भी पैदा किया है, वयोंकि कुछ लोग इन नीतियों को दूसरों के मुकाबले कुछ समूहों का पक्ष लेने के रूप में देख सकते हैं।

सामाजिक मानदंड और रीति-दिवाज़:

- अंतरजातीय विवाह: अंतरजातीय विवाह का विशेष अभी भी कई समुदायों में प्रचलित है। किसी की जाति से बाहर शादी करने के खिलाफ सामाजिक मानदंड जाति की पहचान को बनाए रखने में योगदान करते हैं।
- सामाजिक कलंक: कुछ जातियों को सामाजिक कलंक का सम्मान करना पड़ता है, जिससे उनके आत्म-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है। इससे निराशा हो सकती है और कुछ मामलों में हिंसा भी हो सकती है।

जागरूकता की कमी:

- अज्ञानता और रुढ़िवादिता: जागरूकता की कमी और विभिन्न जातियों के बारे में रुढ़िवादिता का कायम रहना पूर्वाग्रह और भेदभाव को बढ़ावा देता है। इन पूर्वाग्रहों को चुनौती देने के लिए शैक्षिक और जागरूकता अभियान आवश्यक हैं।

कानूनी और न्यायिक चुनौतियाँ:

- कानूनी ढंगः छातांकि भारत में जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ कानून हैं, लेकिन इन कानूनों को लागू करने में चुनौतियों का सम्मान करना पड़ता है। मामलों को सुलझाने में अपराध लंबा समय लगता है, और कानूनी प्रक्रिया ही पीड़ितों के लिए डरने वाली हो सकती है।
- जाति-आधारित अपराध: विशेष रूप से व्यक्तियों को उनकी जाति की पहचान के आधार पर लक्षित करने वाले अपराध, जिन्हें "जाति-आधारित अपराध" या "अत्याचार" के रूप में जाना जाता है, जारी हैं। ये अपराध मौखिक दुर्व्यवहार से लेकर शारीरिक हिंसा तक हो सकते हैं।

न्याय में देशी हुई और न्याय नहीं मिला

- भ्रातवृह जातीय अत्याचारों के अपराधियों पर मुकदमा चलाने में विफलता ने अपराधियों को प्रोत्साहित किया है।
- कम सजा दर इस बात का प्रतिबिंब है कि SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामले कैसे दर्ज किए जाते हैं और आगे बढ़ाए जाते हैं।
- अभियोजक और न्यायाधीश दलितों द्वारा लाई गई शिकायतों पर ईमानदारी से कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, जिसका प्रमाण ऐसे मामलों में बरी होने की उत्तर दर है।

विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023

खबरों में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा हाल ही में जारी की गई 2023 विश्व मलेरिया रिपोर्ट, भारत और विश्व स्तर पर मलेरिया की खतरनाक स्थिति पर प्रकाश डालती है।

महत्वपूर्ण बिंदु


- हाल ही में जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में मच्छर जनित संक्रमण के मामलों और मौतों की संख्या में नियांत्रण जारी है।

वैश्विक मलेरिया अवलोकनः

- 2023 विश्व मलेरिया रिपोर्ट से पता चलता है कि 2022 में अनुमानित 249 मिलियन मामलों के साथ वैश्विक तृट्टि छोड़ी, जो महामारी-पूर्व के स्तर को पार कर जाएगी।
- कोविड-19 व्यवधान, दवा प्रतिरोध, मानवीय संकट और जलवायु परिवर्तन वैश्विक मलेरिया प्रतिक्रिया के लिए खतरा पैदा करते हैं।
- वैश्विक स्तर पर मलेरिया के 95% मामले उनतीस देशों में हैं।
- चार देशों, नाइजीरिया (27%), कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (12%), युगांडा (5%), और मोज़ाम्बिक (4%), वैश्विक स्तर पर मलेरिया के लगभग आधे मामलों के लिए जिम्मेदार हैं।

भारत का मलेरिया परिदृश्यः

- 2022 में, WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया के चौंका देने वाले 66% मामले भारत में थे।
- प्लाज्मोडियम विवैक्स, एक प्रोटोज़ोअल परजीवी, ने इस क्षेत्र में लगभग 46% मामलों में योगदान दिया।
- 2015 के बाद से मामलों में 55% की कमी के बावजूद, भारत वैश्विक मलेरिया बोझ में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है।
- भारत को चुनौतियों का सम्मान करना पड़ रहा है, जिसमें 2023 में बोमौसम बारिश से जुड़े मामलों में तृट्टि भी शामिल है।
- WHO के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया से होने वाली कुल मौतों में से लगभग 94% मौतें भारत और इंडोनेशिया में होती हैं।



क्षेत्रीय प्रभाव:

- अफ्रीका पर मलेरिया का बोझ सबसे ज्यादा है, 2022 में 94% मामले और वैधिक मलेरिया से होने वाली 95% मौतें अफ्रीका में होंगी।
- भारत सहित WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र पिछले दो दशकों में मलेरिया पर काबू पाने में कामयाब रहा, 2000 के बाद से मामलों और मौतों में 77% की कमी आई है।

जलवायु परिवर्तन और मलेरिया:

- जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख कारक के रूप में उभरा है, जो मलेरिया संचरण और समग्र बोझ को प्रभावित कर रहा है।
- बदलती जलवायु परिस्थितियाँ मलेरिया रोगज़नक और वेक्टर की संवेदनशीलता को बढ़ाती हैं, जिससे इसके प्रसार में आसानी होती है।
- WHO इस बात पर जोर देता है कि जलवायु परिवर्तन से मलेरिया की प्रगति में काफी खतरा है, जिसके लिए टिकाऊ और लचीली प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता है।

वैश्विक उन्नालन लक्ष्य:

- WHO का लक्ष्य 2025 में मलेरिया की घटनाओं और मृत्यु दर को 75% और 2030 में 90% तक कम करना है।
- दुनिया पटरी से उतर गई है, 2025 में घटनाओं में कमी के लिए 55% और मृत्यु दर में कमी के लिए 53% का अंतर है।

मलेरिया उन्नालन में चुनौतियाँ:

- मलेरिया नियंत्रण के लिए फंडिंग का अंतर 2018 में 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022 में 3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- अनुसंधान और विकास निधि 15 साल के निचले स्तर 603 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गई, जिससे नवाचार और प्रगति के बाएँ में विंताएँ बढ़ गई।

मलेरिया वैक्सीन की प्रगति और उपलब्धियाँ:

- रिपोर्ट अफ्रीकी देशों में WHO-अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन, RTS,S/AS01 के चरणबद्ध परिचय के माध्यम से मलेरिया की रोकथाम में उल्लेखनीय प्रगति पर जोर देती है।
- घाना, केन्या और मलायी में कठोर मूल्यांकन से जंभीर मलेरिया में उल्लेखनीय कमी और बचपन में होने वाली मौतों में 13% की कमी का पता चलता है, जो टीके की प्रभावशीलता की पुष्टि करता है।
- यह उपलब्धि, बिस्तर जाल और इनडोर छिड़काव जैसे मौजूदा हस्तक्षेपों के साथ मिलकर एक व्यापक रणनीति बनाती है, जिससे इन क्षेत्रों में समग्र परिणामों में सुधार होता है।
- अक्टूबर 2023 में, WHO ने दूसरी सुरक्षित और प्रभावी मलेरिया वैक्सीन, R21/Matrix-M की सिफारिश की।
- दो मलेरिया टीकों की उपलब्धता से आपूर्ति बढ़ने और पूरे अफ्रीका में व्यापक पैमाने पर तैनाती संभव होने की उम्मीद है।

कार्यवाई के लिए पुकार:

- WHO मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण धुरी की आवश्यकता पर जोर देता है, संसाधनों में वृद्धि, मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता, डेटा-संचालित रणनीतियों और नवीन उपकरणों की मांग करता है।
- जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों के साथ सेरेखित टिकाऊ और लचीली मलेरिया प्रतिक्रियाएँ प्रगति के लिए आवश्यक मानी जाती हैं।

मलेरिया क्या है?

- मलेरिया एक जानलेवा मच्छर जनित रक्त रोग है जो प्लारमोडियम परजीवियों के कारण होता है।
- 5 प्लारमोडियम परजीवी प्रजातियाँ हैं जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनती हैं और इनमें से 2 प्रजातियाँ पी. फाल्सीपेरम और पी. विवैक्स सबसे बड़ा खतरा पैदा करती हैं।
- मलेरिया मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के साथ-साथ एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
- मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
- संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद मच्छर संक्रमित हो जाता है। इसके बाद मलेरिया परजीवी अगले व्यक्ति के रक्तप्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं जिसे मच्छर काटता है। परजीवी यकृत तक पहुंचते हैं, परिपक्व होते हैं और फिर लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं।
- मलेरिया के लक्षणों में बुखार और पतू जैसी बीमारी शामिल हैं, जिसमें कंपकंपी वाली ठंड, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान शामिल हैं। विशेष रूप से, मलेरिया रोकथाम योज्य और इलाज योज्य दोनों हैं।

मलेरिया से संबंधित पहल

वैश्विक:

WHO का वैश्विक मलेरिया कार्यक्रम (GMP):

- WHO का GMP मलेरिया को नियंत्रित करने और खत्म करने के लिए WHO के वैश्विक प्रयासों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
- इसका कार्य मई 2015 में विश्व रसायन सभा द्वारा अपनाई गई और 2021 में अद्यातन की गई "मलेरिया के लिए वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016-2030" द्वारा निर्देशित है।
- रणनीति 2030 तक वैश्विक मलेरिया की घटनाओं और मृत्यु दर को कम से कम 90% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित करती है।

मलेरिया उन्मूलन पहल:

- बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बेतृत्व में, यह पहल उपचार की पहुंच, मच्छरों की आबादी में कमी और प्रौद्योगिकी विकास जैसी वित्तीय रणनीतियों के माध्यम से मलेरिया उन्मूलन पर केंद्रित है।

E-2025 पहल:

- WHO ने 2021 में E-2025 पहल शुरू की। इस पहल का लक्ष्य 2025 तक 25 देशों में मलेरिया के संचरण को रोकना है।
- WHO ने ऐसे 25 देशों की पहचान की है जिनमें 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता है।

भारत:

- मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय ढांचा 2016-2030: डब्ल्यूएचओ की रणनीति के अनुरूप, 2030 तक पूरे भारत में मलेरिया को खत्म करने और मलेरिया मुक्त क्षेत्रों को बनाए रखने का लक्ष्य है।
- राष्ट्रीय वेक्टर-जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम: रोकथाम और नियंत्रण उपायों के माध्यम से मलेरिया सहित विभिन्न वेक्टर-जनित रोगों का समाधान करता है।
- राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (NMCP): मलेरिया के विनाशकारी प्रभावों से निपटने के लिए, NMCP को 1953 में तीन प्रमुख गतिविधियों DDT के साथ कीटनाशक अवशिष्ट रूप (IRS); मामलों की निगरानी और निरीक्षण तथा रोगियों का उपचार।
- उच्च बोझ से उच्च प्रभाव (HBHI) पहल: 2019 में चार राज्यों (पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश) में शुरू की गई, जिसमें कीटनाशक वितरण के माध्यम से मलेरिया में कमी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन-भारत (MERA-भारत): भारतीय विकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वाया स्थापित, मलेरिया नियंत्रण अनुसंधान पर भागीदारों के साथ सहयोग करता है।

मलेरिया बढ़ने के लिए जिम्मेदार कारक:

- जलवायु परिवर्तन से मलेरिया का खतरा बढ़ता है: जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान से मलेरिया संचरण के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का विस्तार होता है, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र में।
- चरम मौसम प्रभाव: अत्यधिक मौसम की घटनाएं, जैसे भारी वर्षा, अप्रत्यक्ष रूप से स्वारक्ष्य देखभाल पहुंच में बाधा डालकर मलेरिया को बढ़ावा देती है; बेहतर योजना महत्वपूर्ण है।

भारत के लिए चुनौतियाँ:

- विवैक्स मलेरिया संकट: विवैक्स मलेरिया, जो भारत में 40% से अधिक मामलों में होता है, यकृत में छिपी अपनी आवर्ती प्रकृति के कारण एक चुनौती पैदा करता है।
- अधूरे उपचार की समस्या: विवैक्स मलेरिया के इलाज के लिए 14 दिनों की विकित्सा की आवश्यकता होती है, लेकिन कई लोग तक्षण कम होने पर दवा बंद कर देते हैं, जिससे पूरी तरह ठीक होने में बाधा आती है।

भारत में अंग दान

खबरों में क्यों?

राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) ने 'किडनी' के बदले पैसे रैकेट के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- अंग प्रत्यारोपण/दान एक शल्य प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति से अंग, ऊतक या कोशिकाओं का एक समूह निकाला जाता है और शल्य विकित्सा द्वाया दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है।
- भारत में अंग प्रत्यारोपण पश्चिमी देशों की तुलना में सबसे कम है।
- स्वारक्ष्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, दानदाताओं की संख्या (मृतकों सहित) 2014 में 6,916 से बढ़कर 2022 में लगभग 16,041 हो गई।

अंग दान का महत्व

- जीवन बचाना: अंग दान अंग विफलता से पीड़ित व्यक्तियों को श्वस्थ और लंबे जीवन का अवसर प्रदान करके जीवन बचाता है।
- अंगों की कमी को संबोधित करना: प्रत्यारोपण के लिए उपलब्ध अंगों की वैश्विक कमी है अंग दान इस कमी को दूर करने में मदद करता है और जरूरतमंद लोगों के लिए उपलब्ध अंगों के पूल को बढ़ाता है।
- मानवीय एकजुटता को बढ़ावा देना: यह एक निरवार्ध कार्य है जो सांख्यिक, नस्लीय और भौगोलिक सीमाओं से परे है, लोगों को जीवन बचाने और बेहतर बनाने के लिए साझा प्रतिबद्धता में एक साथ लाता है।
- जागरूकता बढ़ाना: अंग दान की पहल दान और प्रत्यारोपण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करती है।
- कानूनी और नौंतिक विचार: अंग दान अवसर कानूनी और नौंतिक ढांचे द्वाया निर्देशित होता है जो दाताओं की स्वायतता और सहमति को प्राथमिकता देता है।

समस्याएँ

- उच्च बोझ (मांग बनाम आपूर्ति का अंतर)
- विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों में खराब बुनियादी ढंचा
- हितधारकों के बीच ब्रेन स्टेम डेथ की अवधारणा के बारे में जागरूकता का अभाव
- अंग दान के प्रति खराब जागरूकता और रखैया- मृत अंग दान की खराब दशा
- मृत दाताओं से अंग खरीद के लिए संगठित प्रणालियों का अभाव
- अंग व्यापार की रोकथाम और नियंत्रण
- उच्च लागत (विशेषकर बिना बीमा वाले और गरीब रोगियों के लिए)

अंगदान से सम्बंधित भारत का कानून

- मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994: इसका उद्देश्य विकितसीय उद्देश्यों के लिए मानव अंगों को हटाने, भंडारण और प्रत्यारोपण का विनियमन और मानव अंगों में वाणिज्यिक लेनदेन की रोकथाम करना है।
- यह ज्यादातर मामलों में, माता-पिता, भाई-बहन, बच्चों, पति/पत्नी, दादा-दादी, पोते-पोतियों जैसे करीबी रिश्तेदारों से जीवित दान की अनुमति देता है।
- दूर के रिश्तेदारों, संसुलत वालों, या तब समय के दोस्तों से परोपकारी दान को अतिरिक्त जांच के बाद अनुमति दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई वित्तीय आदान-प्रदान न हो।
- असंबंधित व्यक्तियों से दान के लिए, उनके दीर्घकालिक सहयोग या मित्रता को दर्शाने वाले दस्तावेज़ और फोटोग्राफिक साक्षा अन्य सभी दस्तावेज़ों के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- जुर्माना: अंगों के लिए भुगतान करने या भुगतान के लिए अंगों की आपूर्ति करने की पेशकश करना, ऐसी व्यवस्था के लिए पहल करना/बातचीत करना/विज्ञापन देना, अंगों की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति की तलाश करना और ज्ञाते दस्तावेज तैयार करने में सहयोग करने पर 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- सरकार ने अंग दान को बढ़ावा देने के लिए कई कदमों की घोषणा की है, जिसमें अधिवास नियम को खत्म करना भी शामिल है; प्राप्तकर्ताओं के पंजीकरण के लिए आयु सीमा को हटाना; प्रत्यारोपण के लिए पंजीकरण हेतु शुल्क हटाना; जीवन समर्थन वापस लेने (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) पर नियमों को आसान बनाना; देश भर में अंग परिवहन की सुविधा; अंग दाताओं आदि के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश।
- मजबूत कानून कार्यान्वयन के माध्यम से अंगों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) के बारे में

- यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है।
- कार्य: NOTTO का राष्ट्रीय नेटवर्क प्रभाग देश में अंगों और ऊतकों की खरीद और वितरण और अंगों और ऊतकों के दान और प्रत्यारोपण की एजिस्ट्री के लिए समन्वय और नेटवर्किंग की अखिल भारतीय गतिविधियों के लिए शीर्ष केंद्र के रूप में कार्य करता है।

ड्रेस सिंड्रोम

एवबर्टों में क्या?


भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC) ने PVPI डेटाबेस से प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं (ADR) विश्लेषण के आधार पर इओसिनोफिलिया और प्रणालीगत लक्षण (ड्रेस) सिंड्रोम के साथ संभावित दवा प्रतिक्रियाओं के कारण आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली ठर्ड निवारक दवा मेफॉनैमिक एसिड (मेप्टाल) के बारे में सतर्क किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इओसिनोफिलिया और सिस्टमिक लक्षण (ड्रेस) सिंड्रोम के साथ दवा की प्रतिक्रिया एक गंभीर और संभावित जीवन-घातक अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रिया है जो विभिन्न दवाओं की प्रतिक्रिया के रूप में हो सकती है।


Inadequate rise

The chart shows the number of organ donors, according to data from the Ministry of Health. A total of 16,041 donations were recorded in 2022.



Which organs can be donated?

Percentage refers to respondents' awareness levels



Follow this process to pledge your organs → Visit NOTTO website and create an ID → Fill out the digital form and submit → On acceptance, you will receive an email notice → Create your donor card

DRESS सिंड्रोम

थुरआत और लक्षण

- लक्षण आमतौर पर दवा शुरू करने के लगभग 2 से 8 सप्ताह बाद दिखाई देते हैं।
- लक्षणों में बुखार, दाने (रुग्णतापूर्ण दाने - खसरे जैसे), घेहरे की सूजन, और लिम्फ नोड का बढ़ना शामिल हैं।
- त्वचा के लक्षणों के अलावा, यकृत, फेफड़े या गुर्दे जैसे अंग प्रभावित हो सकते हैं, जिससे अधिक गंभीर जटिलताएँ हो सकती हैं।

कारण

- ड्रेस सिंड्रोम को दवाओं की एक विस्तृत थृंखला द्वारा ट्रिगर किया जा सकता है, छालांकि कुछ दवाएं आमतौर पर इससे जुड़ी होती हैं, जिनमें एंटीपीलेटिक दवाएं, एंटीबायोटिक्स, एलोप्यूरिनॉल (गाउट के लिए प्रयुक्त), और NSAID (जैसे मेफेनैमिक एसिड) शामिल हैं।
- तत्काल एलर्जी प्रतिक्रियाओं के विपरीत, ड्रेस सिंड्रोम के लक्षण दवा शुरू करने के कुछ हफ्तों के बाद दिखाई देते हैं।



निदान

- निदान नैदानिक लक्षणों और नई दवा शुरू करने के साथ अस्थायी संबंध पर आधारित है।
- इओसिनोफिलिया (एक प्रकार की ध्वेत रक्त कोशिकाओं में वृद्धि जिसे इओसिनोफिल्स कहा जाता है) और असामान्य यकृत या गुर्दे के कार्य परीक्षण देखे जा सकते हैं।

ड्रेस सिंड्रोम का उपचार

- ड्रेस सिंड्रोम के प्रबंधन में प्राथमिक और महत्वपूर्ण कदम प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार दवा को रोकना है।
- गंभीरता के आधार पर, अंग की भागीदारी के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता हो सकती है।
- गंभीर मामलों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कम करने के लिए त्वचा की भागीदारी के लिए सामयिक स्टेरोइड और प्रणालीगत स्टेरोइड (मौखिक या अंतःशिरा) की आवश्यकता हो सकती है।
- उपचार के दौरान और बाद में अंग कार्य और रक्त परीक्षण की करीबी निगरानी आवश्यक है।

पूर्वानुमान और अनुवर्ती

- ठीक होने में हफ्तों से लेकर महीनों तक का समय लग सकता है। औसत पुनर्प्राप्ति समय लगभग 4 से 6 सप्ताह है।
- छालांकि अधिकांश मरीज़ ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाद में ऑटोइम्यून बीमारियाँ विकसित होने की संभावना रहती है। इस प्रकार, निरंतर निगरानी आवश्यक हो सकती है।

ट्रोकथाम एवं सावधानियाँ

- चूंकि यह अनुमान लगाना चुनौतीपूर्ण है कि ड्रेस सिंड्रोम किसमें विकसित हो सकता है, इसलिए सलाह दी जाती है कि दवाओं के साथ सावधानी बरती जाए और किसी भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया के बारे में तुरंत स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सूचित किया जाए।
- किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के मार्गदर्शन में ही ओवर-द-काउंटर दर्दनिवारक या कोई भी दवा लें, खासकर यदि प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं का इतिहास हो।
- ड्रेस सिंड्रोम, छालांकि दुर्लभ है, शेनी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक दवा के उपयोग और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं की करीबी निगरानी के महत्व पर जोर देता है। प्रारंभिक पहचान और त्वरित ढरतक्षेप इस स्थिति के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

E-सिगरेट

खबरों में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा कि E-सिगरेट जनसंख्या उत्तर पर तंबाकू छोड़ने के लिए प्रभावी नहीं है, और आबादी के स्वास्थ्य नुकसान को कम करने के लिए इसे नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

E-सिगरेट के बारे में

- ई-सिगरेट, जिसे इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) और कभी-कभी इलेक्ट्रॉनिक गैर-निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ENNDS) के रूप में भी जाना जाता है।
- वे एक तरल (E-तरल पदार्थ) को गर्म करके एक एरोसोल का उत्पादन करते हैं जिसमें आमतौर पर नशे की दवा निकोटीन होता है।
- इन्हें कई अलग-अलग नामों से जाना जाता है। उन्हें कभी-कभी 'E-सिगरेट', 'E-हुकारा', 'मॉड्स', 'वैप पेन', 'वैप्स', 'टैक सिस्टम' और 'इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ENDS)' कहा जाता है।
- ई-सिगरेट का उपयोग करना कभी-कभी 'वैपिंग' कहा जाता है।

क्या ई-सिगरेट नियमित सिगरेट से कम हानिकारक हैं?

- तंबाकू उत्पाद और ईएनडीएस दोनों ही स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करते हैं।
- ई-सिगरेट एसोल में आम तौर पर नियमित सिगरेट के धुए में 7,000 से अधिक रसायनों के घातक मिश्रण की तुलना में कम जहरीले रसायन होते हैं।

विनियम और निगरानी


- WHO नियमित रूप से ईएनडीएस और स्वास्थ्य पर सबूतों की निगरानी और समीक्षा करता है और सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- WHO ने कहा है कि ई-सिगरेट को खुले बाजार में लाने की अनुमति दी गई है और युवा लोगों के लिए आक्रामक तरीके से विपणन किया गया है।
- 34 देशों ने ई-सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है;
- 88 देशों में ई-सिगरेट खरीदने की कोई न्यूनतम आयु नहीं है;
- 74 देशों में ई-सिगरेट के लिए कोई नियम नहीं हैं।
- यह वैश्विक तंबाकू महामारी पर ट्रिवार्षिक WHO रिपोर्ट जारी करता है, जो तंबाकू महामारी की स्थिति और इससे निपटने के लिए दृष्टक्षेप और अन्य प्रासंगिक संसाधनों पर नज़र रखता है।
- भारत में: ई-सिगरेट और इसी तरह के उपकरणों का कब्ज़ा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (PECA) 2019 का उल्लंघन है।

How e-cigarettes work

1 Device is activated when user inhales from the mouthpiece

2 Atomiser heats up liquid in cartridge

3 Vapour is produced and the LED indicator lights up



सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट

खबरों में क्यों?

वैश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट द्विनिया भर में सड़क यातायात से होने वाली मौतों और उन्हें कम करने में हुई प्रगति का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- मौतों में वैश्विक कमी: प्रति वर्ष वैश्विक सड़क यातायात मौतों में 5% की कमी आई है, जो सालाना कुल 1.19 मिलियन से अधिक है। छालांकि यह एक सकारात्मक प्रवृत्ति है, फिर भी संख्याएँ चिंताजनक रूप से ऊँची बनी हुई हैं।
- जोखिम में युवा और बच्चे: सड़क दुर्घटनाएँ 5 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की मृत्यु का प्राथमिक कारण हैं।
- भारत का परिवेश: भारत में 2018 से 2021 तक सड़क दुर्घटनाएँ में होने वाली मौतों में वृद्धि देखी गई है, 2018 में 1,50,785 की तुलना में 2021 में 1,53,792 मौतें हुईं।
- प्रगति और चुनौतियाँ: छालांकि कुछ देशों में सड़क यातायात से होने वाली मौतों में कमी देखी गई है, तोकिन असमानताएँ मौजूद हैं। विश्व के वाहनों में न्यूनतम हिस्सेदारी होने के बावजूद, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सड़क यातायात से होने वाली मौतों का 90% हिस्सा होता है।
- संवेदनशील सड़क उपयोगकर्ता: सड़क यातायात में होने वाली मौतों में से आधे से अधिक (53%) असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता हैं, जिनमें पैदल यात्री, मोटरसाइकिल चालक, साइकिल चालक और सूक्ष्म-गतिशीलता उपकरणों के उपयोगकर्ता शामिल हैं।
- बुनियादी ढांचे और सुरक्षा मानक: अपर्याप्त सड़क बुनियादी ढांचे, पैदल यात्री सुरक्षा उपायों की कमी और तेज गति, जगे में बाड़ी चलाने और वाहन सुरक्षा सुविधाओं जैसे जोखिम कारकों से संबंधित कानूनों में अंतराल के बारे में चिंताएँ हैं।
- विधायी कमियाँ और सिफारिशें: केवल कुछ ही देश सड़क सुरक्षा कानूनों के लिए WHO की सर्वोत्तम प्रथाओं को पूरा करते हैं। 2030 तक वैश्विक मोटर वाहन बेड़े का आसन्न दोगुना होना सड़क यातायात में होने वाली मौतों को रोकने के लिए बेहतर कानून और बुनियादी ढांचे की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है।

भारत में सड़क सुरक्षा

- भारत को अपनी तीव्र आर्थिक वृद्धि और वाहन स्वामित्व में परिणामी वृद्धि के कारण एक जटिल सड़क सुरक्षा परिवेश का सामना करना पड़ रहा है। यह वृद्धि सुविधा और प्रगति लाती है, फिर भी यह सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने में चुनौतियों को भी बढ़ाती है।

चुनौतियां

उच्च दुर्घटना दर

- दुनिया के केवल 1% वाहन होने के बावजूद, भारत वैश्विक सड़क यातायात मौतों में 11% का योगदान देता है, जिसके परिणामस्वरूप सालाना लगभग 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है।
- वाहनों की संख्या के संबंध में मौतों की अनुपातहीन संख्या भारत में सड़क सुरक्षा के साथ एक गंभीर समस्या का संकेत देती है।

असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता

- अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और अपर्याप्त जागरूकता के कारण पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और मोटरसाइकिल चालकों को अधिक खतरा है।
- अधूरी या खराब डिजाइन वाली सड़कें उन लोगों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती हैं जो मोटर चालित वाहनों में नहीं हैं, जिससे कमज़ोर सड़क उपयोगकर्ताओं के साथ दुर्घटनाओं की अधिक घटनाएं होती हैं।

तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाना

- यातायात नियमों की अवहेलना और गति सीमा से अधिक होना दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है।
- व्यतहार संबंधी मुद्दे, जैसे लापरवाह ड्राइविंग, समग्र सड़क सुरक्षा समस्या में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

अपर्याप्त बुनियादी ढांचा

- खराब सड़क की स्थिति, उचित लेन चिह्नों की कमी और अपर्याप्त साइनेज सुरक्षा जोखिमों में योगदान करते हैं।
- सुरक्षित सड़क उपयोग सुनिश्चित करने में बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इन पहलुओं में कमी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है।

नशे में धूत होकर गाड़ी चलाना

- कानूनी निषेधों के बावजूद, शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में गाड़ी चलाना एक गंभीर चिंता का विषय है।
- नियमों के बावजूद, नशे में गाड़ी चलाने का चलन सड़क सुरक्षा के लिए काफी खतरा पैदा करता है।

कमज़ोर प्रवर्तन

- अपर्याप्त यातायात निगरानी और सड़क सुरक्षा कानूनों का ढीला कार्यान्वयन प्रगति में बाधा डालता है।
- लागू नियमों के बावजूद, प्रभावी प्रवर्तन की कमी इन कानूनों के प्रभाव को कम कर देती है, जिससे सड़क सुरक्षा के प्रति अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति मिलती है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए कदम

सख्त कानून और प्रवर्तन

- मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 ने खतरनाक ड्राइविंग को रोकने के उद्देश्य से यातायात उल्लंघन के लिए कठोर दंड लगाया।
- उल्लंघनों के लिए कानूनी परिणामों को मजबूत करना एक निवारक के रूप में कार्य कर सकता है और सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं को बढ़ावा दें सकता है।

कमज़ोर सड़क उपयोगकर्ताओं पर ध्यान दें

- समर्पित साइकिलंग लेन और पैदल यात्री वॉकवे बनाने जैसी पहल उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देती है।
- लक्षित बुनियादी ढांचे में सुधार उच्च जोखिम वाले लोगों की रक्षा कर सकता है, जिससे पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार हो सकता है।

सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान

- जिम्मेदार ड्राइविंग आदतों को बढ़ावा देना और जनता को यातायात नियमों के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है।
- सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं और नियमों के बारे में जनता को शूचित करना सड़कों पर जिम्मेदार व्यवहार की शंखृति में योगदान दें सकता है।

बुनियादी ढांचे में निरेश

- सड़कों को उन्नत करना, उचित साइनेज और प्रकाश व्यवस्था स्थापित करना, और बुटिमान यातायात प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने से सुरक्षा में काफी सुधार हो सकता है।
- बुनियादी ढांचे में वृद्धि अपर्याप्त सड़कों और साइनेज द्वारा उत्पन्न कुछ चुनौतियों का सीधे समाधान कर सकती है।

प्रौद्योगिकी प्रगति

- ड्राइवर सहायता प्रणाली और उन्नत यातायात निगरानी जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग सुरक्षा उपायों को बढ़ा सकता है।
- सड़क सुरक्षा उपायों में प्रौद्योगिकी को लागू करने से वार्षिक समय पर निगरानी और सहायता मिल सकती है, जो सुरक्षित सड़क रिस्तियों में योगदान कर सकती है।

गोलान हाइट्स

खबरों में क्यों?

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है जिसमें इज़राइल द्वारा गोलान हाइट्स से पीछे नहीं हटने पर गहरी विंता व्यक्त की गई है।

महत्वपूर्ण बिंदु

गोलान हाइट्स

- यह दमिश्क से लगभग 60 किलोमीटर (40 मील) दक्षिण में दक्षिण-पश्चिमी सीरिया में एक छटानी पठार है।
- इसके पश्चिम में जॉर्डन नदी और गलील सागर, उत्तर में माउंट हर्मन, पूर्व में मौसमी वादी अल-रुक्कद नदी और दक्षिण में यारमक नदी लगती है।
- अपने सबसे ऊँचे बिंदु पर, गोलान उत्तर से दक्षिण तक लगभग 44 मील (71 किलोमीटर) और पूर्व से पश्चिम तक 27 मील (43 किलोमीटर) मापता है।
- यह कुछ हट तक नाव के आकार का है और 1,150 वर्ग किमी में फैला है।



गोलान हाइट्स विवाद का स्रोत क्यों है?

- सीरिया ने 1967 तक गोलान हाइट्स को नियंत्रित किया।
- 1967 में छह दिवसीय युद्ध के दौरान, इज़राइल ने अधिकांश क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया और 1981 में इस पर कब्ज़ा कर लिया।
- गोलान पर कब्ज़ा करने के बाद, इज़राइल ने झूँझ को नागरिकता की पेशकश की, लेकिन बहुमत ने इनकार कर दिया और सीरियाई के रूप में पहचान जारी रखी।
- अन्य 20,000 इज़रायली निवासी भी वहां रहते हैं, जिनमें से कई कृषि और पर्यटन में काम करते हैं।
- इज़रायल के एकतरफा अधिग्रहण को अंतर्राष्ट्रीय रूप पर खीकार नहीं किया गया और सीरिया चाहता है कि यह क्षेत्र वापस किया जाए।
- सीरिया ने 1973 के मध्य पूर्व संघर्ष के दौरान ऊंचाइयों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा।
- 1974 में इज़राइल और सीरिया द्वारा शांति संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से, गोलान हाइट्स आम तौर पर शांतिपूर्ण रही है।
- गोलान हाइट्स की संभावित वापसी और शांति समझौते पर चर्चा के लिए इज़राइल और सीरिया ने 2000 में अपनी उच्चतम-स्तरीय चर्चा की थी।
- दालांकि, वार्ता विफल रही और बाद की वार्ता भी विफल रही।

देश गोलान हाइट्स पर दावा क्यों करते हैं?

- दोनों पक्ष गोलान में प्रचुर पानी और प्राकृतिक रूप से उत्पादक भूमि चाहते हैं।
- इसके अलावा, सीरिया के नागरिक संघर्ष को देखते हुए, इज़राइल पठार को इज़रायली समुदायों और सीरिया में अस्थिरता के बीच एक बफर जोन के रूप में देखता है।
- इज़राइल को इस बात की भी विंता है कि ईरान इज़राइल पर हमले शुरू करने के लिए सीमा के सीरियाई हिस्से पर स्थायी रूप से खुद को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।
- गौरतलब है कि ईरान सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल-असद का समर्थक है।
- सीरिया, अपनी ओर से, इस बात पर जोर देता है कि इज़राइल के कब्जे वाला गोलान का हिस्सा एक अधिकृत क्षेत्र बना हुआ है और इसलिए वह इसे वापस करने की मांग करता है।

वहां संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान व्यवस्था क्या है?

- एक संयुक्त राष्ट्र डिसाइनेजेमेंट ऑफिर्स (UNDOF) गोलान के साथ शिविरों और अवलोकन चौकियों पर तैनात है।
- यह संयुक्त राष्ट्र ट्रूस पर्योक्षण संगठन (UNTSO) के सैन्य पर्योक्षकों द्वारा समर्थित है।
- इज़रायली और सीरियाई सेनाओं के बीच 400 वर्ग किमी का "पृथक्करण क्षेत्र" है।
- इसे अक्सर तिर्यैन्यीकृत क्षेत्र कहा जाता है जिसमें युद्धविराम व्यवस्था के तहत दोनों देशों के शैन्य बलों को अनुगति नहीं है।
- 1974 के सेना पृथक्करण समझौते ने अलगाव की दो रेखाएँ बनाईं।
- पृथक्करण क्षेत्र के पश्चिम में अल्फा लाइन के पीछे, इज़रायली सैन्य बलों को रहना चाहिए।
- पृथक्करण क्षेत्र के पूर्व में ब्रातो रेखा के पीछे, सीरियाई सैन्य बलों को रहना चाहिए।
- दोनों तरफ "पृथक्करण क्षेत्र" से 25 किमी आगे तक पिस्तार "सीमा क्षेत्र" है।

- यहां, सैनिकों की संख्या और दोनों पक्षों के पास होने वाले हथियारों की संख्या और प्रकार पर प्रतिबंध हैं।
- इजरायली और सीरियाई पक्षों के बीच एक क्रॉसिंग पॉइंट है।
- 2011 में सीरियाई गृह युद्ध शुरू होने तक, इसका उपयोग मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र बलों, सीमित संख्या में फ़ुज़ नागरिकों और कृषि उपज के परिवहन के लिए किया जाता था।

सामरिक महत्व

- गोलान में 30 से अधिक इजरायली बसितयाँ हैं।
- अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बसितयों को अवैध माना जाता है, हालांकि इजराइल इस पर विवाद करता है।
- गोलान में लगभग 20,000 सीरियाई और 20,000 इजराइली रहते हैं।
- गोलान पहाड़ियों की ओटी से सीरिया की राजधानी दमिश्क को देखा जा सकता है।
- जब यहां बारिश होती है तो इसका पानी जॉर्डन नदी में चला जाता है, जो सूखे इलाकों में पानी की आपूर्ति करती है। ऐसा माना जाता है कि यह पानी इजराइल के एक तिहाई पानी की आपूर्ति करता है।
- इसके अलावा यहां की जमीन बहुत उपजाऊ है, जो खेती के लिए बहुत अच्छी है।

मसौदा तलाश करने की ज़रूरत है

- मसौदा प्रस्ताव:** मसौदा प्रस्ताव 'द सीरियाई गोलान' को एजेंडा आइटम 'मध्य पूर्व में स्थिति' के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान के लिए रखा गया था।
- प्रस्ताव पर मतदान:** मिस्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को रिकॉर्ड किए गए वोट के माध्यम से अपना लिया गया, जिसके पक्ष में 91, विरोध में आठ और 62 लोग अनुपरिधत रहे।
- समर्थक देश:** भारत के अलावा, प्रस्ताव का समर्थन करने वाले देशों में बांग्लादेश, भूटान, चीन, मलेशिया, मालदीव, नेपाल, रूस, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
- प्रस्ताव के खिलाफ़ देश:** ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, यूके और अमेरिका ने इसके खिलाफ़ मतदान किया।
- इजराइल की विफलता:** प्रस्ताव में सुरक्षा परिषद और महासभा के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए सीरियाई गोलान हाइट्स से हटने में इजराइल की विफलता पर गहरी चिंता व्यक्त की गई।
- UNSC प्रस्ताव 497 का कोई पालन नहीं:** प्रस्ताव में पुष्टि की गई कि इजराइल ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 497 (1981) का पालन नहीं किया है।
- प्रस्ताव में कहा गया है कि 14 दिसंबर, 1981 को लिया गया इजरायली निर्णय अमान्य माना जाएगा और इसकी कोई वैधता नहीं है।** इसने इजराइल से इस फैसले को रद्द करने का आग्रह किया।
- इजरायली बसितयों पर प्रस्ताव:** प्रस्ताव में 1967 से कब्जे वाले सीरियाई गोलान हाइट्स में इजरायली निपटान निर्माण और अन्य गतिविधियों की अवैधता पर जोर दिया गया।
- इसमें प्रायंगिक सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत पूरे कब्जे वाले सीरियाई गोलान से इजरायल की वापरी का आह्वान किया गया।**


मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ

खबरों में क्यों?

10 दिसंबर 2023 को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) की 75वीं वर्षगांठ है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- मानवाधिकार दिवस:** यह वह दिन है जिस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था।
- UDHR दस्तावेज़:** उन अपरिहार्य अधिकारों को स्थापित करता है जिनका एक इंसान के रूप में छर कोई हकदार है - जाति, रंग, धर्म, लिंग, भाषा, राजनीतिक या अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति की परवाह किए बिना।
- सामान्य मानक:** UDHR को मौलिक मानवाधिकारों का एक सामान्य मानक स्थापित करने के लिए अपनाया गया था जिसे सार्वभौमिक रूप से संरक्षित और सम्मानित किया जाना चाहिए।
- यह द्वितीय विश्व युद्ध, विशेषकर नरसंहार के दौरान हुए अत्याचारों और मानवाधिकारों के उल्लंघन की प्रतिक्रिया थी।**



UDHR की उपलब्धि

- घोषणा एक संधि नहीं है और अपने आप में कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसके द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को कई देशों के कानूनों में शामिल किया गया है और इसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के आधार के रूप में देखा जाता है।
- अन्य संधियों के लिए मौलिक:** संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इसे वैष्णव और क्षेत्रीय रूप से 70 से अधिक मानवाधिकार संधियों के लिए प्रेरित और मार्ग प्रशस्त करने के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- सामाजिक न्याय: इसने उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन और रंगभेट विरोधी आंदोलन को प्रेरित किया। इसने दुनिया भर के स्वतंत्रता सेनानियों को लौंगिक मुहूँ, एलजीबीटीआईवयू+ मुहूँ और नस्लवाद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया।

मानवाधिकार क्या हैं?

- मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो राष्ट्रीयता, जातीयता, लिंग, धर्म या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना सभी मनुष्यों के लिए अंतर्निहित हैं।
- इन अधिकारों को सार्वभौमिक, अविभाज्य और अविभाज्य माना जाता है, जो मानवीय गरिमा, समानता और न्याय की नींव बनाते हैं।
- मानवाधिकार नागरिक अधिकारों से भिन्न हैं जो एक विशिष्ट राष्ट्र के भीतर कानूनों द्वारा बनाए और परिभाषित किए जाते हैं।
- नागरिक अधिकार सरकार द्वारा प्रदाता और संरक्षित कानूनी अधिकार हैं, और वे समय के साथ बदल सकते हैं क्योंकि कानूनों में संशोधन या अदातन किया जाता है।

मानवाधिकार का महत्व

- अंतर्निहित गरिमा: मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा की पुष्टि करता है।
- समानता और गैर-भेदभाव: वे यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिले और उनके साथ निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के व्यवहार किया जाए।
- दुरुपयोग से सुरक्षा: मानवाधिकार इन अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कार्यों के लिए सरकारों, संस्थानों और व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराने, न्याय और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।
- वैष्विक मानक: अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समझौते और संधियाँ इन मानकों को बनाए रखने के लिए साझा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देते हुए, व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इसके लिए एक वैष्विक मानक स्थापित करते हैं।
- संकट में मानवीय गरिमा: संकट के समय में, मानवाधिकार इस तरह से आपात स्थिति का जवाब देने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं जो मानवीय गरिमा को बनाए रखता है और आगे के नुकसान को रोकता है।

मानवाधिकारों से संबंधित प्रमुख चिंताएँ

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन:

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: भाषण, प्रेस और सभा की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध व्यक्तियों की अपनी शय व्यक्त करने और नागरिक गतिविधियों में भाग लेने की क्षमता को सीमित कर सकते हैं।
- राजनीतिक दमन: सतावाटी शासन राजनीतिक विरोध को दबा सकते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकते हैं और मनमाने ढंग से निष्पतारियाँ और डिग्राजत में ले सकते हैं।

सामाजिक और आर्थिक अन्याय:

- गरीबी: भोजन, स्वच्छ पानी और स्वास्थ्य देखभाल जैसे बुनियादी संसाधनों तक पहुंच की कमी व्यापक गरीबी को जन्म दे सकती है, जो पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार का उल्लंघन है।
- असमानता: भेदभाव और संसाधनों का असमान वितरण सामाजिक और आर्थिक असमानताओं में योगदान कर सकता है।

भेदभाव और हासियाकरण:

- लौंगिक असमानता: महिलाओं को अवसर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- नस्लीय और जातीय भेदभाव: कई समाजों में नस्लवाद और जातीय भेदभाव कायम हैं, जिससे सामाजिक बहिष्कार और असमानता पैदा होती है।

शिक्षा तक पहुंच का अभाव:

- शिक्षा असमानताएँ: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों और संघर्ष क्षेत्रों में, शिक्षा के अधिकार की प्राप्ति में बाधा बन सकती है।

प्रवासन और शरणार्थी अधिकार:

- शरणार्थी अधिकार: विस्थापित व्यक्तियों को उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें अपर्याप्त रहने की स्थिति, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी और आंदोलन की प्रतिबंधित स्वतंत्रता शामिल है।

मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय

वैश्विक पहल:

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद: यह दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बनाई गई एक अंतर-सरकारी संस्था है।
- मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय (OHCHR): 1993 में वियना, ऑस्ट्रिया में मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन ने वियना घोषणा और कार्रवाई कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
- इसमें मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) और मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्त के पद की स्थापना का आहान किया गया।

- राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैष्णव गठबंधन (GANHRI): यह मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (NHRI) को एक साथ लाता है और उनका समर्थन करता है।
- पेरिस सिद्धांत: इन सिद्धांतों को 1991 में पेरिस में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अपनाया गया था।
- इसे संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 1993 के विनियम 48/134 द्वारा भी समर्थन दिया गया था।
- पेरिस सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय मानव प्रदान करते हैं जिसके आधार पर NHRI को GANHRI द्वारा मान्यता दी जा सकती है।

भारतीय पहल:

- संवैधानिक सुरक्षा उपाय: गौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आदि।
- महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय: दहेज निषेध अधिनियम, घेरलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 जैसे यौन अपराधों को संबोधित करने वाले कानून।
- बच्चों के अधिकार और एससी अत्याहार: किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC): यह मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 1993 में गठित एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99

खबरों में क्यों?

गाजा पट्टी पर इजरायल के जारी सैन्य हमलों के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुट्टेरेस ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 को लागू किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

संयुक्त राष्ट्र चार्टर

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संरक्षणक दस्तावेज है।
- इसके माध्यम से प्रतत शक्तियों के आधार पर, संयुक्त राष्ट्र विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर कार्रवाई कर सकता है।
- चार्टर को एक अंतर्राष्ट्रीय संधि माना जाता है, जिसका अर्थ है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य "इससे बंधे हुए हैं"। हालाँकि, व्यवहार में, ऐसा बहुत कम है जिसे करने के लिए सदस्य देशों को बाध्य किया जा सके।

अनुच्छेद 99 क्या है?

- यह एक विशेष शक्ति है, और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में महासचिव को दिया गया एकमात्र स्वतंत्र राजनीतिक उपकरण है।
- यह उसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए नए खतरों और उन मामलों के बारे में चेतावनी जारी करने के लिए अपनी पहल पर सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की अनुमति देता है जो अभी तक परिषद के एजेंडे में नहीं हैं।
- चार्टर के अनुच्छेद 99 में कहा गया है, "महासचिव किसी भी मामले को सुरक्षा परिषद के ध्यान में ला सकते हैं जो उनकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव को खतरे में डाल सकता है।"
- अब गुट्टेरेस को सुरक्षा परिषद में बोलने का अधिकार होगा, बिना किसी सदस्य राज्य द्वारा बोलने के लिए आमंत्रित किए, जैसा कि आमतौर पर होता है।
- इसे एक विवेकाधीन शक्ति के रूप में देखा जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यदि महासचिव अनुच्छेद 99 के तहत परिषद के ध्यान में कोई मामला लाता है तो सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का दायित्व है कि वह परिषद की बैठक बुलाये।

अनुच्छेद 99 को अतीत में कब लागू किया गया है?

- प्रावधान को शायद ही कभी लागू किया गया है।
- पिछले उदाहरणों में 1960 में बेल्जियम के औपनिवेशिक शासन के अंत के बाद कांगो गणराज्य में उथल-पुथल और 1961 में फ्रांस की नौसेना और वायु सेना के हमले के खिलाफ ट्यूनीशिया की शिकायत शामिल है।
- तो, इसे अतीत में केवल चार बार लागू किया गया है - कांगो (1960), पूर्वी पाकिस्तान (1971), ईरान (1979) और लेबनान (1989) में।
- जुलाई 1960: कांगो - तत्कालीन महासचिव डैग हैमरस्कजॉल्ड ने "एक ऐसे मामले पर, जो मेरी राय में, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है" पर परिषद के साथ एक तत्काल बैठक का अनुरोध किया, जब कांगो सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से सुरक्षा के लिए सैन्य सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया।
- दिसंबर 1971, पूर्वी पाकिस्तान - बुधवार को, संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने उस समय का जिक्र किया जब तत्कालीन महासचिव यूथांट ने अनुच्छेद 99 का छवाला देते हुए उस युद्ध में सुरक्षा परिषद के छस्तक्षेप की मांग की थी, जिसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और अब यह बांग्लादेश है। यह स्पष्ट नहीं है कि यूथांट का अनुच्छेद 99 का संदर्भ नियम के पूर्ण आहार का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं।

ISRAEL- CAZA WAR What is Article 99 of the UN Charter about?

UN Secretary-General Antonio Guterres made a rare move on Wednesday, invoking Article 99 to formally warn the Security Council of the global threat from Israel's war on Gaza.

ARTICLE 99

¶ If the secretary-general may bring to the attention of the UNSC any matter which, in his opinion, may threaten the maintenance of international peace and security.

WHEN WAS IT LAST INVOKED?

	1960 - IRAN Secretary-General Dag Hammarskjold The Congolese government requested the UNSC to provide UN military assistance to protect against Belgian forces.
	1979 - IRAN Secretary-General Kurt Waldheim The UNSC called for the release of 52 Americans held hostage by Iranian militia at the US embassy in Tehran and restoring diplomatic immunity.
	1989 - LEBANON Secretary-General Javier Perez de Cuellar It was used to call for a ceasefire in Lebanon's escalating civil war.

- दिसंबर 1979, ईरान - 1970 के दशक के अंत में महासचिव के रूप में ऑस्ट्रियाई शजनिक कर्ट वाल्डहेम ने 4 दिसंबर, 1979 को अनुच्छेद 99 का इस्तेमाल किया था जब ईरान में इस्लामी क्रांति के बाद तेहरान में अमेरिकी दूतावास में ईरानी लड़कों द्वारा 52 अमेरिकियों को बंधक बना लिया गया था।
- अगस्त 1989, लेबनान - महासचिव जेवियर पैरेज़ डी क्रुएल ने लेबनान के बढ़ते गृहयुद्ध में युद्धविराम का आह्वान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया।
- लेख को शुरू में एक निवारक उपकरण के रूप में डिज़ाइन किया गया था, कुछ हृष्ट तक एक चैतावनी प्रणाली की तरह। इसका उपयोग संघर्षों को बढ़ने से रोकने के लिए था, लेकिन नाजा पर युद्ध की तरह, इस लेख का उपयोग भी तब किया गया है जब संघर्ष पहले ही बढ़ चुके थे।
- अंतर्राष्ट्रीय संकट समूह में संयुक्त राष्ट्र वकालत और अनुसंधान के एक वरिष्ठ विलेषक डैनियल फोर्टी ने अल ज़ीरा को बताया, "यह तथ्य कि 1989 से इस उपकरण का उपयोग नहीं किया गया है, न्यूयॉर्क में कूटनीतिक और प्रतीकात्मक रूप से प्रतिध्वनित होता है।"

क्या इससे पहले भी शांति आई है?

- अनुच्छेद 99 के उपयोग के अंतीत में भिन्नता परिणाम रहे हैं, हालाँकि इससे वास्तव में कभी शांति नहीं आई है।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि महासचिव का छस्तक्षेप "सुरक्षा परिषद के सबसे शक्तिशाली सदस्यों की शजनीतिक गणना को मौतिक रूप से नहीं बदलता है।"
- उदाहरण के लिए, 1960 में, इस अनुच्छेद के लागू होने के कारण सुरक्षा परिषद ने संकल्प 143 को अपनाया, जिसमें बैलिजयम से सेना की वापसी शुरू करने का आह्वान किया गया।
- इसने इसे सुविधाजनक बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति सेना भी भेजी। लेकिन कांगो युद्ध जारी रहा, प्रधान मंत्री पैट्रिस लुंबा की हत्या कर दी गई, और इसके बाद के वर्षों में देश का संकट और गहरा हो गया।
- सुरक्षा परिषद ने इसी तरह 1979 में अमेरिकी बंधकों की रिहाई का आह्वान किया था, और वाल्डहेम को ऐसा करने के लिए "सभी उचित उपाय करने" के लिए अधिकृत किया गया था। लेकिन बंधकों को 444 दिनों तक बंधक बनाए रखा गया, जिनमें से दो की मौत हो गई। बाकियों को 1981 में अल्जीयर्स समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ही रिहा किया गया था।
- अनुच्छेद 99 के आखिरी बार इस्तेमाल के बाद सुरक्षा परिषद ने 1989 में लेबनान में सभी पक्षों से युद्धविराम की दिशा में काम करने का भी आह्वान किया। लेकिन संघर्ष जारी रहा।
- वर्तमान संघर्ष के मामले में, अमेरिका ने अब तक सुरक्षा परिषद में युद्धविराम प्रस्ताव का वद्धता से विरोध किया है, और इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि वाशिंगटन की रिश्ति में कोई बदलाव आया है।

गुटेस ने इस बार कैसे अनुच्छेद 99 का इस्तेमाल किया है?

- UNSC अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में, गुटेस ने "इजरायल और अधिकृत फिलिस्तीन क्षेत्र में भयावह मानवीय पीड़ा, शारीरिक तिनाश और सामूहिक आघात" की बात की।
- गुटेस ने कहा कि उन्होंने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमलों की बार-बार निंदा की है, जिसमें 1,200 से अधिक लोगों की मौत हो गई, और अभी भी बंदी बनाए गए 130 से अधिक लोगों की रिहाई का आह्वान किया गया है।
- उन्होंने कहा कि इजरायल के सैन्य अभियान की शुरुआत के बाद से 15,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें लगभग 40 प्रतिशत बच्चे हैं।
- "इजरायल रक्षा बलों द्वारा लगातार बमबारी" के परिणामस्वरूप रवारेख्य देखभाल प्रणाली का पतन, मानवीय शहर पहुंचाने में कठिनाइयाँ और विस्थापन के मुद्दों की ओर इशारा किया गया है।
- गुटेस ने सुरक्षा परिषद के सदस्यों से मानवीय आपदा को रोकने के लिए दबाव डालने का आग्रह किया।
- उन्होंने मानवीय युद्धविराम घोषित करने की अपील की। यह बहुत ज़रूरी है नागरिक आबादी को अधिक नुकसान से बचाया जाना चाहिए। मानवीय युद्धविराम के साथ, जीवित रहने के साधन बढ़ाव दिए जा सकते हैं, और गाजा पट्टी में मानवीय सहायता सुरक्षित और समय पर पहुंचाई जा सकती है।

क्या अनुच्छेद 99 से संघर्ष खत्म हो सकता है?

- संयुक्त राष्ट्र की सबसे शक्तिशाली संस्था मानी जाने वाली 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का काम सौंपा गया है। यदि वह गुटेस की सलाह पर कार्य करना और युद्धविराम प्रस्ताव अपनाना चाहता है तो हाँ। प्रस्ताव के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इसके पास अतिरिक्त शक्तियाँ होंगी, जिसमें प्रतिबंध लगाने या अंतर्राष्ट्रीय बल की तैनाती को अधिकृत करने की शक्ति भी शामिल है।
- लेकिन यह गुटेस को सुरक्षा परिषद को किसी प्रस्ताव को अपनाने के लिए मजबूर करने की कोई शक्ति नहीं देता है।
 - इसके अलावा, किसी प्रस्ताव को अपनाए जाने के लिए पक्ष में कम से कम नौ वोटों की आवश्यकता होती है और पांच स्थायी सदस्यों संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस या ब्रिटेन द्वारा कोई वीटो नहीं किया जाता है।
- हालाँकि, यह संभावना नहीं है कि वोट में स्थायी सदस्यों का सर्वसम्मति से समर्थन मिलेगा।
- इसके अलावा, सुरक्षा परिषद में वीटो के कारण, सुरक्षा परिषद इस मुद्दे पर एक ठोस प्रस्ताव को अपनाने का एकमात्र तरीका यह है कि पांच स्थायी सदस्यों में से प्रत्येक इसे वीटो न करने का विकल्प चुने।

- चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस - के पास यह वीटो शक्ति है।
- अमेरिका और ब्रिटेन ने 7 अवटूबर से इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों के लिए समर्थन व्यक्त किया है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)

खबरों में क्यों?

भारत को 2024-25 ट्रिवार्षिक के लिए लंदन में इसकी असेंबली में हुए चुनावों में सर्वोच्च संस्था के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) परिषद के लिए फिर से चुना गया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत का पुनः चुनाव वैश्विक समुद्री संचालन में भारत के वित्तीय योगदान को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) क्या है?

- IMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है।
- इसकी स्थापना 1948 में जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में समझौते के बाद की गई थी और 10 साल बाद 1958 में पहली बार बैठक करके अस्तित्व में आया।
- लंदन, थूनाइटेड किंगडम में मुख्यालय वाले IMO में वर्तमान में 175 सदस्य देश और तीन सहयोगी सदस्य हैं।
- भारत 1959 में IMO में शामिल हुआ और IMO वर्तमान में भारत को अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़ी रुचि वाले 10 राज्यों में सूचीबद्ध करता है।

IMO का प्राथमिक उद्देश्य शिपिंग के लिए एक व्यापक नियमक ढांचा विकसित करना और बनाए रखना है और इसके अधिदेश में शामिल हैं:

- समुद्री सुरक्षा,
 - पर्यावरण संबंधी चिंताएँ,
 - कानूनी मामले,
 - तकनीकी सहयोग,
 - समुद्री सुरक्षा और
 - शिपिंग की दक्षता
- दूसरे शब्दों में, इसकी भूमिका एक समान अवसर तैयार करना है ताकि जहाज संचालकों को वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए सुरक्षा, सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रदर्शन से समझौता न करना पड़े।
 - यह दृष्टिकोण नवाचार और दक्षता को भी प्रोत्साहित करता है।



IMO

- IMO सदस्यों की एक सभा द्वारा शासित होता है जिसकी बैठक हर दो साल में होती है।
- विधानसभा कार्य कार्यक्रम को मंजूरी देने, बजट पर मतदान करने और संगठन की वित्तीय व्यवस्था निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है।
- यह इन बैठकों में अगले दो साल की अवधि के लिए संगठन की 40 सदस्यीय परिषद का भी चुनाव करता है।
- परिषद IMO का कार्यकारी अंग है और संगठन के काम की निगरानी के लिए जिम्मेदार (विधानसभा के तहत) है।
- विधानसभा के सत्रों के बीच, परिषद समुद्री सुरक्षा और प्रदूषण की रोकथाम पर सरकारों को सिफारिशें करने के अलावा विधानसभा के कार्य करती है।

शिपिंग उद्योग का महत्व और IMO द्वारा निभाई गई भूमिका

- शिपिंग वास्तव में एक अंतरराष्ट्रीय उद्योग है, और यह केवल तभी प्रभावी ढंग से काम कर सकता है जब नियमों और मानकों को अंतरराष्ट्रीय आधार पर खत्यां सहमत, अपनाया और कार्यान्वयित किया जाता है।
- IMO वह मंच है जिस पर यह प्रक्रिया होती है।
- शिपिंग अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का सबसे कुशल और लागत प्रभावी तरीका है, जो 80% से अधिक वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाता है और दुनिया भर के देशों और लोगों के बीच समझौते पैदा करने में मदद करता है।
- IMO के उपर्यांत अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के सभी पहलुओं को कवर करते हैं - जिसमें जहाज डिजाइन, निर्माण आदि शामिल हैं - यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह महत्वपूर्ण क्षेत्र सुरक्षित, पर्यावरण की दृष्टि से मजबूत, ऊर्जा कुशल और सुरक्षित बना रहे।
- IMO के माध्यम से, सदस्य राज्य, नागरिक समाज और शिपिंग उद्योग पहले से ही छरित अर्थव्यवस्था और स्थायी तरीके से विकास के लिए नियंत्रण और मजबूत योगदान सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
- IMO सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और संबंधित एसडीजी की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है।


भारत-केन्या

खबरों में क्यों?

भारत ने केन्या में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए 250 मिलियन डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रुटो भारत की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं।
- भारत और केन्या ने रक्षा, समुद्री और कनेक्टिविटी संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया वर्षों के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरे पर आए राष्ट्रपति विलियम रुटो के साथ बातचीत की।
- पीएम मोदी ने पूर्वी अफ्रीकी देश को अपने कृषि क्षेत्र में सुधार करने में मदद के लिए 250 मिलियन डॉलर की नई क्रेडिट लाइन की घोषणा की।
- दोनों देशों ने पांच समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए और हिंद महासागर में समुद्री सहयोग के लिए एक विज़न दरतावेज़ जारी किया।
- रक्षा सहयोग को तेज करने के उद्देश्य से, नेताओं ने केन्याई रक्षा संस्थानों में भारतीय विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति सहित प्रशिक्षण आदान-प्रदान के विस्तार की दिशा में काम करना जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।
- पीएम मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे और आतंकवाद विरोधी परियोजनाओं पर सहयोग करेंगे।



भारत-केन्या ट्रिप्लीय संबंध

- भारत ने 1948 में नैरोबी में ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका निवासी आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया।
- दिसंबर 1963 में केन्या की स्वतंत्रता के बाद, केन्या की राजधानी नैरोबी में एक उच्चायोग की स्थापना की गई।
- दक्षिणपूर्वी केन्या के तटीय शहर मोगासा में भारत का एक सहायक उच्चायोग है।
- उपराष्ट्रपति डॉ. एस राधाकृष्णन ने जुलाई 1956 में केन्या का दौरा किया।
- 2016 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की केन्या की राजकीय यात्रा ने ट्रिप्लीय साझेदारी को एक नई गति दी।

ट्रिप्लीय व्यापार:

- 1981 में भारत-केन्या व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत दोनों देशों ने एक-दूसरे को सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा दिया।
- समझौते के अनुसरण में, 1983 में मंत्री रत्न पर भारत-केन्या संयुक्त व्यापार समिति (JTC) की स्थापना की गई थी।
- 1989 में एक ट्रिप्लीय दोष्य कराधान बचाव समझौता (DTAA) पर हस्ताक्षर किए गए।
- संशोधित DTAA पर जुलाई 2016 में हस्ताक्षर किए गए और 2017 में लागू हुआ।

निर्यात:

- 2021 में, भारत ने केन्या को \$2.55B का निर्यात किया।
- भारत द्वारा केन्या को निर्यात किए जाने वाले मुख्य उत्पाद रिफाइंड पेट्रोलियम (\$504M), पैकेज मेडिकमेंट्स (\$253M), और सेमी-फिनिश आयरन (\$149M) हैं।
- पिछले 26 वर्षों के दौरान केन्या को भारत का निर्यात 9.46% की वार्षिक दर से बढ़ा है, जो 1995 में \$243M से बढ़कर 2021 में \$2.55B हो गया है।

आयात:

- 2021 में, केन्या ने भारत को \$107M का निर्यात किया।
- केन्या द्वारा भारत को निर्यात किए जाने वाले मुख्य उत्पाद सूखे फलियां (\$42.8M), कार्बोनेट्स (\$20.5M), और चाय (\$11.7M) थे।

विकास सहयोग:

- भारत केन्या को ऋण और क्रेडिट के रूप में विकास सहायता प्रदान करता है।
- इसमें रूपये का ऋण शामिल है। 1982 में केन्या सरकार को 50 मिलियन और EXIM बैंक द्वारा औद्योगिक विकास बैंक कैपिटल लिमिटेड को ऋण सहायता।

सामाजिक बंधन:

- केन्या में लगभग 80,000 से 100,000 लोग भारतीय मूल के हैं।
- यह केन्या के दक्षिण अफ्रीका के बाद सबसे बड़ा भारतीय समुदाय वाला अफ्रीकी देश बनाता है।
- केन्याई सरकार ने 2017 में भारतीय मूल को देश की 44वीं जनजाति के रूप में मान्यता दी।

- भारत के ज्या आने वाले पर्टकों का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत (पड़ोसियों के अलावा) है।
- वर्तमान में पूरे भारत में 50 संस्थानों में लगभग 3,500 केन्याई छात्र पढ़ रहे हैं।

यूरोप ऐतिहासिक AI विनियमन समझौते पर सहमत है

खबरों में क्यों?

यूरोप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को नियंत्रित करने वाले ऐतिहासिक यूरोपीय संघ नियमों पर एक अनंतिम समझौते पर पहुंच गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

पृष्ठभूमि

- डेटा विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता कानून 2018 में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) के साथ शुरू हुआ।
- यूरोपीय संघ में GDPR अधिनियम न केवल AI के बारे में है, बल्कि इसमें एक खंड है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव के लिए स्पष्टीकरण के अधिकार का वर्णन करता है।
- बाट में, यूरोप में 2021 का AI अधिनियम AI सिस्टम को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करता है:
 - अखीरीकार्य मात्रा में जोखिम पैदा करने वाली प्रणालियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
 - जिन प्रणालियों को उच्च जोखिम वाला माना जा सकता है उन्हें विनियमित करने की आवश्यकता है।
 - सुरक्षित अनुप्रयोग, जिन्हें अनियमित छोड़ा जा सकता है।
- अन्य समान नियम: कनाडा ने संशोधित जोखिम-आधारित एस्टिकोन के साथ एआई का उपयोग करने वाली कंपनियों को विनियमित करने के लिए 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा अधिनियम (AIDA) लागू किया।
- AI अधिनियम के विपरीत, AIDA महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले कार्यों में भी AI के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। हालाँकि, डेवलपर्स को बैकअप योजना के रूप में जोखिम शमन रणनीतियाँ बनानी होंगी।

डील के बारे में:

- हालिया सौदे के साथ, यूरोपीय संघ एआई को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने वाला पहला विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है।
- यह समझौता यूरोपीय संघ के देशों और यूरोपीय संसद सदस्यों के बीच हुआ।

सौदे में शामिल हैं:

- तकनीकी दस्तावेज तैयार करना,
- ईयू कॉर्पोरेशन कानून का अनुपालन और
- प्रशिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के बारे में विस्तृत सारांश का प्रसार करना।
- प्रणालीगत जोखिम वाले उच्च-प्रभाव वाले फाउंडेशन मॉडल के लिए प्रक्रिया को अपनाना होगा;
- मॉडल मूल्यांकन आयोजित करें,
- प्रणालीगत जोखिमों का आकलन करें और उन्हें कम करें,
- प्रतिकूल परीक्षण का संचालन करें,
- गंभीर घटनाओं पर यूरोपीय आयोग को रिपोर्ट करें,
- साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करें और
- उनकी ऊर्जा दक्षता पर रिपोर्ट करें।
- सरकार के उपयोग के लिए: सरकारें केवल कुछ अपराधों के पीड़ितों के मामलों में सार्वजनिक स्थानों पर वास्तविक समय बायोमेट्रिक निगरानी का उपयोग कर सकती हैं, आतंकवादी हमलों जैसे वास्तविक, वर्तमान या पूर्वानुमानित खतरों की रोकथाम कर सकती हैं, और सबसे गंभीर अपराधों के संठिनि लोगों की खोज कर सकती हैं।

निषिद्ध गतिविधियाँ:

- समझौता संज्ञानात्मक व्यवहार हेतु पर प्रतिबंध लगाता है,
- इंटरनेट या सीसीटीवी फ्रेटेज से चेहरे की छवियों का लक्षित रक्फेपिंग,
- राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक मान्यताओं, यौन अभिविन्यास और नरसंघ का अनुमान लगाने के लिए सामाजिक रकोरिंग और बायोमेट्रिक वर्गीकरण प्रणाली।

ऐसे विनियमन की आवश्यकता:

- असीमित पहुंच: ऐसी बिजली तक आसान पहुंच जोखिम भरी है।
- नौकरी का नुकसान: AI, जेनेटिव AI की तरह, नौकरियों को गड़बड़ा सकता है।
- पक्षपातपूर्ण परिणाम: AI अनुचित हो सकता है। यह पक्षपातपूर्ण डेटा से सीखता है और अनुचित विकल्प देता है।
- सामाजिक जासूसी और नकली: यह आवाजों और चेहरों की पूरी तरह से नकल कर सकता है और नकली वीडियो और तस्वीरें तैयार कर सकता है।
- युद्धों में AI: एआई हथियारों की होड़ को रोकना शांति के लिए महत्वपूर्ण है।



भारत में AI विनियमन

- भारत ने AI के विकास और प्रसार के लिए थोड़ा अलग दृष्टिकोण अपनाया है।
- जबकि सरकार चैटजीपीटी और बार्ड जैसे जेनेरिक एआई प्लॉटफार्मों को विनियमित करने की इच्छुक है, एआई के विकास पर अंकुश लगाने के लिए एक संहिताबद्ध कानून की कोई योजना नहीं है।
- आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा कि भारत के योजना आयोग, जीति आयोग ने एआई पर कुछ मार्गदर्शक दस्तावेज जारी किए हैं।
- इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति और सभी के लिए जिम्मेदार एआई रिपोर्ट शामिल हैं।
- हालांकि ये दस्तावेज अच्छी प्रथाओं को सूचीबद्ध करते हैं और जिम्मेदार एआई के लिए एक दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।

रिवर सिटी एलायंस

खबरों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने मिसिसिपी रिवर सिटीज़ एंड टाउन्स इनिशिएटिव (MRCTI) के साथ सामान्य प्रयोजन के एक ज्ञापन (MOCP) पर छठताक्षर किए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित 124 शहरों/करबों का प्रतिनिधित्व करता है।

महत्वपूर्ण बिंदु


- आरसीए नदी शहरों को जोड़ने और सतत नदी विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जल शक्ति (MOJS) और आवास और शहरी मामलों (MOHUA) मंत्रालयों का एक सहकारी प्रयास है।
- गठबंधन तीन प्राथमिक विषयों पर केंद्रित है: नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता।
- गठबंधन नवंबर 2021 में 30 सदस्य शहरों के साथ शुरू हुआ और तब से पूरे भारत में 110 नदी शहरों और डेनमार्क से एक विदेशी सदस्य शहर तक बढ़ गया है।

उद्देश्य

- RCA शहरी नदी प्रबंधन के नवीन तरीकों और दृष्टिकोणों को सीखने में रुचि रखने वाले भारतीय शहरों के लिए ऑनलाइन ज्ञान साझा करने को प्रोत्साहित करना चाहता है।
- यह अंतरराष्ट्रीय शहरों को भारतीय शहरों के अनुभवों के बारे में जानने का अवसर भी प्रदान करेगा जो उनकी स्थितियों पर लागू हो सकते हैं।

महत्व

- यह शहरों को एक-दूसरे की उपलब्धियों और विफलताओं से सीखने की अनुमति देगा, साथ ही लोगों को नदियों से भी जोड़ेगा।
- इसमें समुदायों को उनकी नदियों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है, और यह बेसिन और उससे आगे के सभी शहरों के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है।
- यह नगरपालिका प्रशासकों और उनके कर्मचारियों को एक-दूसरे को सीखने और प्रेरित करने के साथ-साथ नवीन पहल अपनाने का अवसर प्रदान करेगा।
- यह करबों को नदी शहरों के लिए शासन सुविधाओं को बढ़ाने और बाहरी आर्थिक निवेश को आकर्षित करने, अत्याधुनिक ज्ञान और ढांचे तक पहुंचने और अद्वितीय प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए स्थान के रूप में काम करने के लिए उनकी रहने की क्षमता में सुधार करने की अनुमति देता है।



सुझाव

- शहरों को अपनी नदियों को पुनर्जीवित करने का प्रभारी होना चाहिए।
- इसे एक विकासात्मक और सुविधाजनक दृष्टिकोण के साथ-साथ एक नियामक मानसिकता के साथ किया जाना चाहिए।
- शहरी निर्मित स्वरूप, परिवृत्ति और शहरी जल चक्र को एकीकृत करने के लिए एक रूपरेखा की आवश्यकता है।
- शहरों को नदियों की दुर्दशा के लिए काफी ठट तक जिम्मेदार माना जया है और इस प्रकार उन्हें कायाकल्प पहल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता होगी।
- शहरी विकास में नदी-संवेदनशील प्रथाओं को शामिल करने की आवश्यकता है।

संबंधित पहल

- नमामि गंगे कार्यक्रम: यह प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के दोषे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक एकीकृत संरक्षण मिशन है।

- गंगा एकशन प्लान: यह पहली नदी एकशन प्लान थी जिसे 1985 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया था।
- राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण (NRGBA): इसका गठन भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत वर्ष 2009 में किया गया था।
- स्वच्छ गंगा कोष: 2014 में, इसका गठन गंगा को साफ करने, अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने और नदी की जैविक विविधता के संरक्षण के लिए किया गया था।
- भुतन-गंगा वेब एप: यह गंगा नदी में प्रवेश करने वाले प्रदूषण की निगरानी में जनता की आवाज़ देने वाला एक ऐप है।
- अपशिष्ट निपटान पर प्रतिबंध: 2017 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा में किसी भी अपशिष्ट के निपटान पर प्रतिबंध लगा दिया।

निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन

खबरों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र के विदेश सचिव विनय वर्मा ने निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता के बारे में चर्चा की।

महत्वपूर्ण बिंदु

- निरस्त्रीकरण सम्मेलन (CD) एक बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण मंच है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा जिनेवा में पैतौर्स डेस नैशंस में स्थित हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण समझौतों पर बातचीत करने के लिए की गई थी।

महत्वपूर्ण बिंदु

इतिहास

- सम्मेलन की स्थापना पहली बार 1979 में निरस्त्रीकरण समिति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एकत बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच के रूप में की गई थी।
- 1984 में इसका नाम बदलकर निरस्त्रीकरण सम्मेलन कर दिया गया।

इसके गठन के पीछे का एजेंडा

सम्मेलन एक स्थायी एजेंडे के साथ बनाया गया था, जिसे "डिकोलॉग" भी कहा जाता है, जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं:

- सभी पहलुओं में परमाणु हथियार
- आमूल्यक विनाश के अन्य हथियार
- पारंपरिक हथियार
- सैन्य बजट में कमी
- सशर्त बलों में कमी
- निरस्त्रीकरण एवं विकास
- निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा
- संपार्श्वक उपाय; विश्वास बढ़ाती के उपाय; उचित निरस्त्रीकरण उपायों से संबंधित प्रभावी सत्यापन विधियां, सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य
- प्रभावी अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण के तहत सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए निरस्त्रीकरण का व्यापक कार्यक्रम
- इसके अतिरिक्त, सम्मेलन के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार निकाय के सभी निर्णयों पर सर्वसम्मति से सहमति होनी चाहिए।



बैठक सत्र

- सम्मेलन की साताना बैठक जिनेवा में तीन अलग-अलग सत्रों में होती है।

संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंध

- सम्मेलन औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र है।
- हालाँकि, हालाँकि यह औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र का संगठन नहीं है, फिर भी यह विभिन्न तरीकों से इससे जुड़ा हुआ है।
- सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के महानिंदेशक सम्मेलन के महासचिव के रूप में कार्य करते हैं।
- इसके अलावा, जबकि सम्मेलन प्रक्रिया और एजेंडे के अपने नियमों को अपनाता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन के लिए विशिष्ट विषयों की सिफारिश करने वाले प्रस्ताव पारित कर सकती हैं।
- अंत में, सम्मेलन अपनी नियमितियों की एक रिपोर्ट महासभा को वार्षिक या अधिक बार, जैसा उपयुक्त हो, प्रस्तुत करता है।
- जिनेवा में स्थित, निरस्त्रीकरण मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की निरस्त्रीकरण सचिवालय और सम्मेलन महायाता शाखा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एकत बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच, निरस्त्रीकरण सम्मेलन को संगठनात्मक और ठोस रूप से प्रदान करती हैं।

सम्मेलन का कार्य

- प्रारंभ में, सम्मेलन और उसके पूर्ववर्ती अपने जनादेश को पूरा करने में सफल रहे।
- उन्होंने कई छथियार नियंत्रण समझौतों का समझौता तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण:
- परमाणु छथियारों के अप्रसार पर संधि (1968),
- जैविक छथियार सम्मेलन (1972),
- रासायनिक छथियार सम्मेलन (1993)
- व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (1996)।

निरस्त्रीकरण सम्मेलन के सदस्य देश

- यह सम्मेलन वर्तमान में 65 औपचारिक सदस्यों से बना है, जो दुनिया के सभी क्षेत्रों के साथ-साथ सभी ज्ञात परमाणु-छथियार वाले शर्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, सदस्यों को सम्मेलन की पूर्ण बैठकों में उनकी तैयारी और प्रतिनिधित्व की सुविधा के लिए कई अनौपचारिक क्षेत्रीय समूहों में संगठित किया जाता है।
- भारत एक सदस्य है।

मालदीव ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पर भारत के साथ समझौता समाप्त किया

खबरों में क्यों?

मालदीव सरकार ने भारत के साथ उस समझौते को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है जिसने भारत को मालदीव के जलक्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- समझौते पर 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे जब राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह सत्ता में थे।
- राष्ट्रपति मोहम्मद मुहम्मद की नई सरकार ने छात ही में अनुरोध किया कि भारत को देश में तैनात अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लेना चाहिए।

हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता

- जल सर्वेक्षण सर्वेक्षण जहाजों द्वारा किया जाता है, जो जल निकाय की विभिन्न विशेषताओं को समझने के लिए सोनार जैसी विधियों का उपयोग करते हैं।
- ये सर्वेक्षण समुद्री परिवहन की दक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पानी की गहराई, समुद्र तल और समुद्र तट के आकार, संभावित अवरोधों के स्थान और जल निकायों की भौतिक विशेषताओं का पता लगाने में मदद करते हैं।
- अब तक, तीन संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किए गए हैं - 2021, 2022 और 2023 में।
- सर्वेक्षण क्षेत्रों के अद्यतन नेविगेशनल चार्ट/इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशनल चार्ट तैयार करने के लिए किए गए थे, जिससे पर्यटन, मरुस्य पालन, कृषि आदि क्षेत्रों को मदद मिलेगी।
- यह सर्वेक्षण मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) के भीतर हाइड्रोग्राफिक सुविधाएं स्थापित करने के लिए मालदीव को समर्थन देने की भारत की नीति के अनुरूप है।

भारत के अन्य ऐसे सर्वेक्षण

- भारत के सबसे पुराने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज, आईएनएस संधायक ने भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी तटों और अंडमान सागर के साथ-साथ श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश सहित पड़ोसी देशों में 200 से अधिक प्रमुख हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किए।
- भारतीय सर्वेक्षण जहाजों ने अतीत में केन्या, मॉरीशस, मोज़ाम्बिक, मालदीव, ओमान, येशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया की सहायता की है।

अनुबंध का नवीनीकरण न करने के कारण

- शासन परिवर्तन: इसका संबंध देश में शासन परिवर्तन से है क्योंकि पिछले राष्ट्रपति सोलिह को भारत के प्रति अधिक अनुकूल माना जाता था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी मोहम्मद मुहम्मद को अधिक चीन समर्थक के रूप में देखा जा रहा है।
- चीन का प्रभाव: जबकि मालदीव परंपरागत रूप से भारत के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा रहा है, छात के दशकों में चीन ने हिंद महासागर में आक्रमक रूप से अपनी शक्ति प्रदर्शित करने की कोशिश की है, जिसमें बैलूं एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत बुनियादी ठांचा परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश भी शामिल है।
- विदेश नीति में बदलाव: चुनाव अभियान के दौरान, मुहम्मद ने कहा कि विदेशी देशों के साथ समझौतों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए जब तक कि उनकी उपस्थिति मालदीव के लिए फायदेमंद न हो, जिसे भारत के संदर्भ के रूप में देखा जाया था।

भारत और मालदीव संबंधों पर संक्षिप्त जानकारी

- प्रारंभिक राजनयिक संबंध (1965-1978): मालदीव ने 1965 में ब्रिटिशों से खतंत्रता प्राप्त की और भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए।
- भारत मालदीव को एक खतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था।
- साम्राज्यिक महत्व: मालदीव राजनीतिक रूप से हिंद महासागर में स्थित है, और इसकी स्थिति और सुरक्षा भारत के लिए लचिकर है।
- आर्थिक सहयोग: भारत और मालदीव ने 1981 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का प्रावधान करता है।
- भारत-मालदीव ट्रिपक्षीय व्यापार 2021 में पहली बार 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर गया।
- भारत 2021 में मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बनकर उभरा।
- रक्षा और सुरक्षा सहयोग: 1988 से, रक्षा और सुरक्षा भारत और मालदीव के बीच सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है।
- रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए 2016 में रक्षा के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।
- क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण: भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी तागभग 70% रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- पर्यटन: 2023 में, भारत 11.8% बाजार हिस्सेदारी के साथ मालदीव के लिए प्रमुख स्रोत बाजार है।
- मार्च 2022 में, भारत और मालदीव एक खुले आसमान व्यवस्था के लिए सहमत हुए जिससे दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी में और सुधार होगा।
- किसी भी रिश्ते की तरह, भारत-मालदीव संबंधों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें मालदीव के भीतर राजनीतिक परिवर्तन भी शामिल हैं।
- हालाँकि, देशों ने लचीलापन और ऐसी चुनौतियों से निपटने की क्षमता का प्रदर्शन किया है।



कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव (CSC)

खबरों में क्या?

- कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) का उद्घाटन हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने सदस्य देशों के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- 2011 में भारत, मालदीव और श्रीलंका को शामिल करते हुए त्रिपक्षीय बैठकों के माध्यम से गठित, CSC का उद्देश्य महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना और हिंद महासागर में सहयोग को बढ़ावा देना है।
- भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में दिसंबर 2023 में एनएसए की हालिया बैठक एक सुरक्षित और रिश्तर हिंद महासागर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए CSC की प्रतीक्षा को दर्शाती है।
- इस बैठक में मॉरीशस, श्रीलंका, बांग्लादेश और सेशेल्स ने पर्योक्षकों के रूप में भाग लिया, जिसमें घेरेलू राजनीतिक परिवर्तनों के कारण मालदीव की अनुपस्थिति के बावजूद, क्षेत्रीय चुनौतियों के प्रति CSC के सक्रिय टिक्कोण पर प्रकाश डाला गया।

विकास और विस्तार

- शुरूआत में त्रिपक्षीय बैठकों के रूप में शुरू की गई, CSC को भारत और मालदीव के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण 2014 और 2020 के बीच अस्थायी निलंबन का सामना करना पड़ा।
- हालाँकि, इसे 2020 में फिर से स्थापित किया गया और पुनः ब्रांड किया गया, जिसमें मॉरीशस को एक सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए विस्तार किया गया, बांग्लादेश और सेशेल्स ने पर्योक्षकों के रूप में भाग लिया, संभावित रूप से पूर्ण सदस्यों के रूप में शामिल हुए।

उद्देश्य और संभावनाएँ

- सीएससी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) रूप पर काम करता है, जो समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, साइबर सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय अपराधों को संबोधित करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।

COLOMBO SECURITY CONCLAVE (CSC)

Regional security grouping initially formed in 2011 as a trilateral Indian Ocean maritime security grouping of India, Sri Lanka and the Maldives

MEMBERS

India
Sri Lanka
Maldives
Mauritius

OBSERVERS

Bangladesh
Seychelles



- इसके एजेंडे में पांच महत्वपूर्ण स्तंभ शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:
 - समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा
 - आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करना।
 - तस्करी और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करना।
 - साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी की सुरक्षा
 - मानवीय सहायता और आपदा याहत।

संचालन और अभ्यास

- सीएससी नियमित सुरक्षा-केंद्रित अभ्यासों के माध्यम से अपने उद्देश्यों को क्रियान्वित करता है।
- ये अभ्यास समुद्री खोज और बचाव, साइबर सुरक्षा, तटीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी उपायों सहित क्षेत्रों की एक विस्तृत शृंखला को कवर करते हैं।
- विशेष रूप से, भारत, श्रीलंका और मालदीव से जुड़े संयुक्त अभ्यास CSC के ढांचे के तहत आयोजित किए गए थे, जो सुरक्षा बढ़ाने में सहयोगात्मक प्रयासों को प्रदर्शित करते थे।

अंजीत डोभाल के परिप्रेक्षण और संस्थागतकरण

- भारतीय NSA अंजीत डोभाल ने मार्च 2022 की बैठक के दौरान सहयोग को औपचारिक बनाने के लिए एक 'ठोस रोडमैप' और 'उद्देश्यों के परिभाषित चार्टर' की आवश्यकता पर जोर दिया।
- उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध को संबोधित करने पर केंद्रित प्रयासों की वकालत की।
- इसके अलावा, सीएससी विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए तत रक्षक प्रमुखों की भागीदारी और संयुक्त कार्य समूहों के गठन का प्रस्ताव देकर एक संरचित ढांचा स्थापित करना चाहता है।

बदलती गतिशीलता और भारत की रणनीतिक दृष्टि

- सीएससी का प्रक्षेप पथ हिंद महासागर की उभरती गतिशीलता को देखा कित करता है।
- मॉरीशस, सेशेल्स और बांग्लादेश को शामिल करने के लिए सीएससी का विस्तार करने की भारत की पहल इस क्षेत्र में उसकी विकसित हो रही रणनीतिक टचिट का प्रतीक है।
- एक पारंपरिक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में, भारत सीएससी को अपने नेतृत्व को मजबूत करने और क्षेत्र की सुरक्षा वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान देने के अवसर के रूप में देखता है।

चीन फैक्टर को नेपिट करना:

- बैल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और समुद्री बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसी पहलों से रूपात्मक हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपरिथिति ने सीएससी के पुनरुत्थान में योगदान दिया है।
- क्षेत्र में बीजिंग के निवेश, नौसैनिक क्षमताओं और रणनीतिक हितों को भारत इसके प्रभाव को रोकने और महत्वपूर्ण समुद्री लाइनों को सुरक्षित करने के प्रयास के रूप में मानता है।
- चिंताओं के बावजूद, भारत मानता है कि कई क्षेत्रीय राष्ट्र चीन को सीधे खातरे के रूप में नहीं देखते हैं, जिससे सीएससी समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी, साइबर खतरों और मानवीय सहायता जैसी साझा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग के कई स्तंभों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

CSC के एजेंडे का संचालन:

- CSC ने आतंकी वित्तपोषण की जांच, नशीले पदार्थों की तस्करी को संबोधित करने, साइबर अपराध से निपटने और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने में ठोस प्रगति की है।
- संस्था ने तटीय सुरक्षा पर सम्मेलन आयोजित किए हैं और आतंकवाद विरोधी, कानून प्रवर्तन और साइबर सुरक्षा पर सहयोग में लगे हुए हैं।
- द्वारा लॉक, सीएससी सदस्य देशों के भीतर घेरेतू शजनीतिक बदलावों के प्रति अतिसंवेदनशील बना हुआ है, जैसा कि मालदीव की अनुपस्थिति से रूपात्मक है, जो इन लोकतंत्रों के भीतर राष्ट्रीय हितों, राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय सेरेखण की जटिल परस्पर क्रिया का संकेत देता है।

चुनौतियां

- CSC को हिंद महासागर में मौजूदा बहुपक्षीय समूहों के साथ अपने विस्तार और समन्वय से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- इसका उद्देश्य भागीदार देशों के भीतर बेहतर संस्थागतकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए खुद को घेरेतू राजनीतिक परिवर्तनों से बचाना भी है।
- इसके अतिरिक्त, CSC के भीतर समुद्री चिंताओं पर अधिक केंद्रित फोकस सुनिश्चित करने के लिए, भारत प्रत्येक CSC सदस्य देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा संगठ स्थापित करने पर विचार कर सकता है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर

खबरों में क्यों?

भारत सरकार ने मौजूदा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (AB-HWC) का नाम बदलकर 'आरोग्यम परमं धनम्' टैगलाइन के साथ 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' करने का फैसला किया है। संस्कृत में इसका अर्थ है "स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है।"

महत्वपूर्ण बिंदु

- आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (AB-HWC) समग्र कल्याण और निवारक देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के स्वास्थ्य देखभाल उष्टिकोण को नया आकार देने में सहायक रहे हैं।
- AB-HWC का नाम बदलकर 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' करना केंद्र सरकार की एक रणनीतिक पहल का हिस्सा है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं के एकीकरण और बीमारियों के इलाज से लेकर समग्र कल्याण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

नाम बदलने की पहल

- AB-HWC को 'आरोग्यम परमं धनम्' टैगलाइन के साथ 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' के रूप में पुनः ब्रांड किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य के मूल्य को सबसे महत्वपूर्ण धन के रूप में दर्शाता है।
- इस रीब्रांडिंग का उद्देश्य आयुष्मान भारत के उष्टिकोण के साथ तात्परता बिठाना और पूरी तरह से बीमारियों के इलाज पर केंद्रित पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल मॉडल को पार करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की समग्र प्रकृति पर जोर देना है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस रीब्रांडिंग प्रक्रिया को 2023 के अंत तक पूरा करने का आग्रह किया है।



कार्यालय दिशानिर्देश

- केंद्रों को पहचान में निरंतरता सुनिश्चित करते हुए, रीब्रांडेड केंद्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का लोगो बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।
- उन क्षेत्रों में जहाँ देवनागरी (हिंदी) या अंग्रेजी के अलावा अन्य लिपियों का उपयोग किया जाता है, पूर्ण शीर्षक का राज्य भाषा (भाषाओं) में अनुवाद किया जा सकता है, जबकि टैगलाइन को संबंधित राज्य भाषा (भाषाओं) में अनुवादित किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक मौजूदा सुविधा का नाम बदलने के लिए आवश्यक प्रस्तावित धनराशि प्रति केंद्र ₹3,000 अनुमानित की गई है।

परिचालन प्रक्रिया

- रीब्रांडिंग पूरी होने के बाद राज्यों को इन रीब्रांडेड प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की नई तर्जीरें AB-HWC पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।
- वर्तमान में, भारत में 1.6 लाख से अधिक AB-HWC हैं, जिनका उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, आवश्यक दवाओं, नैदानिक सेवाओं और विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के लिए स्क्रीनिंग सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

प्रभाव एवं उद्देश्य

- AB-HWC ने निवारक स्वास्थ्य देखभाल उष्टिकोण को मूर्त रूप देते हुए स्वास्थ्य देखभाल प्रतिमान को बीमारी-केंद्रित से कल्याण-केंद्रित में सफलतापूर्वक रथानांतरित कर दिया है।
- इन केंद्रों का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवा को लोगों के घरों के करीब लाना, पुरानी बीमारियों की जांच और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है।
- नाम बदलने की पहल भारत के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के भीतर समग्र स्वास्थ्य और निवारक देखभाल के महत्व को सुनिश्चित करने के एक रणनीतिक प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है। यह न केवल बीमारियों के इलाज पर बल्कि जमीनी रसर पर कल्याण को बढ़ावा देने पर भी केंद्रित एक मजबूत स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बनाने के सरकार के उष्टिकोण के अनुरूप है।

पीएम जनमन

खबरों में क्यों?


प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एक पहल है जो विशेष रूप

शे कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो उनके कल्याण और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

पीएम जनमन के बारे में

- प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के उत्थान के लिए प्रधान मंत्री जनजातीय आठिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) को मंजूरी दी है।
- इस योजना का कुल परिव्यय 24,104 करोड़ रुपये होगा, जिसमें केंद्र और राज्य 64:36 के अनुपात में लागत साझा करेंगे।
- पीएम-जनमन योजना 2023-24 की बजट घोषणा के अनुरूप है, जिसमें वित्त मंत्री ने PVTG की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए विकास मिशन का प्रधान मंत्री PVTG शुरू करने का प्रस्ताव दिया था।
- मिशन का लक्ष्य सभी PVTG घरों और बसितियों को बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करना होगा, जैसे सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसर।
- मिशन को अगले तीन वर्षों में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत 15,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ लाना किया जाएगा।
- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति (एसटी) की आबादी 10.45 करोड़ है, जिसमें से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित 75 समुदायों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये पीवीटीजी समाज के सबसे वंचित और कमज़ोर वर्गों में से हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में कई चुनौतियों और अभावों का सामना कर रहे हैं।



पीएम-जनमन योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करेगी। ये हस्तक्षेप हैं:

- आवास: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत सभी PVTG परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास प्रदान करना।
- पेयजल और स्वच्छता: जल जीवन मिशन (JJM) और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के तहत पाइप जलापूर्ति और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करना।
- शिक्षा: समग्र शिक्षा अभियान (SSA) और अन्य योजनाओं के तहत आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, छात्रवृत्ति, ब्रिज कोर्स, ई-टर्निंग प्लेटफॉर्म और विशेष कोचिंग के माध्यम से PVTG बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना।
- स्वास्थ्य और पोषण: समर्पित मोबाइल चिकित्सा इकाइयों, स्वास्थ्य शिविरों, टीकाकरण अभियान, पूरक पोषण कार्यक्रमों, आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य योजनाओं के माध्यम से PVTG आबादी के स्वास्थ्य परिणामों और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करना।
- सड़क कनेक्टिविटी: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत सभी PVTG बसितियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना।
- दूरसंचार कनेक्टिविटी: भारतनेट और अन्य योजनाओं के तहत सभी PVTG बसितियों को मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट पहुंच प्रदान करना।
- आजीविका के अवसर: कौशल विकास, स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म उद्यमों, मूल्य संवर्धन, बाजार लिंकेज और अन्य योजनाओं के माध्यम से पीवीटीजी परिवारों के लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना।
- भूमि अधिकार: वन अधिकार अधिनियम (FRA) और अन्य कानूनों के तहत PVTG परिवारों के लिए भूमि अधिकार और स्वामित्व सुरक्षित करना।
- सामाजिक सुरक्षा: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अन्य योजनाओं के तहत PVTG परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और बीमा प्रदान करना।
- सांस्कृतिक संरक्षण: दरतावेजीकरण, प्रसार, त्योहारों, पुरस्कारों और अन्य योजनाओं के माध्यम से PVTG की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पहचान को संरक्षित और बढ़ावा देना।
- संस्थागत समर्थन: विभिन्न स्तरों पर पीएम-जनमन योजना की योजना, निगरानी, मूल्यांकन और अभियान के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करना।

महत्व

- पीएम-जनमन योजना से PVTG की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को संबोधित करके उनके जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की उम्मीद है। यह योजना सबका साथ, सबका विष्वास और सबका प्रयास के टक्कियों में भी योगदान देगी।

GIAN योजना

खबरों में क्यों?

कोविड अवधि के दौरान थोड़े समय के लिए बंद होने के बाद, शिक्षा मंत्रालय ने ज्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स (GIAN) के चौथे चरण को फिर से शुरू किया है, जिसमें भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए दुनिया भर के प्रतिष्ठित विद्यालयों को शामिल किया जाएगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- आठ साल की यात्रा के बाद, जिसमें COVID के दौरान एक संक्षिप्त विराम भी शामिल है, शिक्षा मंत्रालय ज्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स (GIAN) के चौथे चरण को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है।
- इस पहल का उद्देश्य दुनिया भर के प्रतिष्ठित विद्यालयों को भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए ताजा है।
- याप्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (NIEPA) ने योजना का मूल्यांकन करने के बाद इसे जारी रखने की सिफारिश की।

अकादमिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल (GIAN)

- GIAN भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (MoE) की एक प्रमुख पहल है, जिसे भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में सहयोग को बढ़ावा देने और शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- 2015 में लॉन्च की गई, GIAN योजना का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों और संकाय को दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक और उद्योग विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना है।
- GIAN पहल का उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ उनकी आगीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों और उद्यमियों की प्रतिभा का दोहन करना है।
- देश के मौजूदा शैक्षणिक संसाधनों को बढ़ाना, गुणवत्ता सुधार की गति में तेजी लाना और भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को वैश्विक उत्कृष्टता तक बढ़ाना।



GIAN योजना में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

- भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के संकाय सदस्य
- विदेशी से वैज्ञानिक और उद्यमी

उद्देश्य:

- भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संकाय की उपरिथिति बढ़ाना। हमारे संकाय को ज्ञान और उन्नत शिक्षण कौशिल प्राप्त करने और आदान-प्रदान करने के अवसर प्रदान करें।
- हमारे छात्रों को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संकाय से विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि तक पहुंचने में सक्षम बनाएं।
- अंतरराष्ट्रीय विद्यालयों के साथ संभापित सहयोगात्मक अनुसंधान उद्यमों के लिए मार्ग स्थापित करें। छात्रों और शिक्षकों द्वारा व्यापक उपयोग के लिए, विशेष डोमेन में शीर्ष पायदान की पाठ्यक्रम सामग्री बनाएं, जो वीडियो और प्रिंट दोनों प्रारूपों में उपलब्ध हो।
- याप्ट्रीय और वैश्विक महत्व के उभरते विषयों में नवीन शैक्षणिक दृष्टिकोण का दर्शावेजीकरण और विकास करना।

GIAN योजना की वर्तमान स्थिति

- GIAN कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से, केंद्र सरकार ने विदेशी संकाय को समर्थन देने के लिए 126 करोड़ रुपये का पर्याप्त आवंटन किया है। ये धनराशि शिक्षण के लिए यात्रा व्यय और मानदेय को कवर करती हैं।
- विशेष रूप से, प्रत्येक विदेशी संकाय सदस्य को एक सप्ताह के पाठ्यक्रम के लिए USD 8,000 (7 लाख रुपये) और दो सप्ताह के पाठ्यक्रम के लिए USD 12,000 (12 लाख रुपये) मिलते हैं।

शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रमों का वितरण:

- वितरित पाठ्यक्रमों में से, 39% IIT परिसरों में हुआ, दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा याप्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) परिसरों में हुआ।
- वितरण में राज्य विश्वविद्यालय, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (IISER), प्रबंधन संस्थान, कैट्रीय विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के इंजीनियरिंग कॉलेज भी शामिल हैं।

PM-डिवाइन योजना

खबरों में क्यों?

केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-डेवाइन) पर छातिया अपडेट प्रदान किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

पीएम-डिवाइन की उत्पत्ति:

- केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पीएम-डिवाइन योजना को केंद्रीय बजट 2022-23 के एक हिस्से के रूप में पेश किया गया था।
- कैबिनेट ने 12 अक्टूबर 2022 को 2022-23 से 2025-26 (15वें वित्त आयोग की अवधि के शेष वर्ष) की 4 साल की अवधि के लिए 6,600 करोड़ रुपये के कुल योजना परिव्यय के साथ पीएम-डिवाइन योजना को मंजूरी दी।
- इसे 100% केंद्रीय वित्त पोषण प्रदान किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि संसाधन सीधे विकास पहल के लिए आवंटित किए जाते हैं।
- इसे उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा।

PM-डिवाइन के उद्देश्य:

- बुनियादी ढांचे का विकास:** पीएम नीतिशक्ति की भावना के अनुरूप, पीएम-डिवाइन का लक्ष्य पूरे NER में निर्बाध कनेक्टिविटी और पहुंच सुनिश्चित करते हुए, एक समर्मित तरीके से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है।
- सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना:** NER की अनूठी जरूरतों और चुनौतियों को पहचानते हुए, यह योजना उन सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करने का प्रयास करती है जो महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करती हैं और क्षेत्र के निवासियों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करती हैं।
- युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाना:** पीएम-डिवाइन विशेष रूप से NER के युवाओं और महिलाओं को लक्षित करके आजीविका के अवसर पैदा करना चाहता है, जिससे वे क्षेत्र के विकास और प्रगति में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

बजट आवंटन:

- इस योजना को केंद्रीय बजट 2022-23 में 1500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन प्राप्त हुआ।
- 2022-23 से 2025-26 तक की 4 साल की अवधि में, जो 15वें वित्त आयोग की अवधि के शेष वर्षों के साथ सेरियत है, इस योजना का कुल परिव्यय 6,600 करोड़ रुपये है।
- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की एक राज्य-वार, परियोजना-वार सूची तैयार की गई है, जिसमें प्रत्येक परियोजना को संबंधित राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।

पीएम-उषा(USHA) योजना

खबरों में क्यों?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ओडिशा के मुख्यमंत्री से पीएम-USHA योजना को लागू करने का आग्रह किया, जिसका लक्ष्य वंचित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाना है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- पीएम-उषा एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा को बढ़ाना है।
- यह राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) की निरंतरता है और 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) द्वारा निर्धारित घटकों के साथ सेरियत है। प्राथमिक उद्देश्यों में उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता और उत्कृष्टता में सुधार करना शामिल है, खासकर वंचित क्षेत्रों में।

पीएम-उषा के प्रमुख घटक

- यह योजना कम सकल नामांकन अनुपात (GER), SC/ST आबादी वाले क्षेत्रों और वामपंथी उद्धवाद से प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता देती है। शैक्षिक असमानताओं को दूर करने के लिए इन क्षेत्रों को फोकस जिलों के रूप में पहचाना जाता है।
- PM-USHA का लक्ष्य नए उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना और बुनियादी ढांचे, संकाय गुणवत्ता और समग्र शैक्षिक मानकों में सुधार के लिए मौजूदा संस्थानों को उन्नत करना है।
- यह कई प्रवेश-निकास विकल्प, एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योन्यता फ्रेमवर्क (NHEQF) और भारतीय ज्ञान प्रणालियों को पाठ्यक्रम में एकीकृत करने जैसे सुधारों को लागू करने पर जोर देता है।

NORTH EAST

Cabinet approves PM-DevINE scheme



ओडिशा की भूमिका और लंबित समझौता ज्ञापन

- केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ओडिशा के मुख्यमंत्री से राज्य में पीएम-उषा योजना लानू करने का आग्रह किया है।
- इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। यह समझौता ज्ञापन जिम्मेदारियों, योजना, कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र की रूपरेखा तैयार करता है।
- ओडिशा द्वारा ऐसी भूमि पर हस्ताक्षर करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि राज्य अनुदान सहायता सहित योजना के लाभों से न चूके, तर्हांकि एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से सबमिशन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

दीर्घकालिक दृष्टि और वित्त पोषण

- यह योजना 12,926 करोड़ रुपये के पर्याप्त परिव्यय के साथ 31 मार्च, 2026 तक स्वीकृत है।
- इसकी दीर्घकालिक इक्षि एनईपी 2020 के साथ सेरेखित है, जो समग्र शैक्षिक विकास, शैक्षिक अंतराल को पाठ्य और उच्च शिक्षा संस्थानों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती है।

ओडिशा के लिए निहितार्थ और लाभ

- ओडिशा में PM-USHA के कार्यान्वयन से संभावित रूप से नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, मौजूदा बुनियादी ढांचे में सुधार, संकाय विकास और राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली को गाँठीय सुधारों के साथ सेरेखित किया जा सकता है।
- असमानताओं को संबोधित करके और वंचित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, इसका उद्देश्य ओडिशा में छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना है।
- पीएम-उषा योजना अंतराल और असमानताओं को दूर करके उच्च शिक्षा में बदलाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक ठोस प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है। ओडिशा में इसका कार्यान्वयन राज्य के उच्च शिक्षा परिवर्त्य में सुधार लाने और विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने का वादा करता है।

हरित क्रृष्ण योजना

खबरों में क्यों?

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजर भूमि पर वृक्षारोपण के माध्यम से ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक पहल शुरू की।

महत्वपूर्ण बिंदु

दुबई (UAE) में चल रही जलवायु वार्ता - COP28 में एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ग्रीन क्रेडिट पहल कार्बन क्रेडिट की व्यावसायिक प्रकृति से बेहतर है।

कार्बन क्रेडिट क्या हैं?

- कार्बन क्रेडिट, जिसे कार्बन ऑफसेट के रूप में भी जाना जाता है, ऐसे परमिट हैं जो मालिक को एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करने की अनुमति देते हैं।
- एक क्रेडिट एक टन कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीनहाउस गैसों के बराबर उत्सर्जन की अनुमति देता है।
- प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों को क्रेडिट से सम्मानित किया जाता है जो उन्हें एक निश्चित सीमा तक प्रदूषण जारी रखने की अनुमति देता है, जिसे समय-समय पर कम किया जाता है।
- इस बीच, कंपनी किसी भी अनावश्यक क्रेडिट को किसी अन्य कंपनी को बेच सकती है जिसे उनकी आवश्यकता है।
- इस प्रकार निजी कंपनियों को ग्रीनहाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए दोगुना प्रोत्साहन दिया जाता है:
 - सबसे पहले, यदि उनका उत्सर्जन सीमा से अधिक है तो उन्हें अतिरिक्त क्रेडिट पर पैसा खर्च करना होगा।
 - दूसरा, वे अपने उत्सर्जन को कम करके और अपने अतिरिक्त भत्ते बेचकर पैसा कमा सकते हैं।



ग्रीन क्रेडिट पहल क्या है?

- COP28 (1 दिसंबर 2023) में एक ऐतिहासिक घोषणा में, भारतीय प्रधान मंत्री ने 'ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लॉन्च' किया, जो वैश्विक पर्यावरण नीतियों को नया आकार देने के उद्देश्य से एक अग्रणी कार्यक्रम है।
- उन्होंने COP28 में ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव का आधिकारिक पोर्टल भी लॉन्च किया।

ग्रीन क्रेडिट पहल की विशेषताएं

- इस पहल में निम्नीकृत बंजर भूमि की एक सूची बनाना शामिल है, जिसका उपयोग व्यक्तियों और संगठनों द्वारा योग्य क्रेडिट के लिए किया जा सकता है।

- पर्यावरण की टॉपिक से सकारात्मक कार्य करने वाले प्रतिभागियों को व्यापार योग्य ग्रीन क्रेडिट प्राप्त होगा।
- पंजीकरण से लेकर वृक्षारोपण, सत्यापन और हरित क्रेडिट जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा।
- पोर्टल वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विचारों, ज्ञान और अनुभवों को एकत्र करेगा।
- इस मंच का उद्देश्य वैश्विक नीतियों, प्रथाओं और हरित क्रेडिट की मांग को प्रभावित करना है।
- ग्रीन क्रेडिट पहल अपटूबर, 2023 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को प्रतिबिंబित करती है।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के बारे में

- 2021 में प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 'LiFE' - 'लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट' आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2023 में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) की शुरुआत की।
- GCP एक अभियान बाजार-आधारित तंत्र है जिसे व्यक्तियों, समुदायों, निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों जैसे विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- GCP का शासन ढांचा एक अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति द्वारा समर्थित है।
- भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) GCP प्रशासक के रूप में कार्य करती है, जो कार्यक्रम कार्यान्वयन, प्रबंधन, निगरानी और संचालन के लिए जिम्मेदार है।

GCP 8 प्रकार की गतिविधियों को कवर करता है:

- वृक्षारोपण जिसका उद्देश्य पूरे देश में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
- जल प्रबंधन का अर्थ जल संरक्षण, जल संचयन और जल उपयोग दक्षता या जल बचत को बढ़ावा देना है, जिसमें अपशिष्ट जल का उपचार और पुनः उपयोग शामिल है।
- सतत कृषि का मतलब उत्पादकता, मिट्टी के स्वास्थ्य और उत्पादित भोजन के पोषण मूल्य में सुधार के लिए प्राकृतिक और पुनर्योजी कृषि प्रथाओं और भूमि बहाली को बढ़ावा देना है।
- अपशिष्ट प्रबंधन का अर्थ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए चक्रीयता, टिकाऊ और बेहतर प्रथाओं को बढ़ावा देना है, जिसमें संबंध, पृथक्करण और पर्यावरण की टॉपिक से धनि प्रबंधन शामिल हैं।
- वायु प्रदूषण में कमी का उद्देश्य वायु प्रदूषण और अन्य प्रदूषण उपशमन गतिविधियों को कम करने के उपायों को बढ़ावा देना है।
- मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापन, जिसका उद्देश्य मैंग्रोव के संरक्षण और पुनर्स्थापन के उपायों को बढ़ावा देना है।

अपने प्रारंभिक चरण में, GCP दो प्रमुख गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है:

- जल संरक्षण एवं
 - वनरोपण
- ग्रीन क्रेडिट देने के लिए मसौदा प्रदूषित विकसित की गई है और हितधारक परामर्श के लिए अधिसूचित की जाएगी।
 - ICFRE द्वारा विशेषज्ञों के साथ विकसित किया जा रहा ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री और ट्रेडिंग प्लॉटफॉर्म, पंजीकरण और उसके बाद ग्रीन क्रेडिट की खरीद और बिक्री की सुविधा प्रदान करेगा।

नफिस (NAFIS)

खबरों में क्यों?

गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में राष्ट्रीय स्वचालित फिगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS) के महत्व पर प्रकाश डाला।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत में राष्ट्रीय स्वचालित फिगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS) का नून प्रवर्तन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में खड़ी है, जो अपनी बहुमुखी कार्यक्रमात्मा और उन्नत सुविधाओं के माध्यम से आपराधिक पहचान और जांच में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है।

NAFIS की स्थापना

- NAFIS एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है, जिसमें मुख्य रूप से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बातचीत के दौरान जैसे कि गिरफ्तारी या आव्रजन प्रक्रिया के दौरान व्यक्तियों से एकत्र किए गए उंगलियों के निशान और हथेली के निशान का एक व्यापक डेटाबेस होता है।
- प्रत्येक व्यक्ति को एक अट्रीटीय राष्ट्रीय फिगरप्रिंट नंबर (NPN) सौंपा जाता है जो सिस्टम के भीतर उनके विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है।

परिचालन संबंधी पहलू

- जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या आव्रजन कार्यवाही के दौरान उनके प्रिंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो इन प्रिंटों को तुरंत पकड़ लिया जाता है और NAFIS डेटाबेस में दर्ज किया जाता है। यह उनके अट्रीटीय एनएफएन से जुड़े एक डिजिटल रिकॉर्ड के निर्माण की शुरुआत करता है।
- ऐसे मामलों में जहां अपराध स्थल से उंगलियों के निशान बरामद किए जाते हैं, NAFIS एक स्वचालित तुलना प्रक्रिया को नियोजित करता है। यह संभावित मिलानों के लिए डेटाबेस को रूपेन करता है, आगे की जांच और विश्लेषण के लिए सुराग प्रदान करके जांचकर्ताओं की सहायता करता है।

- NAFIS अन्य डेशों के फिगरप्रिंट डेटाबेस के साथ इंटरऑपरेबल होकर, सीमा पार जांच की सुविधा प्रदान करके भारत की सीमाओं से परे अपनी कार्यक्षमता का विरतार करता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- केंद्रीकृत डेटाबेस: NAFIS भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से फिगरप्रिंट डेटा को समेकित करता है, जिससे पूरे देश में निर्बाध पहुंच और क्रॉस-मैचिंग सक्षम हो जाती है।
- गति और सटीकता: खगड़ियां फिगरप्रिंट मिलान प्रणाली तेजी से और सटीक रूप से परिणाम प्रदान करती है, जांच में तेजी लाती है और उनकी विश्वसनीयता बढ़ाती है।
- स्केलेबिलिटी: बड़ी मात्रा में फिगरप्रिंट डेटा को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया, NAFIS आपराधिक रिकॉर्ड की बढ़ती आमद को समायोजित करने के लिए आसानी से विस्तार कर सकता है।
- सुरक्षा उपाय: मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल NAFIS के भीतर संवेदनशील डेटा की सुरक्षा करते हैं, अनधिकृत पहुंच या उल्लंघनों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

लाभ और प्रभाव

- बढ़ी हुई आपराधिक पहचान: NAFIS अपराधियों की पहचान करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप गिरफ्तारी दर और सजा में वृद्धि होती है।
- अपराध को सुलझाना: यह जांचकर्ताओं को महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करके, अपराध दर को प्रभावी ढंग से कम करने और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करके अपराधों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- पहचान की चोरी की रोकथाम: व्यक्तियों की पहचान को सत्यापित करने के लिए एक सुरक्षित साधन प्रदान करके, NAFIS सक्रिय रूप से पहचान की चोरी और धोखाधड़ी गतिविधियों का मुकाबला करता है।
- परिचालन दक्षता: NAFIS आपराधिक पहचान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए मूल्यवान समय और संसाधनों की बहत होती है।

भविष्य की संभावनाओं

- अन्य डेटाबेस के साथ एकीकरण: DNA डेटाबेस जैसे अतिरिक्त अपराध डेटाबेस के साथ संभावित एकीकरण, आपराधिक गतिविधियों का अधिक व्यापक टाइपिंग प्रदान कर सकता है।
- मिलान एल्गोरिदम में प्रगति: नए एल्गोरिदम का नियंत्रित विकास फिगरप्रिंट मिलान की गति और सटीकता को और बढ़ा सकता है।
- बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकियों में विस्तार: NAFIS अपनी पहचान क्षमताओं को बढ़ाते हुए आईआईए पहचान और चेहरे की पहचान जैसी अन्य बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए अपना दायरा बढ़ा सकता है।

ब्याज समकरण योजना

खबरों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्याज समकरण योजना को 30 जून, 2024 तक बढ़ाने के लिए अतिरिक्त 2500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी, जिससे विशिष्ट क्षेत्रों और एमएसएमई में निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी प्री और पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण तक पहुंचने में सहायता मिलेगी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह योजना निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता तंत्र के रूप में कार्य करती है, जो भारत के आर्थिक परिवर्त्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देती है।
- इसका प्रभाव वित्तीय सहायता से कहीं आगे तक फैला है, जिसका लक्ष्य रोजगार पैदा करना और वैधिक निर्यात बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करना है।

ब्याज समकरण योजना के बारे में

- विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से MSME में निर्यातकों का समर्थन करने के उद्देश्य से, ब्याज समानीकरण योजना के लिए अतिरिक्त धनराशि की मंजूरी के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल की घोषणा।
- यह योजना अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए शिपमेंट से पहले और बाद के ऋण पर ब्याज समानता के रूप में लाभ प्रदान करती है।

उद्देश्य और लक्ष्य

- इस योजना का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से विनिष्ठुत क्षेत्रों और MSME में, उन्हें सरती दरों पर ऋण तक पहुंच प्रदान करके प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ावा देना है।
- इस अवधि के लिए 2500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन के साथ 30 जून 2024 तक बढ़ाया गया।

निष्पादन और नियीक्षण

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) विभिन्न सार्वजनिक और गैर-सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।
- सहयोगात्मक तंत्र के माध्यम से विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) और आरबीआई द्वारा निगरानी प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करती है।

योजना का विकास

- 1 अप्रैल, 2015 को शुरू हुआ, मूल रूप से पांच साल के लिए योजना बनाई गई थी लेकिन कई बार विस्तारित की गई, जिसमें COVID-19 महामारी के दौरान एक साल का विस्तार भी शामिल था।
- प्रारंभ में, इस योजना में व्यक्तिगत निर्यातकों को सीमित किए बिना फंड सीमा और विस्तारित तार्भों का अभाव था। छालोंकि, बाद में इसे प्रति आयात निर्यात कोड (IEC) प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपये के ताभ की सीमा तक संशोधित किया गया।

प्रभाव और तर्क

- रिपोर्ट, जैसे कि IIM काशीपुर द्वारा संचालित, योजना और बढ़ी हुई निर्यात वृद्धि के बीच एक सकारात्मक संबंध का सुझाव देती है।
- योजनार के अवसर बढ़ाने के लिए श्रम प्रधान क्षेत्रों और MSME पर ध्यान केंद्रित करें।
- प्रतिरप्थी क्रेडिट दरों को सुनिश्चित करके, इस योजना का उद्देश्य भारतीय निर्यात की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरप्थीतमकता को बढ़ाना है।

कृषि उदान योजना

खबरों में क्यों?

ठाल ही में इस योजना के तहत 58 हवाई अड्डों को शामिल किया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता करने और उनकी मूल्य प्राप्ति में सुधार लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान योजना अग्रत 2020 में शुरू की गई थी।
- कृषि उड़ान योजना 2.0 की घोषणा 27 अक्टूबर 2021 को की गई थी, जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों से खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन पर केंद्रित करेंगी।
- इस योजना में मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले 25 हवाई अड्डों के अलावा अन्य क्षेत्रों/क्षेत्रों के 33 हवाई अड्डों को शामिल किया गया है।
- कृषि उड़ान योजना एक अभियान योजना है जिसमें आठ मंत्रालय/विभाग अर्थात् नागरिक उड़ान योजना, मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य मंत्रालय शामिल हैं। जनजातीय मामले, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय कृषि-उपज के परिवहन के लिए रसद को मजबूत करने के लिए अपनी मौजूदा योजनाओं का लाभ उठाएगा। कृषि उड़ान योजना के तहत कोई विशिष्ट बजट आवंटन नहीं है।
- कृषि उड़ान योजना 2.0 का मुख्य उद्देश्य कृषि-उपज के परिवहन के लिए मॉडल मिशन में हवाई परिवहन की हिस्सेदारी बढ़ाना है, जिसमें बागवानी, मत्स्य पालन, पशुधन और प्रसंस्कृत उत्पाद शामिल हैं। यह योजना किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता करती है ताकि उनकी मूल्य प्राप्ति में सुधार हो सके।
- कृषि उड़ान योजना आवश्यकता के अनुसार खराब होने वाली कृषि उपज के लिए हवाई परिवहन और रसद सहायता प्रदान करना है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, 8 मंत्रालयों की मौजूदा योजनाओं का लाभ उठाते हुए, निर्माता मांग को देखते हुए योजना के तहत सूचीबद्ध 58 हवाई अड्डों पर उपलब्ध सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
- इस योजना का लक्ष्य देश के विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली सभी कृषि उपज के लिए निर्बाध, लागत प्रभावी, समयबद्ध, हवाई परिवहन और संबंधित लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित करना है। कुछ सफल उदाहरण हैं गौहाटी से किंग चिलीज़, बर्म ग्रेप्स और असमिया लोमन, त्रिपुरा से 'कटहल' और दरभंगा से 'लीची' का हवाई परिवहन।

पीएम विश्वकर्मा योजना

खबरों में क्यों?

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई PM विश्वकर्मा योजना को ठाई महीने के भीतर 21.15 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल-उन्नयन प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना है।

राज्य द्वारा आवेदन

- कर्नाटक 6.28 लाख आवेदनों के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद पश्चिम बंगाल (4.04 लाख), असम (1.83 लाख), उत्तर प्रदेश (1.53 लाख), और आंध्र प्रदेश (1.21 लाख) रहे।
- हरियाणा, केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और पूर्वोत्तर राज्यों सहित पंद्रह राज्यों में प्रत्येक में 10,000 से कम आवेदन थे।

व्यवसाय के अनुसार आवेदन

- 43% आवेदन (9.13 लाख) टेलर्स (दर्जी) से आए।
- राजस्थान (मिस्री) 22% (4.72 लाख) थे।
- बढ़ी (सुथार) 9% (1.86 लाख) बने।

- टोकरी निर्माता और नाई (नाई) प्रत्येक ने 4% का योगदान दिया।

चिकित्सा प्रक्रिया

- आवेदनों की जांच तीन स्तरों पर की जा रही है - ग्राम समितियों, जिला और राज्य स्तरों द्वाया।
- 1 दिसंबर तक 21 राज्यों के 17,758 उम्मीदवार प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार हैं।

प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता

- चयनित उम्मीदवारों को प्रति दिन 500 रुपये के वजीफे के साथ बुनियादी प्रशिक्षण (पांच से सात दिन) और उन्नत प्रशिक्षण (15 दिन) से गुजरना होगा।
- वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक योजना के लिए परिकल्पित बजट ₹13,000 करोड़ है।

मास्टर प्रशिक्षक और प्रशिक्षण कार्यक्रम

- नवंबर में, 10 राज्यों में योजना के तहत 41 मास्टर प्रशिक्षकों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
- मास्टर ट्रेनर नाई, डर्जी, राजमिस्त्री, बढ़ई, गुड़िया और खिलौना बनाने वालों और लोहारों को विभिन्न कौशल सिखाएंगे।

वित्तीय प्रोत्साहन

- प्रशिक्षण के बाद, कारीगरों को आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए ₹15,000 का टूल किट प्रोत्साहन मिलेगा।
- व्यवसाय स्थापित करने के लिए अतिरिक्त ₹2 लाख के साथ ₹1 लाख तक कम ब्याज दरों (लगभग 8%) पर संपार्शिक-मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।
- लैनडेन को सुविधाजनक बनाने और कमाई पर नज़र रखने के लिए कारीगरों को अपने डिजिटल और वित्तीय कौशल को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
- इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कौशल को आधुनिक बनाना और 18 व्यापारों और शिल्पों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए बाजार संबंध बनाना है। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापक समर्थन, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करने पर ध्यान देने के साथ, वित्त वर्ष 2023-24 में छह लाख लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य है।

RAMP कार्यक्रम के तहत तीन उप-योजनाएं लॉन्च की गईं

खबरों में क्यों?

केंद्रीय MSME मंत्री ने ऐमपी कार्यक्रम के तत्वावधान में तीन उप-योजनाएं शुरू की हैं, अर्थात् MSME ब्रीन इंवेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन रकीम (एमएसई गिप्ट रकीम), एमएसई रकीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी (MSE स्पाइस रकीम) MSE रकीमा विलंबित भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान पर।

महत्वपूर्ण बिंदु

- मंत्रालय ने कार्यान्वयन एजेंसियों सिडबी (MSME गिप्ट और MSME स्पाइस योजनाओं के लिए) और एमएसई ओडीआर योजना के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (NCSI के लिए) के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) का आदान-प्रदान किया।



योजनाओं के बारे में:

- MSME हरित निवेश और परिवर्तन के लिए वित्तपोषण योजना (MSME उपहार योजना): इसका उद्देश्य एमएसईमई को ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी समर्थन के साथ हरित प्रौद्योगिकी अपनाने में मदद करना है।
- सर्कुलर इकोनॉमी में संवर्धन और निवेश के लिए MSE योजना (MSE स्पाइस रकीम): यह सर्कुलर इकोनॉमी परियोजनाओं का समर्थन करने वाली सरकार की पहली योजना है जो क्रेडिट सब्सिडी के माध्यम से की जाएगी और MSME क्षेत्र के शून्य उत्सर्जन 2070 के सपने को साकार करेगी।
- IP कार्यक्रम के व्यावसायीकरण के लिए समर्थन (MSME – SCIP कार्यक्रम) MSME क्षेत्र के नवप्रवर्तकों को अपने IPR का व्यावसायीकरण करने में सक्षम बनाएगा।
- विलंबित भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान पर एमएसई योजना: यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए विलंबित भुगतान की घटनाओं को संबोधित करने के लिए आधुनिक आईटी टूल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कानूनी समर्थन को समन्वित करने वाली अपनी तरह की पहली योजना है।
- अंतर-केंद्रीय मंत्रिस्तरीय/विभागीय समन्वय, केंद्र राज्य तालिमेत और सुधारों पर प्रगति की सलाह/निगरानी करने के लिए विश्व बैंक समर्थित RAMP कार्यक्रम के एक प्रशासनिक और कार्यात्मक निकाय के रूप में काम करने के लिए मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एमएसईमई परिषद की स्थापना की गई है।

RAMP कार्यक्रम:

- यह एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदाम मंत्रालय (MoMSME) के विभिन्न कोरोना वायरस रोग 2019 (कोविड) लचीलेपन और रिकवरी छस्तक्षेपों का समर्थन करती है।

लक्ष्य:

- बाजार और क्रांति तक पहुंच में सुधार
- केंद्र और राज्य में संस्थानों और शासन को मजबूत करना
- केंद्र-राज्य संबंधों और साझेदारियों में सुधार
- वितंबित भूगतान और MSME को फ़रित बनाने के मुद्दों को संबोधित करना
- घटक: RAMP का महत्वपूर्ण घटक रणनीतिक निवेश योजनाओं (SIP) की तौर पर है, जिसमें सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को आमंत्रित किया जाएगा।
- एशआईपी में आरएएमी के तहत एमएसएमई की पहचान और गतिशीलता के लिए एक आउटरीच योजना शामिल होगी, प्रमुख बाधाओं और अंतरालों की पहचान की जाएगी और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण और गैर-कृषि व्यवसाय, थोक और खुदरा व्यापार, गांव सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में छस्तक्षेप के लिए आवश्यक बजट पेश किया जाएगा और कुटीर उद्योग, महिला उदाम आदि।
- RAMP की समग्र निगरानी और नीति अवलोकन एक शीर्ष राष्ट्रीय MSME परिषद द्वारा किया जाएगा।
- परिषद की अध्यक्षता MSME मंत्री करेंगे, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व शामिल होगा और एक सचिवालय द्वारा समर्थित होगा।

जल जीवन मिशन (JJM)

खबरों में क्यों?

जल शक्ति राज्य मंत्री ने लोकसभा में जल जीवन मिशन (जेजेएम) की प्रगति का व्योरा पेश किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

जल जीवन मिशन (JJM) के तहत प्रगति

- स्कूलों में जल आपूर्ति:** जेजेएम का लक्ष्य लड़कियों के स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और आठिवासी आवासीय स्कूलों सहित स्कूलों में अब पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध है।
- स्कूलों में शौचालय:** 2014 में शुरू की गई खच्च विद्यालय पहल के तहत, सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण किया गया। UDISE+ 2021-22 डेटा के अनुसार, सरकारी स्कूलों में लगभग 4.17 लाख शौचालय (2.26 लाख लड़कों और 1.91 लाख लड़कियों के शौचालय) बनाए गए या चालू किए गए, जिनमें से 95.5% सरकारी स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय और 97.4% में लड़कियों के लिए शौचालय हैं।
- ग्रामीण घरेलू जल आपूर्ति:** अगस्त 2019 में जेजेएम की शुरुआत के बाद से, ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने में पर्याप्त प्रगति हुई है। 19.24 करोड़ ग्रामीण घरों में से, लगभग 13.85 करोड़ (72%) के पास अब नल के पानी के कनेक्शन हैं, जो JJM की शुरुआत में 3.23 करोड़ घरों से एक महत्वपूर्ण वृद्धि है।
- सेवा वितरण मानक:** जेजेएम के तहत, न्यूनतम सेवा वितरण 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (LPCD) निर्धारित किया गया है, राज्यों के पास खच्च पेयजल की उपलब्धता के आधार पर इसे बढ़ाने का लचीलापन है।
- कार्यान्वयन समर्थन:** सरकार जेजेएम की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को समर्थन देने में सक्रिय रूप से शामिल है। इसमें संयुक्त चर्चा, वार्षिक कार्य योजना, क्षमता निर्माण कार्यशालाएं, ऑनलाइन निगरानी प्रणाली (JJM-IMIS), वित्तीय प्रबंधन (PFMS), परिचालन टिशानिर्देश और बहुत कुछ शामिल हैं।



जल जीवन मिशन

- पानी जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन ग्रामीण भारत में लाखों लोगों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुंच नहीं है। इस चुनौती से निपटने के लिए, भारत सरकार ने 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTCs) प्रदान करने के उद्देश्य से 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन (JJM) शुरू किया।

जल जीवन मिशन क्या है?

- JJM जल शक्ति मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें एफएचटीसी के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। मिशन में रुकूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों और अन्य सामुदायिक भवनों में FHTC का प्रावधान भी शामिल है।
- यह मिशन पानी के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) शामिल हैं। जेजेएम पानी के लिए एक 'जन आंदोलन' (लोगों का आंदोलन) बनाना चाहता है, जिससे यह हर किसी की प्राथमिकता और जिम्मेदारी बन जाए।
- यह मिशन वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जल संरक्षण और कृषि में पुनः उपयोग के लिए घेरलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन पर केंद्रित है।
- JJM का लक्ष्य इन उद्देश्यों के लिए स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और देश भर में स्थायी जल आपूर्ति प्रबंधन के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ तात्परता बिठाना है।
- केंद्र और राज्यों के बीच फंड-साझाकरण पैटर्न हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 90:10, अन्य राज्यों के लिए 50:50 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% हैं।

जल जीवन मिशन क्यों महत्वपूर्ण है?

- भारत में दुनिया की आबादी का 17% हिस्सा है, लेकिन मीठे पानी के संसाधन के बरत 4% हैं। भूजल का गिरता रुक्त, अत्यधिक दोहन से पानी की गुणवत्ता में गिरावट, जलवायु परिवर्तन आदि पीने योन्य पेयजल उपलब्ध कराने में प्रमुख चुनौतियाँ हैं। भूजल रुक्त की घटती मात्रा के कारण देश में जल संरक्षण की तत्काल आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWTP) के अंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2019 तक के बरत 18.33% ग्रामीण परिवारों के पास पाइप से पानी की आपूर्ति तक पहुंच थी। बाकी विभिन्न स्रोतों जैसे हॉटपंप, कुएं, टैक आदि पर निर्भर थे, जो अवसर दूषित या अविश्वसनीय होते हैं।
- JJM ग्रामीण घरों में स्वच्छ पानी की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करके इस अंतर को संबोधित करता है। इसके कई लाभ होंगे जैसे:
 - जल-जनित बीमारियों को कम करके ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार करना।
 - आजीविका के अवसर प्रदान करके और महिलाओं और बच्चों के कठिन परिश्रम को कम करके ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाना।
 - भूजल की कमी और प्रदूषण को कम करके पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना।
 - ग्राम पंचायतों और ग्राम जल और स्वच्छता समितियों को सशक्त बनाकर स्थानीय शासन और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना।

JJM के तहत की गई कुछ पहलों में शामिल हैं:

- विभिन्न स्तरों पर JJM की प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करना।
- समय पर कार्यान्वयन और निधि उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य के अधिकारियों और जिला कलेक्टरों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करना।
- राष्ट्रीय रुक्त की एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (NIRDPR), राष्ट्रीय जल अकादमी (NWA), आदि के माध्यम से राज्य और जिला अधिकारियों को तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करना।
- रुकूली बच्चों, युवाओं और महिला समूहों के बीच जल संरक्षण और प्रबंधन पर जागरूकता अभियान और प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
- सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप, सेंसर-आधारित स्मार्ट मीटर आदि जैसी जल आपूर्ति प्रणालियों में नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना।

जल जीवन मिशन के लिए चुनौतियाँ और आगे का रास्ता क्या हैं?

- JJM गतिविधियों की योजना बनाने, क्रियान्वयन और निगरानी करने के लिए राज्य और जिला रुक्त पर पर्याप्त मानव संसाधन और संस्थागत क्षमता का अभाव।
- प्रक्रियात्मक मुद्दों या अन्य योजनाओं के साथ तात्परता की कमी के कारण कुछ क्षेत्रों में जल स्रोतों की अपर्याप्त उपलब्धता और गुणवत्ता।
- भौगोलिक या जलवायु संबंधी कारकों के कारण कुछ क्षेत्रों में जल स्रोतों की अपर्याप्त उपलब्धता और गुणवत्ता।
- जल संरक्षण और प्रबंधन प्रथाओं में ग्रामीण समुदायों की कम जागरूकता और भागीदारी।
- तंबे समय तक जल आपूर्ति प्रणालियों और बुनियादी ढांचों के संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने में कठिनाई।

चुनौतियों पर काबू पाने और JJM के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित कदम सुझाए गए हैं:

- केंद्र और राज्य सरकारों, ग्राम पंचायतों, ग्राम जल और स्वच्छता समितियों, और सरकारी संगठनों आदि जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय और सहयोग को मजबूत करना।
- नियमित प्रशिक्षण, सलाह और प्रदर्शन मूल्यांकन के माध्यम से राज्य और जिला अधिकारियों की क्षमता और जवाबदेही बढ़ाना।
- दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और धन की समय पर रिहाई और उपयोग सुनिश्चित करके धन प्रवाह और व्याप तंत्र को सुव्यवस्थित करना।
- स्रोत की पहचान, विकास और संरक्षण के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर जल की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार करना।
- प्रभावी अभियान चलाकर और जल संरक्षण और प्रबंधन गतिविधियों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करके ग्रामीण समुदायों की जागरूकता और भागीदारी बढ़ाना।
- उचित संचालन और रखरखाव तंत्र स्थापित करके और स्थानीय समुदायों को उनके स्वामित्व और प्रबंधन में शामिल करके जल आपूर्ति प्रणालियों की रिथरता सुनिश्चित करना।

सैम मानेकशॉ

खबरों में क्यों?

सैम मानेकशॉ, भारत के प्रिय युद्ध जनरल और देश के पहले फ़िल्ड मार्शल, सैम बहादुर पर अब एक बायोपिक का विषय है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- “सैम बहादुर” भारत के सबसे प्रसिद्ध सैन्य कमांडरों में से एक, फ़िल्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का एक श्रद्धेय उपनाम है।
- भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण क्षणों में, तिथेषकर 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व ने उन्हें राष्ट्र से सम्मान और प्रशंसा दिलाई।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

- सैम होर्म्सजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल, 1914 को अमृतसर, पंजाब (अब पाकिस्तान में) में एक पारसी परिवार में हुआ था।
- उन्होंने नैनीताल के शेरखुड कॉलेज में पढ़ाई की और बाद में देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) में शामिल हो गए।



सैन्य वृत्ति

- मानेकशॉ को 1934 में ब्रिटिश भारतीय सेना में नियुक्त किया गया था और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न अभियानों में विशिष्टता के साथ सेवा की थी।
- वह 1947 में खटंतंत्रता के बाद भारतीय सेना के अधिकारियों के पहले बैठ के लिए चुने जाने वाले कुछ अधिकारियों में से एक थे।
- मानेकशॉ अपने असाधारण नेतृत्व, सामरिक कौशल और बहादुरी के कारण तेजी से ऐकों में उभयों

प्रग्रह भूमिकाएँ और उपलब्धियाँ

- 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान, उन्होंने सैन्य संचालन निदेशक (DMO) के रूप में कार्य किया और रसाद और योजना को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- 1969 में, उन्हें भारतीय सेना के 8वें सेनाध्यक्ष (COAS) के रूप में नियुक्त किया गया था।
- उनका सबसे उल्लेखनीय क्षण 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान आया जब उन्होंने सैन्य इतिहास में सबसे निर्णायक जीत में से एक का आयोजन किया।
- मानेकशॉ की रणनीतिक प्रतिभा और सावधानीपूर्वक योजना के कारण दिसंबर 1971 में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ।
- उनकी अनुकरणीय सेवा और नेतृत्व के सम्मान में उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च पद फ़िल्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया।

नेतृत्व शैली एवं व्यक्तित्व

- मानेकशॉ अपनी बुद्धि, दृष्टि और स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते थे। उनके करिएमाई व्यक्तित्व ने उन्हें अपने सैनिकों और सहकारियों का सम्मान और प्रशंसा दिलाई।
- वह एक दयालु नेता थे जो अपने सैनिकों के कल्याण की गहरी परवाह करते थे।

बाद का जीवन और विदासत

- 1973 में सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद, मानेकशॉ एक सम्मानित व्यक्ति बने रहे और सैन्य और राष्ट्रीय मामलों पर ज्ञान की आवाज बने रहे।
- वह एक साधारण जीवन जीते थे और अपनी विनग्रहा और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे।
- फ़िल्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का 27 जून 2008 को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे अपने पीछे भारत के महानतम सैन्य नेताओं में से एक के रूप में एक स्थायी विरासत छोड़ गए।

सम्मान और मान्यता

- मानेकशॉ को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और मिलिट्री क्रॉस सहित कई पुरस्कार और सम्मान मिले।

प्रेसमट

खबरों में क्यों?

प्रेसमट, चीनी उद्योग में एक अवशिष्ट उपोत्पाद, अवायवीय पाचन के माध्यम से हरित ऊर्जा को बढ़ावा देता है, भारतीय चीनी मिलों को बायोगैस और संपीड़ित बायोगैस (CBG) उत्पादन के माध्यम से राजस्व बढ़ाने के लिए सशक्त बनाता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत वैष्णवीक चीनी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है, अब्राही चीनी उत्पादक के रूप में ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए और दुनिया भर में दूसरे सबसे बड़े चीनी निर्यातक के रूप में स्थान प्राप्त किया है।
- इथेनॉल जैव ईंधन क्षेत्र के विस्तार से न केवल चीनी उद्योग मजबूत हुआ है बल्कि चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार हुआ है।



एक संसाधन के रूप में प्रेसमट

- प्रेसमट, जिसे फिल्टर केक या प्रेस केक भी कहा जाता है, चीनी उत्पादन का अवशिष्ट उपोत्पाद है इसने हरित ऊर्जा का उत्पादन करने की अपनी क्षमता के लिए ध्यान आकर्षित किया है, विशेष रूप से एनारोबिक पाचन के माध्यम से बायोगैस उत्पन्न करने के लिए फिडस्टॉक के रूप में, जिसे बाद में संपीड़ित बायोगैस (CBG) में शुद्ध किया जा सकता है।

CBG के लिए फीडस्टॉक के रूप में प्रेसमट के लाभ:

- अरलीकृत आपूर्ति श्रृंखला: कृषि अवशेष जैसे अन्य स्रोतों की तुलना में प्रेसमट का उपयोग फीडस्टॉक आपूर्ति में जटिलताओं को समाप्त करता है।
- एकत्र स्रोत: यह एक या दो चीनी मिलों से प्राप्त किया जाता है, जिससे कई किसानों या उत्पादकों की तुलना में सोर्सिंग सरल हो जाती है।
- लगातार गुणवत्ता: नगर निगम के ठोस कचरे के विपरीत, प्रेसमट की गुणवत्ता अपेक्षाकृत सुसंगत रहती है, जिससे अकार्बनिक सामग्री को नुकसान पहुंचाने वाले डाइजेस्टर जैसे मुद्दों से बचा जा सकता है।
- लागत दक्षता: प्रेसमट की लागत अन्य संभावित फीडस्टॉक्स की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम है।

प्रेसमट उपयोग से जुड़ी चुनौतियाँ

- बढ़ती लागत: प्रेसमट के मूल्य की पहचान से इसकी कीमत में काफी वृद्धि हुई है, जिससे उर्वरक, खाद और ईंट भट्टों के लिए ईंधन जैसे अन्य उपयोगों के साथ प्रतिरप्द्धा पैदा हो गई है।
- भंडारण और अपघटन: CBG संयंत्रों में साल भर उपयोग के लिए प्रेसमट का भंडारण करना इसके क्रमिक अपघटन के कारण चुनौतियों का सामना करता है, जिससे कार्बनिक यौगिकों का विघटन होता है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ सकती है।

क्षेत्रीय उत्पादन और मिल संचालन

- उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र गन्ने की खेती में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और गन्ना उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा इन राज्यों से आता है भारत में चालू चीनी मिलों की संख्या और उनके उत्पादन उत्पादन के साथ-साथ संभावित प्रेसमट मात्रा पर प्रकाश डाला गया है।

CBG सूजन की क्षमता और आवश्यक हस्तक्षेप:

- उपलब्ध प्रेसमट की मात्रा को देखते हुए, सीबीजी उत्पन्न करने की महत्वपूर्ण संभावना है। हालांकि, प्रभावी उपयोग के लिए कई हस्तक्षेपों की आवश्यकता है।
- नीति कार्यान्वयन: उत्तर CBG क्षमता वाले राज्यों को परियोजना अनुमोदन को सुव्यवसिथत करने और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बायोएनर्जी नीतियों को लागू करना चाहिए।
- आर्थिक स्थिरता: प्रेसमट की कीमतों को नियंत्रित करने और चीनी मिलों और सीबीजी संयंत्रों के बीच दीर्घकालिक समझौतों को प्रोत्साहित करने के तंत्र आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक हैं।
- तकनीकी विकास: मीथेन उत्सर्जन को रोकने और गैस हानि को कम करने के लिए भंडारण प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान महत्वपूर्ण है।
- प्रशिक्षण और शिक्षा: सीबीजी संयंत्र संचालन और फीडस्टॉक हैंडलिंग को समझने के लिए ऑपरेटरों और डितधारकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आवश्यक हैं।

भारत में विकलांगता समावेशन को सशक्त बनाना

खबरों में क्यों?

विकलांगता के संबंध में सशक्तिकरण और समावेशन के विचार को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए डिशा-निर्देश में बदलाव की आवश्यकता है। 'के लिए से' के द्वारा तक।

महत्वपूर्ण बिंदु

'के लिए' और 'के द्वारा':

- "फॉर" का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त कर रहा होता है और "बाय" का अर्थ "कार्य करने वाले एजेंट की पहचान करना" होता है।
- जब विकलांगता समावेशन की बात आती है तो यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस्टिकोण पूरी तरह से अलग है यदि यह "विकलांग व्यक्तियों" द्वारा प्रक्रिया का हिस्सा है और उनके लिए नहीं, प्रक्रिया में उनके बिना।

क्यों?

- ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी अवसर और रोजगार सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है, क्योंकि अधिकांश विकलांग व्यक्ति इन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं।

एक बहुआयामी चुनौती के रूप में विकलांगता:

- विकलांगता, सामाजिक, आर्थिक और लौगिक कमज़ोरियों के एक जटिल मिश्शन के रूप में, न्यायांगत समाधानों के लिए सूक्ष्म इस्टिकोण की मांग करती है।
- विश्व स्तर पर, 1.3 अरब लोग विकलांगता से जूझ रहे हैं, जिनमें से 80% विकासशील देशों में और 70% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।
- मौजूदा प्रणालियाँ अक्सर बहिष्कार को कायम रखती हैं, जिससे गरीबी, सीमित शैक्षिक पहुंच और सामाजिक और आर्थिक भेदभाव की घटनाएं बढ़ जाती हैं।
- विकलांगता समावेशन में 'द्वारा' का महत्व:
- भार्षाई बारीकियों को समझते हुए, विकलांगता समावेशन में 'द्वारा' शब्द प्रक्रिया में विकलांग व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है, जो उनके लिए निक्रिया इस्टिकोण से अलग है।
- यह अंतर वास्तविक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।



समावेशन की आर्थिक अनिवार्यता:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) इस बात पर जोर देता है कि विकलांग व्यक्तियों को अर्थव्यावस्था में एकीकृत करने से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 3% से 7% की वृद्धि हो सकती है।
- समान अवसरों के आदर्श के बावजूद, वर्तमान रोजगार परिवर्त्य कमज़ोर है, ख़लिवादिता को मजबूत करता है और नौकरी बाजार तक पहुंच में बाधा उत्पन्न करता है।
- वर्तमान रोजगार परिवर्त्य सीमित है, विकलांग व्यक्तियों के लिए कम नौकरियां प्रदान की जा रही हैं और ख़लिवादिता कायम है जो विकलांग लोगों के लिए श्रम बाजार तक पहुंच में और बाधाएं पैदा करती हैं।
- यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का भी सीधा उल्लंघन है, जो विकलांग व्यक्तियों के प्रति इस्टिकोण और धारणाओं को बदलने और सामाजिक विकास के आयाम से समावेशन को देखने की वकालत करता है।
- विकलांगता समावेशन विकलांगता वाले व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और समावेशन के आर्थिक लाभों को पहचानने में निहित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी चुनौतियाँ:

- भारत में, विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट ID (UDID) कार्ड जैसी सरकारी पहल मौजूद हैं।
- द्वारा लॉक, जागरूकता और अंतिम-मील कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण बनी हुई है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां चुनौतियाँ अधिक गंभीर हैं।
- ग्रामीण परियोग में विकलांग व्यक्तियों को अवसर सीमित शैक्षिक और रोजगार के अवसरों का सामना करना पड़ता है और उन्हें धर्मार्थ इस्टिकोण से देखा जाता है, जिससे उनकी एजेंसी कमज़ोर हो जाती है।

निजी क्षेत्र की भूमिका:

- निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, केवल एक मजबूत कानूनी ढांचा ही अपर्याप्त है।
- कंपनियों को शामिल करना और विकलांग श्रमिकों को काम पर रखने और बनाए रखने में उनका विश्वास बनाना आवश्यक है।
- नियोक्ता संघों और ट्रेड यूनियनों के साथ सहयोग विकलांगता समावेशन को बढ़ावा देने की क्षमता को और बढ़ाता है।

स्पार्क परियोजना:

- ILO, IFAD और महाराष्ट्र में महिला विकास निगम के बीच सहयोग स्पार्क परियोजना में प्रकट होता है।
- यह पहल विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता समावेशन सुविधा प्रदाता (DIF) के रूप में प्रशिक्षित करके, जागरूकता को बढ़ावा देने और बाधाओं को तोड़कर सशक्त बनाती है।
- परियोजना ने सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर इस्टिकोण में सकारात्मक बदलाव को सफलतापूर्वक प्रेरित किया है।

सामाजिक न्याय की ओर:

- सामाजिक न्याय के लक्ष्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शुरू करके विकास के सभी पहलुओं में विकलांग व्यक्तियों को शामिल करना आवश्यक है।
- साक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी अवसरों और रोजगार की आवश्यकता पर बल देते हुए विकलांगता, गरीबी, पोषण और भूख के बीच ट्रिडिश संबंध को रेखांकित करते हैं।
- ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर रहने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफलता के बीच, विकलांग व्यक्तियों की आवाज और जरूरतों को प्राथमिकता देने की गहरी प्रतिबद्धता वैश्विक विकास एजेंडा में सर्वोपरि है।

एसमा (ESMA)

खबरों में क्यों?

ओडिशा सरकार ने राज्य में पैरामेडिकल कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाने के लिए 6 दिसंबर, 2023 को उड़ीसा आवश्यक सेवा (रखरखाव) अधिनियम (ESMA) लागू किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- ओडिशा सरकार ने उड़ीसा आवश्यक सेवा (रखरखाव) अधिनियम (ESMA) लागू किया है, जो स्वास्थ्य विभाग में नर्सों, फार्मासिस्टों, तकनीशियों और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों सहित पैरामेडिकल कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाता है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चिकित्सा सेवाएं बाधित न हों।
- राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, ESMA लगाने और हड़ताल पर रोक लगाने का आदेश 6 दिसंबर से छह महीने के लिए लागू रहेगा।
- ESMA लागू करने का निर्णय राज्य में चिकित्सा सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों द्वारा काम बंद करने के रूप में की जाने वाली हड़तालों को रोकने के लिए है, जिससे आबादी के लिए निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।
- निषेधाज्ञा आदेश में नगर पालिका अस्पतालों, ईएसआई अस्पतालों, कटक में आवार्य हरिहर क्षेत्रीय केंसर केंद्र, कटक में क्षेत्रीय स्पाइनल इंजीरी सेंटर, जेल अस्पतालों और पुलिस अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA)

- आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA) सार्वजनिक कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी की सुरक्षा के लिए 1968 में अधिनियमित एक महत्वपूर्ण कानून है।
- प्रारंभ में, विभिन्न राज्यों के पास इस अधिनियम के अपने संरक्षण थे, जिससे इसके कार्यान्वयन में असमानताएं पैदा हुई। ESMA का लक्ष्य पूरे देश में मानकीकरण और एक समान ढांचा तैयार करना है।

ESMA की मुख्य विशेषताएं

- हड़तालों पर रोक: ईएसएमए सरकार को एक निर्दिष्ट अवधि, आमतौर पर लगभग छह महीने के लिए आवश्यक सेवाओं में हड़तालों को रोकने का अधिकार देता है। इसे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- आवश्यक सेवाओं को परिभाषित करना: अधिनियम "आवश्यक सेवाओं" को सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण के रूप में परिभाषित करता है। इसमें परिवहन, संचार, बिजली उत्पादन और वितरण, बैंकिंग और स्वच्छता जैसी सेवाएं शामिल हैं।
- उल्लंघन के लिए दंड: आवश्यक सेवाओं में हड़ताल में भाग लेने वाले व्यक्तियों या समूहों को कारावास या जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अनुसार ऐसी हड़तालों के आयोजन या समर्थन के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति को जब्त किया जा सकता है।



ESMA का महत्व

- आवश्यक सेवाओं की नियंत्रता: ESMA अम विवादों की अवधि के दौरान आवश्यक सेवाओं के निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उन व्यवधानों को रोकता है जिनसे जनता को काफी असुविधा हो सकती है।
- औद्योगिक शांति को बढ़ावा देना: बातचीत और मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को हल करने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करके, ईएसएमए नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच बातचीत को बढ़ावा देता है। इससे औद्योगिक शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।

- सार्वजनिक हित की सुरक्षा: ESMA महत्वपूर्ण क्षेत्रों में छड़ताल के अधिकार, नागरिकों की बुनियादी जरूरतों और भलाई की सुरक्षा पर सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देता है।

उग्र गण कदम

- ESMA लागू करना: भारत सरकार ने परिवहन, रवास्था सेवा और बैंकिंग जैसे विभिन्न आवश्यक क्षेत्रों में छड़ताल को रोकने के लिए कई मौकों पर ESMA लागू किया है।
- संशोधन: आवश्यक सेवाओं की परिभाषा को अद्यतन करने और औद्योगिक परिवर्तनों को अनुकूलित करने के लिए अधिनियम में कई संशोधन किए गए हैं।
- श्रम सुधार: भारत ने काम की परिस्थितियों में सुधार लाने और कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने, छड़ताल की आवश्यकता को कम करने और बातचीत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से श्रम सुधार लागू किए हैं।

ESMA से जुड़ी चुनौतियाँ

- दुरुपयोग की संभावना: आलोचकों का तर्क है कि श्रमिकों की आवाज को ढबाते हुए वैध श्रम अधिकारों को ढबाने के लिए सरकार इस अधिनियम का दुरुपयोग कर सकती है।
- औद्योगिक संबंधों पर प्रभाव: छड़तालों पर प्रतिबंध रखने औद्योगिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे श्रमिकों के बीच भय का माहौल पैदा हो सकता है।
- प्रभावशीलता: कुछ लोगों को छड़तालों को रोकने में ESMA की प्रभावशीलता पर संदेह है, यह सुझाव देते हुए कि यह श्रमिकों को विरोध के अधिक विघ्टनकारी रूपों की ओर ले जा सकता है।

आगे बढ़ने का संभावित दास्ता

- सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा देना: नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच प्रभावी बातचीत और सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहित करने से छड़तालों का सहारा लिए बिना चिंताओं का समाधान किया जा सकता है।
- स्वतंत्र विवाद समाधान: मजबूत और स्वतंत्र विवाद समाधान तंत्र स्थापित करने से निष्पक्ष और समय पर समाधान की सुविधा मिल सकती है, जिससे विवादों को बढ़ने से रोका जा सकता है।
- अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करना: कामकाजी परिस्थितियों, वेतन असमानता और श्रमिक सुरक्षा में सुधार को प्राथमिकता देने से श्रमिक अशांति को कम किया जा सकता है और औद्योगिक शांति को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- अधिनियम की समीक्षा: बदलते औद्योगिक और श्रम परिवर्त्य में इसकी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए ESMA की नियमित समीक्षा आवश्यक है।

ग्रीन वॉयेज2050 परियोजना

खबरों में क्यों?

भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ग्रीन वॉयेज2050 परियोजना के लिए अग्रणी देश के रूप में चुना गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- ग्रीन वॉयेज 2050 परियोजना, एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य जहाजों से ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने में विकासशील देशों की सहायता करना है।
- यह परियोजना समुद्री परिवहन क्षेत्र के लिए रुच और अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह धोषणा समुद्री उद्योग के भीतर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से निपटने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ग्रीन वॉयेज2050 परियोजना में इसकी भागीदारी के माध्यम से।



ग्रीन वॉयेज2050 प्रोजेक्ट के बारे में

- इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य विकासशील देशों को विशेष रूप से जहाजों से ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने में सहायता करना है।
- जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (MARPOL) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत ने भारतीय जहाजों पर कार्बन उत्सर्जन से संबंधित अपने नियमों को लागू किया है ये नियम बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता और वार्षिक कार्बन तीव्रता में कमी पर जोर देते हैं।

हाइट बंदरगाहों और नौवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCoEGPS)

- भारत ने ग्रीन शिपिंग के लिए नीति, विनियामक समर्थन और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए अपना पहला NCoEGPS स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य कार्बन तटस्थिता प्राप्त करना और शिपिंग क्षेत्र में एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

- केंद्र में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, बंदरगाह प्राधिकरण, कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड और ऊर्जा और संसाधन संस्थान (TERI) के बीच सहयोग शामिल है।

कार्बन तीव्रता में कमी को पूरा नहीं करने वाले जहाजों के लिए उपाय

- यह पहल भारतीय जहाजों को लागत प्रभावी विकल्प के रूप में टिकाऊ जैव ईंधन और भिश्मण का उपयोग करने की अनुमति देती है।
- कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जहाज संचालन के दौरान ईंधन की खपत की निगरानी के लिए एक डिजिटल प्रणाली चालू है।

Key अलग करना

- ऐसी परियोजनाओं में भारत की भागीदारी समुद्री उत्सर्जन से निपटने के लिए सार्वजनिक और निजी संस्थाओं सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को प्रदर्शित करती है।
- NCoEGPS की स्थापना हरित समुद्री प्रथाओं के लिए अनुकूल नीतियों और विनियमों को आकार देने की प्रतिबद्धता को इंगित करती है।
- अपशिष्ट ताप पुनर्पाप्ति प्रणाली, इलेक्ट्रिक डाइबिड टंग और जैव ईंधन उपयोग जैसी पहल टिकाऊ शिपिंग के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने और बढ़ावा देने पर देश के फोकस को दर्शाती है।

अराजक-पूंजीवाद

खबरों में क्यों?

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुनावों में जेवियर माइली की जीत ने "अराजक-पूंजीवाद" शब्द को सुर्खियों में ता दिया है, जिससे इसके सिद्धांतों और व्यवहार्यता पर बहस छिड़ गई है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- अराजक-पूंजीवाद एक राजनीतिक दर्शन है जो शर्या के उन्मूलन और मुक्त बाजार में निजी कंपनियों के माध्यम से कानून और व्यवस्था के प्रावधान की वकालत करता है।
- इस विचारधारा ने ध्यान आकर्षित किया है, विशेषकर जेवियर माइली जैसे शरिक्षयतों के अर्जेंटीना में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के साथ।

अराजक-पूंजीवाद कैसे काम करता है:

सेवाओं का निजी प्रावधान

- पारंपरिक मुक्त बाजार समर्थकों का मानना था कि पुलिस और अदालतों जैसी कुछ सेवाएँ केवल राज्य द्वारा ही प्रदान की जा सकती हैं। अराजक-पूंजीवादी इस विवार को चुनौती देते हैं, यह दावा करते हुए कि मुक्त बाजार में निजी कंपनियां पुलिसिंग और कानूनी सेवाएं अधिक कुशलता से प्रदान कर सकती हैं।

बाजार में प्रतिस्पर्धा

- अराजक-पूंजीपतियों का तर्क है कि, निजी कंपनियां सरकार की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं को अधिक कुशलता से कैसे पेश करती हैं, पुलिसिंग और कानूनी सेवाओं के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा से उत्त्व गुणता और कम कीमतें होंगी।

ग्राहक जवाबदेही

- एक अराजक-पूंजीवादी समाज में, व्यक्ति सुरक्षा और विवाद समाधान के लिए निजी पुलिस और अदालतों को भुगतान करेंगे। अधिवक्ताओं का तर्क है कि ग्राहक संरक्षण जवाबदेही सुनिश्चित करेगा, वयोंकि असंतुष्ट ग्राहक प्रतिस्पर्धी सेवाओं पर रिवर्च कर सकते हैं।

अराजक-पूंजीवाद की आलोचनाएँ

व्यवहार्यता और संघर्ष

- आलोचकों का तर्क है कि कई निजी कंपनियों द्वारा एक ही क्षेत्र में पुलिस और कानूनी सेवाएं प्रदान करने से असहमति और संघर्ष हो सकता है, सशस्त्र निजी संस्थाएं अपने भुगतान करने वाले ग्राहकों की रक्षा करती हैं, जिससे संभावित रूप से अराजकता पैदा हो सकती है।



अमीरों के प्रति पूर्वाग्रह

- आलोचकों का तर्क है कि अराजक-पूंजीवाद अमीरों का पक्ष ले सकता है, क्योंकि अधिक वित्तीय संसाधनों वाले लोग न्याय से बचने के लिए संभावित रूप से निजी पुलिस और अदालतों में हेरफेर कर सकते हैं, जिससे गरीबों को सुरक्षा के बिना छोड़ दिया जा सकता है।

आलोचनाओं पर अराजक-पूँजीवादी प्रतिक्रिया हैं

सहयोग और सामाज्य नियम

- अराजक-पूँजीपतियों का तर्क है कि निजी पुलिस और अदालतें, शीर्षकालिक लाभ की तताश में, महंगे संघर्षों से बचने के लिए सहयोग करेंगी और सामाजिक नियमों पर सहमत होंगी। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए सहयोग आवश्यक होगा जहां एक फर्म किसी अन्य फर्म के ग्राहक के खिलाफ अपराधी का बचाव करती है।

बाजार की गतिशीलता और गरीबों के लिए न्याय

- अराजक-पूँजीपतियों का दावा है कि व्यापक सामाजिक संरक्षण पर निर्भर निजी कंपनियाँ, अमीरों का असमान रूप से पक्ष नहीं तोंगी। उनका तर्क है कि गरीबों को प्रतिरपर्दी बाजार में न्याय पाने की बेहतर संभावना हो सकती है, जहां कंपनियाँ बड़े ग्राहक आधार की मांगों को पूरा करना चाहती हैं।
- अराजक-पूँजीवाद के इर्द-गिर्द होने वाली बहस में राज्य की भूमिका, आवश्यक सेवाओं के निजी प्रावधान की व्यवहार्यता और सामाजिक न्याय के लिए संभावित निष्ठार्थों के बारे में बुनियादी सवाल शामिल हैं।
- जबकि अराजक-पूँजीवादी निजी बाजारों की दक्षता और जवाबदेही पर जोर देते हैं, आलोचक संघर्ष, असमानता और ऐसी प्रणाली को लाने करने की व्यावहारिक चुनौतियों के बारे में चिंता जताते हैं।

पैन्टोइया टैगोरी

खबरों में क्यों?

हाल ही में, कोलकाता के विश्व-भारती के शोधकर्ताओं की एक टीम ने बैतीरिया की एक नई प्रजाति की पहचान की है, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए पैन्टोइया टैगोरी नाम दिया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

पैन्टोइया टैगोरी के बारे में:


- इसकी खोज जारिया कोयला खदानों में एकत्र मिट्टी के नमूनों से की गई थी।

विशेषताएं

- इसमें पौधों की वृद्धि के लिए लाभकारी अद्वितीय गुण हैं।
- यह न केवल पोटेशियम को घुलनशील बनाता है बल्कि नाइट्रोजन की पूर्ति भी करता है और घुलनशील बनाता है।
- टीम ने किसानों को इस जीवाणु का परिचय देकर प्रयोग किए हैं, जिन्होंने सकारात्मक परिणामों पर संतुष्टि व्यक्त की है।
- महत्व: यह बैतीरिया पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।

रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में मुख्य तथ्य:

- वह विश्व प्रशिक्षित कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे।
- उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था।
- उन्हें बंगाल के बार्ड के नाम से जाना जाता था,
- उन्होंने बंगाली साहित्य में नए गदा और पद्य रूपों और बोलचाल की भाषा का उपयोग शुरू किया, जिससे इसे शास्त्रीय संस्कृत पर आधारित पारंपरिक मॉडल से मुक्त किया गया।
- वह भारतीय संस्कृति को पश्चिम में पेश करने और इसके विपरीत में अत्यधिक प्रभावशाली थे।
- पुरस्कार: 1913 में वह साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले ऐर-यूरोपीय बने।
- उन्हें 1915 में नाइट्रोजन की उपाधि से सम्मानित किया गया था, लेकिन 1919 में अमृतसर (जलियांवाला बाजार) नरसंहार के विरोध में उन्होंने इसे अर्खीकार कर दिया।
- विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसे शांतिनिकेतन के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना रवींद्रनाथ टैगोर ने की थी।
- रवींद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा।
- टैगोर की सबसे उल्लेखनीय कविता गीतांजलि: सॉन्न ऑफरिड्स है, जिसके लिए उन्हें 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला।



राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल

खबरों में क्यों?

केंद्रीय खान मंत्रालय नई टिल्ली में एक समारोह में नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी (NGDR) पोर्टल लॉन्च करेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल के बारे में

- यह भारत में भू-स्थानिक डेटा पहुंच, साझाकरण और विश्लेषण के लिए एक व्यापक वेब-आधारित उपकरण है।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) और भारकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोइंफॉर्मेटिक्स (BIAG-N) द्वारा विकास का नेतृत्व किया गया है।
- यह महत्वपूर्ण भूविज्ञान डेटा को लोकतांत्रिक बनाने, शिक्षाविदों और उद्योग हितधारकों को अमूल्य संसाधनों तक अद्वितीय पहुंच प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में मुख्य तथ्य

- 1851 में स्थापित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) का प्राथमिक लक्ष्य रेलवे के लिए कोयला भंडार का पता लगाना था।
- जैसे-जैसे समय बीतता गया, GSI ने न केवल विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक भू-विज्ञान डेटा के लिए एक राष्ट्रीय भंडार के रूप में विस्तार किया है, बल्कि इसे दुनिया भर में एक प्रतिष्ठित भू-वैज्ञानिक संगठन के रूप में भी मान्यता प्राप्त हुई है।
- इसकी प्राथमिक जिम्मेदारियों में खनिज संसाधन मूल्यांकन और राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डेटा का निर्माण और उन्नयन शामिल हैं।
- GSI की मुख्य जिम्मेदारी व्यापार, समाज और नीति निर्माताओं की मांगों पर जोर देने के साथ-साथ वर्तमान, निष्पक्ष और वस्तुगिर्ज भूवैज्ञानिक विशेषज्ञता के साथ-साथ सभी प्रकार की भूवैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना है।
- GSI भारत और इसके अपतटीय क्षेत्रों में सभी सतह और उपसतह भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की व्यवस्थित रिकॉर्डिंग पर भी जोर देता है। कंपनी भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय और भू-रासायनिक अध्ययनों के माध्यम से इस कार्य को पूरा करने के लिए नवीनतम और सबसे किफायती उपकरणों और टेक्नोलॉजीज का उपयोग करती है।
- खान मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय को GSI कहा जाता है।
- प्रधान कार्यालय: कोलकाता
- इसकी राज्य इकाई के कार्यालय देश के लगभग हर राज्य में फैले हुए हैं, और इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता में स्थित हैं।



BISAG-N के बारे में

- मंत्रालय: MeitY, भारत सरकार (भारतीय खान व्यूरो)
- वर्तमान में, BISAG गुजरात सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक राज्य एजेंसी है, जो गांधीनगर, गुजरात में स्थित है।
- भारकराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान [BISAG (N)] 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक स्वायत वैज्ञानिक सोसायटी है।
- उद्देश्य: प्रौद्योगिकी विकास और प्रबंधन, अनुसंधान एवं विकास करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करना और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी ढस्तांतरण और उद्यमिता विकास का समर्थन करना।
- BISAG ने प्रमुख मंत्रालयों और लगभग सभी राज्यों के लिए GIS और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों को लानू किया है।
- इस उद्देश्य के लिए, भू-स्थानिक विज्ञान (GIS रिमोट सेंसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, फोटोग्राफी, जीपीएस, सेल फोन आदि), सूचना विज्ञान प्रणाली (MIS, डेटाबेस, ERP, परियोजना प्रबंधन, वेब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि) और गणित विज्ञान सिस्टम (ज्यामिति, द्रव, यांत्रिकी, त्रिकोणमिति, बीजगणित आदि) को BISAG द्वारा इन-हाउस एकीकृत किया गया है।

ज्ञानवापी मरिजद मामला

खबरों में क्यों?


ज्ञानवापी मरिजद मामला वाराणसी में प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में स्थित ज्ञानवापी मरिजद के आसपास के जटिल स्वामित्व और ऐतिहासिक दावों पर केंद्रित है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- हिंदू धार्मिकाकर्ताओं का दावा है कि ज्ञानवापी मरिजद भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर के मूल स्थल पर स्थित है, जिसे मुगल सम्राट औरंगजेब ने 17 वीं शताब्दी में मरिजद बनाने के लिए ध्वस्त कर दिया था। वे मरिजद परिसर के भीतर पूजा की अनुमति मांगते हैं।
- ज्ञानवापी मरिजद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मरिजद समिति का तर्क है कि यह सदियों से एक मरिजद रही है और पूजा स्थल अधिनियम, 1991, 15 अगस्त, 1947 तक मौजूद किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने पर रोक लगाता है।

पूजा स्थल अधिनियम 1991

- पूजा स्थल अधिनियम, 1991 भारत की संसद द्वारा किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर योक्तगाने और किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए अधिनियमित एक कानून है जैसा कि यह 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में था, जिस दिन भारत को इसकी स्थापना हुई थी।
- यह अधिनियम 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पारित किया गया था, जिससे पूरे देश में सांप्रदायिक ढंगों भड़क उठे थे। इस अधिनियम का उद्देश्य सांप्रदायिक समुदाय को बनाए रखना और भारत में सभी धार्मिक समुदायों की भावनाओं का सम्मान करना था।



अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ:

- यह किसी भी पूजा स्थल, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुदारा या मठ को एक अलग धार्मिक संप्रदाय या संप्रदाय के पूजा स्थल में बदलने पर योक्तगाना है।
- यह घोषणा करता है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वैसा ही रहेगा जैसा उस दिन था।
- यह 15 अगस्त, 1947 से पहले किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र के परिवर्तन के संबंध में किसी भी तंबित कानूनी कार्यवाही को समाप्त कर देता है, और इस मामले पर किसी भी नए मुकदमे या अपील पर योक्तगाना है।
- यह कुछ स्थानों को इसके दायरे से छूट देता है, जैसे किसी अन्य कानून के तहत आने वाले प्राचीन रमारक और पुरातात्त्विक स्थल, पूजा स्थल जो आपसी समझाते या अदातत के फैसले से तय या हल हो गए हैं और अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्थल, जो इसके अधीन है।
- यह अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान करता है, जिसमें तीन साल तक की कैद और जुर्माना शामिल है।

अधिनियम का महत्व है:

- इसका उद्देश्य भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बनाए रखना और सभी धार्मिक समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है।
- इसका उद्देश्य पूजा स्थलों पर आगे के विवादों और संघर्षों को योकना है जो सार्वजनिक व्यवस्था और शांति को प्रेरणा कर सकते हैं।
- यह विभिन्न धर्मों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत और उनके पूजा स्थलों का सम्मान करने के लिए भारतीय राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस अधिनियम के सामने आने वाली चुनौतियाँ हैं:

- इसे कुछ याचिकार्कार्ताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिनका दावा है कि यह धर्म, समाजता और ज्यायिक समीक्षा के उनके मौतिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उनका तर्क है कि यह अधिनियम मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है।
- कुछ आलोचकों ने इस पर सवाल उठाया है, जो तर्क देते हैं कि यह 15 अगस्त, 1947 से पहले कुछ धार्मिक समूहों द्वारा जोले गए ऐतिहासिक अन्याय और अतिक्रमणों को नजरअंदाज करता है। उनका दावा है कि यह अधिनियम उन्हें अपने पूजा स्थलों को पुनः प्राप्त करने और पुनर्स्थापित करने के अवसर से वंचित करता है।
- कुछ समूहों द्वारा इसका विरोध किया गया है जो मांग करते हैं कि कुछ पूजा स्थलों को उनके संबंधित समुदायों द्वारा परिवर्तित या पुनः प्राप्त किया जाए। उनका आरोप है कि यह अधिनियम एक समुदाय को दूसरों की तुलना में अधिक तरजीह देता है और उनकी धार्मिक भावनाओं को कमज़ोर करता है।

अधिनियम के लिए आगे का यास्ता यह है:

- भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार और बहुलवादी संस्कृति की रक्षा के लिए एक विधायी उपाय के रूप में अधिनियम की वैधता और पवित्रता को बनाए रखना।
- अधिकारियों द्वारा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना और पूजा स्थलों की सथानस्थिति को बदलने के किसी भी उल्लंघन या प्रयासों को योकना।
- विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संवाद और मेल-मिलाप को बढ़ावा देना और उनकी मान्यताओं और प्रथाओं के लिए आपसी सम्मान और सहिष्णुता को बढ़ावा देना।

अखिल भारतीय ज्यायिक सेवा (AIJS)

खबरों में क्यों?

अखिल भारतीय ज्यायिक सेवा (AIJS) का निर्माण एक जटिल मुद्दा है जिसमें विविधता, दक्षता, भाषाई विविधता, संघवाद और ज्यायिक स्वतंत्रता के विचार शामिल हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS)

- न्यायपालिका लोकतंत्र के स्तरों में से एक है और कानून के शासन को बनाए रखने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

THE BIG PICTURE

Law ministry has based its proposal on an earlier recommendation from a chief ministers' conference in 2013

MOVE COMES ON THE BACK OF REPEATED ASSERTIONS BY UNION LAW MINISTER RAVI SHANKAR PRASAD CALLING FOR THE CREATION OF AN ALL-INDIA JUDICIAL SERVICE

Such a service has also been envisaged in Article 312 of the Constitution

As of now, there are states with judicial services but concern has been over those finally finding their way into higher judiciary

Creation of such a service, according to govt officials, will bring a much more professional, better crop of judicial officers

- भारतीय न्यायपालिका को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे लंबित मामले, विधिधाता की कमी, न्यायाधीशों की कमी और भर्ती और प्रशिक्षण के अलग-अलग मानक। इन मुद्दों के समाधान के लिए, एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) बनाने का विचार प्रस्तावित किया गया है और कई दशकों से इस पर बहस चल रही है।
- AIJS एक प्रस्तावित सेवा है जो संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित एक केंद्रीकृत परीक्षा के माध्यम से सभी राज्यों के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों की भर्ती करेगी।
- AIJS अन्य अखिल भारतीय सेवाओं जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) या भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के समान होगा।
- AIJS बनाने का संर्वेधानिक प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 में दिया गया है, जो संसद को राष्ट्रीय हित में संघ और राज्यों के लिए सामान्य एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार देता है। डार्टांकि, ऐसी सेवा में जिला न्यायाधीश से कमतर कोई भी पद शामिल नहीं हो सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 236 में परिभाषित है।

AIJS प्रस्ताव की पृष्ठभूमि और स्थिति क्या है?

- AIJS बनाने के विचार की सिफारिश पहली बार भारत के विधि आयोग ने 1958 में न्यायिक प्रशासन में सुधारों पर अपनी 14वीं रिपोर्ट में की थी। तब से, कई समितियों, आयोगों और विशेषज्ञों ने AIJS की स्थापना की आवश्यकता का समर्थन किया है और दोहराया है। उनमें से कुछ हैं:
- 1961 में मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन
- संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976
- विधि आयोग की 77वीं रिपोर्ट 1978 में और 116वीं रिपोर्ट 1986 में
- 1992 में ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- 1999 में न्यायमूर्ति शेषी की अध्यक्षता में पहला राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग
- 2006 में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति
- 2012 में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग
- 2023 में सुप्रीम कोर्ट के संविधान दिवस समारोह में भारत के राष्ट्रपति का उद्घाटन भाषण
- इन सिफारिशों के बावजूद, AIJS को कुछ राज्यों और उच्च न्यायालयों के विशेष, हितधारकों के बीच आम सहमति की कमी, कानूनी और प्रशासनिक बाधाओं और राजनीतिक इच्छाशक्ति जैसे विभिन्न कारणों से अभी तक लागू नहीं किया गया है।

AIJS बनाने के क्या लाभ और चुनौतियाँ हैं?

- पारदर्शी और प्रतिरप्दी व्यायाम प्रक्रिया के माध्यम से मेधावी उम्मीदवारों को आकर्षित करके न्याय वितरण की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करना।
- आरक्षण और प्रोत्साहन प्रदान करके न्यायपालिका में महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी आदि जैसे दृष्टिकोण पर रहने वाले समूहों की विविधता और प्रतिनिधित्व को बढ़ाना।
- रिक्तियों को तेजी से भरकर और राज्यों में पर्याप्त न्यायिक शक्ति सुनिश्चित करके मामलों की लंबितता और बैकलॉग को कम करना।
- राज्यों में न्यायाधीशों की भर्ती, प्रशिक्षण, सेवा शर्तों और कैरियर की प्रगति की एकरूपता और मानकीकरण को बढ़ावा देना।
- अंतर-राज्यीय स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति की अनुमति देकर न्यायिक गतिशीलता और राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना।
- राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करके और प्रदर्शन मूल्यांकन सुनिश्चित करके न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही को मजबूत करना।

AJS के कुछ आलोचक विभिन्न चुनौतियों और कमियों की ओर इथारा करते हैं जैसे:

- न्यायिक भर्ती और प्रशासन को केंद्रीकृत करके संघीय ढांचे और राज्यों की स्वायत्ता का उल्लंघन करना।
- अधीनस्थ न्यायालयों की देखरेख और नियंत्रण में उच्च न्यायालयों के अधिकार और भूमिका को कम आंकना।
- बाहरी राज्यों से न्यायाधीशों की नियुक्ति करके स्थानीय कानूनों, भाषाओं, रीति-रिवाजों और परंपराओं की अवहेलना करना।
- मौजूदा न्यायिक अधिकारियों के बीच आक्रोश और हतोत्साहन पैदा करना जो अपनी विभिन्नता या पदोन्नति की संभावनाओं को खो सकते हैं।
- अनुच्छेद 233 और 234 में संशोधन जैसी कानूनी बाधाओं का सामना करना, जो जिला न्यायाधीशों की शज्य-स्तरीय नियुक्तियों से संबंधित हैं।
- आरक्षण नीति, पात्रता मानदंड, पाठ्यक्रम, परीक्षा पैटर्न, प्रशिक्षण मॉड्यूल आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टता का अभाव।

इलेक्ट्रॉनिक मिटी

खबरों में क्या?

एक नए अध्ययन के अनुसार, एक नव विकसित ई-मृदा जिसने जड़ प्रणालियों को उत्तेजित किया, उससे जौ के पौधों को औसतन 50 प्रतिशत अधिक बढ़ने में मदद मिली।

महत्वपूर्ण बिंदु

- eSoil एक कम शक्ति वाला बायोइलेक्ट्रॉनिक विकास सब्सट्रैट है जो पौधों की जड़ प्रणाली और विकास वातावरण को विद्युत रूप से उत्तेजित कर सकता है।
- यह नया सब्सट्रैट न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, जो सेलूलोज़ और PEDOT नामक एक प्रवाहकीय बहुलक से प्राप्त होता है, बल्कि कम ऊर्जा, पिछले तरीकों के लिए सुरक्षित विकल्प भी प्रदान करता है जिसके लिए उच्च वोल्टेज और गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्री की आवश्यकता होती है।
- महत्व: यह शोध हाइड्रोपोनिकली उगाई जा सकने वाली फसलों की विविधता को बढ़ाते हुए अधिक प्रभावी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देता है।

हाइड्रोपोनिक्स

- हाइड्रोपोनिक्स में, पौधों को मिट्टी के बिना उगाया जाता है, जिसमें केवल पानी, पोषक तत्वों और उनकी जड़ों से जुड़ने के लिए एक सब्सट्रैट की आवश्यकता होती है।
- यह बंद प्रणाली पानी को पुनः प्रसारित करने की अनुमति देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक अंकुर को ठीक वही पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जिनकी उसे आवश्यकता होती है।
- परिणामस्वरूप, बहुत कम पानी का उपयोग होता है और सभी पोषक तत्व सिर्टम में बने रहते हैं।
- अंतरिक्ष के अधिकतम उपयोग के लिए, हाइड्रोपोनिक्स विशाल टावरों में ऊर्ध्वाधर उत्पादन की भी अनुमति देता है।
- वर्तमान में इस तरह से उगाई जाने वाली फसलों में सलाद, जड़ी-बूटियाँ और कुछ सब्जियाँ शामिल हैं।
- हाइड्रोपोनिक्स का उपयोग आमतौर पर पशु चारे के अलावा अन्य अनाज उगाने के लिए नहीं किया जाता है।
- इस पेपर में, वैज्ञानिक बताते हैं कि जौ के पौधे हाइड्रोपोनिकली उगाए जा सकते हैं और विद्युत उत्तेजना से पौधों की वृद्धि दर में सुधार होता है।

1. भारत का चंद्रमा मिशन

- 1960 के दशक में, वैष्णव अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा के बीच, भारत ने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया।
- 50 वर्षों में, इसने आत्मनिर्भरता, प्रमुख प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रक्षेपण वाहनों और उपग्रहों को डिज़ाइन करने में स्वायत्ता प्राप्त करने को प्राथमिकता दी।
- इलेक्ट्रॉनिक्स में चुनौतियों के बावजूद, इसरो अब पृथ्वी अवलोकन, संचार, नेविगेशन और ग्रहों की खोज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शीर्ष पांच वैष्णव अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक हैं।

अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली

- इसरो ने एक अट्टितीय अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली विकसित की है, जो चार परिचालन प्रक्षेपण वाहनों का उपयोग करके 500 किलोग्राम से 8000 किलोग्राम तक के पेलोड को विभिन्न पृथ्वी कक्षाओं में लॉन्च करने में सक्षम है।
- PSLV, इसरो का विश्वसनीय वर्कहॉर्स, त्वरित बदलाव के साथ लागत प्रभावी समाधान प्रदान करता है।
- इसकी बहुमुखी प्रतिभा एक ही उड़ान में कई उपग्रहों को लॉन्च करने, कक्षाओं को समायोजित करने और अपने PS4 कक्षीय प्लॉटफॉर्म पर अनुसंधान की मेजबानी करने में निहित है।
- भारत के बहुमुखी और विश्वसनीय प्रक्षेपण यान LVM3 ने चंद्रयान और वनवेब वाणिज्यिक प्रक्षेपण जैसे जटिल मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा किया।
- यह वैष्णव वाणिज्यिक बाजारों के लिए एक शीर्ष विकल्प है, जो अपनी पहली परीक्षण उड़ान के बाद से LEO के लिए 4t और GEO पेलोड के लिए 6t की क्षमता प्रदान करता है।

लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान


- इसरो द्वारा हाल ही में पेश किया गया लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) छोटे उपग्रह प्रक्षेपण की बढ़ती मांग को पूरा करता है।
- तेजी से विकसित, यह सेंसर और मार्गदर्शन प्रणालियों सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में इसरो की शक्ति को प्रदर्शित करता है।
- मार्ग ऑर्बिटर और चंद्रयान-3 जैसे मिशनों की सफलता का श्रेय इसरो की असाधारण क्षमताओं को दिया जाता है।
- SSLV की विशेषता इसकी लागत-प्रभावशीलता, लॉन्च के लिए त्वरित बदलाव का समय और एक ही मिशन पर कई पेलोड ले जाने की क्षमता है।

नेविगेशन उपग्रह प्रणाली

- भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (IRNSS), जिसका परिचालन नाम NaviC है, का मतलब भारतीय तायामंडल के साथ नेविगेशन है।
- यह भारत और क्षेत्र में स्टीक वास्तविक समय स्थिति और समय सेवाएं प्रदान करता है, जो भारतीय मुख्यभूमि के आसपास लगभग 1500 किमी तक फैला हुआ है।

NaviC द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की विविधता विभिन्न अनुप्रयोगों में सहायता करती है जैसे:

- वाहन ट्रैकिंग और बेड़े प्रबंधन
- स्थान-आधारित सेवाएं
- गोबाइल फोन में एकीकृत
- यात्रियों के लिए स्थलीय नेविगेशन सहायता
- समय प्रसार
- आपदा प्रबंधन



मंगल ऑर्बिटर मिशन

- मार्ग ऑर्बिटर मिशन (MOM), मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतरग्रहीय मिशन नवंबर, 2013 में PSLV-C25 पर लॉन्च किया गया था।
- इसरो मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान भेजने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई है।
- हालाँकि डिज़ाइन किया गया मिशन जीवन 6 महीने है, MOM ने 24 सितंबर, 2021 को अपनी कक्षा में 7 साल पूरे कर लिए।

MOM के पास निम्नलिखित पांच वैज्ञानिक पेलोड हैं:

- थर्मल इन्फ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर (TIS)
- मंगल ग्रह के लिए मीथेन सेंसर (MSM)
- मंगल एक्सोस्फेरिक तटस्थ संरचना विश्लेषक (MENCA)
- लाइमन अल्फा फोटोमीटर (LAP)

चंद्रयान मिशन श्रृंखला

1. चंद्रयान-1

- चंद्रयान-1, भारत का चंद्रमा पर पहला मिशन, अक्टूबर, 2008 में SDSC SHAR, श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था।
- अंतरिक्ष यान चंद्रमा की रासायनिक, खनिज विज्ञान और फोटो-भूगर्भिक मानवित्रण के लिए चंद्रमा की सतह से 100 किमी की ऊँचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था।
- अंतरिक्ष यान भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में निर्मित 11 वैज्ञानिक उपकरणों को ले गया।

2. चंद्रयान-2



- भारत ने ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के साथ जुलाई, 2019 में चंद्रयान-2 लॉन्च किया।
- जबकि सॉफ्ट लैंडिंग असफल रही, ऑर्बिटर एल-बैंड SR और एक बड़े क्षेत्र एक्स-ए रेपेक्ट्रोमीटर जैसे अद्वितीय प्रयोगों का संचालन करते हुए काम करना जारी रखता है।
- चल रही टिप्पणियों को अब पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

3. चंद्रयान-3

- जुलाई, 2023 में लॉन्च किए गए चंद्रयान-3 ने अगस्त, 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की।
- चंद्रयान-3 मिशन यह साबित करने के लिए निकला था कि चंद्रमा पर सॉफ्ट-लैंडिंग और धूमने की क्षमता हासिल की जा सकती है।
- चंद्रयान-3 एक तीन-घटक मिशन है जिसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर मॉड्यूल शामिल हैं।

आदित्य-1 मिशन

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित आदित्य-1 मिशन, भारत के पहले अंतरिक्ष-आधारित मिशन का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह सूर्य का अध्ययन करने के लिए समर्पित वेधशाला है।
- इस मिशन का उद्देश्य सौर कोरोना (Solar Corona), प्रकाशमंडल (Photosphere), क्रोमोस्फीयर (Chromosphere) और सौर पवन (Solar Wind) के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।
- आदित्य-एला का प्राथमिक उद्देश्य सूर्य के विकिरण, ऊष्मा, कण प्रवाह तथा चुंबकीय क्षेत्र आहित सूर्य के व्यवहार और वे पृथ्वी को कैसे प्रभावित करते हैं, के संबंध में गहरी समझ हासिल करना है।




2. भारत का बढ़ता कद: एक उभरती हुई शक्ति

- एक उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत का बढ़ता कद एक बहुआयामी घटना है जो आर्थिक, भू-राजनीतिक और तक फैली हुई है सांस्कृतिक आयाम

- भारत कई दशकों से मजबूत आर्थिक विकास का अनुभव कर रहा है।
- कोविड के बाद के पुनर्पालि चरण में, जिसमें वैश्विक समुदाय को एक साथ आना चाहिए था, इसके बजाय गहरे विभाजन देखे जा रहे हैं।
- देश की बड़ी और विविध अर्थव्यवस्था ने इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना दिया है।

भारतीय नेतृत्व

- भारत की G20 की अध्यक्षता ने उसकी वैश्विक नेतृत्व भूमिका में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रखा है।
- भारत पहली बार शष्ट्रपति पद संभालने के साथ, जिले चुनौतियों का समाधान करने के लिए दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच चर्चा और पहल कर रहा है।
- शष्ट्रपति पद के दौरान, भारत समावेशी विकास, डिजिटल नवाचार, जलवायु तंचीलापन और न्यायसंगत वैश्विक स्वास्थ्य पहुंच जैसे विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के G20 आदर्श वाक्य और वसुधैत कुटुंबकम के दर्शन पर आधारित एक उदाहरण, नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ (AU) को G20 में शामिल करना भारत की 'छोड़ने' की मजबूत वकालत पर आधारित है।



G20 के सकारात्मक परिणाम

- G20 संरचना की प्रतिनिधित्वशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति वैश्विक दक्षिण में एक वास्तविक सहयोगी के रूप में भारत की रिस्थिति को ऐक्सांकित करती है।
- G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में उल्लिखित अनुकूल परिणाम हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा की गई कई पहलों के साथ निकटता से मेल खाते हैं।
- महामारी के दौरान वैक्सीन सहायता कार्यक्रम के अलावा, इस तरह की पहल का उल्लेख करना उचित है:
 - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)
 - आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI)
 - इंडो-पौसिफिक महासागर पहल (IPO)
 - लचीले द्वीप राज्यों के लिए बुनियादी ढांचा (IRIS)


मिशन LiFE और जलवायु संकट

- भारत पारंपरिक तरीकों से पेरे एक अद्वितीय विकास पर जोर देकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय निरावर को संबोधित करने में एक नेता के रूप में उभरा है।
- मिशन LiFE (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) जैसी पहल के माध्यम से, भारत वैश्विक जलवायु कार्रवाई में एक प्रमुख तत्व के रूप में व्यक्तिगत व्यवहार की वकालत करता है।
- यह मिशन दुनिया भर में पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए सतत विकास के लिए जीवन शैली पर G20 उच्च-स्तरीय सिद्धांतों में विकसित हुआ है।
- विशेष रूप से, भारत 2030 के लक्ष्य से पहले अपने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पार करने वाला एकमात्र G20 राष्ट्र है, जिसे जलवायु परिवर्तन के लिए अमेरिका शष्ट्रपति के विशेष दृष्ट जॉन केरी जैसे आंकड़ों से मान्यता मिली है, जिन्होंने अवधि ऊर्जा में वैश्विक नेता के रूप में भारत की सराहना की।



क्लीन एनर्जी

- भारत ने 2030 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की है, जिसमें 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करना और अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना शामिल है।
- भारत ने एक अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) प्रस्तुत करके अपनी जलवायु कार्रवाई को तेज करने का इरादा व्यक्त किया।
- यह अद्यतन 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में एक कदम है।
- भारत ने यूरोपीय संघ, जापान और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय अवधि ऊर्जा साझेदारी में प्रवेश किया है, विशेष रूप से अमेरिका के साथ यूएस-भारत रणनीतिक अवधि ऊर्जा साझेदारी (USISCEP) में सुधार किया है।
- साझेदारी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने, अवधि ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने और पांच प्रमुख स्तंभों में तकनीकी समाधान लाने करने पर केंद्रित है जिसमें शामिल हैं:



- जिम्मेदार तेल और गैस स्टंभ
- शक्ति और ऊर्जा दक्षता स्टंभ
- नवीकरणीय ऊर्जा स्टंभ
- सतत विकास स्टंभ
- उभरते ईधन और प्रौद्योगिकियाँ

आपूर्ति श्रृंखलाएँ

- दिसंबर 2021 में, चिप विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 10 बिलियन डॉलर की उत्पादन-लिंकड प्रोत्साहन (PLI) योजना की घोषणा की गई थी।
- मार्च 2022 में, केंट्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के लिए सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी उत्पादन।
- भारत का तक्ष्य वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक प्रमुख खिलाड़ी बनना है, अपने पर्याप्त डिजाइन प्रतिशा पूल का लाभ उठाना और शीर्ष 25 सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों के अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की मेजबानी करना है।
- ऑस्ट्रेलिया और जापान को शामिल करने वाली त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल, चीन से दूर विविधीकरण को बढ़ावा देकर आपूर्ति श्रृंखला संकट का समाधान करती है।
- इस पहल का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन के लिए प्रयासों और प्रोत्साहनों का समन्वय करना है।

डिजिटल इनाफ्रास्ट्रक्चर

- जुलाई, 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल से प्रेरित होकर भारत तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था बन गया है।
- इस मिशन का उद्देश्य राष्ट्र को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है।
- इसमें मोबाइल स्वामित्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और देश भर में डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार करते हुए इंटरनेट पहुंच और सामर्थ्य बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- 2021 में, भारत 48 बिलियन रियलटाइम डिजिटल लोनदेन के साथ आगे रहा, चीन को तीन गुना और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को सात गुना पीछे छोड़ दिया।
- UIDAI और आधार सहित भारत की डिजिटल पहल, भारत की विशाल आबादी को निर्बाध रूप से जोड़ने में वैश्विक रूचि आकर्षित करती है।



बाजार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष

- मार्च 2021 में, संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया, जिसे 72 देशों के समर्थन से भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बाजार, चुनौतीपूर्ण जलवायु के लिए बेहतर पोषण और लचीलापन प्रदान करता है, जिससे वैश्विक रसायन पर खाद्य सुरक्षा बढ़ती है।
- अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष 2023 पोषण और स्वास्थ्य से लेकर पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास तक बाजार के कई लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर है।

3. गतिशीलता को पुनर्परिभाषित करना: परिवहन क्षेत्र के परिवृत्त्य को बदलना

- किसी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए एक कुशल और समन्वित परिवहन प्रणाली महत्वपूर्ण है।
- जहाजरानी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय रेतवे और नागरिक उड़डयान को छोड़कर, परिवहन विकास के लिए नीतियां बनाते और लान् करते हैं।
- वर्तमान प्रणाली में नेटवर्क विस्तार और आउटपुट में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ रेत, सड़क, तटीय शिपिंग और हवाई परिवहन शामिल हैं।

सड़कें

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन 2009 में तत्कालीन जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दो स्वतंत्र मंत्रालयों में विभाजित करके किया गया था।
- यह सड़क परिवहन और परिवहन अनुसंधान से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों को बनाने और उनकी देखरेख करने के लिए प्राथमिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
- पिछले नौ वर्षों में भारत का सड़क नेटवर्क 59% बढ़कर दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बन गया है। भारत में कुल सड़क नेटवर्क लगभग 64 लाख किमी है और अकेले राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2013-14 में 91,287 किमी की तुलना में 2022-23 में 145,240 किमी हो गया।

भारतमाला परियोजना

- भारतमाला परियोजना राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक नया छत्र कार्यक्रम है जो आर्थिक गलियाँ, अंतर गलियाँ और फीडर मार्गों, राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार के विकास जैसे प्रभावी ढस्तकें के माध्यम से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अंतराल को पाटकर देश भर में माल और यात्री आंदोलन की दक्षता को अनुकूलित करने पर केंद्रित है। सीमा और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़कें, तटीय और बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़कें और ब्रीन-फ़िल्ड एक्सप्रेसवे।



- परियोजना में लगभग 26,000 किमी तांबे आर्थिक गतियारों के विकास की परिकल्पना की गई है, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज (GQ) और उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम (NS-EW) गतियारों के साथ-साथ सड़कों पर अधिकांश माल ढुलाई की उमीद है।
- कार्यक्रम में शहरों से गुजरने वाले यातायात को कम करने और टॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने आदि के लिए इन योड/बाईपास और एलिवेटेड कॉरिडोर के विकास की परिकल्पना की गई है।

हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गतियारा परियोजना

- हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गतियारा परियोजना 2016 में शुरू की गई थी।
- इस परियोजना में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से गुजरने वाले लगभग 781 किलोमीटर विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन शामिल है।
- यह परियोजना विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है।

परियोजना के उद्देश्यों में शामिल हैं:

- राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण के लिए एक नीतिगत ढांचा विकसित करना।
- वायु प्रदूषण और धूल के प्रभाव को कम करने के लिए क्योंकि पेड़ों और झाड़ियों को वायु प्रदूषकों के लिए प्राकृतिक सिंक माना जाता है।
- वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण लगातार बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करना।
- तटबंध के ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकना; वगैरह।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की स्थापना NHAI अधिनियम, 1988 के तहत की गई थी।
- यह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) की देखरेख करता है और विकास और रखरखाव के लिए 50,329 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रबंधन करता है।
- इसका उद्देश्य राजमार्ग प्रणाली में इष्टतम उपयोगकर्ता सुविधा के लिए पारदर्शी और प्रतिरप्थी अनुबंध पुरस्कार, उच्च गुणवत्ता वाली परियोजना कार्यान्वयन और रखरखाव सुनिश्चित करना है।
- एकसप्रेसवे सहित राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 132,499 किमी तक फैला है, जो कुल सड़क लंबाई का केवल 1.7% है।
- इसके बावजूद, राजमार्ग और एक्सप्रेसवे देश के 40% सड़क यातायात को संभालते हैं।



PM गतिशक्ति योजना

- प्रधान मंत्री ने मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए PM गति शक्ति राष्ट्रीय मार्स्टर प्लान लॉन्च किया, जो मूल रूप से बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वयत कार्यान्वयन के लिए ऐलेव और योड़वेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
- मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी लॉगों, वस्तुओं और सेवाओं को परिवहन के एक साधन से दूसरे साधन तक ले जाने के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
- यह बुनियादी ढांचे की अंतिम मील कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगा और लॉगों के लिए यात्रा के समय को कम करेगा।

PM गतिशक्ति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं शामिल हैं:

- व्यापकता:** एक केंद्रीकृत पोर्टल विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की मौजूदा और योजनाबद्ध पहलों को एकीकृत करेगा, इयता बढ़ाएगा और व्यापक परियोजना योजना और निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण डेटा साझा करेगा।
- प्राथमिकता:** विभिन्न विभाग अंतर-क्षेत्रीय बातचीत के माध्यम से अपनी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में सक्षम होंगे।
- अनुकूलन:** राष्ट्रीय मार्स्टर प्लान मंत्रालयों को परियोजना अंतराल की पहचान करने और माल के लागत प्रभावी और समय पर परिवहन के लिए इष्टतम मार्ग बुनाने में सहायता करता है।
- समन्वयन:** पीएम गति शक्ति का उद्देश्य शासन के विभिन्न रस्तों पर गतिविधियों को सिंक्रोनाइज करके परियोजना योजना और कार्यान्वयन में देशी को संबोधित करते हुए मंत्रालयों और विभागों के बीच साइलो को खत्म करना और समन्वय बढ़ाना है।
- विश्लेषणात्मक:** योजना GIS-आधारित स्थानिक योजना और 200 से अधिक विश्लेषणात्मक परतों के साथ केंद्रीकृत डेटा प्रदान करती है, जो निष्पादन एजेंसी के लिए बढ़ी हुई इयता प्रदान करती है।

A Giant Stride in India's \$5 Trillion Economy Goal

Gati Shakti National Master Plan

Multimodal Connectivity Infrastructure to various Economic Zones

Targets upto 2024-25 for Ministry of Shipping

Increase in Cargo capacity at the Ports to 1,759 MMTPA from 1,282 MMTPA in 2020

Cargo movement on all National Waterways will be 95 million MT from 74 million MT in 2020

Cargo movement on Ganga to be increased from 9 to 29 million MT

- गतिशील: जीआईएस प्लॉटफॉर्म और उपग्रह इमेजरी के माध्यम से, मंत्रालय अब नियमित रूप से क्रॉससेक्टोरल परियोजना प्रगति की निगरानी कर सकते हैं, मार्टर प्लान को अद्यतन करने के लिए महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों की पहचान करने में सहायता कर सकते हैं।

पर्वतमाला परियोजना

- पर्वतमाला परियोजना- यात्रियों के लिए पहुंच और सुविधा में सुधार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोपते के विकास के लिए राष्ट्रीय रोपते विकास कार्यक्रम लानु किया जा रहा है।
- पहाड़ी क्षेत्रों के साथ-साथ, वाराणसी, उज्जैन जैसे भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में परिवहन के वैकल्पिक साधन के रूप में रोपते विकसित किए जा रहे हैं।

वाहन और लाइसेंस रिकॉर्ड की राष्ट्रीय रजिस्ट्री

- मंत्रालय ने परिवहन मिशन मोड परियोजना की शुरुआत करते हुए परिवहन क्षेत्र में नागरिकों के लिए परिवर्तनकारी नीतियां लानु की हैं।
- इस पहले ने आरटीओ संचालन को रववालित किया है, एक समेकित परिवहन डेटाबेस स्थापित किया है, और नागरिक-केंद्रित अनुप्रयोगों को कार्यान्वित किया है।
- प्रमुख अनुप्रयोगों में देश भर में वाहन सेवाओं का प्रबंधन करने वाला वाहन, और ड्राइविंग लाइसेंस और संबंधित नियमितियों की देखरेख करने वाला सारथी शामिल है।
- ये एप्लिकेशन बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और इफेवाईसी के लिए आधार के साथ एकीकृत होकर 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 1,000 से अधिक आरटीओ में चालू हैं।
- सिर्टम डिजीलॉकर के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र जैसे आभासी दस्तावेजों के उपयोग की अनुमति देता है।

E-टोलिंग

- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संबंध (NECT) कार्यक्रम, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल, शुल्क प्लाजा के माध्यम से यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने और फारस्टैन का उपयोग करके उपयोगकर्ता शुल्क के संबंध में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय आधार पर लानु किया गया है।
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) केंद्रीय समाशोधन गृह है।

रेलवे

- 1853 में स्थापित भारतीय रेलवे 68,043 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 7,308 रेटेशनों के विशाल नेटवर्क में विकसित हुआ है। 13,215 लोकोमोटिव, 74,744 यात्री वाहन और 3,18,896 वैगनों के साथ, यह देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- 17 जोनों में फैला यह नेटवर्क माल ड्रुलाई, यात्रियों, पर्यटन, तीर्थयात्रा और शिक्षा के लिए परिवहन की सुविधा प्रदान करता है।
- मार्ग का अधिकांश भाग विद्युतीकृत है, जो इसके मोड की शुरुआत से ही इसकी उल्लेखनीय वृद्धि और प्रभाव को प्रदर्शित करता है।

वंदे भारत एक्सप्रेस

- वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, भारतीय रेलवे द्वारा संचालित एक सेमी-हाईस्पीड, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है।
- 2019 में, इस तथ्य को उजागर करने के लिए इसका नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया कि इसका निर्माण पूरी तरह से भारत में किया गया था।
- इसका परिचालन 2019 में शुरु हुआ जब नई दिल्ली-कानपुर-प्रयागराज-वाराणसी मार्ग के बीच अपनी तरह की पहली ट्रेन को ढारी झांडी दिखाई गई।
- सिंकंदरबाद और विशाखापत्नम के बीच नवीनतम मार्ग थूंखला में आठवां है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था।
- वंदे भारत 2.0 की शुरुआत 2022 में गांधीनगर से मुंबई मार्ग के साथ हुई।
- सितंबर 2023 तक देशभर में 50 वंदे भारत ट्रेनें चल रही थीं।



समुद्री विकास

- भारत की लगभग 7,517 किमी तंबी तटरेखा है, जो ढीपों सहित इसके पश्चिमी और पूर्वी तटों तक फैली हुई है।
- यह विस्तृत समुद्र तट देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के रूप में कार्य करता है।
- 12 प्रमुख बंदरगाहों और लगभग 200 ग्रै-प्रमुख बंदरगाहों के साथ, भारत का शिपिंग उद्योग देश के परिवहन क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है।
- समुद्री परिवहन भारत के व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संभालता है, मात्रा के हिसाब से इसका योगदान 95% और मूल्य के हिसाब से 68% है।
- बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सागरमाला प्लॉगशिप कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देना है।

- व्यापक समुद्र तट, संभावित नौगम्य जलमार्ग और रणनीतिक समुद्री स्थान का लाभ उठाते हुए, कार्यक्रम न्यूनतम बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ EXIM और घेरेतू व्यापार दोनों के लिए रसद लागत में कटौती करना चाहता है।

अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन

- भारत में 14,500 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग नेटवर्क है, जो ईंधन-कुशल और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन विकल्प प्रदान करता है।
- भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) की स्थापना 1986 में जलमार्गों को विनियमित और विकसित करने के लिए की गई थी।
- वर्तमान में, अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन कुल कार्गो आवाजाही का 2% से भी कम है।
- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत नामित 111 राष्ट्रीय जलमार्गों के साथ, सरकार का लक्ष्य सड़क और रेल परिवहन पर भीड़ कम करना है।
- विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त जल मार्ग विकास परियोजना (JMPV) गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली के हिंदू-वाराणसी खंड पर क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है।

नागरिक उद्ययन

- हवाई परिवहन किसी देश के समान विकास के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में से एक है।
- भारत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का एक व्यापक नेटवर्क संचालित करता है और वर्तमान में 116 देशों के साथ हवाई सेवा समझौता है।
- अक्टूबर, 2023 तक, भारत ने 24 देशों के साथ खुले आकाश की व्यवस्था की है।
- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS) - उड़े देश का आम नागरिक (UDAN) को राष्ट्रीय नागरिक उड़ायन नीति (NCAP) 2016 में पेश किया गया था।
- इसका प्राथमिक लक्ष्य जनता के लिए इसे किफायती बनाकर क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।
- यह योजना ऐसे मार्गों पर एयरलाइन संचालन की लागत और अपेक्षित शर्जन के बीच वित्तीय अंतर को पाठने के लिए व्यवहार्यता गैप फंडिंग (VGF) भी प्रदान करती है।
- UDAN का लक्ष्य देश भर में मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों को पुनर्जीवित करके असेवित और अत्प्रयोगित हवाई अड्डों को जोड़ना है।

नागरिक उद्ययन की विभिन्न अन्य पहल:

- GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन (गगन): गगन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच एक सहयोग, विमानन स्टीक एटिकोन के लिए GPS स्टीकता को बढ़ाता है। यह 2015 से चालू था, यह चौबीसों घंटे विश्वसनीय सिन्डल सुनिश्चित करता है।
- कृषि उड़ान 2.0: 2021 में लॉन्च किया गया कृषि उड़ान 2.0, उत्तर पूर्व, पठाड़ियों, आदिवासी क्षेत्रों और दूरीय जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए चयनित हवाई अड्डों पर टैक्सिंग, पार्किंग और नेविगेशन के लिए पूर्ण शुल्क छूट प्रदान करता है। इस योजना का लक्ष्य देश भर के 58 हवाई अड्डों को कवर करते हुए इन क्षेत्रों से कृषि उपज के लिए कुशल और लागत प्रभावी हवाई परिवहन की सुविधा प्रदान करना है।
- सुगम्य भारत अभियान: 2015 में, केंद्र सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकालांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) सशक्तिकरण विभाग के तहत सुगम्य भारत अभियान (AIC) लॉन्च किया, जिसे सुगम्य भारत अभियान के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य विकलांगों के लिए एक सार्वभौमिक बाधामुक्त वातावरण के निर्माण के लिए पहुंच बढ़ाना, जागरूकता पैदा करना और संवेदनशीलता पैदा करना है।

4. भारत का उद्योग क्षेत्र

- उद्योग और विनिर्माण देश की आर्थिक वृद्धि में एक अभिन्न स्तंभ के रूप में उभर रहा है।
- भारतीय विनिर्माण उद्योग ने महामारी से पहले भारत की GDP का 16-17% उत्पन्न किया था और इसे सबसे तेजी से बढ़ाते क्षेत्रों में से एक माना जाता है।
- विनिर्माण भारत में उच्च विकास वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा है।
- भारत के पास 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का सामान निर्यात करने की क्षमता है और यह एक प्रमुख वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की राह पर है।

PM गतिशक्ति

- 2021 में शुरू की गई PM गतिशक्ति का उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों में योजना और बुनियादी ढांचे के विकास के प्रयासों को एकीकृत करके लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाना, लागत में कटौती करना और अंतरविभागीय साइटों को खत्म करना है।
- एकीकरण, सिंक्रनाइज़ेशन, प्राथमिकताकरण और अनुकूलन प्राप्त करने के लिए पीएम गतिशक्ति के मोटे तौर पर दो घटक हैं।
- सबसे पहले, नेशनल मार्टर प्लान नामक जीएलएस-आधारित प्रौद्योगिकी मंच का विकास, जिसमें सड़कों से लेकर रेलवे तक, विमानन से लेकर कृषि तक, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से सब कुछ जुड़ा हुआ है।
- दूसरा, मल्टीमॉडल बुनियादी ढांचे और आर्थिक क्षेत्रों के समकालिक विकास के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रयासों को एकीकृत करने के लिए एक सि-स्टरीय संस्थागत व्यवस्था स्थापित करना है।



राष्ट्रीय रसद नीति

- 2022 में लॉन्च की गई राष्ट्रीय तॉजिस्टिक्स नीति (NLP), पीएम नतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप, तॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है।
- NLP का लक्ष्य दक्षता बढ़ाना, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, विनियमित करना, कौशल विकसित करना, शिक्षा में तॉजिस्टिक्स को एकीकृत करना और एक लचीले, टिकाऊ और विश्वसनीय तॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना, त्वरित और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।
- लक्ष्य एक तकनीकी रूप से सक्षम, लागत-कुशल तॉजिस्टिक्स प्रणाली बनाना है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति के निर्माण की देखरेख करता है।
- DPIIT RBI प्रेषण के आधार पर आवक FDI पर डेटा का प्रबंधन करता है।
- FDI को बढ़ावा देने के लिए, एक उदार नीति अधिकांश क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक FDI की अनुमति देती है।
- जून 2017 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) को समाप्त करने के बाद से, FDI अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बना दिया गया है।
- मंत्रालय/विभाग अब मौजूदा FDI नीति और फेमा के तहत FDI आवेदनों के प्रसंस्करण और अनुमोदन का काम संभालते हैं।

मेक इन इंडिया

- निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 2014 में 'मेक इन इंडिया' पहल शुरू की गई थी।
- 'वोकल फॉर लोकल' पहल "मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड" पर जोर देते हुए विश्व स्तर पर भारतीय विनिर्माण को बढ़ावा देती है।
- मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 क्षेत्रों में उपलब्धियों के साथ, यह 15 विनिर्माण और 27 सेवा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- वाणिज्य विभाग सेवा क्षेत्र की योजनाओं को संभालता है, जबकि निवेश आउटरीच में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और घेरलू और विदेशी निवेश दोनों को आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विदेशों में भारतीय मिशनों को शामिल किया जाता है।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना

- भारत के 'आत्मनिर्भार' टक्टिकोण के अनुरूप, 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं।
- इस योजना का लक्ष्य विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना है।
- PLI योजनाएं मुख्य सक्षम क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजारों और मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकृत करने के लिए विश्व स्तर पर प्रतिश्पर्द्ध बनाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।



स्टार्टअप इंडिया

- स्टार्टअप इंडिया पहल 2016 में शुरू की गई थी।
- इस पहल का उद्देश्य स्टार्टअप विकास के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना है।
- यह पहल तीन प्रमुख स्तरों में उद्यमशीलता की स्थापना को गति प्रदान करने का प्रयास करती है, अर्थात्
 - सरलीकरण और हैंडहॉलिंग
 - वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन
 - उद्योग-आकादमिक साझेदारी और ऊर्जायन
- योजना के उद्देश्यों में नवाचार-संवालित उद्यमिता में तेजी लाना और स्टार्टअप के लिए बड़ी इवेंटों जैसे संसाधन जुटाना शामिल है।

भारी उद्योग

- भारी उद्योग मंत्रालय ऑटोमोबाइल, पूंजीगत सामान और भारी विद्युत उपकरण क्षेत्रों के विकास और प्रगति को बढ़ावा देता है और विनिर्माण, परामर्श और अनुबंध सेवाओं और चार स्वायत्त संगठनों में लगे 29 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSE) का प्रबंधन करता है।
- भारी विद्युत उपकरण उद्योग (HEI) ऊर्जा क्षेत्र और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करता है।
- 2021 में, सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

- MSME क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक गतिशील शक्ति है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- यह क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने और आय और धन के समान वितरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का लक्ष्य इस क्षेत्र में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है।
- MSME के प्रचार और विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।
- भारतीय MSME क्षेत्र, जिसमें छठ करोड़ से अधिक उद्यम शामिल हैं, एक गतिशील शक्ति है, जो सकल घेरलू उत्पाद में 27%, निर्यात में 44% का योगदान देता है और 11.10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है।
- MSME मंत्रालय ने अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को MSME के औपचारिक दायरे में लाने के लिए जनवरी, 2023 में उद्यम असिस्ट प्लॉटफॉर्म भी लॉन्च किया।

उद्यम पंजीकरण पोर्टल

- संशोधित MSME परिभाषा के अनुसार MSME पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, MSME मंत्रालय ने जुलाई, 2020 में उद्यम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया।
- पंजीकरण प्रक्रिया निःशुल्क, कागज रहित और डिजिटल है।
- पोर्टल का सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GEM), आयकर, GST, TRED और NCS (नेशनल करियर सर्विस) पोर्टल के साथ जुड़ाव है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) MSME मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन है, जिसकी स्थापना ग्रामीण रोजगार और आर्थिक मजबूती के लिए खादी और ग्रामोद्योग (KVI) को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए की गई है।
- यह 1987 और 2006 में संशोधित संसद के एक अधिनियम के तहत संचालित होता है, जो विकेन्ट्रीकृत ग्रामीण क्षेत्रों में कम प्रति व्यक्ति निवेश के साथ टिकाऊ गैर-कृषि रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है।

कपड़ा

- बड़े कच्चे माल के आधार और मूल्य श्रृंखला में विनिर्माण ताकत के साथ भारतीय कपड़ा उद्योग दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है।
- कपड़ा उद्योग, कृषि, संस्कृति और परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो घरेतू और निर्यात दोनों बाजारों के लिए उपयुक्त बहुमुखी उत्पाद तैयार करता है।
- हथकरघा, हस्तशिल्प और छोटे पैमाने की पावरलूम इकाइयाँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रोजगार प्रदान करती हैं।
- कपड़ा उद्योग मूल्य के संदर्भ में उद्योग उत्पादन में 7 प्रतिशत यानी भारत की जीडीपी में 2 प्रतिशत और देश की निर्यात आय में 15 प्रतिशत योगदान देता है।

इस्पात

- इस्पात मंत्रालय लौह अयस्क और मैग्नीज अयरक जैसे आवश्यक इनपुट सहित लौह और इस्पात उद्योग की योजना और विकास की देखरेख करता है।
- 2013-14 के बाद से कच्चे इस्पात का उत्पादन और क्षमता लगातार बढ़ी है, जिससे यह उद्योग देश में औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक बन गया है।
- वर्तमान में भारत की कच्चे इस्पात की क्षमता तेजी से बढ़कर 142 मीट्रिक टन हो गई है, जिसके बाद भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए कच्चे इस्पात का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है।
- एक मजबूत घरेतू इस्पात उद्योग एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जो निर्माण, बुनियादी ढांचे, मोटर वाहन, पूँजीगत सामान, रक्षा, ऐल और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में प्रमुख इनपुट के रूप में कार्य करता है।

उर्वरकों

- उर्वरक विभाग रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारे में आता है।
- विभाग का प्राथमिक लक्ष्य देश में कृषि उत्पादन को अधिकतम करने के लिए किफायती उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
- इसके कार्यों में उर्वरक उद्योग की योजना बनाना, प्रचार करना और विकसित करना शामिल है, साथ ही उत्पादन, आयात, वितरण की निगरानी करना और खदेशी और आयातित दोनों उर्वरकों के लिए सब्सिडी के माध्यम से वित्तीय सहायता का प्रबंधन करना शामिल है।

रसायन और पेट्रो-रसायन

- रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग 1989 तक उद्योग मंत्रालय के अधीन था, जब इसे पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के अधीन लाया गया।
- विभाग को रसायन, पेट्रो-रसायन और फार्मास्यूटिकल उद्योग क्षेत्र की योजना, विकास और नियमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

दवाइयों

- भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है।
- फार्मास्यूटिकल्स उद्योग का कुल वार्षिक कारोबार 2022- 2023 के लिए 3,79,450 करोड़ रुपये है।
- पिछले नौ वर्षों में, यह क्षेत्र 64 प्रतिशत सीएजीआर (कुल फार्मा निर्यात के अनुसार) से लगातार बढ़ा है।
- 2022-23 के लिए फार्मास्यूटिकल्स का कुल निर्यात 1,94,254 करोड़ रुपये और फार्मास्यूटिकल्स का कुल आयात 56,391 करोड़ रुपये है (थोक दवाओं, दवा मध्यवर्ती, दवा फॉर्मूलेशन और जैविक के लिए)।

भारतीय खान ब्यूरो

- मार्च 1948 में स्थापित भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय के तहत काम करता है।
- यह कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिज और लघु खनिजों को छोड़कर विभिन्न खनिज संसाधनों के संरक्षण और व्यवस्थित दोहन के लिए वैधानिक कर्तव्यों वाला एक वैज्ञानिक संगठन है।
- यह खनन, भूवैज्ञानिक अध्ययन, अयरक लाभकारी और पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न पहलुओं में वैज्ञानिक, तकनीकी-आर्थिक और अनुसंधान-उन्मुख अध्ययन भी करता है।




— CENTER FOR —
CIVIL SERVICES
— DEDICATED TO UPSC CSE —



CCS UPSC & JPSC

@ccsupsc



अब करें तैयारी UPSC/JPSC/BPSC की कहीं से!

- Live + Recorded क्लास
- विशेष रूप से तैयार समग्र पाठ्यसमग्री
- अखिल भारतीय टेस्ट सीरीज
- निःशुल्क पाठ्यसमग्री
- निःशुल्क टेस्ट सीरीज
- करेंट अफेयर्स
- 24*7 डाउट समाधान
- बेहद किफायती फीस
- उच्च गुणवत्ता की तैयारी



Download: ccsupsc.com/get-app